

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
दिसंबर-जनवरी, 2022-23 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी, 2023

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के अंतर्गत परलकोट क्षेत्र की शालाओं में बंगला भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति [स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 220) श्री अनूप नाग : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 133 परलकोट ग्रामों में कितने शालाओं में कितने बंगला भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक कार्यरत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? शालावार सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें ? (ख) क्या परलकोट क्षेत्र के ग्रामों में बंगला भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शासन के संज्ञान में कोई बात आयी है ? यदि हाँ तो बंगला भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों के नियुक्ति हेतु क्या योजना बनाई गई तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 133 परलकोट ग्रामों में किसी भी शाला में बंगला भाषा पढ़ाने हेतु पृथक से पद स्वीकृत नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सारंगढ़ विकासखंड में कोरोना काल के दौरान मजदूरों को लाने, ले जाने में भोजन आदि में खर्च हुई राशि [राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

2. (*क्र. 523) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के अंतर्गत विकासखंड सारंगढ़ में कोरोना काल के समय मजदूरों को लाने, ले जाने एवं भोजन आदि के नाम पर विकासखंड सारंगढ़ की कितनी ग्राम पंचायतों को कितनी राशि राज्य आपदा मोचन निधि (एस. डी. आर. एफ.) बाढ़ राहत चक्रवात अनुदान के अंतर्गत जारी की गयी है? क्या उक्त निधि से बाकि ग्राम पंचायतों को राशि जारी होना शेष है? यदि हाँ तो कब तक जारी की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के अंतर्गत विकासखंड सारंगढ़ में कोरोना काल के समय श्रमिकों के भोजन आदि व्यवस्था हेतु 61 ग्राम पंचायतों के लिये राज्य आपदा मोचन निधि से कुल रूपये 182.93 लाख का आबंटन उपलब्ध कराया गया है। कलेक्टर से मांग पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर चौकी जिले के एकलव्य विद्यालयों में सामग्री की खरीदी [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (*क्र. 617) श्री विद्यारतन भसीन : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव एवं मोहला मानपुर चौकी जिला अंतर्गत समस्त एकलव्य विद्यालय में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कब-कब, कितनी-कितनी राशि की सामग्री की खरीदी की गई ? (ख) क्या उक्त खरीदी में वित्त निर्देश एवं भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है अथवा नहीं ? (ग) उपरोक्त खरीदी का भौतिक सत्यापन हुआ है अथवा नहीं? अगर हुआ है तो गठित समिति के सदस्यों का नाम एवं पदनाम की जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) वित्त निर्देश एवं भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ, भौतिक सत्यापन हुआ है। गठित समिति के सदस्यों का नाम एवं पद नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र में दर्शित है।

तहसील बारद्वार, जिला - सक्ती अंतर्गत केशर संचालक द्वारा अवैध कब्जा पर कृत कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

4. (*क्र. 644) श्री नारायण चंदेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला सक्ती के तहसील बारद्वार के पटवारी हल्का नम्बर 13 में केशर संचालन हेतु गुरु श्री मिनरल्स प्रां. लि. को भूमि आबंटित की गई है ? यदि हां तो कितनी भूमि ? भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबा सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रशांश 'क' के संचालक द्वारा आबंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य निजी भूमि/शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की शासन द्वारा जांच की गयी ? यदि हां तो कितनी भूमि में अवैध कब्जा पाया गया संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई ? भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबा सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या अतिक्रमित भूमि से अवैध कब्जा हटा लिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक अतिक्रमित भूमि मुक्त करा ली जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं। (ख) गुरु श्री मिनरल्स प्रा0लि0 के संचालक द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 1821/1 कुल रकबा 2.0680 हे0 भूमि में से 1.212 हे0 घास मद की भूमि पर अवैध कब्जा किया जाना पाया गया। (ग) अतिक्रमित भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है। उक्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर राजस्व प्रकरण क्रमांक 202209311100006/अ-68/2021-22 दर्ज किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

5. (*क्र. 65) श्री शैलेश पांडे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर में वर्तमान में कितने आत्मानंद स्कूल संचालित हैं एवं कितने नए स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की योजना है? क्या कभी बच्चों के अभिभावकों से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर फीडबैक लिया जाता है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर जिले में वर्तमान में 12 आत्मानंद स्कूल संचालित है एवं आगामी सत्र में 18 आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की योजना है। जी हां।

प्रदेश की सहकारी समितियों में अध्यक्षों की नियुक्ति

[सहकारिता]

6. (*क्र. 531) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश की कितनी सहकारी समितियों में कितने अध्यक्षों की नियुक्ति की गयी है? इनकी नियुक्ति का आधार क्या है? (ख) सहकारी समितियों के निर्वाचन के नियम क्या है? संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के पश्चात कितनी समयावधि में समिति का निर्वाचन हो जाना चाहिए? (ग) कितनी सहकारी समितियों में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी? नियुक्ति नहीं करने का क्या कारण है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश की 2 सहकारी समितियों में अध्यक्ष प्राधिकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की 49 की उप-धारा (8) एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख में वर्णित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत किया गया है। (ख) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49-गग में वर्णित प्रावधान के तहत सहकारी समितियों के निर्वाचन कराए जाने के प्रावधान हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 की उप-धारा (8) में संचालक मंडल (बोर्ड) का कार्यकाल

पूर्ण होने जाने के पश्चात् समितियों के निर्वाचन कराए जाने का प्रावधान वर्णित है। (ग) सहकारी समितियों में अध्यक्ष प्राधिकृत किए जाने का अधिनियम में अनिवार्यता नहीं है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

जिला रायपुर के ग्राम देवपुरी की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

7. (*क्र. 655) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या ग्राम देवपुरी प.ह.नं. 73, तहसील एवं जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नं. 206/1 व 206/2 का कुल कितने रकबा में अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर के द्वारा अतिक्रमण के संबंध में राजस्व प्रकरण क्रमांक 20210911 3700087/अ-68/वर्ष 2020-21 में दर्ज किया गया ? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रकरण की जाँच उपरान्त कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब एवं प्रतिवेदन में क्या-क्या अनुशंसा की गई है? प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावे? (ख) क्या उक्त प्रकरण के संबंध में शासकीय भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के मामले की जाँच हेतु गठित कमेटी को कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई ? यदि हाँ, तो कहाँ एवं कब-कब, समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, समिति द्वारा क्या-क्या निर्णय लिया गया ? समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई है, विवरण देवे? (ग) उक्त भूमि को अतिक्रमण से कब तक मुक्त करा लिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) ग्राम देवपुरी प.ह.नं. 73 तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 व 206/2 का कुल 1.717 हे. भूमि में अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 202109113700087/अ-68 वर्ष 2020-2021 में दर्ज किया गया है। अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर का प्रतिवेदन दिनांक 06.12.2021 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर के माध्यम से दिनांक 28.12.2021 को प्रकरण सहित कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, शासकीय जमीन पर बने धार्मिक स्थल के मामले की जांच के लिए गठित समिति को अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई है। अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी हाँ, उक्त प्रकरण के संबंध में शासकीय भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के मामले की जांच हेतु गठित समिति, जिला स्तरीय समिति की बैठक रेडक्रास सभाकक्ष रायपुर में दिनांक 22.07.2022 एवं कलेक्टर सभाकक्ष में दिनांक 17.11.2022 को आहूत की गई। समिति के सदस्य - कलेक्टर तथा जिला दंडाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर, नजूल अधिकारी, संभागीय अभियंता छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं कार्यपालन अभियंता लो.नि.विभाग हैं। दिनांक 22.07.2022 को समिति के द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई उपरांत प्रकरण निर्णय हेतु सुरक्षित रखा गया। दिनांक 17.11.2022 को समिति द्वारा उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के समुचित परीक्षण उपरांत प्रकरण निर्णय हेतु सुरक्षित रखा गया। 16 दिसंबर 2022 की स्थिति में जिला स्तरीय समिति के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है। (ग) जिला स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

8. (*क्र. 663) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं ? क्या यह स्कूल शासकीय हैं ? वर्तमान में इनका संचालन कौन कर रहा है ? (ख) कंडिका "क" से संबंधित स्कूलों के खुलने से पहले उन हिन्दी मिडियम के स्कूलों (जहां पर अभी वर्तमान में आत्मानंद स्कूल संचालित हैं) में छात्रों की दर्ज संख्या कितनी थी व कितने स्टाफ कार्यरत थे ? वर्तमान में आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में पुराने हिन्दी मिडियम के कितने छात्र अध्ययनरत हैं व पुराने स्टाफ में से कितने स्टाफ कार्यरत हैं ? जिलावार, स्कूलवार जानकारी देवे ? (ग) कंडिका "क" के स्कूलों के लिए अब तक किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि जारी की गई है ? राशि खर्च करने/भुगतान का अधिकार किसे दिया गया है ? स्कूलवार जानकारी देवे ? (घ) कंडिका "क" के स्कूलों के लिए कितने पद स्वीकृत किये गये हैं ? कितने पदों की भर्ती किस माध्यम से हुई है, कितने पद रिक्त हैं ? स्कूलवार जानकारी देवे ? क्या भर्ती में आरक्षण नियम/रोस्टर का पालन किया गया है ? कितने अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अ.पि.व के अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गई है ? क्या यह आरक्षण नियमों के अनुसार है, यदि नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्तमान में प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है। इन शासकीय स्कूलों को बेहतर संचालन की दृष्टि से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को संचालन हेतु सौंपा गया है, तथा इन्हें शत प्रतिशत शासकीय अनुदान दिया जाता है। समिति का गठन शासन के आदेश से किया गया है, एवं इसके सभी सदस्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। राशि खर्च करने/भुगतान का अधिकार समिति को दिया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। जी हां। 382 अनु.जाति, 733 अनु.जनजाति एवं 1044 अ.प.वि. के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। जी हां, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त शिक्षक
[स्कूल शिक्षा]

9. (*क्र. 671) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी में कितने प्राचार्य एवं व्याख्याता की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की गई है, जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक "क" अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्राचार्य एवं व्याख्याता के स्थान पर सिहावा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के स्कूलों में प्राचार्य एवं व्याख्याता की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? (ग) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्राचार्य एवं व्याख्याता की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर कब तक मूल शाला में पदस्थ किया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी में कुल 04 प्राचार्य एवं 03 व्याख्याता की प्रतिनियुक्ति की गई है, जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) यह एक सतत प्रक्रिया है। (ग) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

अरपा भैंसाझार परियोजना में भू-अर्जन एवं अन्य अनियमितताओं की जांच
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

10. (*क्र. 631) श्री धरम लाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि अरपा भैंसाझार परियोजना में भू-अर्जन एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायतों की जांच मंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों के निर्देश पर की गई/की जा रही है? यदि हाँ, तो कौन-कौन जांच समिति के सदस्य थे? जांच प्रतिवेदन कब दिया गया व इसके प्रमुख तथ्य क्या थे तथा दोषी कौन है? (ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहर क्षेत्र में नहीं आ रहा है खसरा क्रमांक 40/4, 10/4, 19/4 व 9/5 का मुआवजा वितरण किया गया है यदि हाँ, तो इसकी जांच किसके द्वारा कब की गई एवं कौन दोषी है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या उक्त प्रोजेक्ट के नक्शे में परिवर्तन किया गया है ? ताथ अवार्ड पारित हुए बिना भी मुआवजा भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो किन-किन को कितना-कितना भुगतान किया गया है व दोषी कौन है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हाँ। कलेक्टर बिलासपुर के आदेश क्रमांक 1775, दिनांक 6.7.2021 द्वारा शिकायत की जांच हेतु जिला स्तर पर 6 सदस्यीय समिति गठित की गयी है, समिति के सदस्य श्री बी.एस.उइके, अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर, श्री आर.पी. शुक्ला, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग (खारंग संभाग) बिलासपुर, श्री देवेन्द्र पटेल, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर, श्री मनोज केसरिया, प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख शाखा), जिला कार्यालय बिलासपुर, श्री अजित पुजारी, डिप्टी कलेक्टर, जिला कार्यालय बिलासपुर एवं श्री पेखन टोण्डे, प्रभारी तहसीलदार सकरी/तखतपुर, सदस्य है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) तत्कालीन हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार, उक्त खसरा क्रमांकों की भूमि शामिल है। जांच हेतु जिला स्तर पर 6 सदस्यीय समिति गठित की गयी है, जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। उक्त प्रोजेक्ट में नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अवार्ड पारित किये बिना मो. वासिफ जाफरी को राशि रूपये 41,31,983.00/- एवं रूपये 62,74,493.00/- श्री शारदा अग्रवाल

को राशि रूपये 88,76,114.00/- तथा श्री रोहणी तिवारी पिता विनय तिवारी को राशि रूपये 2,17,39,918.00/- का भुगतान किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गणवेश वितरण

[स्कूल शिक्षा]

11. (*क्र. 627) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए स्कूली छात्र-छात्राओं के गणवेश वितरण के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? दिनांक 30/11/2022 तक कितने छात्र-छात्राओं को गणवेश वितरण किया गया है? (ख) कंडिका "क" के गणवेश तैयार करने के लिए क्या एजेंसी तय की गयी है? यदि हां, तो किस दर पर और कौन-कौन? गणवेश वितरण के लिए राज्य शासन से क्या दिशा-निर्देश है? (ग) क्या यह सत्य है कि छात्र-छात्राओं को अब तक केवल एक ही गणवेश (ड्रेस) वितरित की गयी है? यदि हां, तो दूसरा सेट का कब तक वितरण किए जाने का निर्देश है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए स्कूली छात्र-छात्राओं के गणवेश वितरण के लिए 31,12,130 विद्यार्थियों को दो गणवेश सेट्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सत्र में सभी 31,12,130 छात्र-छात्राओं को गणवेश वितरित हो चुकी है। (ख) छत्तीसगढ़ राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित राजेन्द्र नगर रायपुर एजेंसी निर्धारित की गई है। दर संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। दिशा निर्देश संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (जी) जी नहीं। दोनों सेट का वितरण पूर्ण हो चुका है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

बस्तर संभागान्तर्गत संचालित आश्रम/ छात्रावासों की स्थिति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

12. (*क्र. 695) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों की मरम्मत/रखरखाव हेतु वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक बंटित एवं कुल व्यय की गई राशियों की जानकारी जिलेवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त कुल बंटित राशि से कुल कितने आश्रम/छात्रावासों की मरम्मत/रखरखाव का कार्य किया गया ? जिलेवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश "ख" के परिपेक्ष्य में ही जिला बस्तर अंतर्गत किन-किन आश्रम/छात्रावासों में कुल कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को लैपटॉप प्रदान करने व भुइयाँ सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

13. (*क्र. 699) श्री राजमन बेंजाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं नामांतरण की ऑनलाइन कार्यवाही कौन से वर्ष से प्रारंभ की गयी है ? (ख) क्या ऑनलाइन कार्य शीघ्र एवं सरल रूप में संपादित करने हेतु राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को कंप्यूटर अथवा लैपटॉप प्रदाय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या राजस्व विभाग के "भुइयाँ सॉफ्टवेयर" में समय-समय पर किये गये अद्यतन (अपडेट) का राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षक अथवा ऑपरेटर की नियुक्ति की गयी है? यदि नहीं, जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने विभाग की क्या योजना है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण वर्ष 2004 से किया गया है। नामांतरण की वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन कार्यवाही दिनांक 17 अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की गयी है। (ख) जी नहीं, राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को ऑनलाइन कार्यों के संपादन हेतु पृथक-पृथक कम्प्यूटर/लैपटॉप प्रदाय नहीं किया गया है। वर्ष 2014-15 में भू-अभिलेखों को ऑनलाइन किये जाने के समय शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया था कि तहसील स्तर पर अभिलेख दुरूस्ती हेतु कम्प्यूटर की व्यवस्था की जावेगी एवं संबंधित हल्का पटवारी द्वारा रोस्टरवार तहसील कार्यालय में आकर अभिलेख दुरूस्ती का कार्य संपादित ऑनलाइन कार्य शीघ्र एवं सरल रूप में संपादित करेंगे। (ग) जिला स्तर पर प्रशिक्षक नियुक्त नहीं है तथापि तहसील में पदस्थ आपरेटर के द्वारा राजस्व निरीक्षकों

एवं पटवारियों को "भुईया सॉफ्टवेयर" अद्यतन की जानकारी दी जाती है। राजस्व विभाग के भुईया सॉफ्टवेयर की अद्यतन जानकारी के लिए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/तहसीलदार/प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख को राज्य स्तर पर प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 05-10-2022 व 10-10-2022 एवं द्वितीय प्रशिक्षण दिनांक 16-12-2022 को कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/तहसीलदार/प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख द्वारा तहसील स्तर पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को भुईया सॉफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (*क्र. 706) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति विभाग द्वारा कौन-कौन से छात्रावास संचालित हैं? योजनावार एवं जिलेवार जानकारी दें। (ख) छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को क्या-क्या सुविधा प्रदाय की जाती है? सुविधाओं का विवरण व लाभ की जानकारी दें। (ग) छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन, साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु कितनी राशि दी जाती है? (घ) छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में कब व कितनी वृद्धि की गई है? विवरण दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति विभाग द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित है। योजनावार एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जा रही सुविधाओं का विवरण व लाभ की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ग) भोजन, साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु राशि रूपये 1000/- प्रतिमाह प्रति छात्र प्री मैट्रिक छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को एवं राशि रूपये 700/- प्रतिमाह प्रति छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाती है। इसके अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को रूपये 380/- प्रतिमाह, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को रूपये 4000/- प्रति वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को रूपये 5000/- प्रति वर्ष निर्वाह भत्ता दिया जाता है। (घ) छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल प्राथमिक स्कूल
[स्कूल शिक्षा]

15. (*क्र. 651) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल प्राथमिक स्कूल संचालित हैं? जानकारी दें। (ख) ऐसे कितने स्कूल हैं जो आहाता-विहीन हैं व ऐसे कितने स्कूल हैं जो भवन-विहीन या जर्जर भवन में संचालित हैं? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 20 शास. हायर सेकेंडरी स्कूल, 28 शास. हाई स्कूल, 107 शास. मिडिल स्कूल एवं 221 शास. प्राथमिक स्कूल संचालित हैं। (ख) 89 शास. शालाएं अहाता-विहीन हैं। 03 शास. शालाएं भवन विहीन एवं 29 शास. शालाएं जर्जर हैं। जिनका संचालन अन्य वैकल्पिक स्थानों पर किया जा रहा है। कोई भी शाला जर्जर भवन में संचालित नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

16. (*क्र. 72) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अभिभावकों की कितनी वार्षिक आय पर एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति दी जा रही है एवं कितनी कितनी राशि दी जा रही है? वर्गवार जानकारी देवे? (ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए उनके अभिभावकों की बढ़ाई गई वार्षिक आय की सीमा पर एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा भी दी जा रही है? यदि हां तो कितनी आय पर कितनी राशि किस दर से दी जा रही है, वर्गवार जानकारी देवे? यदि नहीं दी तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अभिभावकों की 2.50 लाख वार्षिक आय पर एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति दी जा रही है। राशि का वर्गवार विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) हां केन्द्र सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए उनके अभिभावकों की बढ़ाई गई वार्षिक आय की सीमा पर एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा भी दी जा रही है। 2.50 लाख वार्षिक आय पर दी जा रही राशि एवं दर का वर्गवार विवरण संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर अंतर्गत किसानों को रवि फसल क्षति की मुआवजा राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

17. (*क्र. 648) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में तहसील जैजैपुर अंतर्गत रवि फसल क्षति का किन-किन ग्रामों के किसानों को राजस्व पुस्तक परिशिष्ट 6/4 के तहत मुआवजा प्रकरण बनाया गया है? (ख) क्या प्रश्नांक "क" के अनुसार उपरोक्त किसानों का राजस्व पुस्तक परिशिष्ट 6/4 के तहत मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कितने किसानों को चेक या बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया है? (ग) क्या तहसील जैजैपुर में वर्ष 2021-22 में रवि फसल क्षति का राजस्व पुस्तक परिशिष्ट 6/4 के तहत किसानों का राशि स्वीकृत होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां तो क्यों तथा क्या इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में तहसील जैजैपुर अंतर्गत रबी फसल क्षति का राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत मुआवजा प्रकरण बनाया गया है उन ग्रामों का नाम संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के ग्रामों के कुल 2105 कृषकों के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्रकरण बनाया गया। RTGS के माध्यम से 1367 कृषकों को तथा चेक के माध्यम से 124 कृषकों को भुगतान कर दिया गया है। (ग) 614 कृषक अपात्र पाये जाने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय जांच समिति का गठन कर जांच कराया गया, जांच समिति द्वारा कुल 2105 कृषकों में से 614 कृषक अपात्र पाये जाने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर की शाखा बम्हनीडीह के नये अपूर्ण बैंक भवन के निर्माण कार्य की पूर्णता

[सहकारिता]

18. (*क्र. 712) श्री ननकी राम कंवर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, बिलासपुर की शाखा बम्हनीडीह में नये बैंक भवन का निर्माण कब चालू हुआ एवं लागत क्या है, वर्तमान में नये बैंक भवन की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) क्या शाखा बम्हनीडीह के अधूरे नये बैंक भवन के निर्माण को समयावधि में पूर्ण न करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किन किन के द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है? (ग) ग्राम बम्हनीडीह का अधूरा बैंक भवन कब पूर्ण हो जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर की शाखा बम्हनीडीह में नये बैंक भवन का निर्माण दिनांक 07/11/2013 को प्रारंभ हुआ एवं लागत राशि रूपये 40.00 लाख थी। वर्तमान में भवन निर्माण कार्य अधूरा है। (ख) जी हां। प्रकरण में अनियमितता होने से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58-ख अंतर्गत प्रकरण विचाराधीन है एवं कार्यवाही लंबित है। प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भूमि से बेजा कब्जा बेदखली के प्रकरण
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

19. (*क्र. 15) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 में दिनांक 05/12/2022 तक किस-किस तहसील के कितने गांवों के शासकीय भूमि का उपयोग जनहित और शासकीय कार्य करने हेतु ग्राम पंचायत के आवेदन पर कितने प्रकरण में बेजा कब्जा पर बेदखली का आदेश हुआ है? बेदखली के आदेश पर बेजा कब्जा हटाने के लिए क्या कार्यवाही हुई है? कितने प्रकरणों में कार्यवाही लंबित है? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : तहसील अकलतरा अंतर्गत 05 ग्राम के 08 प्रकरण दर्ज हुए हैं। तहसील बलौदा अंतर्गत 03 ग्राम के 03 प्रकरण दर्ज हुए हैं, इनमें से 01 प्रकरण में बेदखली आदेश हुआ है। कुल 11 प्रकरण का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए शासन द्वारा दिए जाने वाले फीस में वृद्धि का प्रावधान
[स्कूल शिक्षा]

20. (*क्र. 621) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र- छात्राओं के लिए शासन द्वारा प्रतिवर्ष फीस के रूप में कितनी राशि दी जाती है और कब से ? (ख) क्या अधिनियम में उक्त राशि प्रतिवर्ष बढ़ाने का कोई प्रावधान है? (ग) यदि हां, तो अब तक राशि न बढ़ाये जाने के क्या कारण है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) निजी प्राथमिक शालाओं में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र-छात्राओं के लिए शासन द्वारा वर्ष 2012 से फीस के रूप में प्राथमिक शालाओं के छात्रों के लिए प्रति छात्र राशि रू.7000/- वार्षिक या विद्यालय की वार्षिक फीस जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक हेतु राशि रू.250/- तथा गणवेश हेतु वर्तमान में राशि रू. 540.52/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है। (ख) जी नहीं। (ग) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

छत्तीसगढ़ में अधीक्षक, भू-अभिलेख की पदीय स्थिति
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

21. (*क्र. 683) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग में अधीक्षक भू-अभिलेख के कितने पद स्वीकृत हैं? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें ? (ख) स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं , जिलेवार रिक्त पद की , रिक्तता अवधि की जानकारी देते हुए अवगत कर कराएं कि उक्त अवधि में रिक्त पद का कार्य संपादन किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश "ख" अनुसार अधीक्षक भू-अभिलेख की रिक्त पदों की भर्ती हेतु विगत 03 वर्षों में क्या क्या

कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांस "ख" अनुसार रिक्त पदों की भर्ती हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में क्या योजना है? रिक्त पद की भर्ती कब तक कर ली जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग में अधीक्षक भू-अभिलेख के 85 पद स्वीकृत है। जिलेवार संख्यात्मक जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) अधीक्षक भू-अभिलेख के 85 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध वर्तमान में 05 पद भरे एवं 80 पद रिक्त हैं। रिक्तता अवधि की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। अधीक्षक भू-अभिलेख के रिक्त पद का कार्य संपादन सहायक अधीक्षक भू-अभिलेखों द्वारा किया जा रहा है। (ग) अधीक्षक भू-अभिलेख का पद सीधी भर्ती का पद नहीं है पदोन्नति का पद है। अतः रिक्त पदों पर भर्ती का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) अधीक्षक भू-अभिलेख का पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। नियमानुसार पात्र होने पर सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख को अधीक्षक, भू-अभिलेख के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

किसानों के भूमि सीमांकन, मुआवजा एवं बटवारा सम्बन्धी आवेदनों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

22. (*क्र. 659) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर जिले में किसानों के भूमि सीमांकन, मुआवजा एवं बटवारा सम्बन्धी कितने आवेदन जनवरी 2021 से 30 नवम्बर, 2022 तक प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में कितने का निराकरण कर दिया गया है एवं कितने आवेदन लंबित हैं तथा क्यों? तहसीलवार जानकारी प्रदान करें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : रायपुर जिले में किसानों के भूमि सीमांकन, मुआवजा एवं बटवारा के जनवरी 2021 से 30 नवम्बर, 2022 तक प्राप्त आवेदन, निराकृत एवं लंबित आवेदन पत्रों की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील	सीमांकन			बटवारा			मुआवजा		
	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित
रायपुर	6853	6045	808	1444	1280	164	47	00	47
धरसीवा	00	00	00	00	00	00	00	00	00
अभनपुर	590	579	11	213	166	47	04	00	04
गोबरा नवापारा	547	493	54	272	221	51	02	00	02
मंदिर हसौद	693	641	52	161	140	21	00	00	00
आरंग	469	453	16	186	153	33	19	09	10
तिल्दा	544	482	62	151	129	22	00	00	00
खरोरा	513	512	01	224	199	25	00	00	00
योग:-	10209	9205	1004	2651	2288	363	72	09	63

उपरोक्त प्रकरणों के लंबित होने के कारण की जानकारी निम्नानुसार है:-

(1) मामला अत्यधिक विवादित होने से। (2) पक्षकारों के द्वारा समयावधि में जबाव साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण। (3) पक्षकारों के निवास स्थान से अन्यत्र निवास होने के कारण, समयावधि में नोटिस तामिल नहीं होने के कारण। (4) वरिष्ठ न्यायालयों, सिविल न्यायालय से स्थगन होने के कारण।

जिला कबीरधाम अंतर्गत भवन विहीन शालायें व मूलभूत सुविधा की व्यवस्था

[स्कूल शिक्षा]

23. (*क्र. 495) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कबीरधाम अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन विहीन हैं तथा कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में पृथक पृथक बालक-बालिका शौचालय एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध

नहीं है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें । (ख) प्रश्नांक "क" के अन्तर्गत इन स्कूल भवनों में बालक-बालिका शौचालयों एवं मूलभूत सुविधा की व्यवस्था कब तक हो पायेगी ? विकासखण्डवार जानकारी देवें । (ग) प्रश्नांक "क" के अन्तर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों में जर्जर शौचालय हैं और इन शौचालयों की मरम्मत का क्या प्रावधान है और कब तक इनकी मरम्मत हो पायेगी ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विकासखण्ड-बोड़ला में 02 प्राथमिक एवं विकासखण्ड-पण्डरिया में 03 प्राथमिक शाला भवन विहीन है। सभी शालाओं में पृथक-पृथक बालक-बालिका शौचालय, पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था है। अहाता विहीन की विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) सभी शास.शालाओं में शौचालय, पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था है। (ग) विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। अतिआवश्यक मरम्मत मद अंतर्गत राशि का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

मध्याह्न भोजन हेतु सामग्री क्रय की जांच

[स्कूल शिक्षा]

24. (*क्र. 635) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सही है कि मध्याह्न भोजन के लिये सामग्री सी-मार्ट से खरीदे जाने हेतु आदेश जारी किये गए हैं? यदि हाँ, तो कब जारी किये गए ? कोण्डागांव, सूरजपुर, मुंगेली जिलों में कौन-सी व कितनी राशि की सामग्री, किस सी-मार्ट से नवम्बर, 2022 तक क्रय की गई है? जिलेवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

कोरबा विकासखंड में शासकीय स्कूल बिल्डिंग तोड़ने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

25. (*क्र. 623) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सही है कि कोरबा विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजगामार का पुराना भवन तोड़ दिया गया है? यदि हां, तो यह भवन किसके द्वारा तोड़ा गया ? क्या उन्हें शासकीय भवन तोड़ने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त थी ? यदि नहीं तो भवन तोड़ने और शासकीय संपत्ति को क्षति, पहुंचाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हाँ। ग्रामसभा के प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत रजगामार द्वारा तोड़ा गया है। सक्षम अधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गयी है। संज्ञान में आने पर जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा को अपने पत्र क्रमांक 6388/भवन/2022-23 दिनांक 02.12.2022 के माध्यम से समुचित कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****पंजीयन विभाग के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर अधिरोपित रोजगार एवं युवा विकास उपकर**
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)]

1. (क्र. 94) श्री अजय चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या पंजीयन विभाग के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर रोजगार एवं युवा विकास उपकर अधिरोपित किया गया है? यदि हां तो कब से अधिरोपित किया गया है? उसका उद्देश्य क्या है और प्रश्नावधि तक कितनी राशि प्राप्त हुयी है तथा किन-किन कार्यों में, कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा कितनी राशि शेष है? (ख) यदि अधिरोपित नहीं किया गया है तो कब से करने जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश क के अनुक्रम में समय बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

2. (क्र. 154) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर जिले में जनवरी,2020 से नवम्बर,2022 तक कितने खसरों पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत आयी है? इनमें से कितने खसरों पर रजिस्ट्री में रोक लगायी गयी है? क्या धरसीवा तहसील के खसरा क्रमांक 47 की रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दी गयी है? उक्त खसरे में क्या कार्यवाही की गयी है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : रायपुर जिले में जनवरी-2020 से नवंबर-2022 तक कुल 70 खसरा नंबर पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत आई है। जांच उपरांत 38 खसरों पर रजिस्ट्री में रोक लगायी गई है। धरसीवा तहसील के खसरा क्रमांक 47 की रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त खसरे नंबर में कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

जिला बिलासपुर में नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन के लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

3. (क्र. 155) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 30 नवंबर, 2022 की स्थिति में जिला-बिलासपुर में नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन आदि राजस्व के कितने मामले लंबित हैं ? (ख) उक्त लंबित मामलों में से कितने मामले 3 वर्ष से ज्यादा अवधि से लंबित हैं? इन लंबित मामलों में से कितने मामले पटवारी या राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की वजह से लंबित हैं? (ग) 3 वर्ष से ऊपर के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक हो जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला बिलासपुर में 30 नवंबर 2022 की स्थिति में नामांतरण, डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन के कुल दर्ज/निराकृत/लंबित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है:-

मद	कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण	समय-सीमा के भीतर प्रकरण	समय-सीमा के बाहर प्रकरण
नामांतरण	17134	10116	7018	6577	441
डायवर्सन	541	397	144	102	42
सीमांकन	439	155	284	253	31

बुधवार	1087	541	546	432	114
योग:-	19201	11209	7992	7364	628

(ख) उक्त प्रश्नांश के संबंध में बिलासपुर जिले में तीन वर्ष से ज्यादा अवधि के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) प्रश्नांश 'ग' के संबंध में जानकारी निरंक है।

स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालकों की पद स्थापना [स्कूल शिक्षा]

4. (क्र. 450) श्री किस्मत लाल नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में कुल कितने सहायक संचालक के पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? (ख) ऐसे कितने सहायक संचालक हैं, जो एक ही जिले में 3 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक संचालक के कुल 82 पद स्वीकृत हैं एवं 09 पद रिक्त हैं। (ख) 27 सहायक संचालक, एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ हैं।

प्रदेश के स्कूलों में मध्याह्न भोजन [स्कूल शिक्षा]

5. (क्र. 457) श्री अरुण वीरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के 30 लाख बच्चों को गरम मध्याह्न भोजन के लिए वर्ष 2021-22 में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया ? (ख) वर्ष 2022-23 में पहले चरण में बच्चों में सोया चिक्की खिलाने हेतु प्रदेश के कितने जिलों में, कितने बच्चों के लिए, कुल कितनी राशि का बजट स्वीकृत किया गया है ? क्या वर्तमान में बच्चों को मध्याह्न भोजन में सोया चिक्की दी जा रही है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कुल राशि 62488.21 लाख का प्रावधान किया गया है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश के 07 जिलों क्रमशः दुर्ग, गरियाबांद, सूरजपुर, कोरिया, बलौदाबाजार, रायगढ़ एवं बलरामपुर में 8,33,006 बच्चों के लिए कुल राशि 2995.34 लाख का प्रावधान समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना में हैं। जी नहीं, राज्य शासन द्वारा भारत शासन को लिखा गया है कि सोया चिक्की के स्थान पर रागी, कोदो, कुटगी से बनी सामग्री देने की अनुमति प्रदान की जाये, क्योंकि इनका उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है।

आत्मानंद स्कूलों की स्वीकृति [स्कूल शिक्षा]

6. (क्र. 459) श्री अरुण वीरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में जिले से मिले प्रस्ताव पर कुल कितने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल आरंभ करने की योजना है ? जिलेवार जानकारी दें ? कुल कितने स्कूलों की अब तक प्रशासकीय स्वीकृति मिली है ? कितने स्कूलों के कार्य प्रारंभ हो पाए हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जिलों के द्वारा प्रस्तावों में अभी परिवर्तन किया जा रहा है, अतः नवीन स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की योजना अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अविभाजित राजनांदगांव जिले में बंद प्राइवेट स्कूल एवं उनमें प्रवेशित बच्चे
[स्कूल शिक्षा]

7. (क्र. 507) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) अविभाजित राजनांदगांव जिले में 2019-20 से लेकर नवम्बर, 2022 तक कितने प्राइवेट स्कूल बंद हुये, नाम एवं विवरण दें? (ख) इन बंद हुये प्राइवेट स्कूलों में कितने आरटीई के गरीब बच्चे अध्ययनरत थे, विवरण दें? (ग) इन बच्चों को किन-किन स्कूलों में प्रवेश दिया गया, विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) आ टी ई के अंतर्गत 653 बच्चे इन स्कूलों में दर्ज थे। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है
[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

मुंगेली जिलान्तर्गत शैक्षणिक कार्य से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अथवा संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]

8. (क्र. 514) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) मुंगेली जिला में दिनांक 8 दिसंबर, 2022 तक शैक्षणिक कार्य से जुड़े शिक्षक, व्याख्याता, प्राचार्य एवं अन्य संवर्गों के कितने अधिकारी-कर्मचारी अपनी मूल पदस्थापना स्थल में न होकर अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति अथवा संलग्नीकरण पर कार्यरत हैं। जिलेवार, समयावधि भी बतावें? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार शैक्षणिक कार्य से जुड़े शिक्षक, व्याख्याता, प्राचार्य एवं अन्य संवर्गों के प्रतिनियुक्ति अथवा संलग्नीकरण के क्या नियम हैं, तथा कुल कितनी अवधि तक कार्य किया जा सकता है? (ग) क्या शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को अपनी मूल पदस्थापना स्थल में शासन द्वारा भेजे जाने की कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शैक्षणिक कार्य से जुड़े 62 व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य ही कर रहे हैं, संलग्नीकरण पर कोई नहीं है। (ख) प्रतिनियुक्ति के नियम संलग्न प्रपत्र अनुसार है। संलग्नीकरण के नियम नहीं है। (ग) शैक्षणिक कार्य के लिए ही प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं ली गई है। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पद
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

9. (क्र. 515) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम/मंडल/आयोग में अनुसूचित जाति संवर्ग के वर्ग 1,2,3,4 के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरुद्ध कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्न (क) अनुसार विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रमोशन में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला जांजगीर चाम्पा में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

10. (क्र. 569) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जांजगीर चाम्पा को वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई है? वर्षवार, राशिवार बतायें? (ख) उपरोक्त राशि से कितने

ग्राम पंचायतों में क्या- क्या कार्यों की स्वीकृति दी गई है, ग्राम पंचायतवार, कार्यवार, राशि सहित बतायें ? (ग) क्या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव को शामिल किया गया है, यदि हां तो किन-किन कार्यों को, जानकारी देवें, यदि नहीं तो क्यों बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में रूपये 897.00 लाख वर्ष 2021-22 में रूपये 1200.00 लाख एवं वर्ष 2022-23 (30 नवम्बर 2022) तक रूपये 660.00 लाख की राशि प्राप्त हुई। (ख) ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्यों की ग्रामवार, कार्यवार, राशि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे प्रपत्र में दर्शित कार्यों को शामिल किया गया है।

हाईस्कूल भवन निर्माण के लिए माडल प्राक्कलन के आधार पर स्वीकृत राशि [स्कूल शिक्षा]

11. (क्र. 580) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रति हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु राशि रू. 98.16 लाख का प्राक्कलन प्रेषित किया गया तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रति भवन राशि रू. 75.23 लाख की स्वीकृति दिनांक 13 जुलाई, 2022 को जारी की गई ? यदि हां, तो क्यों ? एवं इस हेतु कौन जिम्मेदार है ? (ख) प्रशासकीय स्वीकृति की शेष राशि कब तक जारी की जायेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बजट सत्र 2022-23 में प्रति हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु रू. 75.23 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 13.07.2022 को जारी की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा रू. 98.16 लाख का प्राक्कलन दिनांक 08.08.2022 को स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा गया। संशोधित प्राक्कलन पर निर्णय प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रायपुर में एक ही भूमि की तीन बार रजिस्ट्री कर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क का अपवंचन [वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)]

12. (क्र. 581) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि रायपुर नगर की अग्रोहा गृह निर्माण समिति में स्थित भूमि को रायपुर रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारीगणों द्वारा तीन अलग-अलग लोगों के नाम से रजिस्ट्री कर, हर बार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अपवंचन का कार्य किया गया ? यदि हां, तो इस हेतु दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उक्त की पुनरावृत्ति न हो सके, इस हेतु विभाग द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां। रायपुर नगर की अग्रोहा गृह निर्माण समिति में स्थित भूमि को रायपुर रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी द्वारा तीन बार दस्तावेज का पंजीयन किया गया है, जिसमें मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क का अपवंचन हुआ है। इस संबंध में संबंधित उप पंजीयक को निलंबित किया गया है। (ख) इस संबंध में दस्तावेज के पंजीयन के उपरांत नामांतरण हेतु राजस्व अधिकारी को आनलाईन जानकारी तत्काल प्रेषित की जा रही है।

अविभाजित जिला राजनांदगांव के अंतर्गत ई व टी संवर्ग प्रधान पाठक पदोन्नति की जानकारी [स्कूल शिक्षा]

13. (क्र. 608) श्रीमती याशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या अविभाजित राजनांदगांव जिलान्तर्गत सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पदोन्नति हेतु अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी? यदि हाँ, तो इस सूची के प्रकाशन दिनांक एवं वैधता की जानकारी उपलब्ध कराएँ? (ख) क्या प्रश्नांक "क" अनुसार रिक्त शाला में पदांकन हेतु जारी एकजाई सूची में क्रमानुसार विकलांग/विधवा/परित्यक्ता महिला/केवल महिला/पुरुष शिक्षकों को पदांकित करने की प्रक्रिया तथा लोक शिक्षण संचालनालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जिस शाला के शिक्षक की पदोन्नति होनी है, उसकी प्राथमिकता के आधार पर पदांकन उसी शाला/संकुल/वि.ख. के

अनुक्रम में किया जाना है? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन किया गया यदि नहीं तो क्यों ? (ग) जिले के पदांकन में कितने शिक्षकों का पदांकन निरस्त व संशोधित किया गया है? (घ) विकास खंड – खैरागढ़ व छुईखदान में पदोन्नति उपरांत कार्यभार ग्रहण में किस तरह की अनियमितता के कारण, किस सक्षम अधिकारी द्वारा किस अवधि तक रोक लगाई गई? (ङ) क्या उक्त अनियमितता की जाँच की गयी? यदि हाँ, तो गठित जाँच समिति का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ। वरिष्ठता सूची का अंतिम प्रकाशन ई संवर्ग हेतु दिनांक 07.03.2022 एवं टी संवर्ग हेतु दिनांक 29.01.2022 को 01 अप्रैल 2022 की स्थिति में किया गया। वैधता की कोई अंतिम तिथि नहीं होती है (ख) जी हाँ। यथा संभव पद रिक्तता के आधार पर पदांकन किया गया। (ग) पदांकन संबंधी 18 आदेश निरस्त तथा 140 संशोधित किये गए। (घ) किसी अधिकारी द्वारा रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। (ङ) प्रश्नांक घ अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रायगढ़ जिले के विकासखण्ड तमनार अंतर्गत ग्राम गोढ़ी व कचकोबा में उद्योग स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

14. (क्र. 613) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले के विकासखण्ड तमनार अंतर्गत ग्राम गोढ़ी व कचकोबा में उद्योग स्थापना हेतु कुल कितनी राजस्व भूमि अधिग्रहीत की गई है ? क्या समस्त किसानों को मुआवजा प्रदाय कर दिया गया है ? (ख) अधिग्रहीत भूमि पर उद्योग स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है ? उद्योग प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में क्या किसानों को भूमि वापसी हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ? (ग) यदि उक्त ग्रामों में आगे विस्तार हेतु भू-अर्जन किया जाता है तो किस नियम के तहत किया जावेगा व कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदाय करने का प्रावधान है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अनुविभाग घरघोड़ा में तहसील तमनार अंतर्गत ग्राम गोढ़ी में एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइंस परियोजना अंतर्गत रेल लाइन हेतु 12.052 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। कुल 110 प्रभावित खातेदारों में से 93 को भुगतान किया जा चुका है। (ख) इस भूमि को उल्लेखित प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है, इसलिये भूमि वापसी का प्रश्न नहीं उठता है। (ग) यदि उक्त ग्रामों में आगे विस्तार हेतु भू-अर्जन किया जाता है तो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 या प्रचलित विधि के तहत कार्यवाही किया जावेगा। प्रचलित विधि के तहत निर्धारित मूल्य पर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि निर्धारित कर प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी भूमि का विक्रय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

15. (क्र. 614) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019 से नवम्बर, 2022 तक रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को तथा शासन द्वारा आबंटित भूमि के विक्रय हेतु कलेक्टर द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ? कृषकवार, क्रेता-विक्रेता का नाम सहित ग्रामवार विस्तृत जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार भूमि विक्रय पश्चात् भू-स्वामियों के पास कितनी भूमि शेष है ? ग्रामवार, कृषकवार विस्तृत जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) वर्ष 2019 से नवम्बर, 2022 तक रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 101 आदिवासियों की 89.409 हेक्टेयर भूमि को गैर आदिवासी क्रेताओं के पास विक्रय करने की अनुमति दी गई तथा शासन द्वारा आबंटित भूमि से 18 पट्टाधारियों की 13.039 हेक्टेयर को विक्रय की अनुमति प्रदान की गई कृषकवार, क्रेता-विक्रेता का नाम सहित ग्रामवार विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार भूमि विक्रय पश्चात् भू-स्वामियों के पास शेष भूमि की ग्रामवार, कृषकवार जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत राशि
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

16. (क्र. 618) श्री विद्यारतन भसीन : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिये महिला समूह को प्रशिक्षण देने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख) स्वीकृत राशि की कार्य एजेंसी कौन सी संस्था है ? क्या वित्त निर्देश एवं भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है ? कार्य एजेंसी द्वारा राशि का भुगतान कब-कब किया गया है ? महिला समूह को कब प्रशिक्षण दिया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : क) सत्र 2021-22 में राशि 100.00 लाख स्वीकृत। सत्र 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए महिला समूह को प्रशिक्षण देने हेतु कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई। (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनांदगांव द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान दिनांक 23.12.2021 को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया गया है तथा भौतिक सत्यापन में पाया गया कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वित्त निर्देश एवं भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किये जाने के कारण द्वितीय किस्त की राशि भुगतान नहीं किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डोंगरगढ़ द्वारा दिनांक 02.12.2021 एवं दिनांक 09.03.2022 द्वारा चेक के माध्यम से समूह को भुगतान किया गया है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य में शासन के वित्त संबंधी निर्देश तथा छ.ग. भण्डार क्रय नियम पालन न कर स्वीकृत राशि सीधे महिला स्व सहायता समूहों को प्रदान की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव में महिला समूहों को दिनांक 25 मई 2022 से 08 जून 2022 तक प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों को दिनांक 26 मई, 2022 से 29 जुलाई 2022, तक प्रशिक्षण दिया गया।

कोरिया जिले की शालाओं में फर्नीचर, टेबल कुर्सी हेतु राशि का आबंटन
[स्कूल शिक्षा]

17. (क्र. 625) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला कोरिया में वर्ष 2019- 20, 2020-21, 2021-22 में फर्नीचर, टेबल कुर्सी हेतु कितनी राशि का आबंटन किया गया ? आबंटित राशि में से कितनी-कितनी संख्या में, किस दर से, किस खरीदी प्रक्रिया से, फर्नीचर, कुर्सी टेबल की खरीदी की गई ? क्या टेबल कुर्सी, फर्नीचर खरीदी में छत्तीसगढ़ शासन के खरीदी नियम का पूर्ण रूप से पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही होगी ? (ख) उप्त अवधि में जिला शिक्षा आधिकारी कोरिया को कितनी स्कूलों से, कितनी-कितनी संख्या में, फर्नीचर, टेबल कुर्सी के लिए मांग प्राप्त हुई ? खरीदी की गई फर्नीचर, टेबल कुर्सी को किस-किस स्कूल एवं कार्यालयों में कितनी संख्या में दिया गया, जानकारी वर्षवार देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला कोरिया में फर्नीचर हेतु वर्षवार आबंटित राशि निम्न है:-

वर्ष	आबंटित राशि रू.
2019-20	2,01,05,325
2020-21	4,33,85,060
2021-22	1,38,04,166

संख्या एवं दर की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। छत्तीसगढ़ शासन के ई-मानक के माध्यम से क्रय किया गया है। जी हां, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

मुंगेली जिला अंतर्गत आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

18. (क्र. 628) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला मुंगेली क्षेत्र में आपदा प्रबंधन मद से विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किए गए ? **(ख)** कंडिका "क" के कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने प्रगतिरत है? कब तक पूर्ण किया जाना है? **(ग)** कंडिका "क" के स्वीकृत कार्य के लिए किन-किन एजेंसी/ ठेकेदारों को कार्य आबंटित किया गया है और कार्य पूर्ण करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है? विस्तार से विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में जिला मुंगेली क्षेत्र में आपदा प्रबंधन मद से कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नामांतरण के प्राप्त प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

19. (क्र. 641) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2022 की अवधि तक अविवादित नामांतरण प्रकरण के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने निराकृत हुए और कितने लंबित हैं ? लंबित प्रकरण कब तक पूरे किये जायेंगे ? **(ख)** अविवादित नामांतरण प्रकरण के निराकरण करने की समय सीमा क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल 2021 से नवम्बर 2022 तक अविवादित नामांतरण के कुल 4240 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 3297 प्रकरण निराकृत हो चुके हैं, एवं 943 प्रकरण लंबित है। लंबित प्रकरणों को कार्ययोजना बनाकर यथाशीघ्र निराकृत कर दिया जावेगा। **(ख)** अविवादित नामांतरण प्रकरण के निराकरण करने हेतु समय-सीमा 90 दिवस है।

जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती के सेवा सहकारी समितियों में प्रबंधक, लिपिक, विक्रेता, भृत्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती

[सहकारिता]

20. (क्र. 650) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक सेवा सहकारी समितियों में संचालक मण्डल भंग होने के पश्चात् उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार उपरोक्त समितियों में कहां-कहां पर प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा प्रबंधक, विक्रेता, लिपिक, भृत्य एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की गई है? वर्षवार, समितिवार, पदवार बतायें ? **(ग)** क्या प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा संचालक मण्डल भंग होने के पश्चात भर्ती करने की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई, बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** जी हां। **(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में धान खरीदी हेतु अस्थाई व्यवस्था अंतर्गत कर्मचारियों को रखा गया था, नियमित भर्ती नहीं की गयी है, अतएव शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** जी हां। जांच प्रक्रियाधीन है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिवरीनारायण बैराज के डुबान क्षेत्र में प्रभावित किसान व मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

21. (क्र. 653) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिवरीनारायण बैराज के डुबान में कितने किसानों की कितनी जमीन प्रभावित हो रही है? प्रभावित किसानों

को कब तक मुआवजा का भुगतान दिया जायेगा? **(ख)** क्या ग्राम खोरसी में अपात्र किसानों का मुआवजा प्रकरण बनाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है? जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिवरीनारायण बैराज के डूबान में कुल 363 किसानों की 48.61 एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित किसानों में से 06 ग्रामों के किसानों को मुआवजा का भुगतान किया गया है तथा ग्राम खोरसी के अवार्ड पारित किसानों को जल संसाधन विभाग द्वारा राशि जमा होने पर मुआवजा का भुगतान किया जायेगा। **(ख)** ग्राम खोरसी के अपात्र किसानों का मुआवजा प्रकरण बनाने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जिला बलौदाबाजार भाटापारा एवं जिला रायपुर में स्कूल शिक्षा विषयांतर्गत की गई खरीदी [स्कूल शिक्षा]

22. (क्र. 657) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर के अन्तर्गत वर्ष 2019 से नवम्बर, 2022 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि के फर्नीचर, प्रयोगशाला सामग्री एवं खेलकूद सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में खरीदी गयी? क्या खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या सामग्री की खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गई ? यदि हाँ, तो किन-किन फर्म / कम्पनियों ने भाग लिया ? किन-किन फर्म / संस्था से किस-किस दर पर सामग्री क्रय की गई ? खरीदी गई सामग्री कितने स्कूलों को प्रदाय की गई ? विकासखण्ड / स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के कार्यों में कितनी शिकायतें गुणवत्ताहीन सामग्री क्रय के संबंध में प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - **अ** अनुसार है। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। फर्म व सामग्रीवार दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-**ब** अनुसार है, एवं सामग्री प्रदाय की गयी स्कूलों की विकासखण्ड/स्कूलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-**स** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत एनजीओ व उनको कार्यवार भुगतानित राशि [स्कूल शिक्षा]

23. (क्र. 660) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- शिक्षा विभाग अंतर्गत कितने एनजीओ जनवरी 2019 से नवम्बर, 2022 तक कार्यरत हैं? इनके क्या-क्या कार्य हैं? किस एनजीओ को कौन कौन से कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? वर्षवार एनजीओ सहित जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रश्नावधि में कार्यरत एन.जी.ओ. के नाम एवं उनके कार्य तथा किए गए भुगतान की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

सहायक आयुक्तों के पद एवं पदस्थापना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

24. (क्र. 664) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 30 नवम्बर, 2022 की स्थिति में विभाग में सहायक आयुक्त के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं ? कितने जिलों में सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग के पद में विभागीय अधिकारी पदस्थ हैं और कितने जिलों में अन्य विभागों के अधिकारी को चार्ज या पदस्थ किया गया है? जिलावार जानकारी दें ? **(ख)** क्या जिलों में सहायक आयुक्त को हटाकर कलेक्टरों ने विभाग के बाहर के अधिकारियों को सहायक आयुक्त का चार्ज/कार्यभार दिया है या

पदस्थ किया है ? यदि हां तो कितने जिलों में किन-किन अधिकारियों को चार्ज/कार्यभार/पदस्थ किया गया है ? जिलावार बतावें ? (ग) क्या सहायक आयुक्त को हटाने/बदलने का अधिकार शासन ने कलेक्टरों को प्रत्यारोपित किया है ? यदि नहीं तो किस नियमों के तहत सहायक आयुक्त को हटाकर डिप्टी कलेक्टरों व अन्य अधिकारियों को चार्ज/ कार्यभार/ पदस्थ किया गया है, बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) आदिम जाति विकास विभाग में सहायक आयुक्त के 33 पद स्वीकृत हैं एवं 23 पद रिक्त हैं। प्रदेश के 10 जिलों में सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के पद में पदस्थ हैं। 12 जिलों में आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी प्रभार में हैं। 06 जिलों में अन्य विभाग के अधिकारी को प्रभार दिया गया है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र में है।** (ख) जिले में नियमित सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को कलेक्टर द्वारा नहीं हटाया गया है। (ग) सहायक आयुक्त को हटाने/बदलने का अधिकार शासन ने कलेक्टरों को प्रत्यायोजित नहीं किया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उन्नयित स्कूलों एवं रिक्त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

25. (क्र. 667) श्री डमरूधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से नवम्बर, 2022 तक कितने स्कूलों का माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' के उन्नयित स्कूलों में से कितने हेतु स्वयं के भवन उपलब्ध हैं, कितने जर्जर स्थिति में हैं ? वर्षवार व विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश 'क' के सभी उन्नयित स्कूल प्रारंभ हो गये हैं ? यदि हां तो स्कूलों हेतु कितनी-कितनी संख्या में पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी स्कूल का उन्नयन नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 668) श्री डमरूधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत कितने छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं ? इन छात्रावास एवं आश्रम में कितने नियमित एवं कितने अनियमित कर्मचारी कार्यरत/पदस्थ हैं ? छात्रावास एवं आश्रमवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में क्या केन्द्र शासन द्वारा राशि दी जाती है ? यदि हां तो जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2022 तक कितनी-कितनी राशि केन्द्र एवं राज्य से, कब-कब जारी की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा 23 छात्रावास एवं 20 आश्रम संचालित हैं। इन छात्रावास आश्रमों में कार्यरत/पदस्थ नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों की छात्रावास एवं आश्रमवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** में है। (ख) हाँ जनवरी 2020 से नवम्बर 2022 तक केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त राशि का विवरण जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** में है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ आपदा राहत मद से किये गये कार्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

27. (क्र. 672) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (ख) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में विगत 03 वर्ष के दौरान बाढ़-आपदा-राहत मद से कौन-कौन से कार्य की स्वीकृति दी गई है ? लागत सहित

कार्यवार, वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) क्या बाढ़ प्रभावित ग्रामों में तटबंध निर्माण करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां तो इसे कब तक किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रशाधीन अवधि में सिहावा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ आपदा राहत मद से कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। वर्षवार, विकासखण्डवार लागत सहित जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है। (ख) बाढ़ आपदा राहत मद से तटबंध निर्माण कराने की कोई कार्य योजना नहीं है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पढाई करने वाले छात्रों को निः शुल्क सायकल वितरण एवं प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]

28. (क्र. 675) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पढाई करने वाले छात्रों हेतु निः शुल्क सायकल वितरण योजना चलाई जा रही है ? यदि हां तो उक्त योजना का लाभ किन-किन विद्यार्थियों को एवं कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों को दिया जा रहा है ? (ख) विगत 03 वर्ष में इस योजना के अंतर्गत कुल कितने विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें? क्या सायकल में गुणवत्ताविहीन होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कुल कितनी शिकायत प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी, नहीं। केवल छात्राओं के लिये निः शुल्क सायकल वितरण योजना संचालित है। इस योजनांतर्गत शासकीय व अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कक्षा-9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. वर्ग की पात्र बालिकाओं को सायकल दी जा रही है। (ख) विगत 03 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत कुल 484553 छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया गया है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। सायकल में गुणवत्ता विहीन होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पद तथा भर्ती
[स्कूल शिक्षा]

29. (क्र. 677) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 30 नवम्बर, 2022 की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में स्वीकृत पद के विरूद्ध कुल कितने पद किस-किस वर्ग के रिक्त हैं? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 01 जुलाई, 2022 से दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक कितने पदों पर भर्ती की गई, जिलेवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

राजनांदगांव जिले में जर्जर, अतिजर्जर एवं डिसमेंटलिंग योग्य स्कूल
[स्कूल शिक्षा]

30. (क्र. 679) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले में जर्जर, अतिजर्जर एवं डिसमेंटलिंग योग्य स्कूलों को चिन्हांकित किया गया है? यदि हाँ तो डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूलों को उक्त श्रेणी में चिन्हांकित किया गया है? डिसमेंटलिंग योग्य स्कूलों का कब तक निर्माण कर लिया जायेगा एवं अन्य चिन्हांकित स्कूलों के लिए क्या कार्य योजना बनायी गयी है और कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा, जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी, हाँ। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 158 शालाओं को जर्जर एवं 33 शालाओं को अतिजर्जर (तोड़ने योग्य) चिन्हांकित किया गया है। योजना बनाई जा रही है। निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है।

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में राजीव गाँधी आश्रय योजना एवं आबादी योजना के तहत वितरित पट्टों का नवीनीकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

31. (क्र. 680) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2019 से नवम्बर, 2022 तक डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में राजीव गाँधी आश्रय योजना एवं आबादी योजना के तहत वितरित पट्टों की अवधि समाप्त होने के कारण कितने प्रकरण नवीनीकरण के लिए लंबित हैं? तथा क्यों, कब तक नवीनीकरण कर दिया जायेगा, क्या पट्टा नवीनीकरण पर रोक लगायी गयी है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : वर्ष 2019 से नवम्बर 2022 तक डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा नवीनीकरण के लिए एक भी प्रकरण लंबित नहीं है। जी नहीं, पट्टों के नवीनीकरण हेतु रोक नहीं लगायी गयी है।

प्रदेश में सहायक शिक्षक एल.बी., इ व टी संवर्ग की पदोन्नति

[स्कूल शिक्षा]

32. (क्र. 684) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में सहायक शिक्षक एल.बी., इ व टी संवर्ग की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के पद पर करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन हैं? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार सहायक शिक्षक एलबी की पदोन्नति प्रक्रिया व पदोन्नति पश्चात पदांकन स्थान चयन में प्राथमिकता के संबंध में शासन / उच्च कार्यालय द्वारा क्या कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है? यदि हां तो अवगत कराएं। (ग) जुलाई 2019 से नवंबर, 2022 तक सहायक शिक्षक एल.बी., इ एवं टी संवर्ग की प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के पद पर पदोन्नति कितने जिले में की जा चुकी है एवं कितने जिले में किया जाना शेष है। (घ) प्रश्नांश "ग" अनुसार कुल कितने सहायक शिक्षक एल.बी. की पदोन्नति सहायक शिक्षक एल.बी., इ व टी संवर्ग से प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के पद पर की जा चुकी है, उनमें से कितने पदोन्नत शिक्षकों द्वारा पदभार ग्रहण किया जा चुका है एवं कितने शेष हैं? जिलेवार जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी। (ख) संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) 25 जिलों में पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। 02 जिलों में मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित रखी गयी है, शेष 04 जिलों में पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह" \]](#)

आपदा प्रबंधन के तहत क्षति पूर्ति सहायता राशि

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

33. (क्र. 687) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2019-20 से 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक सड़क दुर्घटना से तालाब एवं बांध व स्टापडेम में डूबने से, सर्प दंश से एवं अन्य आपदाओं के तहत जनहानि होने पर संबंधित व्यक्तियों के परिजनों को कितनी-कितनी क्षति पूर्ति सहायता राशि प्रदान की गई? तहसीलवार जानकारी दें? (ख) कंडिका "क" के अनुसार पीड़ित परिवार के किन-किन व्यक्तियों को किन-किन आपदाओं के तहत क्षति पूर्ति राशि देना शेष है? तहसील वार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले में प्रश्नाधीन अवधि में सड़क दुर्घटना से 453 मृत व्यक्तियों में से 255 मृतक के वारिसानों को कुल रुपये 63,75,000.00 का भुगतान कर दिया गया है। अन्य प्राकृतिक आपदा से मृत 530 व्यक्तियों के वारिसानों को रुपये 21,09,00,000.00 सहायता अनुदान का भुगतान कर दिया गया है।

तहसीलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** सड़क दुर्घटना के 198 व्यक्तियों को भुगतान किया जाना शेष है। तहसीलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। अन्य प्राकृतिक आपदा में भुगतान शेष नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उत्रीस"\]](#)

राज्य स्तर के स्थानांतरण के तहत कार्यभार ग्रहण न करने पर कृत कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]

34. (क्र. 688) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दुर्ग संभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 30.11.2022 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर से कितने शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया ? जिले वार शिक्षक एल.बी. एवं व्याख्याता एल.बी. की पृथक-पृथक जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" में कितने शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया है एवं कितनों को कार्यमुक्त किया गया है? यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार, शिक्षक एल.बी. एवं व्याख्याता एल.बी. की पृथक- पृथक जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है । राज्य स्तरीय समिति में अभ्यावेदन, संबंधितों के कोर्ट प्रकरण एवं अन्य कारणों से जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया है, इसलिए संबंधितों पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"\]](#)

अधिकारी कर्मचारियों की फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कृत कार्यवाही
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

35. (क्र. 692) श्री सन्त राम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य में किन-किन विभागों में कार्यरत कितने अधिकारी कर्मचारियों की फर्जी जाति के मामले पर विभाग द्वारा सम्बंधित विभाग को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार विभाग द्वारा कितने अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई एवं लंबित है तो कब तक कार्यवाही की जाएगी, कृपया अवगत कराए ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की फर्जी जाति के मामले में संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु कोई भी पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। **(ख)** प्रश्नांक "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकासखण्डों में संचालित 100 सीटर्स कन्या छात्रावासों में सामग्रियों की सप्लाई एवं उपलब्धता

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

36. (क्र. 696) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकासखण्डों में संचालित 100 सीटर्स कन्या छात्रावासों में वर्ष 2019-20 से 15/12/2022 तक विभाग के द्वारा क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई है ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के निरंतरता में ही इन छात्रावासों के लिए वर्ष 2019-20 से 15/12/2022 तक किन मदों में कितनी राशि बंटित व व्यय की गई ? कृपया बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकासखण्डों में संचालित 100 सीटर्स कन्या छात्रावासों में वर्ष 2019-20 से 15/12/2022 तक प्रदाय की गई सामग्रियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** विभाग द्वारा 100 सीटर्स छात्रावासों हेतु सामग्री पूर्ति मद में पृथक से आबंटन प्रदाय नहीं किया जाता है। इन छात्रावासों के लिए **रू. 2,20,55,974/-** व्यय की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"\]](#)

चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत एवं नलकूप (पेयजल) विहीन संस्थाएँ
[स्कूल शिक्षा]

37. (क्र. 700) श्री राजमन बेंजाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक कितने शासकीय शैक्षणिक संस्थाएँ आहता विहीन एवं नलकूप विहीन हैं? विकासखंडवार जानकारी बतावें ? (ख) क्या स्कूल विभाग के द्वारा आहता एवं नलकूप विहीन संस्थाओं में आहता निर्माण व नलकूप खनन हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी? यदि नहीं, तो आहता एवं नलकूप विहीन संस्थाओं में स्वीकृति हेतु क्या योजना बनायी गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक 509 शासकीय शालाएं अहता विहीन एवं 84 शासकीय शालाएं नलकूप विहीन है। विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	विकास खण्ड	अहता विहीन	नलकूप विहीन
1	बास्तानार	146	15
2	दरभा	88	05
3	लोहण्डीगुडा	207	40
4	तोकापाल	68	24
योग:-		509	84

(ख) विभाग के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत शासकीय विकास कार्यों हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

38. (क्र. 707) श्री रामकुमार यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 से 15/12/2022 तक विकास कार्यों (सड़क, पुल-पुलिया, भवन, बैराज निर्माण, नहर निर्माण) के लिए कितने कृषकों की भूमि शासन द्वारा अधिग्रहित की गई है? वर्ष वार व कार्य वार विवरण देवें। (ख) क्या उन कृषकों को अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ तो कितनी कितनी? विवरण देवें। (ग) कितने कृषकों को मुआवजा राशि प्रदाय करना शेष है? ग्रामवार जानकारी देवें तथा शेष कृषकों को कब तक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 15.12.2022 तक विकास कार्यों (सड़क, पुल-पुलिया, भवन, बैराज निर्माण, नहर निर्माण) के लिये 1122 कृषकों की भूमि शासन द्वारा अधिग्रहित की गई है। (ख) भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कुल 1122 कृषकों में से 506 कृषकों को अधिग्रहित भूमि के लिये रू. 59,37,52,085.00 रूपये मुआवजा राशि प्रदान की गई है। ग्रामवार विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्रभावित 616 कृषकों को मुआवजा राशि प्रदाय करना शेष है। ग्रामवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। शेष कृषकों को मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम-बम्हनीडीह को मिले तहसील कार्यालय भवन का निर्माण अन्यत्र कराये जाने पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

39. (क्र. 713) श्री ननकी राम कंवर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चांपा के उप तहसील बम्हनीडीह को तहसील का दर्जा कब दिया गया ? (ख) क्या बम्हनीडीह तहसील कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां तो कब एवं कहां ? इस हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गई, कार्य की

अद्यतन स्थिति क्या है ? **(ग)** क्या तहसील कार्यालय भवन का निर्माण ग्राम पंचायत बम्हनीडीह से अन्यत्र किये जाने हेतु किन किन के द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? **(घ)** ग्राम पंचायत बम्हनीडीह में शासकीय भूमि की उपलब्धता कितनी है तथा उक्त भूमि में निर्माण नहीं किये जाने का क्या कारण है ? उपलब्ध शासकीय भूमि का खसरा एवं रकबा नंबर की जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत उप तहसील बम्हनीडीह को तहसील का दर्जा दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को प्राप्त हुआ। **(ख)** बम्हनीडीह तहसील कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला जांजगीर चांपा के पत्र दिनांक 20/01/2021 के माध्यम से प्रदान की गई है। तहसील भवन निर्माण हेतु जमीन का चिन्हांकन पूर्व से संचालित उप तहसील कार्यालय की रिक्त भूमि ग्राम खपरीडीह स्थित भूमि खसरा नंबर 88/1 रकबा 1.420 हे. पर किया गया है। भवन निर्माण हेतु 71.12 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा वर्तमान में तहसील कार्यालय भवन निर्माण का कार्य प्रगतिशील है। **(ग)** तहसील कार्यालय भवन का निर्माण ग्राम पंचायत बम्हनीडीह से खपरीडीह किये जाने पर ग्राम सरपंच बम्हनीडीह द्वारा दिनांक 07.08.2021 को तहसील कार्यालय भवन का निर्माण ग्राम पंचायत बम्हनीडीह में यथावत रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया कि तहसील भवन निर्माण हेतु ग्राम बम्हनीडीह के खसरा नंबर 1440/1 रकबा 2.00 एकड़ का प्रस्ताव दिनांक 27.01.2021 को ग्राम पंचायत बम्हनीडीह में ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया है। अतः तहसील भवन निर्माण ग्राम बम्हनीडीह में ही किया जावे। उक्त आवेदन के निराकरण हेतु तत्कालीन तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा जांच किया गया व जांच में पाया कि उक्त खसरा नंबर की भूमि चराई मद में दर्ज है तथा पूर्व से ही शासकीय सेठ सूरजमल जयपुरिया महाविद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा खेल मैदान के लिये सुरक्षित है। **(घ)** ग्राम पंचायत बम्हनीडीह में कुल 65.625 हे. शासकीय जमीन उपलब्ध है। जिनमें से 47.786 हे. जमीन पर विभिन्न शासकीय कार्यालय निर्मित है तथा वर्तमान में 17.839 हे. शासकीय जमीन रिक्त है। जिन पर भविष्य में आई.टी.आई. कॉलेज, व्यवहार न्यायालय, स्कूल महाविद्यालय हेतु जमीन सुरक्षित रखी गई है। उपलब्ध शासकीय जमीन का खसरा नंबर क्रमशः 1215/2, 1215/1, 1231, 1248/1 1648/1 रकबा क्रमशः 0.668 हे., 7.928 हे., 0.405 हे., 2.541 हे., 6.297 हे. भूमि है।

भाग-3 अतारांकित प्रश्नोत्तर

बलौदा बाईपास सड़क निर्माण में मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

1. (क्र. 13) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जांजगीर चाम्पा जिले के बलौदा और अकलतरा तहसील में बलौदा बाईपास सड़क निर्माण के लिए किस-किस किसान को कितनी राशि का मुआवजा कब-कब प्रदान किया गया है और किन-किन किसानों के मुआवजा के कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा और अकलतरा तहसील में बलौदा बाईपास सड़क निर्माण के लिए 03 गांव ग्राम बलौदा, चारपारा तथा बुचीहरदी के कुल 159 भू-स्वामियों की निजी भूमि प्रभावित हुई, जिसमें से 128 भू-स्वामियों को मुआवजा भुगतान हो चुका है, जिसकी सूची पृथक से संलग्न है। शेष 31 भूमि स्वामी का भू-अर्जन प्रकरण प्रगतिरत है, जिसे प्रक्रिया अनुसार शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा।

भारत माला एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

2. (क्र. 14) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर चाम्पा जिले में भारत माला एक्सप्रेस हाइवे के निर्माण के लिए, किस-किस गांव के कितने-कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है? **(ख)** अधिग्रहित जमीन का किस दर से कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है? कितने किसानों के प्रकरण लंबित हैं? गलत रकबा और मूल्य निर्धारण की शिकायत कितने किसानों से प्राप्त हुई है? **(ग)** कितनी शिकायतों का निराकरण दिनांक 05/12/2022 तक हो गया है? कितनी और कौन-कौन सी शिकायत किस कारण से लंबित हैं?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील बलौदा एवं अकलतरा में ग्राम अमलीपाली में 41, सांकर में 66, सोनादुला में 19, चंगोरी में 01, पिपरदा में 44, चंदनिया में 26, अंगारखार में 52, बलौदा में 190, कोरबी में 49, डोंगरी में 95, भिलाई में 101, बछौद में 25, ढोरला में 59, चारपारा में 154, बक्सरा में 58, खिसोरा में 84, हरदीविशाल में 70, पंतोरा में 89, कुल 1223 कृषक किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उपरोक्त किसानों के अलावा छूटे हुए एवं किसानों से प्राप्त शिकायत के आधार पर किसानों की बची हुई शेष प्रभावित भूमि हेतु जांच पश्चात् कुल 408 किसानों का धारा 3ए प्रकाशन दिनांक 24.03.2022 को किया गया है। जिस पर धारा 3डी प्रकाशन उपरांत दावा-आपत्ति आहूत की गई है। निराकरण पश्चात् अवार्ड की कार्यवाही की जायेगी। **(ख)** कृषि भूमि के बाजार-मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांत वर्ष: 2018-19 कलेक्टर गार्ड लाईन अनुसार 806 किसानों को मुआवजा भुगतान किया गया है। कुल 417 किसानों को मुआवजा दिया जाना शेष है। किसानों के मध्य आपसी पारिवारिक विवाद, न्यायालयीन प्रकरण, किसान की फौती हो जाने के कारण, राष्ट्रीय राजमार्ग से राशि प्राप्त नहीं होने मुआवजा के दर से संतुष्ट नहीं होने एवं अन्य कारणों से उपरोक्त मुआवजा लंबित है। गलत रकबा और मूल्य निर्धारण की शिकायत 166 किसानों से प्राप्त हुई है। विवरण **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** 107 किसानों के शिकायतों का निराकरण 05.12.2022 तक कर लिया गया है। 59 किसानों का शिकायत लंबित है, क्योंकि उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष का निराकरण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी-5 अंतर्गत आर्बिटर के निर्णय के अनुसार हो सकेगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

बिलासपुर में पिछले 03 वर्षों में विभिन्न समाजों को आबंटित भूमि
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

3. (क्र. 66) श्री शैलेश पांडे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर में पिछले 03 वर्षों में कितने समाजों ने भूमि आवंटन की मांग की और कितने समाजों को भूमि आवंटन किया गया, कृपया जानकारी प्रदान करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : बिलासपुर जिले में पिछले 03 वर्षों में 41 समाजों द्वारा भूमि आबंटन की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। प्राप्त आवेदनों में से आवेदक संस्था डड़सेना (कलार) समाज विकास समिति को मौजा चांटाडीह रा.नि.मं., तहसील व जिला बिलासपुर स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 83/1 में से 0.18 एकड़ 7500 वर्गफुट भूमि आबंटित की गई है। शेष आवेदन प्रक्रियाधीन है।

बिलासपुर शहर अंतर्गत भवन-विहीन विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]

4. (क्र. 67) श्री शैलेश पांडे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर शहर में कितने विद्यालय भवन-विहीन हैं, कितने जर्जर हैं, एवं नए निर्माण हेतु शासन की क्या योजना है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर शहर में 01 विद्यालय भवन-विहीन है, 34 विद्यालयों के भवन जर्जर हैं। बजट उपलब्धता के आधार पर निर्माण एक सतत प्रक्रिया है।

शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूलों की बकाया राशि
[स्कूल शिक्षा]

5. (क्र. 95) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 08/12/2022 तक शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) के तहत वर्ष 2019 से 2022 तक कितने छात्रों को निजी व शासकीय स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है? प्रतिवर्ष कितने छात्रों को प्रवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है? इसके अंतर्गत और क्या-क्या लाभ दिया जाता है? वर्षवार बतायें **(ख)** प्रश्नावधि की स्थिति में शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.- राइट टू एजुकेशन) के तहत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात कितना है तथा प्रदेश के कितने निजी/शासकीय स्कूलों का, किन-किन वर्षों का, कितनी राज्यांश की राशि बकाया है तथा इसका कारण क्या है और कब तक भुगतान कर दी जायेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** दिनांक 08.12.2022 तक शिक्षा का अधिकार के तहत वर्ष 2019 में 48154, वर्ष 2020 में 52686, वर्ष 2021 में 48383 एवं वर्ष 2022 में 56679 छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों द्वारा नर्सरी/कक्षा पहली में कुल दर्ज विद्यार्थियों की 25 प्रतिशत संख्या के आधार पर लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति छात्र निम्नानुसार लाभ दिया जाता है:- प्राथमिक शालाओं के छात्रों के लिए राशि रू. 7000/- या विद्यालय की वार्षिक फीस जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। अपर प्राथमिक शाला के छात्रों के लिए राशि रू. 11,400/- या विद्यालय की वार्षिक फीस जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक हेतु राशि रू. 250.00/- पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक हेतु राशि रू. 450.00/- गणवेश हेतु राशि रू. 540.52/- **(ख)** प्रश्नावधि की स्थिति में केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 60-40 है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 की राज्यांश की राशि रू. 45.00 करोड़ बकाया है। निजी विद्यालय द्वारा आर.टी.ई. पोर्टल में प्रतिपूर्ति राशि की मांग के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी के सत्यापन उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के राशि सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में संचालित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल
[स्कूल शिक्षा]

6. (क्र. 96) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रश्नावधि तक प्रदेश में कितने उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का लक्ष्य है व कितने खोले जा चुके हैं? उनमें से कितने स्कूल प्रारंभ/अप्रारंभ हैं तथा अप्रारंभ के कारण क्या है तथा इनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? कितने स्कूलों का स्वयं का भवन है और कितने का नहीं है तथा भवनविहीन होने की स्थिति में कहां-कहां, संचालित हैं? इसके संचालन में कितनी बजट की आवश्यकता है तथा वित्तीय व्यवस्था हेतु बजट प्रावधान कितना है एवं अन्य किन-किन मदों की राशि का उपयोग किया गया है? वर्षवार बतायें? (ख) उक्त स्कूलों में किन-किन विषयों के कितने प्राचार्य/ व्याख्याता /शिक्षक /सहायक शिक्षक, की आवश्यकता है और कितने पद स्वीकृत किये गये तथा कितने पद भरे/रिक्त हैं? (ग) क्या प्रदेश में उत्कृष्ट हिन्दी मीडियम स्कूल भी खोले गये हैं? यदि हां तो किस उद्देश्य से, कितने स्कूल संचालित हैं तथा पूर्व में संचालित शासकीय स्कूल से क्या अन्तर है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। 247 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा चुके हैं। उनमें से सभी स्कूल प्रारंभ हैं तथा इनमें 215140 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 243 स्कूलों का स्वयं का भवन है व 3 का भवन नहीं है जिसमें से सेजेस बीरगांव शास.महाविद्यालय बीरगांव में, सेजेस नवागढ़ आईटीआई नवागढ़ में एवं सेजेस नवागढ़पोड़ी आईटीआई भवन चिरमिरी में संचालित है। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) जी हां, उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु, 32 स्कूल संचालित हैं तथा पूर्व में संचालित शासकीय स्कूल से इनमें उत्कृष्ट स्तर का भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान आदि व्यवस्था की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

विधान सभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरण
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

7. (क्र. 221) श्री अनूप नाग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के अंतर्गत मार्च, 2021 से नवम्बर, 2022 तक बटांकन, सीमांकन तथा डायवर्सन के कितने प्रकरण लंबित हैं ? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार उक्त अवधि में राजस्व विभाग को प्राप्त बटांकन, सीमांकन तथा डायवर्सन के प्रकरणों के लंबित होने का कारण क्या था ? उक्त लंबित प्रकरणों को कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के अंतर्गत मार्च, 2021 से नवम्बर 2022 तक बटांकन के 17 प्रकरण, सीमांकन के 02 प्रकरण तथा डायवर्सन के 23 प्रकरण लंबित हैं। ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ/ब/स** अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में बटांकन, सीमांकन तथा डायवर्सन प्रकरणों के लंबित होने का कारण **संलग्न प्रपत्र अ/ब/स** में ग्रामवार प्रकरणवार दर्शित किया गया है। उक्त लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण किया जावेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हानि पर मुआवजा
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

8. (क्र. 458) श्री अरुण वीरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के तहत मृत्यु होने पर, पशुओं की क्षति होने पर, मकान की क्षति पर, विकलांग होने पर एवं बुनकर व मछुवारों के लिए मुआवजा राशि देने का क्या प्रावधान है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के तहत मृत्यु एवं अन्य क्षति होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जाती है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 का प्रावधान **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

गरियाबंद जिला अंतर्गत शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय संचालित संस्थायें
[स्कूल शिक्षा]

9. (क्र. 469) श्री अमितेश शुक्ल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) गरियाबंद जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कितने-कितने शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं ? (ख) कंडिका "क" के तहत संचालित स्कूलों में से कितने-कितने स्कूल शिक्षक-विहीन तथा कितने-कितने स्कूल एकल शिक्षकीय हैं ? इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना कब तक की जावेगी ? विवरण देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) गरियाबंद जिले अंतर्गत स्कूलों की जानकारी:-

क्र.	संचालित शालाएं	संख्या
1	प्राथमिक शाला	978
2	पूर्व माध्यमिक शाला	448
3	हाईस्कूल	72
4	हायर सेकेण्डरी	72

(ख) शिक्षक विहीन शालाएं निरंक है। एकल शिक्षकीय शालाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	शाला	एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या
1	प्राथमिक शाला	35
2	पूर्व माध्यमिक शाला	56
3	हाईस्कूल	5
4	हायर सेकेण्डरी	0
	योग	96

निश्चितसमय सीमा बतलाया जाना संभव नहीं हैं।

गरियाबंद जिले में संचालित आदिवासी छात्रावास-आश्रमों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

10. (क्र. 470) श्री अमितेश शुक्ल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022-23 में 8 दिसम्बर, 2022 की स्थिति में गरियाबंद जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा कितने-कितने शासकीय आश्रम, प्री.मै. छात्रावास एवं पो.मै.छात्रावास संचालित हैं ? स्वीकृत सीट एवं प्रवेशित सीट संख्या सहित वर्गवार विस्तृत विवरण देवें ? (ख) कंडिका "क" के तहत संचालित संस्थाओं में कितने-कितने चतुर्थ श्रेणी (नियमित/दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर/अंशकालीन) कर्मचारी कार्यरत हैं ? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में शासन ने क्या-क्या दिशा-निर्देश एवं मापदण्ड निर्धारित किए हैं ? क्या निर्धारित दिशा-निर्देश एवं मापदण्डों का पालन किया जा रहा है ? नहीं, तो क्यों ? संस्थावार स्वीकृत पद एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सहित विस्तृत विवरण देवें ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका "क" के तहत संचालित छात्रावास/आश्रमों में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है ? हां, तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2022-23 में 08 दिसम्बर 2022 की स्थिति में गरियाबंद जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा 31 शासकीय आश्रम, 41 प्री0 मै0 छात्रावास एवं 06 पो0मै0 छात्रावास संचालित है। स्वीकृत एवं प्रवेशित सीट की वर्गवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" के तहत

संचालित संस्थाओं में शासन द्वारा स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी (नियमित/दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर/अंशकालीन) कार्यरत कर्मचारी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ग) नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

बालोद जिले में संचालित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रावास
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (क्र. 490) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बालोद जिले में कहाँ-कहाँ पर कितने सीटर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्री-मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित है एवं वर्तमान में इनमें कितने बच्चे प्रवेशित हैं ? संस्थावार बतावें। (ख) कण्डिका 'क' के छात्रावासों के लिए छात्रावास अधीक्षक के साथ-साथ और कौन-कौन से कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं ? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बालोद जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संचालित प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक के छात्रावासों में प्रवेशित बच्चों की संस्थावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र में है।** (ब) बालोद जिले के छात्रावासों के लिए छात्रावास अधीक्षक के साथ-साथ स्वीकृत पद, स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त संख्या
1.	अधीक्षक	67	39	28
2.	नियमित भृत्य	13	13	0
3.	कार्यभारित आकस्मिकता भृत्य	214	183	31
4.	कलेक्टर दर भृत्य	70	59	11

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित भवनविहीन एवं जर्जर शालाएं
[स्कूल शिक्षा]

12. (क्र. 491) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कितने शासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनविहीन एवं कितने जर्जर स्थिति में हैं? विकासखण्डवार, शालाओं के नाम सहित जानकारी बतावें ? (ख) कण्डिका 'क' के भवनविहीन एवं जर्जर शालाएँ वर्तमान में किन भवनों में संचालित हो रही हैं एवं कब से ? (ग) कण्डिका 'क' की किन-किन शालाओं के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है एवं किन-किन का प्रस्तावित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी शाला भवन विहीन नहीं है। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति निरंक है। वर्तमान में किसी में प्रस्तावित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

जिला कबीरधाम अंतर्गत तहसील में राजस्व प्रकरणों का निराकरण
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

13. (क्र. 497) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला कबीरधाम में अप्रैल, 2020 से 8 दिसम्बर, 2022 तक जिले के समस्त तहसीलों में नामांतरण, फौती उठाने, खाता दुरुस्तीकरण, प्रमाणीकरण, सीमांकन, नक्शा बटांकन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं कितने प्रकरणों का निराकरण निर्धारित अवधि में हुआ है और कितने शेष हैं? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक हो

पायेगा? (ख) प्रश्नांक "क" के अन्तर्गत प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्धारित समय सीमा के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कब कब और किस किस स्तर पर की गयी है? विकासखण्डवार जानकारी देवे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला कबीरधाम के अंतर्गत समस्त तहसीलों में माह अप्रैल, 2020 से 08 दिसम्बर, 2022 तक नामांतरण, फौती उठाने, खाता दुरूस्तीकरण, प्रमाणीकरण, सीमांकन, नक्शा बटांकन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार के प्राप्त आवेदनों, निराकृत आवेदनों एवं लंबित आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है:-

मद	दर्ज प्रकरण	निराकृत	लंबित प्रकरण
नामांतरण (फौती नामांतरण शामिल)	41010	39497	1513
खाता विभाजन	5461	5044	417
अभिलेख दुरूस्ती	4773	4609	164
सीमांकन	3016	2910	106
बंदोबस्त त्रुटि सुधार	00	00	00
कुल	54260	52060	2200

लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर किया जायेगा। (ख) प्रश्नांक "क" के अन्तर्गत प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्धारित समय सीमा के परिप्रेक्ष्य में साप्ताहिक समीक्षा तहसील/जिला स्तर पर एवं राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक पृथक से ली गयी है।

सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं अपेक्स बैंक में अशासकीय सदस्यों का मनोनयन

[सहकारिता]

14. (क्र. 505) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में एवं अपेक्स बैंक में अशासकीय सदस्यों को प्राधिकृत अधिकारी के पद पर किस अधिनियम एवं नियम के तहत मनोनित किया गया है? इनकी नियुक्ति किस दिनांक को की गई? (ख) सहकारी अधिनियम व नियम के तहत सहकारी बैंकों के लिये प्राधिकृत अधिकारियों का कार्यकाल/अवधि कितना समय तक निर्धारित की गयी है? यदि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो किस नियम/अधिनियम के तहत अभी भी बैंकों में पदस्थ हैं? कृपया पृथक-पृथक, बैंकवार जानकारी देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 की उप-धारा (8) एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 43-ख में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रदेश के सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं अपेक्स बैंक में अशासकीय सदस्यों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित तिथियों में की गयी थी :-

क्र	बैंक का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
1	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर (अपेक्स बैंक)	प्राधिकारी	25/07/2020
		अध्यक्ष	10/11/2022
		सदस्य-4	10/11/2022
2	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग	प्राधिकारी	07/11/2022
3	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर	प्राधिकारी	19/07/2021
4	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर	प्राधिकारी	02/08/2021
5	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर	प्राधिकारी	06/04/2021
6	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर	प्राधिकारी	19/07/2021
7	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव	प्राधिकारी	19/07/2021

(ख) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 की उप-धारा (8) के प्रथम परंतुक अनुसार किसी अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति को इस उप-धारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड/समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रजिस्ट्रार प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसा प्राधिकृत अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अथवा राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद
[स्कूल शिक्षा]

15. (क्र. 516) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हायर सेकंडरी/हाईस्कूल/मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल कार्यरत हैं? उक्त स्कूलों में शैक्षणिक अथवा अन्य संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं? शालावार कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार कितने विद्यालय भवन-विहीन हैं अथवा जर्जर हैं? नये भवन एवं जर्जर भवन की मरम्मत हेतु वर्ष 2019 से दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई, विकासखण्ड वार बतावें? (ग) क्या रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन स्तर पर कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक पूर्ति की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 25 हायर सेकेण्डरी, 28 हाईस्कूल, 108 माध्यमिक विद्यालय, 276 प्राथमिक शालाएँ संचालित हैं। स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के द्वारा रिक्तियों की पूर्ति की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में राहत एवं आपदा प्रबंधन मद अंतर्गत आबंटित राशि
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

16. (क्र. 517) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 2019 से माह नवम्बर, 2022 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राहत एवं आपदा प्रबंधन मद में किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि का आबंटन जारी किया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) क्या राजस्व परिपत्र पुस्तिका 6-4 में राशि स्वीकृत किये जाने के नियम एवं प्रावधान हैं? उक्त नियम के तहत मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से नवम्बर, 2022 तक कुल कितने प्रकरणों में कुल कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नधीन अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में राहत एवं आपदा प्रबंधन मद से कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। विकासखण्डवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है। (ख) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान सहायता देने का प्रावधान है। प्रश्नधीन अवधि में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में कुल 37,582 प्रकरणों में कुल रुपये 25,82,96,785.00 स्वीकृत की गई है।

तहसील सारंगढ़, तहसील बरमकेला एवं उप- तहसील कोसीर में त्रुटि सुधार, नामांतरण , फौती, नकल एवं सीमांकन के दर्ज प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

17. (क्र. 526) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में तहसील सारंगढ़, तहसील बरमकेला एवं उप-तहसील कोसीर में बंदोबस्त, त्रुटि सुधार, नामांतरण, फौती, नकल एवं सीमांकन हेतु कितने-कितने प्रकरण दर्ज हुए एवं निराकरण किए गए तथा वर्तमान में लंबित प्रकरणों की तहसीलवार अलग-अलग पूर्ण जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के अंतर्गत 03 वर्षों में तहसील सारंगढ़, बरमकेला एवं उप तहसील कोसीर में बंदोबस्त त्रुटि सुधार नामांतरण, फौती, नकल एवं सीमांकन हेतु दर्ज/निराकृत तथा वर्तमान में लंबित प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील	वर्ष	त्रुटि सुधार बंदोबस्त			नामांतरण			फौती			नकल			सीमांकन		
		दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित
सारंगढ़	2019-20	00	00	00	817	651	166	78	78	00	980	828	152	64	44	20
	2020-21	00	00	00	582	350	232	64	64	00	758	606	152	101	92	09
	2021-22	00	00	00	3800	3516	284	196	196	00	1252	966	286	183	180	03
	योग:-	00	00	00	5199	4517	682	338	338	00	2990	2400	590	348	316	32
बरमकेला	2019-20	00	00	00	25	25	00	20	20	00	869	869	00	35	35	00
	2020-21	00	00	00	20	20	00	10	10	00	1035	1035	00	25	25	00
	2021-22	00	00	00	05	01	04	03	02	01	904	876	28	12	02	10
	योग:-	00	00	00	50	46	04	33	32	01	2808	2780	28	72	62	10
कोसीर	2019-20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	2020-21	00	00	00	30	30	00	10	10	00	00	00	00	10	10	00
	2021-22	00	00	00	20	07	13	05	05	00	00	00	00	04	02	02
	योग:-	00	00	00	50	37	13	15	15	00	00	00	00	14	12	02
महायोग:-	00	00	00	5299	4600	699	386	385	01	5798	5180	618	434	390	44	

जिला बलौदाबाजार- भाटापारा में अनुसूचित जनजाति के किसानों से भूमि क्रय
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

18. (क्र. 582) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि जिला बलौदाबाजार -भाटापारा के अंतर्गत तहसील बलौदाबाजार में स्थापित ईमामी सीमेंट संयंत्र द्वारा ग्राम कुकुरदी, रिसदा तथा ढनढनी के कुल 130 अनुसूचित जनजाति के कृषकों से 95.473 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई थी ? यदि हां, तो भूमि विक्रय हेतु जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, क्या उसका पालन संयंत्र द्वारा किया जा रहा है ? **(ख)** यदि नहीं तो संयंत्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है/ की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** तहसील बलौदाबाजार में स्थापित ईमामी सीमेंट संयंत्र द्वारा ग्राम कुकुरदी, रिसदा तथा ढनढनी के कुल 130 अनुसूचित जनजाति के कृषकों से 95.473 हेक्ट. भूमि क्रय की गई थी। भूमि विक्रय हेतु निर्धारित नियम निर्देशों के साथ अनुमति दी गई थी। जिसका पालन संयंत्र द्वारा किया जा रहा है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रायपुर तहसील में दर्ज राजस्व प्रकरणों का निराकरण
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

19. (क्र. 583) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि रायपुर तहसील में नामांतरण, फौती, खाता दुरुस्तीकरण, प्रभावीकरण, सीमांकन तथा बंदोबस्त त्रुटि सुधार के कुल 5778 प्रकरण राजस्व वर्ष 2021-22 तक निराकरण हेतु लंबित थे ? यदि हां, तो दिनांक 1 दिसंबर, 2022 तक इनके निराकरण की क्या स्थिति है ? **(ख)** राजस्व वर्ष 2022-23 में दिनांक 1-4-2022 से 30-11-2022 के बीच रायपुर तहसील में नामांतरण, फौती, खाता दुरुस्तीकरण, प्रभावीकरण, सीमांकन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने निराकृत कर लिए गये ? कितने लंबित हैं एवं क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** जी हाँ । दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 तक निराकृत प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है:-

मद	वर्ष 2021-22 में निराकृत प्रकरण	वर्ष 2021-22 में शेष प्रकरण	वर्ष 2021-22 के शेष प्रकरण में दिनांक 01/12/2022 तक निराकरण की स्थिति	शेष प्रकरण
नामांतरण फौती	7661	3809	3413	396
खाता दुरुस्ती	510	272	179	93
सीमांकन	2815	1697	1321	376
बंदोबस्त त्रुटि सुधार	0	0	0	0
प्रभावीकरण	0	0	0	0
योग:-	10986	5778	4913	865

(ख) राजस्व वर्ष 2022-23 में दिनांक 01/04/2022 से 30/11/2022 के बीच रायपुर तहसील में नामांतरण, फौती, खाता दुरुस्तीकरण, प्रभावीकरण, सीमांकन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार के प्राप्त आवेदन एवं निराकृत किये गये आवेदन तथा लंबित आवेदनों की मदवार जानकारी निम्नानुसार है:-

मद	कुल दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
नामांतरण फौती	10751	8761	1990
खाता दुरुस्ती	93	38	55
सीमांकन	3768	2960	808
बंदोबस्त त्रुटि सुधार	0	0	0
प्रभावीकरण	0	0	0
योग:-	14612	11759	2853

प्रश्नांश 'ख' में प्रकरण लंबित होने का कारण निम्नानुसार है:- (1) मामला अत्याधिक विवादित होने से। (2) पक्षकारों के द्वारा समयावधि में जबाव साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण। (3) पक्षकारों के निवास स्थान से अन्यत्र निवास होने के कारण, समयावधि में नोटिस तामिल नहीं होने के कारण। (4) वरिष्ठ न्यायालयों, सिविल न्यायालय में स्थगन होने के कारण।

रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत शिक्षकों का स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]

20. (क्र. 615) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में वर्ष 2022 में जिला स्तरीय स्थानांतरण में प्राथ.शाला के कितने प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है ? विकासखण्डवार, स्कूलवार, शिक्षकों के नाम सहित पदस्थ शाला एवं स्थानांतरित शाला की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) स्थानांतरित किये गये कर्मचारियों की पूर्व पदस्थ शाला में शिक्षकों की संख्या एवं स्थानांतरण पश्चात् शिक्षकों की संख्या बतावें ? (ग) क्या स्थानांतरण उपरांत कोई शाला एकल शिक्षकीय हुई है ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग) निरंक ।

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण स्कूलों का भवन निर्माण/मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]

21. (क्र. 616) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वि.ख. रायगढ़, पुसौर व बरमकेला में कितने शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल जीर्ण-शीर्ण हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार जीर्ण-शीर्ण स्कूलों के भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	विकासखण्ड	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
1	रायगढ़	3	1	0	0
2	पुसौर	7	1	0	0
3	बरमकेला	5	1	0	0
योग:-		15	3	0	0

(ख) जीर्ण-शीर्ण स्कूलों का चिन्हांकन कर लिया गया है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, दुर्ग की शाखा निपानी में गबन की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही
[सहकारिता]

22. (क्र. 619) श्री विद्यारतन भसीन : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के शाखा निपानी में बैंक कर्मचारी द्वारा फर्जी आहरण कर राशि गबन किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कितने किसानों की कितनी राशि का गबन किया गया है ? ग्रामवार किसानों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार गबन में बैंक के कितने एवं किस-किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाये गये ? दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या दोषियों को अन्यत्र स्थानांतरण करने के पश्चात भी अब तक कार्यमुक्त नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कार्यमुक्त नहीं किये जाने का क्या कारण है ? दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) कितने किसानों को, कितनी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किस मद से किया गया ? कितना भुगतान किया जाना शेष है ? कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ? प्रभावित किसानों के नाम ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-

ब, प्रपत्र-स अनुसार है। **(ख)** जांच में गबन के लिए दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-द** अनुसार है। दोषियों को अन्यत्र स्थानांतरण करने के पश्चात् कार्यमुक्त नहीं करने की शिकायत संज्ञान में नहीं आयी। **(ग)** प्रकरण में 484 अमानतदारों की राशि रुपये 5,74,63,061.93 का भुगतान बैंक द्वारा FRAUDULENT TRANSACTION RECEIVABLE मद निर्मित कर किया गया है तथा 82 अमानतदारों की जांच पूर्ण होने के पश्चात् गबन राशि ज्ञात हो सकेगी, तत्पश्चात् नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। जांच प्रक्रियाधीन सूची की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ध** अनुसार है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के अधीनस्थ समितियों द्वारा तालपत्री, पॉलिथिन, रंग व सुतली का क्रय
[सहकारिता]

23. (क्र. 620) श्री विद्यारतन भसीन : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के अधीनस्थ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में तालपत्री, पॉलिथिन एवं सुतली का किस-किस कार्य हेतु किस-किस संस्था/फर्म से क्रय किया गया? सामग्री खरीदी का मापदंड क्या निर्धारित था ? क्या खरीदी में भंडार क्रय नियम का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? जानकारी साख समितिदार उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" की खरीदी में अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के अधीनस्थ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ विपणन वर्ष **2021-22** एवं वर्ष **2022-23** में धान खरीदी की व्यवस्था हेतु संस्थानों/फर्म से क्रय किये गये तालपत्री, पालीथिन एवं सुतली की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है। सामग्री की खरीदी में भंडार क्रय नियम के पालन की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की खरीदी के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुयी है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है।

जिला जांजगीर-चांपा व रायगढ़ में सी.सी. लोन आहरण की प्राप्त शिकायतों की जांच
[सहकारिता]

24. (क्र. 624) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जनवरी, 2020 से जून, 2022 तक जिला जांजगीर चांपा के ग्राम बमनीडीह सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली समितियों अफरीद, मुड़पार, पचौरी, झर्रा, मोहगांव, खपरीडीह, अमोदी, बरगाड़ी एवं रायगढ़ जिले के गाताडीह, कोसीर एवं छिंद में किसानों का रकबा बढ़ा कर धान खरीदी करना, फर्जी हस्ताक्षर कर के.सी.सी. लोन आहरण करना व किसानों के खाते में फर्जी लोन चढ़ाना एवं सरकार की ऋण माफी योजना का लाभ लेने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांक 'क' की प्राप्त शिकायतों की जांच की गई है? **(ग)** यदि हाँ तो संबंधितों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां, 07 शिकायतें प्राप्त हुई है। **(ख)** जांच प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जांच एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अविभाजित कोरिया जिले से सामग्री का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]

25. (क्र. 626) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- शिक्षा विभाग अंतर्गत नवगठित जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को जिला गठन के बाद अविभाजित कोरिया जिले से कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में दी गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

रायपुर-बिलासपुर शहरी क्षेत्र में शासकीय भूमि में अतिक्रमण/कब्जा के दर्ज प्रकरण
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

26. (क्र. 629) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर- बिलासपुर शहरी क्षेत्र के 20 किलोमीटर की परिधि में कहां-कहां एवं कितने के विरुद्ध शासकीय भूमि पर विगत 2 वर्षों में अतिक्रमण/ कब्जा की शिकायत दर्ज की गयी है, उनके नाम एवं पता सहित ब्यौरा देवें? **(ख)** कंडिका "क" के कितने प्रकरणों में अतिक्रमण/ कब्जा हटाया गया एवं कितने प्रकरणों में कार्यवाही लंबित है? लंबित प्रकरणों का ब्यौरा देवें? **(ग)** कंडिका "क" के क्षेत्रों में पुनः अतिक्रमण ना हो, इसके लिए क्या-क्या उपाय किए गए? विस्तार से विवरण देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** रायपुर शहरी क्षेत्र के 20 किलोमीटर परिधि के भीतर राजस्व विभाग (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार) द्वारा तहसील रायपुर के अंतर्गत कुल 73 अतिक्रामक, तहसील धरसीवा के अंतर्गत कुल 29 अतिक्रामक, तहसील अभनपुर के अंतर्गत कुल 21 अतिक्रामक, तहसील मंदिर हसौद के अंतर्गत 05 अतिक्रामक, इस प्रकार रायपुर जिले के अंतर्गत कुल 128 अतिक्रामक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज की गई है। विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। बिलासपुर शहरी क्षेत्र के 20 किलोमीटर की परिधि में राजस्व विभाग (अनुविभागीय अधिकारी./तहसीलदार) द्वारा बैमा, देवरीखुर्द, लिंगियाडीह, खैरखुण्डी, चांटीडीह, रमतला, कोनी, फरहदा, बिरकोना, खमतराई, उर्तुम, गोंदईया, बहतलाई, कोरमी, तोरवा के 34 व्यक्तियों के विरुद्ध शासकीय भूमि पर विगत 02 वर्षों में अतिक्रमण कब्जा की शिकायत दर्ज की गई है। विवरण **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। नगरीय प्रशासन विभाग (आयुक्त, नगर पालिक निगम) बिलासपुर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा की 48 शिकायत/स्वतः संज्ञान से प्राप्त हुई है। विवरण **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "स"** अनुसार है। **(ख)** जिला रायपुर में कुल 128 प्रकरणों में से, 54 प्रकरणों में अतिक्रमण/कब्जा हटाया गया है एवं 74 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "द"** अनुसार है। जिला बिलासपुर में राजस्व विभाग द्वारा कुल 34 प्रकरणों में से, 7 प्रकरणों में अतिक्रमण/कब्जा हटाया गया एवं शेष 27 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण **पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "ई"** अनुसार है। नगरीय प्रशासन विभाग (आयुक्त, नगर पालिक निगम) बिलासपुर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा की कुल 48 प्रकरणों में से 23 पर कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण हटाया गया। 24 प्रकरणों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सीमांकन कार्य प्रगति पर है, सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी। शेष 01 प्रकरण पर नोटिस जारी किया गया है एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर को शासकीय भूमि के सीमांकन हेतु पत्र लिखा गया है। **(ग)** ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं ग्राम पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नजूल अधिकारी को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभारी कार्यवाही करने एवं समय-समय पर निगरानी करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

विभाग अंतर्गत स्थानांतरण के पश्चात् भारमुक्त न किए जाने के प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]

27. (क्र. 630) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** शैक्षणिक सत्र 2022-23 अंतर्गत विभाग में कितने प्रतिशत स्थानांतरण किए जाने हेतु राज्य शासन का निर्देश है एवं कितने लोगों का स्थानांतरण किया गया है? **(ख)** कंडिका "क" के स्थानांतरण आदेशों का पालन कराया गया है कि नहीं ? कितने प्रकरणों में स्थानांतरित कर्मचारी को भारमुक्त नहीं किया गया है तथा क्यों ? कब तक भारमुक्त किया जाएगा? **(ग)** क्या यह सही है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध स्थगन प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में? जिलेवार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जाने हेतु राज्य शासन का निर्देश है। कुल 5917 का स्थानांतरण किया गया है। **(ख)** स्थानांतरण आदेशों का पालन कराया गया है। कुल 447 प्रकरणों में स्थानांतरित कर्मचारियों को भारमुक्त नहीं किया गया है, क्योंकि वरिष्ठ सचिवों की समिति में अभ्यावेदन लंबित, न्यायालयीन प्रकरण/स्थगन, परिवीक्षाधीन कर्मचारी, संस्था एकल शिक्षकीय एवं शिक्षकविहीन होने तथा

एवजीदार नहीं आने के कारण भारमुक्त नहीं किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हॉ। 162 स्थानांतरण प्रकरणों में स्थगन है, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

सहकारी समिति ,राजपुर में धान खरीदी में अनियमितता पर कार्यवाही
[सहकारिता]

28. (क्र. 633) श्री धरम लाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सही है कि धान खरीदी में अनियमितता व धान की सूखत, सड़ जाने व चोरी हो जाने को लेकर पिछले व इस वित्तीय वर्ष में सहकारी समिति राजपुर के साथ-साथ अन्य समितियों के पदाधिकारियों व अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस-किस के विरुद्ध, किसके द्वारा तथा किन-किन दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? इन प्रकरणों में शासन को कितनी हानि अनुमानित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति राजपुर के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में रकबा वृद्धि कर धान खरीदी पाए जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी, कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जांच में धान सूखत, सड़ जाने व चोरी से कमी नहीं पाई गई। अतएव शासन को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजपुर समिति के संबंध में शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

जिला रायपुर व बिलासपुर में जमीन की रजिस्ट्री पर प्रशासन के द्वारा रोक लगाये जाने के संबंध में
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

29. (क्र. 634) श्री धरम लाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या प्रशासन द्वारा रायपुर एवं बिलासपुर जिले की जमीन के कुछ खसरो में रजिस्ट्री हेतु रोक लगाई गई है? यदि हां तो कौन-कौन से खसरो में कितने-कितने रकबे में कब एवं क्यों तथा किसके आदेश से रोक लगाई है? जिलेवार व खसरावार जानकारी देवें? **(ख)** क्या नवम्बर, 2022 में पूर्व सरगुजा रियासत से संबंधित जमीनों की जांच हेतु नजूल तहसीलदार के द्वारा राजस्व निरीक्षक व पटवारी को शामिल करते हुए जांच टीम का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो कब किया गया है, कौन-कौन सदस्य हैं और किसके आदेश पर नजूल तहसीलदार द्वारा उक्त जांच टीम का गठन किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** जी हाँ, जिला रायपुर के अंतर्गत कुल 1066 खसरा कुल रकबा 225.518 हेक्टेयर एवं जिला बिलासपुर के अंतर्गत कुल 1809 खसरा कुल रकबा 185.334 हेक्टेयर में रजिस्ट्री हेतु रोक लगाई है। जिलेवार व खसरावार जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। न्यायालय तहसीलदार नजूल अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के आदेश दिनांक 23.11.2022 द्वारा जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम में राजस्व निरीक्षक नजूल श्री नारायण सिंह, श्री राजबहादुर सिंह, श्री आशीष गुहा, श्री विजय श्रीवास्तव एवं पटवारी श्री श्रवण पाण्डेय एवं श्री महेन्द्र गुप्ता सदस्य हैं। जांच टीम का गठन शिकायत के निराकरण हेतु नजूल तहसीलदार अम्बिकापुर द्वारा किया गया है।

शिक्षकों की नवीन नियुक्ति/पदस्थापना हेतु दस्तावेज परीक्षण
[स्कूल शिक्षा]

30. (क्र. 637) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि 14,500 से अधिक शिक्षकों की नवीन नियुक्ति/पदस्थापना हेतु दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है तथा तदनुसार आदेश जारी किये जाने थे? यदि हाँ, तो दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है व शेष शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जावेगी? **(ख)** प्रदेश में सहायक शिक्षकों/ शिक्षकों की पदोन्नति व स्थानांतरण के संबंध में सुकमा के साथ किन जिलों में जांच की जा रही है? उक्त जांच किसके आदेश पर व किसके द्वारा की जा रही है तथा जांच रिपोर्ट में किसे दोषी पाया गया है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** जी हाँ। प्रश्नाधीन अवधि तक शिक्षकों के कुल 10,834

पदों पर भर्ती कर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) पदोन्नति के संबंध में सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव में कलेक्टर के आदेश पर क्रमशः सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा जाँच की गई। राजनांदगांव में संचालक, लोक शिक्षण के निर्देश पर संभागीय संयुक्त संचालक, दुर्ग द्वारा जाँच की गई। सक्ति में संभागीय संयुक्त संचालक, बिलासपुर स्तर पर एवं रायपुर में कलेक्टर के आदेश पर उपसंचालक, पंचायत जिला- रायपुर स्तर पर जाँच प्रक्रियाधीन है। कोण्डागांव में जाँच उपरांत दो लिपिकों को निलम्बित किया गया। स्थानांतरण के संबंध में जाँच की जानकारी निरंक है।

प्रदेश में "प्रयास" संस्था का संचालन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

31. (क्र. 638) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितनी "प्रयास" संस्थाएं संचालित हैं तथा क्या इन "प्रयास" संस्थाओं को संचालित करने/बच्चों को पढ़ाई कराने/अन्य सुविधा हेतु एनजीओ या अन्य संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है ? यदि हाँ, तो जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2022 तक किन-किन प्रयास संस्थान में किन-किन एनजीओ व संस्थाओं को क्या-क्या कार्य दिये गए तथा इस हेतु उन्हें कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है? (ख) क्या यह सही है कि कंडिका 'क' अनुसार वर्षों में कुछ "प्रयास" संस्थाओं में बच्चों की पढ़ाई इत्यादि के लिये एनजीओ को कार्य नहीं दिये गए हैं? यदि हाँ, तो किन-किन प्रयास संस्थाओं में व क्यों ? (ग) कंडिका 'क' अवधि में इन "प्रयास" संस्थाओं से कितने बच्चे मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी या समकक्ष कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किये हैं ? संस्थावार वर्षवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में कुल 09 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। जी हाँ, **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) जी हाँ, **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। (ग) संस्थावार, वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"]

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत केसीसी लोन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें व कृत कार्यवाही [सहकारिता]

32. (क्र. 639) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरारी सेवा सहकारी समिति में सत्र 2021-22 व 2022-23 में कितने किसानों के रकबा के विरुद्ध अल्पकालीन कृषि लोन दिया गया ? नवम्बर, 2022 तक किसानों की संख्या, रकबा व राशि की जानकारी दें। (ख) किसानों के रकबा को फर्जी तरीके से बढ़ा कर अल्पकालीन कृषि लोन निकालने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायत के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई ? कृपया जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नांश की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.वर्ष	कृषक संख्या	रकबा (एकड़ में)	कृषकों को वितरीत ऋण राशि (लाख में)
1 2021-22	663	2086.82	279.52
2 2022-23	871	2649.93	371.34

(ख) शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

सहकारी समितियों को प्रदायित प्रोत्साहन राशि [सहकारिता]

33. (क्र. 642) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2020 -21 व 2021- 22 में नवम्बर, 2022 तक कितनी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है और कितनी समितियों को नहीं दी गई है ? प्रोत्साहन राशि देने के क्या नियम / निर्देश हैं ? जिन समितियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है , उन समितियों में कुल कितनी मात्रा में व कितनी राशि के धान की कमी आई है व दोषी कौन है तथा इनसे कितनी राशि वसूली की गई है व कितनी राशि वसूली की जाना शेष है ? **(ख)** प्रश्नांश अवधि में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में से कितना धान मिलों के पास मिलिंग हेतु शेष है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** वर्ष 2020-21 में 505 समितियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है तथा वर्ष 2021-22 में 1977 समितियों को प्रोत्साहन राशि दी जानी है तथा वर्ष 2020-21 में 1505 तथा 2021-22 में 43 समितियां प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं रखते हैं। प्रोत्साहन राशि देने के नियम निर्देश निम्नानुसार है - 1. समिति में शॉर्टेज/कमी की मात्रा निरंक हो। 2. समिति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई हो। 3. शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन समिति द्वारा किया गया हो। 4. परिवहन स्तर पर होने वाली कमी की वसूली/भरपाई मार्कफेड द्वारा परिवहनकर्ता से कर लिए जाने की स्थिति में। जिन समितियों को प्रोत्साहन नहीं मिला उनमें धान कमी एवं राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	धान मात्रा (मे.टन में)	राशि (करोड़ में)
1	2020-21	1.77	331.60
2	2021-22	0.049	9.79

उक्त अवधि में धान की कमी के लिए संबंधित समिति कर्मचारियों को दोषी मानते हुए नोटिस/विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण/सेवा से पृथक/निलंबन किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। **(ख)** वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में मिलों के पास शेष धान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस" \]](#)

जांजगीर-चांपा जिले में की गई खरीदी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

34. (क्र. 645) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती अंतर्गत वर्ष, 2021 से 30 नवम्बर, 2022 तक केन्द्र, राज्य एवं जिला से किस-किस मद से, किस-किस योजना अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार, मदवार, योजनावार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' की प्राप्त राशि में से कौन-कौन से कार्य किए गए एवं कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई ? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के कार्यों में कितनी शिकायतें गुणवत्ताहीन सामग्री एवं निर्माण कार्य किए जाने की प्राप्त हुई ? तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** जानकारी संकलित की जा रही है।**(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।

जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई खरीदी [स्कूल शिक्षा]

35. (क्र. 646) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती अंतर्गत वर्ष 2019 से नवम्बर, 2022 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि के फर्नीचर, प्रयोगशाला सामग्री एवं खेलकूद सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में खरीदी गयी ? क्या खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ?**(ख)** प्रश्नांश 'क' की सामग्री की खरीदी हेतु क्या निविदा

आमंत्रित की गई ? यदि हाँ तो किन-किन फर्म/कंपनियों ने भाग लिया ? किन-किन फर्म/संस्था से किस-किस दर पर सामग्री क्रय की गई ? खरीदी गई सामग्री कितने स्कूलों को प्रदाय की गयी ? विकासखंड/स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कितनी शिकायतें गुणवत्ताहीन सामग्री क्रय करने की प्राप्त हुई ? तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। फर्म व सामग्रीवार दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है, एवं सामग्री प्रदाय की गयी शालाओं की विकासखंड/स्कूलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरौदा एवं बम्हनीडीह में संचालित आत्मानंद स्कूल
[स्कूल शिक्षा]

36. (क्र. 647) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड जैजैपुर, मालखरौदा एवं बम्हनीडीह में कितने आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम स्कूल संचालित हैं, विकासखण्डवार, स्कूलवार नाम सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांक "क" के स्कूलों में कौन-कौन सी कक्षाएँ संचालित हैं?, कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, कितने शिक्षकों की पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने पद की पूर्ति की गई है? पदस्थ शिक्षकों में, कितने प्रतिनियुक्ति में हैं, कितने संविदा में हैं, विकासखण्डवार, स्कूलवार नाम सहित बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रश्नांश क एवं ख की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के किसानों के खसरा रकबा ऑनलाईन करने एवं रकबा पंजीयन संशोधन के संबंध में
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

37. (क्र. 649) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 30 नवम्बर 2022 तक कितने किसानों से खसरा, रकबा ऑनलाईन करवाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार उपरोक्त किसानों के कितने आवेदन का निराकरण किया गया है, कितने आवेदन शेष हैं, बतायें ? (ग) क्या वर्तमान में वर्ष 2022-23 में धान बिक्री हेतु राजस्व विभाग के द्वारा रकबा संशोधन, वारिसान पंजीयन किया जा रहा है? यदि हां, तो विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के तहसील जैजैपुर, बम्हनीडीह एवं मालखरौदा में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने आवेदन का निराकरण किया गया है, कितना शेष है, बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक खसरा रकबा ऑनलाईन करवाने हेतु तहसील जैजैपुर के अंतर्गत 665, तहसील मालखरौदा अंतर्गत 69 तथा बम्हनीडीह के अंतर्गत 611 कुल 1345 किसानों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार किसानों से तहसील जैजैपुर अंतर्गत 568, तहसील मालखरौदा अंतर्गत 66 तथा तहसील बम्हनीडीह अंतर्गत 526 कुल 1160 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है। 185 आवेदन पत्र निराकरण हेतु शेष है। (ग) जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर अंतर्गत तहसील जैजैपुर, बम्हनीडीह एवं मालखरौदा में वर्तमान वर्ष 2022-23 में धान विक्रय हेतु रकबा संशोधन तथा वारिसान पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के तहसील जैजैपुर, बम्हनीडीह एवं मालखरौदा में रकबा/फसल संशोधन तथा वारिसान पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन/निराकरण/शेष आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है:-

तहसील	रकबा/फसल संशोधन			वारिसान पंजीयन		
	प्राप्त	निराकृत	शेष	प्राप्त	निराकृत	शेष
जैजैपुर	612	525	87	53	43	10
मालखरौदा	42	40	02	16	15	01
बम्हनीडीह	512	444	68	58	41	17
योग:-	1166	1009	157	127	99	28

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल पामगढ़ में पदस्थ शिक्षक, शिक्षिका
[स्कूल शिक्षा]

38. (क्र. 652) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल पामगढ़ में कितने शिक्षक और शिक्षिका पदस्थ हैं, पदस्थ शिक्षक-शिक्षिका की विषयवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

जांजगीर चांपा जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के संपादित कार्य
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

39. (क्र. 654) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जांजगीर चांपा जिला में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संपादित कार्यों के नाम, लागत राशि सहित जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : अनुसूचित जाति के कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" एवं अनुसूचित जनजाति के कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सैतीस"]

पटवारियों के स्वीकृत पद व अन्तर्जिला स्थानांतरण का प्रावधान
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

40. (क्र. 658) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में पटवारी के कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** पटवारी का पद किस संवर्ग (जिला/ संभाग/ प्रदेश) के अंतर्गत सम्मिलित है ? **(ग)** क्या पटवारियों के स्थानांतरण नीति अनुसार इसका स्थानांतरण जिला के बाहर अन्य जिला में किये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है ? यदि हा तो रायपुर में अन्य जिलों से पटवारियों का स्थानांतरण किस आधार पर किया गया है ? स्थानान्तरित किये गए पटवारियों की संख्या बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** प्रदेश में पटवारी के कुल 5792 पद स्वीकृत हैं तथा 1067 पद रिक्त है। जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** पटवारी का पद जिला संवर्ग है। **(ग)** रायपुर में अन्य जिलों से पटवारियों का स्थानांतरण विभागीय ज्ञापन दिनांक 12.09.2014, दिनांक 21.01.2015 के तहत किया गया है। स्थानान्तरित किये गये पटवारियों की संख्या 22 हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

शालाओ में कराटे प्रशिक्षण का आयोजन एवं भुगतान
[स्कूल शिक्षा]

41. (क्र. 662) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर जिला अंतर्गत सत्र 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 में कितनी शालाओं में कराटे प्रशिक्षण के आयोजन हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी एवं उस राशि का भुगतान किस आधार पर किया गया? **(ख)** सत्र 2020-2021 में कराटे प्रशिक्षण किस प्रकार सुनिश्चित किया गया एवं इसकी मॉनिटरिंग किसके द्वारा की गयी तथा सत्र 2020-2021 के कराटे प्रशिक्षण के भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** शालाओं को प्रदान की गयी राशि निम्नानुसार है:-

स.क्र.	सत्र	शालाओं की संख्या	आबंटित राशि
1	2019-2020	463	4049900
2	2020-2021	NII	NIL

भुगतान नियमानुसार किया गया है। (ख) सत्र 2020-2021 में कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण संचालित नहीं किया गया था। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्कूल शिक्षा विभाग में एनजीओ के माध्यम से संपादित कार्य [स्कूल शिक्षा]

42. (क्र. 666) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) स्कूल शिक्षा विभाग में क्या एनजीओ के माध्यम से कोई कार्य कराया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य एनजीओ के माध्यम से करवाये जा रहे हैं ? (ख) कंडिका "क" के कार्य अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 में दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक कितने एनजीओ को कौन-कौन से कार्य करने की अनुमति दी गई है, एनजीओ के नाम व पते सहित वर्षवार जानकारी दें ? (ग) कंडिका "क" के संबंधित कार्य के लिए एनजीओ का चयन किस आधार पर, किस माध्यम से किस-किस अधिकारियों के द्वारा किया गया है ? (घ) कंडिका "क" के एनजीओ ने अब तक क्या-क्या कार्य किया है व इन कार्यों के लिए कितनी राशि खर्च की गई है, कंडिका "क" के वर्ष अनुसार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) से (घ) की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है।

प्रदेश में कार्यरत विद्या मितान (अतिथि शिक्षक) [स्कूल शिक्षा]

43. (क्र. 670) श्री डमरूधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में नवम्बर, 2022 की स्थिति में विद्या मितान (अतिथि शिक्षक) कब से एवं कितनी संख्या में कहां-कहां कार्यरत है ? विद्या मितान को कितना वेतन प्रतिमाह दिया जाता है ? जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या विद्या मितान का पदनाम बदल कर अतिथि शिक्षक किया गया है, यदि हां तो कब ? क्या पूर्व से दिये जा रहे वेतन में बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां तो कब से वेतन बढ़ाया गया है ? क्या अभी भी प्रदेश के कुछ जिलों में कार्यरत विद्या मितानों का पदनाम पूर्ववत ही है, यदि हां तो क्यों ? (ग) क्या विद्या मितान के हित संरक्षण हेतु कोई आदेश अथवा परिपत्र विभाग की ओर जारी किया गया है ? यदि हां तो कब एवं क्या प्रावधान किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अतिथि शिक्षक वर्ष 2019-20 से कार्यरत है। रू. 18000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। जिलेवार संख्या की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। परिपत्र की प्रति संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल बोराई में भवन निर्माण कार्य [स्कूल शिक्षा]

44. (क्र. 673) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय हाई स्कूल भवन बोराई का निर्माण कितनी लागत से किस वर्ष में हुआ है ? भवन की वर्तमान स्थिति क्या है ? जानकारी दें ? (ख) क्या उक्त स्कूल भवन जर्जर होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो संबंधित ठेकेदार एवं कार्य एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शासकीय हाईस्कूल बोराई में हाईस्कूल का निर्माण रू.

30.83 लाख लागत से वर्ष 2015 में हुआ था। वर्तमान में भवन मरम्मत योग्य है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिहावा विधानसभा अंतर्गत जर्जर/अतिजर्जर भवन
[स्कूल शिक्षा]

45. (क्र. 674) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर एवं अतिजर्जर हैं जानकारी दें ? **(ख)** वर्ष 2019-20, से दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक मरम्मत हेतु किन-किन स्कूलों के लिए, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर एवं अतिजर्जर शालाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	शाला का स्तर	जर्जर	अतिजर्जर
1	प्राथमिक	37	83
2	पूर्व माध्यमिक	20	20
3	हाईस्कूल	0	1
4	हायर सेकेण्डरी	1	0
योग:-		58	104

(ख) प्रश्नांश अवधि में मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्य एवं राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" \]](#)

धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा भू-खंड को विभिन्न संस्था एवं व्यक्तियों को लीज में प्रदान किया जाना

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

46. (क्र. 676) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा कुल कितने भू-खंड को विभिन्न संस्था एवं व्यक्तियों को लीज में प्रदान किया गया है? कितनी लीज के भूखण्ड का नवीनीकरण नहीं हुआ है? नवीनीकरण नहीं कराने पर विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? **(ख)** कितने लीजधारी द्वारा भूखण्ड का अन्य उपयोग करने की शिकायत मिली है? एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 5374 भू-खण्डों को विभिन्न संस्था एवं व्यक्तियों को 30 वर्षीय लीज पर नवीनीकरण अधिकार सहित प्रदान किया गया है। 1646 भू-खण्डों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। नवीनीकरण नहीं कराने पर संबंधितों को नोटिस जारी कर नीति/निर्देशों के अनुसार फ्री होल्ड करने की कार्यवाही की जा रही है। **(ख)** किसी भी लीजधारी द्वारा भू-खण्ड का अन्य उपयोग करने की शिकायत नहीं मिली है, किन्तु भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले 28 पट्टाधारकों के विरुद्ध अर्थदण्ड लगा कर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में स्थानांतरण

[स्कूल शिक्षा]

47. (क्र. 678) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक कितने शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, वर्गवार जानकारी दें? स्थानांतरण किस आधार पर किया गया? क्या स्थानांतरण हेतु विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे? यदि हां, तो दिशा-निर्देश का पालन न करने की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। स्थानांतरण स्वेच्छा के आधार पर एवं प्रशासनिक आधार पर किये गए हैं। जी हाँ। शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, केवल संबंधितों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

[**संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"**]

डोंगरगाव विधानसभा क्षेत्र में मुआवजा के लंबित प्रकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

48. (क्र. 681) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2019 से 30 नवम्बर, 2022 तक डोंगरगाव विधानसभा क्षेत्र में किन किन विभागों द्वारा मुआवजा प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा गया है? प्राप्त प्रकरण पर कितने लोगों को किस योजना के लिए मुआवजा प्रदाय किया गया है एवं कितने प्रकरणों पर मुआवजा किस कारण लंबित है? योजनावार, विभागवार, मुआवजा वितरण की जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : वर्ष 2019 से 30 नवम्बर, 2022 तक डोंगरगाव विधानसभा क्षेत्र में 06 विभागों द्वारा 11 भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा गया है। प्राप्त प्रकरणों में से 89 भू-धारकों को उनकी भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा प्रदाय किया गया है एवं 21 भू-धारकों को मुआवजा वितरण लंबित है। योजनावार, विभागवार, मुआवजा वितरण एवं लंबित होने के कारण की विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[**संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"**]

डोंगरगाव विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों का निलंबन एवं शिकायत

[स्कूल शिक्षा]

49. (क्र. 682) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या वर्ष 2019 से 30 नवम्बर, 2022 तक डोंगरगाव विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ कर्मचारियों /शिक्षकों को निलंबित किया गया है? यदि हाँ तो निलंबन के प्रकरण किस स्तर पर लंबित हैं? न्यायालय से निर्णय उपरांत कितने कर्मचारियों शिक्षकों को विभाग द्वारा जोड़निंग नहीं दी गयी है, उसका क्या कारण है? एवं क्या शिक्षकों द्वारा मारपीट की शिकायत स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां। निलंबन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। मान. न्यायालय के निर्णय उपरांत किसी भी कर्मचारी/शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण से वंचित नहीं किया गया है। जी हां, शिक्षक द्वारा मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजनांदगांव तहसील में अवैध प्लाटिंग

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

50. (क्र. 685) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अक्टूबर, 2019 से नवंबर 2022 तक राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव तहसील अंतर्गत कितने ग्रामों /शहरी क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग के कितने स्थान चिन्हित किए गए हैं व कितने प्रकरण बनाए गए हैं? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार चिन्हित किए गए ग्रामों/क्षेत्रों में कितना खसरा नंबर की कुल कितनी क्षेत्रफल को अवैध प्लाटिंग के रूप में दर्ज किया गया है, ग्राम वार/ क्षेत्रवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार चिन्हित अवैध प्लाटिंग पर क्या कार्रवाई की गई है? पालिका क्षेत्र के कितने अवैध प्लाटिंग पर कॉलोनाइजर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है? अवगत कराएं?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** अक्टूबर, 2019 से नवंबर 2022 तक तहसील राजनांदगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों (नगर निगम क्षेत्र से बाहर) कुल 29 गांवों में कुल 265 स्थान चिन्हित किए गए हैं, तथा 01 प्रकरण बनाया गया है। अक्टूबर, 2019 से नवंबर 2022 तक राजनांदगांव जिले के नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लाटिंग के 287 स्थान चिन्हित कर 287 प्रकरण बनाए गए हैं।

(ख) प्रश्नांश "क" अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में (नगर निगम क्षेत्र से बाहर) में कुल 265 खसरा नंबरों की कुल 78.833 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि को अवैध प्लॉटिंग के रूप में दर्ज किया गया है। ग्रामवार, क्षेत्रवार जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ" अनुसार है। प्रश्नांश "क" अनुसार नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत 287 चिन्हित किए गए क्षेत्रों में 287 खसरो के कुल 58.4408 हेक्टेयर को अवैध प्लॉटिंग के रूप में दर्ज किया गया है, क्षेत्रवार जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब" अनुसार है। (ग) ग्रामीण क्षेत्र के कुल 26 ग्राम के कुल 263 खसरो में तथा नगर पालिक निगम राजनांदगांव के कुल 273 खसरो की भूमि के खरीद-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाया गया। ग्राम झूराडबरी 08 स्थानों के 05 भूमि स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। अवैध प्लॉटिंग के कुल 20 खसरो के विक्रय हेतु तहसीलदार के अनापत्ति के बाद पंजीयन हेतु उप पंजीयक राजनांदगांव को निर्देश जारी किया गया। ग्राम टेडेसरा में अवैध प्लॉटिंग के कुल 02 खसरो के विक्रय हेतु तहसीलदार के अनापत्ति के बाद पंजीयन हेतु उप पंजीयक राजनांदगांव को निर्देश जारी किया गया। प्रश्नांश "ख" अनुसार नगर पालिक निगम राजनांदगांव में चिन्हित अवैध प्लॉटिंग पर की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:- 1. कॉलोनाइजर एक्ट के तहत 273 खसरो की भूमियों का प्रबंधन नगर पालिक निगम, द्वारा लिया गया है, खसरो के प्रबंधन पश्चात् नियमितिकरण किया जाकर बकाया राजस्व के रूप में राशि वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. खसरा क्रमांक 279/19 रकबा 0.1200 हेक्टेयर पर अवैध प्लॉटिंग करने पर भूमिस्वामी श्री उमराव साहू आ0 स्व0 श्री मौजीराम साहू, निवासी बजरंगपुर नवागांव के विरूद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज (एफ.आई.आर.) करायी गयी है। कुल 13 खसरो से संबंधित भू-स्वामियों को सूचना पत्र जारी करते हुए स्थल पर किये गये अवैध निर्माण मुरूम व सी.सी. रोड एवं नाली को हटाने का कार्य किया गया है एवं अवैध प्लॉटिंग का बोर्ड लगाया गया है। जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स" अनुसार है।

जिला राजनांदगांव में अवैध भूमि क्रय-विक्रय की शिकायत जानकारी

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)]

51. (क्र. 686) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या राजनांदगांव तहसील अंतर्गत ग्राम शहर चिखली की भूमि खसरा नंबर 223 से संबंधित भाग का बिना प्रतिफल फर्जी तरीके से क्रय विक्रय कर रजिस्ट्री करा लिए जाने से संबंधित नामजद शिकायत जिला/पुलिस प्रशासन को प्राप्त हुई है? (ख) यदि हां तो प्रकरण में जिला / पुलिस प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) उपरोक्त प्रकरण में क्या एफ.आई. आर. दर्ज कर ली गई है? यदि हां, तो किन किन धाराओं के तहत? (घ) फर्जी तरीके से भूमि रजिस्ट्री करा लिए जाने एवं प्रतिफल ना देने संबंधी ऐसी कितनी शिकायत विगत 2 वर्षों के अंदर जिले में प्राप्त हुई हैं? जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां। राजनांदगांव तहसील अंतर्गत ग्राम शहर चिखली की भूमि खसरा नंबर 223 से संबंधित भाग का बिना प्रतिफल फर्जी तरीके से क्रय विक्रय कर रजिस्ट्री करा लिए जाने से संबंधित नामजद शिकायत पुलिस प्रशासन को प्राप्त हुई थी। (ख) राजनांदगांव तहसील अंतर्गत ग्राम चिखली की भूमि खसरा नंबर 223 रकबा 76 डिसमिल जमीन फर्जी रूप से रजिस्ट्री करा लेने के संबंध में आवेदक श्री हृदयराम साहू निवासी वार्ड नं. 05 चिखली द्वारा किये गये शिकायत की जांच पुलिस चौकी प्रभारी चिखली से करायी गई। शिकायत जांच उपरांत किसी प्रकार अपराधि घटित होना नहीं पाया गया। शिकायत पत्र एवं चौकी प्रभारी चिखली थाना का जांच प्रतिवेदन की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) विगत 02 वर्षों के अंदर जिले में फर्जी तरीके से भूमि रजिस्ट्री करा लिए जाने एवं प्रतिफल ना देने संबंधी शिकायत निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

सामग्री खरीदी एवं प्राप्त आबंटन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

52. (क्र. 689) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 30.11.2022 तक आदिवासी विकास राजनांदगांव को सामग्री पूर्ति मद में शासन से कितना आबंटन प्राप्त हुआ ? प्राप्त आबंटन से कितनी-कितनी राशि की क्या-क्या सामग्री खरीदी गई ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका " क" के अनुसार खरीदी गई सामग्री को किन-किन छात्रावास / आश्रमों में वितरण किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

जिला राजनांदगांव में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में प्राप्त आबंटन
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

53. (क्र. 690) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मद में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव को कितना आबंटन प्राप्त हुआ तथा उक्त योजना में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? वर्ष वार, योजना वार जानकारी दें ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार कितने दम्पतियों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर वितरण किया गया ? वर्षवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2021-22 में रूपये 2.50 लाख एवं 2022-23 में 30 नवम्बर 2022 तक रूपये 16 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 में रूपये 230.00 लाख एवं वर्ष 2022-23 में रूपये 40.00 लाख स्वीकृत किया गया। (ख) वर्ष 2021-22 में 92 दम्पतियों को रूपये 2.50 लाख प्रति दम्पति के मान से रूपये 230.00 लाख स्वीकृत कर वितरित किया गया। वर्ष 2022-23 में 30 नवम्बर 2022 तक 16 दम्पतियों को रूपये 40.00 लाख स्वीकृत कर रूपये 16.00 लाख वितरित किया गया एवं शेष राशि रूपये 24.00 लाख 30 नवम्बर 2022 के पश्चात वितरित किया गया।

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन छात्रावास आश्रम
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

54. (क्र. 693) श्री सन्त राम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने छात्रावास आश्रम संचालित हैं तथा कितने भवन विहीन हैं ? भवन विहीन छात्रावास आश्रम हेतु कब तक नवीन भवन स्वीकृत किये जायेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 66 छात्रावास/आश्रम संचालित है तथा 17 भवन विहीन है, जिसमें से 05 छात्रावास/आश्रमों के लिये भवन निर्माण कार्य स्वीकृत हो गई है। शेष 12 भवन विहीन छात्रावास/आश्रम हेतु नवीन भवन स्वीकृत किये जाने के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा विभाग में प्राचार्य के रिक्त पद एवं भरे पद
[स्कूल शिक्षा]

55. (क्र. 694) श्री सन्त राम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के स्वीकृत एवं भरे पद के जानकारी विकास खंडवार दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के स्वीकृत एवं भरे पद की जानकारी विकासखंडवार निम्नानुसार है:-

क्र.	विधानसभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत विकासखंड का नाम	स्कूल का स्तर			
		हाईस्कूल		हायर सेकेण्डरी	
		स्वीकृत पद	भरे पद	स्वीकृत पद	भरे पद
1	बड़ेराजपुर	9	0	14	1
2	केशकाल	7	0	14	2
3	फरसगांव	19	1	16	1

नक्सलीभय अथवा अन्य कारणों से बस्तर क्षेत्र से पलायन किये गये परिवारों का पुनर्वास
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

56. (क्र. 697) श्री बघेल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नक्सली भय अथवा अन्य कारणों से बस्तर क्षेत्र से पलायन किये गये परिवारों के पुनर्वास हेतु क्या छ0ग0 राज्य सरकार के द्वारा कोई योजना/कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? **(ख)** यदि हां, वर्ष 2020 से नवम्बर, 2022 तक कितने परिवारों का पुनर्वास कराया गया है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : **(क)** जी नहीं। कोई योजना/कार्यक्रम संचालित नहीं है। **(ख)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

छ0ग0 राज्यान्तर्गत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए संचालित योजनायें/कार्यक्रम व आबंटित राशि
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

57. (क्र. 698) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में वर्तमान में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कोन-कोन सी योजनायें व कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी देंगे? **(ख)** प्रश्नांश "क" को परिपेक्ष्य में बस्तर संभागान्तर्गत विकासखण्डों में कुल कितने मदरसों संचालित हैं व इनमें कितने पंजीकृत हैं ? उन्हें क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है? **(ग)** उक्त मदरसों हेतु वर्ष 2020-21 से 15/12/2022 तक मदवार आबंटित राशि एवं व्यय की स्थिति बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु छ.ग.राज्य शासन द्वारा निम्नांकित योजनायें व कार्यक्रम संचालित की जाती है:- 1. अल्पसंख्यक कब्रिस्तान के लिए आहाता निर्माण। 2. स्व. हाजी हसन अली सम्मान पुरस्कार। 3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को अंशपूजी (धनवेष्ठन)। 4. हज कमेंटी को सहायता । 5. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम। 6. अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्था को मान्यता एवं प्रमाण पत्र। 7.अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना:-1.मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति 2.पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 3.प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति **(ख)** बस्तर संभागान्तर्गत विकासखण्डों में 21 मदरसे संचालित हैं एवं वे समस्त पंजीकृत हैं। पंजीकृत मदरसों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन, शाला गणवेश एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती है। **(ग)** वर्ष 2020-21 से 15.12.2022 तक पंजीकृत 21 मदरसों को केन्द्र प्रवर्तित मदरसा गुणवत्ता परक शिक्षा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 शिक्षक मानदेय अनुदान 40 प्रतिशत राज्यांश राशि रू. 14,83,200/- एवं मदरसों को पुस्तकालय रख-रखाव हेतु 40 प्रतिशत राज्यांश राशि रू. 36,400/- मदरसों को आबंटित कर दिया गया है।

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन, अति जर्जर, मरम्मत योग्य, आहता विहीन, नलकूप विहीन संस्थायें
[स्कूल शिक्षा]

58. (क्र. 701) श्री राजमन बेंजाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या कितनी हैं ? इन स्कूलों में कितने भवन विहीन, अति जर्जर, मरम्मत योग्य, आहता विहीन, नलकूप विहीन संस्थायें हैं ? संस्थाओं के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी देंगे? **(ख)** वर्ष 2019 से दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक कितने भवन विहीन, अति जर्जर, मरम्मत योग्य, आहता विहीन, नलकूप विहीन संस्थाओं हेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है? शालाओं के नाम सहित वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी देंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : **(क)** चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 30 नवम्बर 2022 तक 656 शास.प्राथमिक, 231 शास.माध्यमिक, 22 शास.हाई स्कूल एवं 30 शास.हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। शेष की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

चित्रकोट विधानसभा श्रेत्रान्तर्गत आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत निर्माण कार्य
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

59. (क्र. 702) श्री राजमन बेंजाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक आपदा प्रबंधन मद से कितने निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति व स्वीकृत राशि सहित वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रबंधन मद से कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है।

भाटापारा तथा सिमगा विकासखंड अंतर्गत शालाओं में शिक्षकों की रिक्तता तथा अन्यत्र स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]

60. (क्र. 704) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तथा भाटापारा विकासखंड में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत किस-किस स्तर के कितने विद्यालय संचालित हैं ? (ख) संचालित स्कूलों में क्या शासन के मापदंड (सेटप के अनुसार) शिक्षक पदस्थ है ? यदि नहीं हैं तो किन- किन स्कूलों में किस-किस विषय के शिक्षकों के पद रिक्त हैं? (ग) जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं उन स्कूलों से किन-किन शिक्षकों का किस-किस कारण से अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

शिक्षकों की मृत्यु पर लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]

61. (क्र. 705) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) सत्र 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में नवम्बर, 2022 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई है? (ख) मृत शिक्षक परिवार में से अनुकंपा नियुक्ति हेतु विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने का निराकरण कर नियुक्ति किस-किस पद पर दे दी गयी है? (ग) कितने आवेदन लंबित हैं ? अनुकंपा नियुक्ति के लंबित होने के क्या कारण हैं तथा उनको कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) सत्र 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में नवम्बर, 2022 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत 2925 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। (ख) मृत शिक्षक परिवार में से अनुकंपा नियुक्ति हेतु विभाग को 2902 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2573 आवेदनों का निराकरण कर, सहायक शिक्षक के पद पर 30, सहायक ग्रेड 03 के पद पर 1393, एवं भृत्य के पद पर 989, अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है एवं 161 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। (ग) 329 आवेदन लंबित है। प्रकरण विचाराधीन हैं, नियुक्ति सतत् प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला जांजगीर चांपा व सक्ती में फर्नीचर /विज्ञान सामग्री का वितरण
[स्कूल शिक्षा]

62. (क्र. 708) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला जांजगीर चांपा व सक्ती में वर्ष 2020-21 से नवम्बर, 2022 तक शिक्षा विभाग अंतर्गत फर्नीचर, विज्ञान सामग्री इत्यादि का क्रय किस प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है? (ख) क्या इस प्रक्रिया में टेंडर का प्रयोग किया है? यदि हां तो 30 नवम्बर, 2022 तक की सामग्री की पूर्ति हेतु टेंडर किस फर्म एवं कंपनी को दिया गया था? (ग) क्या टेंडर

प्रक्रिया व वितरण शासकीय नियमों के तहत किया गया है? क्या सामग्री वितरण के संबंध में शिकायत हुई है यदि हाँ तो उक्त फर्म/कंपनी पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2020-21 में जिला जांजगीर चांपा व सक्ती में फर्नीचर का क्रय छत्तीसगढ़ शासन के ई-मानक द्वारा तथा विज्ञान सामग्री सीमित निविदा आमंत्रित कर क्रय की गयी है। वर्ष 2021-22 से नवम्बर 2022 तक जिला जांजगीर चांपा व सक्ती में फर्नीचर व विज्ञान सामग्री का क्रय छत्तीसगढ़ शासन के ई-मानक द्वारा किया गया है। (ख) जी हाँ। फर्म एवं कम्पनी की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	जिला	फर्म का नाम
1.	जांजगीर-चांपा	राधारानी टेडर्स, देवेन्द्र नगर, रायपुर
2.		विनोद अग्रवाल, देवेन्द्र नगर, रायपुर
3.		देव फार्मा, तेलीबांधा, रायपुर
4.	सक्ती	शिवशक्ति सेल्स एण्ड इन्टरप्राइजेसेस सक्ती
5.		जावेद ट्रेडिंग कम्पनी रायगढ़
6.		यूनिवर्सल सांतिफिक एण्ड स्पोर्टस रायगढ़
7.		माडर्न सांतिफिक एण्ड स्पोर्टस रायगढ़
8.		छ.ग.केमिकल्स चांपा
9.		मारूती सप्लाय एजेन्सी नैला जांजगीर
10		महाकौशल सांतिफिक वर्क बिलासपुर

(ग) जी हाँ। सामग्री वितरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बेमेतरा शिक्षा जिले में शालाओं में एनसीसी का संचालन [स्कूल शिक्षा]

63. (क्र. 709) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ घुड़सवार रेजीमेंट एनसीसी, दुर्ग द्वारा बेमेतरा शिक्षा जिले के कितने स्कूलों में एनसीसी संचालित की जा रही है? जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" अंतर्गत वर्ष 2022-23 में बेमेतरा शिक्षा जिले से कितने बच्चों का पंजीयन एनसीसी में किया गया है जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश "क" अंतर्गत क्या शासन द्वारा स्कूलों में एनसीसी बंद करने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) छत्तीसगढ़ घुड़सवार रेजीमेंट एनसीसी, दुर्ग द्वारा बेमेतरा जिले में 02 स्कूलों में एनसीसी संचालित की जा रही है। (ख) निरंक। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार हेतु चयन का मापदण्ड
[स्कूल शिक्षा]

64. (क्र. 710) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022 के राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार में शिक्षकों के चयन की क्या प्रक्रिया है, जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" अंतर्गत राज्यपाल शिक्षक चयन पुरस्कार के लिए बेमेतरा जिला स्तर पर कौन-कौन से विषय विशेषज्ञ की समिति बनाई गई है, जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश "क" अंतर्गत बेमेतरा जिले से राज्यपाल शिक्षक चयन पुरस्कार हेतु किस से आधार पर शिक्षकों का चयन किया गया है की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) राज्यपाल शिक्षक चयन पुरस्कार के लिए बेमेतरा जिला स्तर पर जिले के ड्राईट प्राचार्य, 01 सहायक संचालक, जिले के 02 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिले के 01 प्राचार्य अर्थात कुल 05 विषय विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है। (ग) राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार हेतु राज्य स्तर से जारी दिशा-निर्देश के आधार पर शिक्षकों का चयन किया गया है
[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

प्रदेश में शाला त्यागी बच्चों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]

65. (क्र. 711) श्री अरुण वोरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में शिक्षा सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक शाला त्यागी बच्चों की कुल संख्या कितनी है? (ख) शाला त्यागी बच्चों को पुनः पढ़ाई हेतु प्रेरित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क)

जिले का नाम	शाला त्यागी बच्चों की संख्या	
	सत्र 2020-21	सत्र 2021-22
दुर्ग	0	2926
रायपुर	0	3498
बिलासपुर	2859	2709
राजनांदगांव	0	1700
रायगढ़	1242	1960

(ख) शाला त्यागी बच्चों को पुनः पढ़ाई हेतु प्रेरित करने के लिए विभाग द्वारा ओपन स्कूल से जोड़ा जा रहा है। इस हेतु समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल के प्राचार्यों/शिक्षकों को मार्गदर्शक बनाया गया है। ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले सभी संवर्ग के बालिकाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों एवं दिव्यांग द्वारा ओपन स्कूल बोर्ड को प्रदत्त परीक्षा शुल्क की शत-प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा की जाती है।

ग्राम देवपुरी रायपुर स्थित खसरा नंबर 206/1 व 206/2 की भूमि में अतिक्रमण पर कार्यवाही
[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

66. (क्र. 715) श्री ननकी राम कंवर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- दिनांक 26/7/2022 के तारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्रमांक-300) के उत्तर में यह बताया गया है कि अतिक्रमण के संबंध में 06

सदस्यीय समिति का गठन किया गया है ? यदि हां तो उक्त समिति की बैठक कब-कब हुई तथा समिति द्वारा क्या निर्णय लिया गया है एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जी हाँ, अतिक्रमण के संबंध में 06 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 22.07.2022 को एवं द्वितीय बैठक दिनांक 27.11.2022 को आहूत की गई। पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 655) की जानकारी

ii =

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

IX

रा.प्र.क्र. 202109113700087/अ-68/2020-21

पदे- छ.ग.शासन विरुद्ध श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, ग्राम-देवपुरी, प.ह.नं. 73

(1)	(2)	(3)
<p>3 DEC 2021</p>	<p>प्रकरण पेश। प्रकरण का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक-10 एवं पटवारी हल्का नंबर 73, ग्राम देवपुरी ने संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि, आवेदक श्री संजय अग्रवाल के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक WPC No. 3077/2021 में दिनांक 05/08/2021 को आदेश पारित कर ग्राम देवपुरी, प.ह.नं. 73, तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 शामिलत चारागाह में किये गये अतिक्रमण के संबंध में जांचकर अतिक्रमण हटाये जाने आदेश पारित किया गया है। स्थल निरीक्षण अनुसार ग्राम देवपुरी, प.ह.नं. 73, तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 रकबा 7.057हे. भूमि उदेसिंग वल्द तिजउ एवं अन्य 107 कास्तकार वगैरह शामिलत चरागन शामिल खूंटी भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज है तथा खसरा नंबर 206/2 रकबा 0.425हे. भूमि चैतराम, गैतराम, पवनबाई पिता मनोहर, बाबा वल्द गोपाल, सातोबाई, प्रेमदास वल्द गोपाल, प्रेमिन, केशर पिता गोपाल शामिल खूंटी शामिलत चरागन भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज है। खसरा नंबर 206/1, 206/2 का भाग, रकबा 1.717हे. भूमि श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा द्वारा लंगर हाल, गुरु अमरदास श्री हास्पिटल, गुरु अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन एवं स्टाफ व ज्ञानियों के निवास हेतु भवन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमित भूमि को नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है।</p> <p>अनावेदक संस्था श्री गुरुसिंह सभा गुरुद्वारा को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संस्था की ओर से अध्यक्ष कुलवंत सिंग द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया। अनावेदक ने अपने जवाब अनुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक 3077/2021 एवं छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन के आदेश दिनांक 25.09.2010 की प्रति जिसे एनेक्सर-01 के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा ग्राम देवपुरी स्थित भूमि खसरा नंबर 206/3, 206/1, 207, 318/1 शामिल 318/3, 340, 340/501 का खसरा पांचसाला एवं नक्शा तथा मुख्य सचिव, छ.ग. शासन नया रायपुर को दिया गया पत्र दिनांक 10.06.2021 की प्रति एवं वकालतनामा तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2021 व 05.08.2021 को उक्त रिट पिटीशन में पारित आदेश तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.09.2021 की प्रतिवेदन मय दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। खसरा नंबर 206/1 एवं 206/2 को छोड़कर अनावेदक संस्था का कोई संबंध अन्य खसरा नंबरों से नहीं है और न ही अनावेदक संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक 3077/2021 में पारित</p>	

बतिरिक्त तहसीलवाले
(नी उगढ़)

आदेश दिनांक 05.08.2021 के अनुसार ग्राम देवपुरी, प.ह.नं. 73, तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 जिसे तथाकथित रूप से शामिलता चारागाह भूमि में अतिक्रमण की जांच कर अतिक्रमण हटाये जाने आदेश पारित किया जाना उल्लेखित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि, उक्त भूमि के अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कोई निर्देश हो। अनावेदक संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर ग्राम देवपुरी स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 एवं 206/2 में हल्का पटवारी के तथाकथित निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन दिया गया है। हल्का पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण किये बिना तथाकथित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। खसरा नंबर 206/1 एवं 206/2 में लगभग 70-75 लोगों का दखल कब्जा है। जिसके संबंध में हल्का पटवारी द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है। खसरा नंबर 206/1 रकबा 7.057हे. भूमि उदेसिंह वल्द तिजउ एवं अन्य 107 कारस्तकार शामिलता चरागन खूटी भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज है तथा खसरा नंबर 206/2 रकबा 0.425हे. भूमि चैतराम, गैतराम, पवन बाई पिता मनोहर, बाबा वल्द गोपाल, सातोंबाई, प्रेमदास वल्द गोपाल, प्रेमिन, केशर पिता गोपाल शामिल खूटी शामिलता चरागन भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज है। अनावेदक संस्था को जारी कारण बताओ नोटिस में खसरा नंबर 206/1, 206/2 का भाग, रकबा 1.717हे. भूमि अनावेदक संस्था द्वारा गुरुद्वारा, लंगर हाल, गुरु अमरदास श्री हास्पिटल, गुरु अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन एवं स्टाफ व ज्ञानियों के निवास हेतु भवन निर्माण किया जाना अस्वीकार नहीं। किन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस में वर्णित कथन विशेष रूप से इंकार है कि, अनावेदक संस्था द्वारा उपरोक्त भूमि में अतिक्रमण किया गया है। अनावेदक संस्था द्वारा ग्राम देवपुरी स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1, 206/2 का भाग, को दान के माध्यम से प्राप्त किया गया है। जो निम्नानुसार है :-

क्र.	दानदाता का नाम	दानपत्र की तारीख	भूमि का विवरण
1.	रवेल सिंह चावला एवं अन्य 04	25.01.1996	ख.नं. 206 का भाग. रकबा 2 एकड़
2.	इन्दरजीत सिंह व अन्य 01	12.09.2007	ख.नं. 206 का भाग, रकबा 0.53+0.51 डिसमिल याने 1.04 एकड़
3.	त्रिलोचन सिंह पिता हरबंश सिंह	15.07.2007	ख.नं. 206 का भाग, रकबा 0.33 डिसमिल
4.	चैतराम पिता मनोहर टोडर	30.10.2003	ख.नं. 206 का भाग, रकबा 5000 वर्गफुट
5.	गैतराम पिता मनोहर टोडर	26.12.2005	ख.नं. 206/2 का भाग, रकबा 0.425हे. का आठवां हिस्सा
6.	पवन बाई आत्मजा मनोहर	26.12.2005	ख.नं. 206/2 का भाग, रकबा 0.425हे. का आठवां

बत/त सीकवा
ग्राम (अतीउपद)

7.	बाबा आत्मज गोपाल	26.12.2005	ख.नं. 206/2 का भाग, रकबा 0.425हे. का आठवां हिस्सा
8.	सातो बाई आत्मजा गोपाल	26.12.2005	ख.नं. 206/2 का भाग, रकबा 0.425हे. का आठवां हिस्सा
9.	प्रेमदास आत्मज गोपाल	26.12.2005	ख.नं. 206/2 का भाग, रकबा 0.425हे. का आठवां हिस्सा
10.	प्रेमिन बाई आत्मजा गोपाल	26.12.2005	ख.नं. 206/2 का भाग, रकबा 0.425हे. का आठवां हिस्सा
11.	केसर बाई आत्मजा गोपाल	26.12.2005	ख.नं. 206/2 का भाग, रकबा 0.425हे. का आठवां हिस्सा

अनावेदक संस्था को दान में प्राप्त भूमि को ग्राम देवपुरी के आमसभा में पारित अनापत्ति प्रदान की गयी। न्यायालय श्रीमान रेहा उर्सेडी, द्वादश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रायपुर के न्यायालय में चेतन सिंह विरुद्ध गुरुद्वारा प्रबंध संमिति के प्रकरण में हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 17.01.2017 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त दानदाता में श्रीमती पवनबाई आत्मज मनोहर की मृत्यु हो चुकी है तथा दानदाता गैतराम, बाबा, सातोबाई, प्रेमदास, प्रेमिन एवं केसर बाई के द्वारा अपनी भूमि को अनावेदक संस्था को दान में प्रदान की गयी थी। जिसे किसी सूर्या नामक व्यक्ति को विधिक विपरित रूप में विक्रय कर दी है। अनावेदक संस्था के भूमिस्वामी चैतराम एवं अन्य के द्वारा एक व्यवहार वाद न्यायालय श्रीमान चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 रायपुर के न्यायालय में लंबित है। जिसमें पेशी तिथि दिनांक 28.10.2021 नियत है तथा अन्य व्यवहार अपील न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय में गुरमित सिंह सैनी विरुद्ध राधेश्याम अग्रवाल एवं अन्य तथा नंदकिशोर अग्रवाल एवं अन्य विरुद्ध गुरुसिंह सभा गुरुद्वारा गुरु अमरदास देवपुरी के नाम पर लंबित है जिसमें पेशी दिनांक 12.11.2021 नियत है। अनावेदक संस्था को दान में प्राप्त उपरोक्त भूमि मूल भूमिस्वामियों से क्रय की गयी भूमि है तथा विक्रय पत्रों में दान की गई भूमि का नक्शा तथा चौहद्दी दर्शित की गई है। शिकायतकर्ता के द्वारा क्रय की गई भूमि खसरा नंबर 206/12 उल्लेखित है जबकि हल्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन अनुसार खसरा नंबर 206 का मात्र 02 बटांकन खसरा नंबर 206/1 एवं 206/2 के रूप में किया गया है। शिकायतकर्ता का तथाकथित क्रय की गयी भूमि 206 के किस भाग पर है, इसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से नहीं करायी है। शिकायतकर्ता संजय अग्रवाल के पिता द्वारा एक अन्य प्रकरण में अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि उक्त जमीन कहाँ है, उसे मालूम नहीं। खसरा नंबर 206/1 रकबा 7.057हे. भूमि उदेसिंह

बर्तारूप तहसीलबा
रायपुर, (उत्तीरगढ़)

पल्द तजउ एव अन्य 107 कास्तकार शामिलत चरागन खूटी भूमिस्वामी क नाम पर दर्ज है तथा खसरा नंबर 206/2 रकबा 0.425हे. भूमि चैतराम एवं अन्य तथा कैफियत कॉलम में शामिलत चारागन के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि का शासकीय राजस्व अभिलेखों में नक्शे पर बटांकन नहीं है तथा बगैर बटांकन अतिक्रमण संबंधी प्रतिवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। खसरा नंबर 206 का पूरा भाग वर्तमान में पृथक-पृथक व्यक्ति, संस्था एवं निकायों के आधिपत्य में हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के लगभग एक एकड़ पचास डिसमिल के भाग पर गुरु घासीदास मंदिर तथा सांस्कृतिक भवन निर्मित है। जिसके संबंध में हल्का पटवारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बगैर किसी जांच के मात्र अनावेदक संस्था जो विधिवत भूमिस्वामी होकर अपनी भूमि पर दाखिल-काबिज है, के विरुद्ध झूठा प्रतिवेदन के आधार पर की जा रही कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य होना, अपने जवाब में उल्लेखित किया है।

शिकायतकर्ता संजय अग्रवाल द्वारा अनावेदक संस्था के द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रतिउत्तर एवं तर्क प्रस्तुत किया गया। जिसमें शिकायतकर्ता संजय अग्रवाल, चैतराम टोडर एवं अन्य लोगों द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 3007/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2021 के प्ररिप्रेक्ष्य में अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.09.2021 को जारी किया गया। जिसके अनुसार ग्राम देवपुरी, प.ह.नं. 73 स्थित शासकीय चारागाह की भूमि खसरा नंबर 206/1, 206/2 का भाग, रकबा 1.717हे. भूमि पर अनावेदक गुरुद्वारा लंगर हाल, आश्रम, सामुदायिक भवन, स्टाफ एवं निवास का भवन निर्मित किया गया है। जिसके विरुद्ध कार्यवाही कर नाजायज कब्जे से शासकीय भूमि को मुक्त कराया जावे। जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक-10 रायपुर एवं हल्का पटवारी ग्राम देवपुरी को दिनांक 24.08.2021 को खसरा नंबर 206/1 का स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। जिसमें दिनांक 15.09.2021 को राजस्व निरीक्षक-10 रायपुर एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी प्रतिवेदन में ग्राम देवपुरी स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 रकबा 7.057हे. तथा खसरा नंबर 206/2 रकबा 0.405हे. को शामिलत चरागन की भूमि होना बताया गया। जिसमें खसरा नंबर 206/1, 206/2 का भाग, रकबा 1.717हे. भूमि पर अनावेदक गुरुद्वारा लंगर हाल, आश्रम, सामुदायिक भवन, स्टाफ एवं निवास का भवन निर्मित किये जाने तथा शेष खुली भूमि को बाउण्ड्रीवाल के अंदर घेर लेने का प्रतिवेदन दिया है। राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी प्रतिवेदन एवं अनावेदक के उत्तर से यह भी अविवादित है कि, उक्त भूमि का कोई भी भाग अनावेदक को शासन द्वारा स्थायी अथवा अस्थायी पट्टे पर प्रदान नहीं किया गया है। ग्राम देवपुरी की भूमि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की सीमा के भीतर आता है तथा किसी भी भूमि का विकास एवं निर्माण उनकी अनुमति बगैर नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था द्वारा अचल संपत्ति (भूमि या भवन) का हस्तांतरण निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क दिये जाने पर ही लिखित रूप से निष्पादित एवं

अतिरिक्त तहसीलवार
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा किया जा सकता है। अनावेदक के आपत्ति के विचार किये जाने पूर्व छ.ग.भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत अप्राधिकृत रूप से कब्जा कर लेने के लिये शास्ति लगाये जाने एवं बेदखल किये जाने का प्रावधान है। अतः कोई भी व्यक्ति अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी सेवा भूमि या किसी ऐसी अन्य भूमि जो किसी विशेष प्रयोजन के लिये (चारागन भूमि) या किसी ऐसी भूमि पर जो शासन की संपत्ति हो पर कब्जा कर लेने, उस पर कब्जा बनाये रखने पर तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्तता बेदखली किया जा सकता है। जिसके कारण अनावेदक के विरुद्ध बेदखली एवं अवैध निर्माण को हटाये जाने का आदेश पारित किया जावे, अपने जवाब के प्रतिउत्तर में उल्लेखित किया गया है।

इस प्रकार प्रकरण में संलग्न दस्तावेज, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के संयुक्त प्रतिवेदन, अनावेदक संस्था का जवाब, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के प्रतिउत्तर, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. के आदेश का सुक्ष्मता से अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक WPC No. 3077/2021 में याचिकाकर्ता-संजय अग्रवाल पिता स्व. डॉ. राम अवतार अग्रवाल विरुद्ध प्रतिवादीगण- 01. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर, 02. मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नवा रायपुर, 03. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर, 04. कलेक्टर रायपुर, 05. पुलिस अधीक्षक रायपुर, 06. नजूल अधिकारी जिला रायपुर, 07. श्री गुरु सिंग सभा गुरु अमर दास गुरुद्वारा रायपुर में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ.ग. का आदेश दिनांक 05/08/2021 बोर्ड पर सुना गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि खसरा नंबर 206/1 की भूमि जो कि एक चारागाह है पर प्रतिवादी क्रमांक 07. द्वारा जबरदस्ती अतिक्रमण किया गया है। उनका कहना है कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्ष 2019 में सरकारी जमीन पर हुये अतिक्रमण के मामले की जांच के लिये कमेटी का गठन किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उस तथ्य का पता लगाना है जिस पर समिति को पहुँचना है, इसलिए याचिकाकर्ता ने समिति के सदस्यों को एक आवेदन दिया है। इसलिए यह निर्देश दिया गया है कि, जिस समिति का गठन इस मुद्दे के लिये किया गया है। भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में दिये गये निर्देशों की प्रकृति अनुसार समिति यथाशीघ्र निर्धारित/उचित समय के भीतर सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता की शिकायत का निर्णय करेगी। उपरोक्त अवलोकन के साथ, याचिका का निपटारा किया जाना अपने आदेश में उल्लेखित किया गया है। उक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक-10 एवं पटवारी हल्का नंबर 73, ग्राम देवपुरी के द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके स्थल निरीक्षण अनुसार ग्राम देवपुरी, प.ह.नं. 73, तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 रकबा 7.057हे. भूमि उदेसिंग वल्द तिजउ एवं अन्य 107 कास्तकार वगैरह शामिलत चारागन शामिल खूंटी भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज है तथा खसरा नंबर 206/2 रकबा 0.425हे. भूमि चैतराम, गैतराम, पवनबाई पिता मनोहर, बाबा

बतौर सचिव तहसीलदार
रायपुर (छत्तीसगढ़)

वल्द गोपाल, सातोबाई, प्रेमदास वल्द गोपाल, प्रेमिन, केशर पिता गोपाल शामिल खुंटी शामलात चरागन भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज है। खसरा नंबर 206/1, 206/2 का भाग, रकबा 1.717हे. भूमि श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा द्वारा लंगर हाल, गुरु अमरदास श्री हास्पीटल, गुरु अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन एवं स्टाफ व ज्ञानियों के निवास हेतु भवन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमित भूमि को नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है। जिसमें अनावेदक संस्था श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया तथा शिकायतकर्ता द्वारा उक्त जवाब के संबंध में प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह अतः उक्त खसरा नंबर 206/1, 206/2 का भाग, रकबा 1.717हे. भूमि श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा द्वारा लंगर हाल, गुरु अमरदास श्री हास्पीटल, गुरु अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन एवं स्टाफ व ज्ञानियों के निवास हेतु भवन निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। **Honorable High Court of Chhattisgarh Bilaspur directed as per Order Date 05/08/2021 that the committee which has been constituted to look into the issue of like nature as per direction given in the case of Union Of India Vs. State of Gujarat and others, the committee shall decide the grivance of the petitioner after hearing all parties within a stipulated/reasonable time as early as possible.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्ष 2019 में सरकारी जमीन पर हुये अतिक्रमण के मामले की जांच के लिये कमेटी का गठन किया गया है। अतः प्रकरण जांच कमेटी को आवश्यक कार्यवाही बाबत भेजे जाने हेतु माननीय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के माध्यम से कलेक्टर महोदय रायपुर को सादर सम्प्रेषित।

मा.दि.
/ /2021

यतिविक्रम सिंह
यतिविक्रम सिंह
रायपुर (छत्तागढ़)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

राजस्व अनुवृत्ति पत्र

28.12.2021	<p>प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर से प्राप्त ।</p> <p>2- प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक श्री संजय अग्रवाल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट याचिका क्रमांक डब्लू.पी.सी. 3077/2021 आदेश दिनांक 05.08.2021 अनुसार ग्राम देवपुरी प.ह.नं. 73 स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1 शामिलता चारागाह के भूमि के भाग पर अतिक्रमण के जांच हेतु आवेदन कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ है । प्रकरण में अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर से जांच कराया गया जिसके अनुसार ग्राम देवपुरी प.ह.नं. 73 स्थित भूमि खसरा नंबर 206/1, 206/2 के भाग रकबा 1.717 हैं. भूमि पर श्री गुरुसिंह सभा लंगर हाल, गुरु अमरदास श्री हास्पीटल, गुरु अमरदास आश्रम, सामुदायिक भवन एवं स्टाफ व ज्ञानियों के निवास हेतु भवन निर्माण कर अतिक्रमण किया गया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शासकीय जमीन पर बने धार्मिक स्थलों के मामले की जांच के लिये कमेटी का गठन किया गया है । प्रकरण जांच कमेटी को कार्यवाही बाबत प्रेषित किया गया है । अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर के जांच प्रतिवेदन 06.12.2021 के अनुसार प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर महोदय रायपुर को सादर प्रेषित ।</p> <p>अपर कलेक्टर रायपुर</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी (रा०) रायपुर छ०ग०</p> <p>अनुभाग अधिकारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर (छ०ग०)</p>
------------	--

// निर्धारित प्रारूप //

क्र.	अधि./कर्मचारी का नाम	मूल पद	प्रतिनिधुक्ति पद	मूल पदस्थापना	कब से कार्यरत है	प्रतिनिधुक्ति आदेश क्र.
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री डॉ. विश्वम्भर प्रसाद चन्द्रा	प्राचार्य +2	सहायक प्राध्यापक	शा.उ.मा.वि.सिंगपुर वि.खं. मगरलोड, जिला धमतरी	05.01.2016	छ.ग. शासन स्कूल शि. वि. का आदेश क्र. 11482/ 1559/ 2015 20-3 दिनांक 31.12.2015
2	श्री प्रकाश राय	प्राचार्य +2	सहायक प्राध्यापक	शा.उ.मा.वि.राजपुर वि.खं. नगरी जिला धमतरी	20.05.2021	छ.ग. शासन स्कूल शि. वि. का आदेश क्र.एफ/ 12-21/ 2021/20-दो दिनांक 10.05.2021
3	श्री द्रोण कुमार साहू	प्राचार्य +2	सहायक प्राध्यापक	शा.उ.मा.वि.उमरगांव वि.खं. नगरी, जिला धमतरी	24.03.2021	छ.ग. शासन स्कूल शि. वि. का आदेश क्र.एफ/12-6/ 2021/20/दो दिनांक 04.03.2021
4	श्री कंजन सिंह ध्रुव	प्राचार्य +2	सहायक प्राध्यापक	डाइट नगरी	25.05.2016	छ.ग. शासन स्कूल शि. वि. का आदेश क्र.एफ/2-50/ 2015/20-दो (1) दिनांक 04.08.2016
5	श्री बालमुकुन्द गजेन्द्र	व्याख्याता अंग्रेजी	व्याख्याता अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि.गोकुलपुर, वि.खं. धमतरी, जिला धमतरी	19.05.2021	छ.ग. शासन स्कूल शि. वि. का आदेश क्र.एफ/12-21/ 2021/20-दो दिनांक 10.05.21
6	श्री नरेन्द्र कुमार देवांगन	व्याख्याता संस्कृत	व्याख्याता संस्कृत	शा.उ.मा.वि.घोटगांव वि.खं. नगरी, जिला धमतरी	19.05.2021	
7	श्रीमती संगीता रंनघाटी	व्याख्याता (एल.बी.) गणित	व्याख्याता (एल.बी.) गणित	शा. हाई स्कूल गुरिया वि.खं. नारायणपुर, जिला नारायणपुर	15.02.2022	छ.ग. शासन स्कूल शि. वि. का आदेश क्र.एफ / 12-6/2021/20-दो दिनांक 03.01.2022

टीप: डॉ. विश्वम्भर प्रसाद चन्द्रा प्राचार्य, डाइट नगरी का स्थानांतरण शासन के द्वारा 02 स्थानों में किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

1. शासकीय हाईस्कूल, मारकाटोला, वि.ख. डीण्डी, जिला-बालोद।
2. शासकीय उ.मा.वि., पाटसिवनी, वि.ख. छुरा, जिला-गरियाबंद।

इसके कारण स्थानांतरण संशोधन हेतु श्री चन्द्रा के द्वारा संयोजक एवं सचिव (वरिष्ठ सचिव समिति) सामान्य प्रशासन विभाग को आवेदन दिनांक 10.11.2022 को किया गया है, एवं माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में याचिका क्र. 7021/2022 लगायी गयी है। वर्तमान में कार्यमुक्त नहीं हुए है।


ReBramli
प्रभारी अतिरिक्त संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशिष्ट - तीन
तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 627) की जानकारी

पत्र - अ

क.	शाला	साईज	औसत दर
1	शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हेतु (लोक शिक्षण एवं शिक्षा मिशन)	22 से 34 नंबर बालक-बालिकाओं हेतु	299.68
2	पंजीकृत मदरसों हेतु प्राथमिक शाला (कक्षा 01 से 05 तक)	22 से 28 नंबर बालक-बालिकाओं हेतु	517.35
3	माध्यमिक शाला (कक्षा 06 से 08 तक)	30 से 34 नंबर बालक-बालिकाओं हेतु	625.37


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

प्रपत्र - ५

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन - प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर

फोन नम्बर- 0771-2331385

E-mail- cg.dpi.dir@gmail.com

क्रमांक/योजना/निशुल्क गणवेश/2022-23/20
प्रति.

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2022

प्रबंध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या.
रायपुर छ0ग0

विषय:-निशुल्क गणवेश योजना 2022-23 के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु ।

संदर्भ:- छ0ग0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-07/2021/20/एक नया रायपुर
दिनांक 15.12.2021

-0-

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुक्रम में इस कार्यालय से पूर्व प्रेषित विभिन्न पत्रानुसार तथा पूर्व वर्षों की परंपरानुसार जैसा कि आपको ज्ञात ही है, कि छ0ग0 राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से राज्य के सभी पात्र विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश (15 जून 2022) के पूर्व ही लिंगवार, उम्रवार तथा साईजवार गणवेश का दो-दो सेट (पंजीकृत मदरसों के विद्यार्थियों के लिए एक सेट) उपलब्ध कराया जाना है । इस परिपेक्ष्य में उल्लेखनीय है, कि संचालनालय के पत्र क्रमांक 07-08 दिनांक 25.03.2022 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0 को अपने जिला अन्तर्गत विकासखंड, संकुलवार वास्तविक मांग संख्या की जानकारी दिनांक 06.04.2022 तक हाथकरघा संघ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा का भी यही निर्देश है कि राज्य में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुव्यवस्थित तरीके से गणवेश का वितरण कार्य शाला प्रवेश के समय ही हो । अतः उनके मंशानुरूप छ0ग0 राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, रायपुर, लोक शिक्षण संचालनालय तथा समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त और समन्वित प्रयास से निम्नानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराना उचित होगा ।

- (1) हाथकरघा संघ द्वारा लिंगवार, उम्रवार तथा साईजवार शेष अपूर्ण गणवेशों का निर्माण कर, उनका भंडारण कार्य सहित सिलाई-बुनाई एवं कपड़े की गुणवत्ता संबंधी यथा आवश्यक परीक्षण भी समय-पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाये ।
- (2) हाथकरघा संघ द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए संकुल स्तर वितरण कार्य के लिए गणवेश सेट के परिवहन हेतु जरूरी वाहनों का निर्धारण यथासमय पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाये ।
- (3) हाथकरघा संघ द्वारा गणवेशों के परिवहन हेतु आवश्यक रूट चार्ट (जिलावार, विकासखंडवार, संकुलवार, तिथिवार, समयवार) तैयार कर इसकी सूचना/संदेश भी सर्वसंबंधित नोडल अधिकारियों (संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्रभारियों) को यथासमय पूर्व प्रसारित करा दिया जाये ताकि उत्तरदायी कर्मचारी यथासमय गणवेश प्राप्त करने तैयार रहें तथा परिवहन/अनलोडिंग कार्य में भी अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो ।
- (4) सभी संकुल समन्वयकों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत वितरण होने वाले आवश्यक गणवेशों की सुव्यवस्थित अनलोडिंग एवं रख-रखाव हेतु पर्याप्त भवन, स्थान निर्धारण का कार्य पूर्व से पूर्ण कर लिया जाये ।
- (5) हाथकरघा संघ द्वारा निर्धारित एवं संसूचित तिथि एवं समयानुसार संकुल समन्वयकों द्वारा गणवेशों का सेट (भली-भांति संख्या का मिलान कर ही) प्राप्त किया जायेगा ।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

-2-

- (6) गणवेशों के परिवहन के समय हाथकरघा संघ द्वारा मुद्रित पावती चालान की 2 प्रतियां अपने प्रतिनिधि/परिवहनकर्ता ड्रायवर को उपलब्ध करायी जाये। ये इसकी 1 प्रति संकुल समन्वयक से हस्ताक्षर कराके स्वयं प्राप्त करेंगे, जिसे हाथकरघा संघ मुख्यालय में सौंपेंगे और एक प्रति संकुल समन्वयक को सौंपेंगे। संकुल समन्वयक यह प्रति विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे।
- (7) संकुल समन्वयक अपने संकुल के अन्तर्गत आने वाले सभी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठक/शिक्षक को अनिवार्यतः अगले कार्यदिवस में उनके द्वारा पूर्व प्रेषित मांग पत्र/आंकलन के आधार पर गणवेश का सेट सौंपेंगे। शाला प्रमुख अपनी शाला के सभी पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्यतः गणवेश का वितरण शाला प्रवेश के दिन (16 जून 2022) या यथासंभव उसके पूर्व सुनिश्चित करायेंगे।
- (8) शाला प्रमुख संबंधित क्षेत्र विशेष में महामारी कोविड और लॉक-डाउन की स्थिति में/ शाला बंद होने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा प्रसारित नियमों का अनिवार्यतः पूरी तरह पालन करते हुए शाला प्रबंध एवं विकास समिति के माननीय सदस्यों, ग्राम पंचायत सदस्यों तथा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विद्यार्थियों/पालकों को उनके घर गणवेश पहुंचाकर पावती प्राप्त करेंगे या इसकी विधिवत एंट्री शाला में संचारित गणवेश वितरण पंजी में करेंगे।
- (9) शाला प्रमुख, संकुल समन्वयक, विकास खंड शिक्षा अधिकारी अनिवार्यतः गणवेश वितरण पश्चात् आगामी 7 दिवस के भीतर निर्धारित विभागीय पोर्टल www.ssachhattisgarh.gov.in में इसकी Entry करायेंगे एवं उसी आधार पर परीक्षण कर जिले एवं संभाग में Entry कार्य पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र आगामी 3 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित करेंगे।
- (10) अपने-अपने कार्यक्षेत्र में गणवेश वितरण कराने के बाद सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक वितरण कार्य पूर्ण कराने संबंधी विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों, समाचार केंद्रित वेबसाइट्स आदि में अपने निजी मोबाईल नम्बर के साथ सार्वजनिक तौर पर अनिवार्यतः जारी करेंगे ताकि जिन पात्र विद्यार्थियों को तब तक गणवेश न मिला हो, वे संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकें और उन्हें संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा शीघ्र गणवेश वितरित कराना सुनिश्चित भी किया जा सके। नोडल अधिकारी प्रकाशित विज्ञप्ति की छायाप्रति लोक शिक्षण संचालनालय को भी अनिवार्यतः उपलब्ध करायेंगे।
- (11) संकुल समन्वयक, विकास खंड शिक्षा अधिकारी क्रमशः अपने से उच्च अधिकारी/कार्यालय को चालान पावती सौंपते समय अनिवार्यतः अपने कार्यक्षेत्र में गणवेश की कमी-बेशी की संख्यात्मक जानकारी से भी अवगत करायेंगे।
- (12) हाथकरघा संघ द्वारा वितरण पश्चात् यदि अपरिहार्य कारणों से जिले में गणवेश की कमी की स्थिति निर्मित होती है तो जिला शिक्षा अधिकारी सम्यक कारणों का परीक्षण करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक को अतिरिक्त गणवेश दिलाने संबंधी अनुशंसा सहित मांग पत्र 7 दिवस के भीतर भेजेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक महाप्रबंधक, हाथकरघा संघ को अतिरिक्त गणवेश प्रदान करने हेतु यथाशीघ्र अनुशंसा सहित सूचित करेंगे। इस प्रकार महाप्रबंधक, हाथकरघा संघ, संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर नियमानुसार अतिरिक्त गणवेश शीघ्रातिशीघ्र संबंधित शालाओं के वंचित रह गये विद्यार्थियों में वितरित करायेंगे।
- (13) हाथकरघा संघ द्वारा वितरण पश्चात् अपरिहार्य कारणों से जिले में शेष बचे (अवितरित) गणवेश की संख्यात्मक जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी सम्यक कारणों का परीक्षण करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक और महाप्रबंधक, हाथकरघा संघ को 7 दिवस के भीतर भेजेंगे ताकि उनका अन्यत्र आवश्यकतानुसार कमी वाले शालाओं में सदुपयोग हो सके, समायोजित किया जा सके एवं शासन की धनराशि का अपव्यय भी न हो। इस प्रकार महाप्रबंधक, हाथकरघा संघ, संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर शेष बचे (अवितरित) गणवेशों को सुरक्षित करने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

-3-

- (14) हाथकरघा संघ द्वारा शालाओं तथा पंजीकृत मदरसों के विद्यार्थियों के लिए अंतिम रूप से करायी गई आपूर्ति/वितरण संबंधी संख्यात्मक जानकारी का अभिप्रमाणन जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। एतदर्थ हाथकरघा संघ से प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी अभिप्रमाणन पत्र प्रबंध संचालक, हाथकरघा संघ एवं संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को अनिवार्यतः भेजेंगे तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त संचालक के माध्यम से सभी जिलों के उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित करेंगे। इसके पश्चात् पश्चात् हाथकरघा संघ द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (15) उपरोक्तानुसार निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के समयबद्ध तथा सुव्यवस्थित क्रियान्वयन, मानिट्रिंग, समाधान हेतु क्रमशः 1- राज्य स्तर पर महाप्रबंधक, हाथकरघा संघ व सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय 2- संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक 3- जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी 4- विकास खण्ड स्तर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा 5- संकुल स्तर पर संकुल प्रभारी/समन्वयक 6- डिपो स्तर पर डिपो मैनेजर 7- शाला स्तर पर संस्था प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(सुनील कुमार जैन) 30/03

संचालक

लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़

पृ.क./योजना/निःशुल्क गणवेश/2022-23/ 2।

नवा रायपुर, दिनांक 30/03/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर छ0ग0
- 2- प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर
- 3- सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 4- प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर छ0ग0
- 5- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा समस्त जिला छ0ग0 को सूचनार्थ
- 6- समस्त नोडल अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ/विकास खंड शिक्षा अधिकारी/संकुल समन्वयक/संस्था प्रमुख को इस पत्र से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करायेंगे।

30-03
संचालक

लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर

परिशेष - चार
तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 706) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की योजनावार एवं जिलेवार जानकारी


क्र	जिला	अनुसूचित जनजाति छात्रावास		अनुसूचित जाति छात्रावास		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास	
		प्री मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	प्री मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	प्री मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरगुजा	61	16	4	0	1	0
2	सूरजपुर	59	13	1	0	0	1
3	बलरामपुर	66	15	1	0	0	0
4	कोरिया	55	12	10	1	0	0
5	बिलासपुर	26	4	22	11	0	1
6	गौरेला-पेण्ड्रा	52	6	4	0	0	0
7	मुंगेली	7	1	13	6	0	0
8	कोरबा	92	13	16	2	1	0
9	जांजगीर	10	3	67	12	0	0
10	रायगढ़	86	18	29	5	0	1
11	जशपुर	87	26	2	2	0	0
12	राजनांदगांव	77	19	19	4	0	2
13	कबीरघाम	35	5	14	3	1	1
14	दुर्ग	5	4	6	9	0	4
15	बेमेतरा	1	1	14	4	0	1
16	बालोद	51	10	5	1	1	1
17	रायपुर	9	10	21	7	0	2
18	बलौदाबाजार	38	7	40	11	0	1
19	गरियाबंद	33	6	8	0	0	0
20	महासमुन्द	53	8	25	3	0	0
21	धमतरी	26	4	10	4	0	0
22	बस्तर	87	31	2	2	1	2
23	कोंण्डागांव	64	14	0	0	0	2
24	कांकेर	90	16	2	2	1	2
25	दन्तेवाड़ा	33	17	3	1	0	2
26	सुकमा	31	11	0	0	0	2
27	बीजापुर	36	8	3	0	2	2
28	नारायणपुर	21	6	0	0	0	2
योग		1291	304	341	90	8	29

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति अनु.जा. वि. विभाग
स.प्र.लय, नया रायपुर

प्रपत्र - "ब"

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जा रही सुविधाओं का विवरण व लाभ की जानकारी

क्रं.	छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली सुविधायें	सुविधाओं का विवरण एवं लाभ
1	आवासीय सुविधा	छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को रहने की व्यवस्था अंतर्गत - पलंग, तकिया, चादर, गद्दा, आदि सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
2	भोजन सहाय एवं शिष्यवृत्ति	भोजन, साबुन एवं अन्य सामग्री हेतु राशि रूपये 1000/- प्रति माह प्रति छात्र प्री मैट्रिक छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को एवं राशि रूपये 700/- प्रति माह प्रति छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाती है। इसके अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को 380/- प्रति माह अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को 4000/- प्रति वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं को 5000/- प्रति वर्ष का निर्वाह भत्ता दिया जाता है।
3	स्वस्थ तन - स्वस्थ मन	छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं को स्वस्थ तन - स्वस्थ मन योजना अंतर्गत माह में दो बार अनुबंधित चिकित्सों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।
4	विशेष कोचिंग योजना	छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं को विशेष कोचिंग योजना अंतर्गत कठिन विषयों - यथा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है,
5	खाद्यान्न सुरक्षा योजना	विभाग द्वारा संचालित छात्रावास-आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दर 6.25 रूपये प्रति किलो पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र - "स"

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि की जानकारी

अनुसूचित जनजाति

समूह	वर्ष 2003 के पूर्व देय छात्रवृत्ति की राशि (प्रतिमाह)		वर्ष 2003 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिमाह)		वर्ष 2010 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिमाह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
I	425	190	740	330	1200	550
II	290	190	510	330	820	530
III	230	120	355	185	570	300
IV	150	90	235	140	380	230

अनुसूचित जाति

समूह	वर्ष 2003 के पूर्व देय छात्रवृत्ति की राशि (प्रतिमाह)		वर्ष 2003 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिमाह)		वर्ष 2010 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिमाह)		वर्ष 2020 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिवर्ष)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
I	425	190	740	330	1200	550	13500	7000
II	290	190	510	330	820	530	9500	6500
III	230	120	355	185	570	300	6000	3000
IV	150	90	235	140	380	230	4000	2500

अन्य पिछड़ा वर्ग

वर्ष 1988-89 से देय छात्रवृत्ति की राशि

समूह	(प्रति माह)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ - मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.बी.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ- डिप्लोमा कोर्सस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ- सर्टिफिकेट कोर्सस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	100	110	55	70
ई- सर्टिफिकेट कोर्सस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स- कक्षा - 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा - 12 वीं		100	110	55	70

समूह	वर्ष 2021 में छात्रवृत्ति दर में वृद्धि की गई राशि (प्रतिवर्ष)
	छात्रावासी/गैर छात्रावासी
I	10000
II	8000
III	6000
IV	5000

Handwritten Signature
 अनुभाष अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

“प्रपत्र-अ”

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जनजाति)

- आय-सीमा- पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रु. 2.50 लाख तक वार्षिक हो।
- छात्रवृत्ति की दरें :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
<p>समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियाँ) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान।</p> <p>(ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम</p> <p>(iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p> <p>(iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम</p> <p>(v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि</p> <p>(vi) एल.एल.एम.</p>	1200	550
<p>समूह-2- (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे- रिहायबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्प्यूनिकेशन, ट्रवेल/टूरिज्म/ हॉस्पिटालिटी प्रबंधन, आंतरिक साज- सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे- बैंकिंग, इन्शूरेन्स इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो।</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि</p>	820	530
<p>समूह -4 - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। सीनियर सेकण्डरी प्रमाण पत्र (कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं) सामान्य एवं व्यावसायिक शाखा, आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p>	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति)

- आय-सीमा- पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रू. 2.50 लाख तक वार्षिक हो।
- छात्रवृत्ति की दरें :-

समूह	वार्षिक (रूपये में)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
<u>समूह-1-</u> (i)डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	13500	7000
<u>समूह-2-</u> स्नातक , डिप्लोमा, तथा प्रमाण पत्र स्तरीय अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।	9500	6500
<u>समूह -4</u> - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम (कक्षा 10वीं से बाद के स्तर के)	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग)

- आय-सीमा- पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रू. 2.50 लाख तक वार्षिक हो।
- छात्रवृत्ति की दरें :-

समूह	वार्षिक (रूपये में)		
	शैक्षणिक भत्ता	ट्यूशन फीस	कुल
<u>समूह-1-</u> (i)डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	10000	10000	20000
<u>समूह-2-</u> स्नातक , डिप्लोमा, तथा प्रमाण पत्र स्तरीय अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।	8000	5000	13000
<u>समूह -4</u> - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम (कक्षा 10वीं से बाद के स्तर के)	5000	0	5000


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

“प्रपत्र-ब”पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जनजाति)

➤ प्रतिमाह की दर पर :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
<p>समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान।</p> <p>(ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम</p> <p>(iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p> <p>(iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम</p> <p>(v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि</p> <p>(vi) एल.एल.एम.</p>	1200	550
<p>समूह-2- (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे- रिहायबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्प्यूनिकेशन, ट्रवेल/टूरिज्म/ हॉस्पिटालिटी प्रबंधन, आंतरिक साज- सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे- बैंकिंग, इन्शुरेन्स इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो।</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि</p>	820	530
<p>समूह -4 - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। सीनियर सेकण्डरी प्रमाण पत्र (कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं) सामान्य एवं व्यावसायिक शाखा, आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p>	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति)


➤ वार्षिक दर पर :-

समूह	वार्षिक (रूपये में)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
<u>समूह-1-</u> (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	13500	7000
<u>समूह-2-</u> स्नातक , डिप्लोमा, तथा प्रमाण पत्र स्तरीय अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।	9500	6500
<u>समूह -4</u> - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम (कक्षा 10वीं से बाद के स्तर के)	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग)

➤ वार्षिक दर पर :-

समूह	वार्षिक (रूपये में)		
	शैक्षणिक भत्ता	ट्यूशन फीस	कुल
<u>समूह-1-</u> (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	10000	10000	20000
<u>समूह-2-</u> स्नातक , डिप्लोमा, तथा प्रमाण पत्र स्तरीय अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।	8000	5000	13000
<u>समूह -4</u> - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम (कक्षा 10वीं से बाद के स्तर के)	5000	0	5000


 अनुभाग-अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पाराशेष्ट - छः
तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 648) की जानकारी

प्रपत्र

तहसील जैजैपुर अंतर्गत किसानों को रबी
फसल क्षति की मुआवजा राशि की जानकारी

ग्रामों का नाम
अरसिया, जैजैपुर, खजुरानी, ठठारी, मुरलीडीह, टुठी, बहेराडीह, कोटेतरा, कलमीडीह, मलनी, शिकारीनार, छिराडीह, हरदीडीह, भोथीडीह, रींवाडीह, सलनी, गलगलाडीह, तुषार, सेमराडीह, मुरलीडीह, टूठी, धौराभांठा, झालरौंदा, नंदेली, भोथिया, अकलसरा, खम्हरिया, केंकराभाठ, आमाकोनी, खैरझिटी, भातमाहुल, कुटराबोड़, ओड़केरा, हरेठीकला, करमनडीह, मलनी, बेलादुला, कचंदा, कांशीगढ, मुक्ता, परसाडीह, करौवाडीह, धनुहारपारा, डोंगिया, सेंदुरस, खम्हारडीह, बर्रा, चिखलरौंदा, लोहराकोट, बहेराडीह, तुमीडीह, बरदुली, जुनवानी

परोशिष्ट - सात
तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 15) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	शिकायत दिनांक	प्रकरण क्रमांक	वेदखली आदेश दिनांक	अन्य वस्तुस्थिति
01	बलौदा	बछौद	29.10.2021	20210060500010	18.02.2022	प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 विलासपुर के प्र.क. डब्ल्यू.पी. पं. 2070/2022 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2022 के परिपालन में येजा कब्जा हटाने की कार्यवाही अगामी आदेश तक स्थगित।
02	बलौदा	औंराइंकला	18.07.2022	202210060500066	जारी नहीं	न्यायालय में विचाराधीन है
03	बलौदा	बिरगहनी	09.06.2022	20220603700027	जारी नहीं	अनावेदक के लिए स्थगन आदेश दिनांक 14.07.2022 को जारी किया गया। स्थगन आदेश जारी करने पर अनावेदक स्वतः ही अपना कब्जा हटा लिया है। अतः वेदखली आदेश जारी नहीं किया गया।
04	अकलतरा	हरदी	24.02.2022	202202060600139	जारी नहीं	आदेश हेतु।
05	अकलतरा	हरदी	17.06.2022	202206060600088	जारी नहीं	अनावेदक के जवाब हेतु
06	अकलतरा	हरदी	06.06.2022	202206060600036	जारी नहीं	अनावेदक के जवाब हेतु
07	अकलतरा	नरियरा	02.06.2022	202206060600015	जारी नहीं	आदेश हेतु।
08	अकलतरा	नरियरा	10.03.2022	202203060600069	जारी नहीं	अनावेदक के जवाब हेतु।
09	अकलतरा	किरारी	14.11.2022	202211060600060	जारी नहीं	अनावेदक के जवाब हेतु।
10	अकलतरा	पकरिया झू	12.08.2022	202208064100066	जारी नहीं	राजस्व निरीक्षक के स्पष्ट प्रतिवेदन हेतु।
11	अकलतरा	लटिया	28.12.2021	202112064100034	जारी नहीं	वेदखली आदेश हेतु।

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)


अपर कलेक्टर
जीजगीर-चांपा (छ.ग.)

परोशिष्ट - आठ
तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 683) की जानकारी

प्रपत्र

अधीक्षक, भू-अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद की जानकारी माह दिसम्बर 2022 की स्थिति में

क्र.	जिला	अधीक्षक, भू-अभिलेख				सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	
		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिक्तता अवधि की जानकारी	स्वीकृत पद	भरे पद
1	रायपुर	6	—	6	वर्ष 2017 से	13	13
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	2	—	2	वर्ष 2012 से	4	2
3	गरियाबंद	1	—	1	वर्ष 2012 से	4	4
4	धमतरी	3	—	3	वर्ष 2018 से	4	3
5	महासमुद	3	—	3	वर्ष 2018 से	4	3
6	दुर्ग	4	2	2	वर्ष 2005 एवं 2016 से	8	6
7	बालोद	2	—	2	वर्ष 2016 से	4	1
8	बेमेतरा	2	—	2	वर्ष 2014 से	4	3
9	राजनांदगांव	4	—	4	वर्ष 2014 से	6	6
10	कबीरधाम	3	1	2	वर्ष 2015 से	4	3
11	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	1	—	1	वर्ष 2022 से	2	2
12	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	1	—	1	वर्ष 2022 से	2	2
13	बस्तर	3	—	3	वर्ष 2018 से	9	7
14	कोण्डागांव	1	—	1	वर्ष 2012 से	4	3
15	उत्तर बस्तर कांकेर	3	1	2	वर्ष 2020 से	4	3
16	नारायणपुर	3	—	3	वर्ष 2007 से	3	1
17	दक्षिण बस्तर दतेवाड़ा	3	—	3	वर्ष 2015 से	4	4
18	सुकमा	1	—	1	वर्ष 2012 से	3	2
19	बीजापुर	3	—	3	वर्ष 2016 से	3	2
20	बिलासपुर	4	1	3	वर्ष 2005 से	8	8
21	मुंगेली	2	—	2	वर्ष 2000 से	3	1
22	कोरबा	3	—	3	वर्ष 2016 से	5	8
23	रायगढ़	3	—	3	वर्ष 2015 से	5	4
24	जांजगीर-चांपा	3	—	3	वर्ष 2015 से	4	3
25	गौरिला-पेण्ड्रा-मरवाही	1	—	1	वर्ष 2020 से	2	3
26	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1	—	1	वर्ष 2022 से	2	—
27	सक्ती	1	—	1	वर्ष 2022 से	2	2
28	सरगुजा	3	—	3	वर्ष 2017 से	9	9
29	सूरजपुर	1	—	1	वर्ष 2017 से	4	5
30	बलरामपुर-रामानुजगंज	1	—	1	वर्ष 2020 से	3	1
31	जशपुर	3	—	3	वर्ष 2012 से	4	2
32	कोरिया	3	—	3	वर्ष 2018 से	3	1
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	1	—	1	वर्ष 2022 से	2	4
34	मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर	2	—	2	वर्ष 2013 से	3	—
35	उप आयुक्त भू-अभिलेख रायपुर	—	—	—	—	1	1
36	उप आयुक्त भू-अभिलेख बिलासपुर	—	—	—	—	1	1
37	प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला बिलासपुर	4	—	4	वर्ष 2014 से	—	—
	योग :-	85	5	80	—	150	123


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पॉरॉशेष्ट - नॉ
तारॉकेत प्रश्न संख्या 23 (क्र. 495) की जानकारी

प्रपत्र - अ

जिला कबीरधाम अंतर्गत अहाता विहीन शालाओं की
विकासखण्डवार जानकारी

क.	विकास खण्ड का नाम	शाला का स्तर	आहाता विहीन
1	कवर्धा	प्राथमिक	86
		पूर्व माध्यमिक	23
		हाईस्कूल	5
		हायर सेकेण्डरी	3
2	बोडला	प्राथमिक	102
		पूर्व माध्यमिक	56
		हाईस्कूल	7
		हायर सेकेण्डरी	6
3	स.लोहारा	प्राथमिक	75
		पूर्व माध्यमिक	15
		हाईस्कूल	4
		हायर सेकेण्डरी	2
4	पंडरिया	प्राथमिक	162
		पूर्व माध्यमिक	76
		हाईस्कूल	8
		हायर सेकेण्डरी	6


सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

प्रपत्र-ब

जिला कबीरधाम अंतर्गत शालाओं में जर्जर(मरम्मत योग्य) शौचालयों की विकासखण्डवार जानकारी

क.	विकास खण्ड का नाम	शाला का स्तर	बालक शौचालय	बालिका शौचालय
1	कवर्धा	प्राथमिक	89	66
		पूर्व माध्यमिक	15	17
		हाईस्कूल	3	2
		हायर सेकेण्डरी	2	2
2	बोडला	प्राथमिक	112	111
		पूर्व माध्यमिक	32	29
		हाईस्कूल	8	3
		हायर सेकेण्डरी	2	3
3	स.लोहारा	प्राथमिक	80	56
		पूर्व माध्यमिक	25	18
		हाईस्कूल	5	0
		हायर सेकेण्डरी	2	2
4	पंढरिया	प्राथमिक	135	120
		पूर्व माध्यमिक	65	46
		हाईस्कूल	8	5
		हायर सेकेण्डरी	6	3


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नया रायपुर

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशेष - दस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 507) की जानकारी

पृष्ठ

अविभाजित जिला राजनांदगांव में 2019-20 से नवम्बर 2022 तक बंद प्राइवेट स्कूल, उनमें अध्ययनरत् आर.टी.ई के
टी.ई.के गरीब बच्चों के अन्य स्कूलों में प्रवेश संबंधी जानकारी

स.क्र.	सत्र	अविभाजित जिला राजनांदगांव में 2019-20 से लेकर नवम्बर 2022 तक बंद हुए प्राइवेट स्कूलों के नाम	बंद प्राइवेट स्कूलों में अध्ययनरत् आर.टी.ई के गरीब बच्चों को जिन स्कूलों में प्रवेश दिया गया उनके नाम
1	2	3	4
1	2019-20	चंद्रा पब्लिक स्कूल लखोली	शा.प्राथ.शा.लखोली ग्राम
2		अस्तित्व विद्या मंदिररेंगाकठेरा	शा.प्राथ.शा.रेंगाकठेरा
3		आदर्श विद्या मंदिर कन्हारपुरी	प्रा.शा. कन्हारपुरी
4		नीता पब्लिक स्कूल उमरवाही	प्रा.शा. चिचोला
5		सरस्वती शिशु मंदिर चिचोला	प्रा.शाला जीराटोला
6		भारती पब्लिक स्कूल उमरवाही	प्रा.शाला मानपुर
7		माँ कर्मा विद्या मंदिर पेण्डरवानी	माध्य.शाला मानपुर
8		रविन्द्रनाथ टैगोर उ.मा.वि.उदयपुर	माध्य.शाला जीराटोला
9		सरस्वती शिशु मंदिर तारमटोला	प्रा.शाला गुमानपुर
10		गांधी विद्या मंदिर/उ0मा0शा0चौकी	प्रा.शाला ठंढार
11	2020-21	रमा विद्यालय किलापारा	माध्य.शाला चकनार
12		बलराम दास तुलसीपुर	प्रा.शाला चकनार
13		ग्रीन फिल्ड सी.आई.टी.	हा.से.उदयपुर
14		श्री देवानंद जैन हायर सेकेण्डरी ग्रांटेड राजनांदगांव	प्रा.शा.आमाघाट कादा
15		चंद्रा पब्लिक स्कूल महाराजपुर	प्रा.शा.खैरी
16		रविन्द्रनाथ टैगोर खैरा नर्मदा	प्रा.शा.कुटेलीखुर्द
17		सरस्वती शिशु मंदिर किरगी	अवंती पब्लिक स्कूल उदयपुर
18		इंडियन पब्लिक स्कूल बड़भूम	प्रा.शा.कोडेमरा
19		अजीज इंग्लिश मिडियम स्कूल खैरागढ़	मा.शा.मोतीपुर
20		सरस्वती शिशु मंदिर बिचारपुर	प्रा.शा. अं चौकी
21		समता शिशु मंदिर बिहरीकला	शास.नवीन शाला वार्ड नं. 14
22		आर्यन गुरुकुल वासड़ी	शास.प्रा.शाला मोगरा
23		अनंत पब्लिक स्कूल खोभा	शास.प्रा.शाला बिहरीकला
24		सरस्वती शिशु मंदिर घोठिया	शास.प्रा.शाला परसाटोला
25		अजीज इंग्लिश मिडियम स्कूल छुरिया	शास.प्रा.शाला कान्हे
26		भारती पब्लिक स्कूल शिकारीमहका	शास.प्रा.शाला भनसुला

1	2	3	4
27	2020-21	दिशा पब्लिक स्कूल साल्हे	मा.शाला मोगरा
28	2021-22 से नवंबर 2022 तक	अंकुर प्राथमिक शाला भेड़ीकला	बालक मा.शा.चौकी
29		सरस्वती शिशु मंदिर मासूल	कन्या मा.शा.चौकी
30		संस्कार विद्या मंदिर शंकरपुर	मा.शा.बिहरीकली
31		साईं पब्लिक स्कूल लखोली	उ.मा.शाला बालक चौकी
32		मां अम्बे स्कूल लिटिया	उ.मा.शाला कन्या चौकी
33		शिव ज्ञान मंदिर डोम्हाटोला	गायत्री वि.पी.चौकी
34		संस्कार विद्या मंदिर ठाकुरटोला	संस्कार उ.मा.शाला चौकी
35		किशोर पब्लिक स्कूल सुकुलदैहान	अभिनव पब्लिक स्कूल चौकी
36		हिन्दू पब्लिक स्कूल घुमका	प्रा.शा. सदरबाजार
37		क्रिमशन पब्लिक स्कूल टेडेसरा.	प्रा.शा. नंदई
38		लोटस पब्लिक स्कूल सिंघोला	शास. प्रा.शा.. तुलसीपुर
39		रॉयल पब्लिक स्कूल जगमड़वा	शास. प्रा.शा. पार्रीकला
40		अवंती पब्लिक स्कूल पैलीमेटा	भारत माता हिन्दू स्कूल मोतीपुर
41		सरस्वती शिशु मंदिर पदमावतीपुर	नीरज पैरेण्ड्स प्राईड बल्देवबाग
42		रानी अवंती स्कूल कोर्राय	श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल संगम चौक तुलसीपुर
43		ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल गंडई	बाल भारती पब्लिक स्कूल राजनांदगांव
44		सम्राट अशोक उ.मा.वि. रामतराई	शास. प्रा.शा. महाराजपुर
45		ज्ञानोदय विद्या मंदिर चारभाठा कु.	हा.से.अतरिया रोड
46		गाईड एण्ड गार्जियन जोशीलमती	प्रा.शाला खैरबना
47		नील हंस पब्लिक स्कूल खैरागढ़	प्रा.शाला जीराटोला
48		सरस्वती शिशु मंदिर सरखेड़ा	प्रा.शाला मानपुर
49		आशादीप पब्लिक स्कूल कुटेलीखुर्द	माध्य.शाला मानपुर
50		सरस्वती शिशु मंदिर खौड़ा	माध्य.शाला जीराटोला
51		अवंती विद्या मंदिर झूरानदी	प्रा.शाला गुमानपुर
52			प्रा.शाला ठंढार
53			माध्य.शाला चकनार
54			प्रा.शाला चकनार
55			पू.मा.शा. किरगी
56			प्रा.शा. किरगी
57			प्रा.शा. रीवागहन
58			शास. प्राथ. शाला बड़भूम
59			शास. प्राथ. शाला गुंडरदेही
60			शास. प्राथ. शाला जोधरा
61			शास. प्राथ. शाला गिदरी
62			खैरागढ़ इंग्लिश मिडियम स्कूल खैरागढ़
63			शास.प्राथ.शाला कमांक 01 खैरागढ़

1	2	3	4
64			शास.प्रा.शाला.बिचारपुर
65			शास.प्रा.शाला.ठाकुरबांधा
66			शास.प्रा.शाला.मुडपार
67			प्रा.शा.बागनारा
68			प्रा.शा.बिहरीकला
69			मा.शा.मुडपार
70			शास. प्रा.शा. भेड़ीकला
71			शास. प्रा.शा. मासूल
72			शास. प्रा.शा. शंकरपुर
73			शास. पूर्व.माध्य.शाला शंकरपुर
74			शताब्दी शाला शंकरपुर
75			शास. प्रा.शा.बा.लखोली
76			शास. प्रा.शा. कन्या लखोली
77			शास. प्रा.शा. लिटिया
78			शास. प्रा.शा. बापूटोला
79			प्रा.शा. डोम्हाटोला
80			प्रा.शा. ठाकुरटोला
81			शास. प्रा.शा. सुकुदैहान
82			प्रा.शा. घुमका
83			प्रा.शा. टेडेसरा
84			शास. प्रा.शा. सिंघोला
85			प्रा.शा. खोघा
86			प्रा.शा. जगमड़वा
87			मा.शा. जगमड़वा
88			प्रा.शा. पैलीमेटा
89			प्रा.शा. मगरकुण्ड
90			प्रा.शा. भदेरा
91			प्रा.शा. पदमावतीपुर
92			प्रा.शा. पुरैना
93			प्रा.शा. कोर्राय
94			पा.शा. गभरा
95			प्रा.शा. साखा
96			प्रा.शा. भुरभुसी गण्डई
97			सॉई एजुकेशन एकेडमी कोपेभाठा गण्डई
98			स्वामी आत्मानंद गण्डई
99			प्रा.शा. चारभाठा कु.
100			प्रा.शा. खैरागढ़
101			प्रा.शा. सरखेड़ा

1	2	3	4
102			आंगनबाड़ी केन्द्र खौड़ा
103			प्रा.शा. खौड़ा
104			प्रा.शा. झुरानदी
105			सरस्वती शिशु मंदिर छुईखदान
106			मा.शा. झुरानदी
107			हा.से. झुरानदी

अनुभव अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

पारोशिए - ग्यारह
पारोशिएत अतारांकेत प्रश्न संख्या 8 (क्र. 514) को जानकारी

i i =

वित्त निर्देश 53/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 396/सी-27655/वित्त/नियम/चार/2011

रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-शासकीय सेवकों की बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में जाने पर प्रतिनियुक्ति विशेष वेतन।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 11/1186/वित्त/नियम/चार/2003 दिनांक 07.01.2004

संदर्भित ज्ञापन में निहित निर्देशानुसार शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में नियोजन पर जाने पर वर्तमान में मुख्यालय परिवर्तन न होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत अधिकतम रूपये 400 प्रतिमाह की सीमा के अधीन वेतन का 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से और मुख्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में रूपये 600 प्रतिमाह की सीमा के अधीन 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता देय है।

2/ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत स्वीकृत वेतनमानों के संदर्भ में राज्य शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों को, मुख्यालय परिवर्तन न होने की स्थिति में उनके प्रतिनियुक्ति पद के ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत के समान और मुख्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पद के ग्रेड वेतन के 40 प्रतिशत के समान प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार किया जाये।

3/ राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों के बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पद पर पदस्थापना अवधि में प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान हेतु विकल्प देने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाये।

4/ जिन मामलों में शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहने की निर्धारित अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की जाती है, तो भले ही यह वृद्धि समन्वय में आदेश प्राप्त कर की गई हो, 4 वर्ष की

4

:

1:

2

3


4

N

अवधि के पश्चात् बढ़ाई गई किसी भी प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता की पात्रता न होने संबंधी वर्तमान व्यवस्था यथावत् रहेगी।

- 5/ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता की नई दरें दिनांक 1.12.2011 से लागू होगी। यदि उक्त तिथि के पूर्व किसी शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के आधार पर प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा विकल्प के आधार पर प्रतिनियुक्ति पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है तो ऐसी स्वीकृति आदेश निरस्त मानी जावेगी तथा उन्हें पूर्व वेतनमान के आधार पर प्रतिनियुक्ति भत्ता की पात्रता होगी। यदि इसके फलस्वरूप अधिक भुगतान हुआ है तो वह वसूली योग्य होगी।


अनुभाग अधिवक्ता
स्कूल शिक्षा विभाग
बनारस, रायपुर


(एस.के. चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 397/सी-27655/वित्त/नियम/चार/2011

रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

A
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

Ravinder
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

पारिशेष - बारह

पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 614) की जानकारी

पुपत्र-क

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से नवंबर 2022 तक आदिवासियों को भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित सूची

क्र.	ग्राम	तहसील	दी गई अनुमति (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	विक्रय पश्चात शेष भूमि हेक्टे. में
1	2	3	4	5	6	7
1	छातापुरा	पुसौर	0.433	हरन सिंह गौड़	राकेश अग्रवाल आ० देवी प्रसाद	3.957
2	दरोगामुड़ा	रायगढ़	0.640	सतराम राठिया आ० सुबरन राठिया	नितिन गोयल आ० महेन्द्र गोयल	2.064
3	कछार	रायगढ़	0.178	विचित्र राम राठिया आ० नत्थूराम	सालिक राम साव	2.873
4	छोटे अतरमुड़ा	रायगढ़	0.250	लखन खड़िया आ० बालक खड़िया	नवल कुमार अग्रवाल आ० प्रहलाद राय	0.096
5	सहदेवपाली	पुसौर	0.747	नकुल प्रसाद सिदार आ० हरिशंकर	आशीष गोयल आ० हरिकिशन	2.031
6	बोईरवादर	रायगढ़	1.900	सूर्यकान्त सिंह गोड़ आ० सुकुल सिंह	अनिल गोयल आ० नत्थूलाल	2.217
7	गोवर्धनपुर	रायगढ़	1.776	लक्ष्मण सिदार आ० हरिराम सिदार	पंकज अग्रवाल आ० प्रहलाद राय	1.197
8	किसनापुर	रायगढ़	1.822	धीरज मण्जवी आ० कन्हैया मण्जवी	पावन अग्रवाल आ० विजय कुमार	3.087
9	बड़माल	पुसौर	0.445	नेहरु लकड़ा आ० पंटे लकड़ा	प्ररित अग्रवाल आ० विजय कुमार	2.374
10	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.113	प्रेमलाल खड़िया आ० मंगलू खड़िया	नवल अग्रवाल आ० प्रहलाद राय	0.587
11	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.310	तिहारू खड़िया आ० घासीराम खड़िया	भजन लाल चावला आ० किशनलाल	3.5
12	भगवानपुर	रायगढ़	0.065	दामोदर सिदार आ० फकीर सिदार	अनिता अग्रवाल पति कमल अग्रवाल	2.14
13	बड़े रामपुर	रायगढ़	0.018	श्रीमती केशर पिस्ता पति कृष्णाराम	हेमलता अग्रवाल पति विष्णु प्रसाद	0.045
14	उदना	रायगढ़	1.346	सायनाथ सिदार आ० मंगरूराम सिदार	विनोद अग्रवाल आ० महाबीर प्रसाद वगैरह	2.143
15	भगवानपुर, खैरपुर, जगतपुर	रायगढ़	0.927	सायनाथ सिदार आ० मंगरूराम सिदार	श्वेता अग्रवाल पति विनोद अग्रवाल वगैरह	2.143
16	दरोगामुड़ा	रायगढ़	0.069	शिशुपाल सिंह आ० मिठूसिंह	दशरथ अग्रवाल आ० मूलचंद अग्रवाल	2.655
17	दरोगामुड़ा	रायगढ़	0.020	रमेश भगत आ० चैतराम भगत	भुवन लाल पटेल आ० लाल कुमार पटेल	2.429
18	गुड़गहन	पुसौर	1.113	रोशन सिदार आ० मदन सिदार वगैरह	अंकित अग्रवाल आ० राजेश अग्रवाल	1.016

19	अमलीभौना	रायगढ़	1.821	बरनसिंह आ0 बूढ़ा सिंह व 01 अन्य	नितीन सिंघल आ0 जगदीश सिंघल	7.653
20	जगतपुर	रायगढ़	0.323	नेहरू लकड़ा आ0 पट्टे लकड़ा	इन्द्रपाल सिंह भाटिया आ0 हरवंश सिंह	3.004
21	उर्दना	रायगढ़	0.271	नेहरू लकड़ा आ0 पट्टे लकड़ा	इन्द्रपाल सिंह भाटिया आ0 हरवंश सिंह	3.004
22	धनागर	रायगढ़	0.540	नेहरू लकड़ा आ0 पट्टे लकड़ा	इन्द्रपाल सिंह भाटिया आ0 हरवंश सिंह	3.004
23	कोसमनारा	रायगढ़	0.753	नेहरू लकड़ा आ0 पट्टे लकड़ा	इन्द्रपाल सिंह भाटिया आ0 हरवंश सिंह	3.004
24	गेरवानी	रायगढ़	1.822	घांसीराम उरांव आ0 मोहित लाल	सुशील कुमार आ0 शिव कुमार अग्रवाल	2.426
25	गेरवानी	रायगढ़	1.822	घांसीराम उरांव आ0 मोहित लाल	दिवंकल अग्रवाल पति सुशील कुमार	2.426
26	गेरवानी	रायगढ़	1.232	दादुलाल उरांव आ0 मुखी उरांव	आर्यन अग्रवाल आ0 सुशील कुमार	1.859
27	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.030	धरम सिंह आ0 खोलबहरा	पदमन कुमार पटेल आ0 अमृत लाल	2.134
28	गुड़गहन	पुसौर	0.403	टेनेराम आ0 गोदल वगैरह	मयंक अग्रवाल आ0 राजेश अग्रवाल	3.034
29	गुड़गहन	पुसौर	1.113	बलदेव सिदार आ0 दानीराम व 01 अन्य		1.526
30	अमलीभौना	रायगढ़	0.770	खीरसागर नेताम आ0 गंगा प्रसाद नेताम	पवन कुमार शर्मा आ0 विमल कुमार शर्मा	2.905
31	गढ़उमरिया	पुसौर	0.409	बरतराम सिदार आ0 जगताराम सिदार	पवन गुप्ता एवं नुकुन्द गुप्ता	2.266
32	किसनापुर	रायगढ़	1.792	अनिल एकका आ0 रूबेन एकका	रेणु अग्रवाल पति भारत अग्रवाल	2.000
33	अमलीभौना	रायगढ़	0.396	शौकीलाल आ0 शीतल सिंह	रंजीत सिंह तथा जगदीप सिंह भाटिया	2.322
34	अमलीभौना	रायगढ़	0.419	सुरेन्द्र सिंह आ0 हृदय सिंह	रंजीत सिंह तथा जगदीप सिंह भाटिया	2.220
35	अमलीभौना	रायगढ़	0.420	शोभा सिंह आ0 हृदय सिंह	रंजीत सिंह तथा जगदीप सिंह भाटिया	2.220
36	गेरवानी	रायगढ़	1.874	ओंकार सिंह सिदार आ0 करम सिंह वगै.	राकेश अग्रवाल आ0 देवी प्रसाद	2.866
37	गेरवानी	रायगढ़	1.874	विक्रम सिंग सिदार आ0 चन्द्र सिंग सिदार	एम.आर. इस्पात एण्ड पावर प्रा.लि. डायरेक्टर राकेश अग्रवाल	3.059
38	अमलीभौना	रायगढ़	0.526	राजकुमारी आ0 बरनसिंह ठाकुर	दीपक सिंघल आ0 जगदीश प्रसाद	2.110
39	अमलीभौना	रायगढ़	1.540	बरनसिंह आ0 बूढ़ा सिंह	दीपक सिंघल आ0 जगदीश प्रसाद	5.698
40	अमलीभौना	रायगढ़	1.177	पुनाराम गोंड आ0 फागुराम गोंड	राजेश कुमार, मुकेश कुमार आ0 रामनिवास	6.500
41	भगवानपुर	रायगढ़	0.061	लम्बोदर सिदार आ0 संतराम	सुशील कुमार आ0 रामदास अग्रवाल	3.060
42	भगवानपुर	रायगढ़	1.238	लम्बोदर सिदार आ0 संतराम	हिलब्रो मेटलिक्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड डायरेक्टर सुशील कुमार	3.060
43	रामपुर बड़े	रायगढ़	1.885	श्रीमती कमला गोंड पति विजय बहादुर	अनिल कंडिया आ0 नरसिंह लाल	7.890

44	रामपुर बड़े	रायगढ़	0.863	श्रीमती मजू गौड़ पति विरेन्द्र कुमार गौड़	मृत्युंजय सिंह आ0 योगेन्द्र सिंह	9.302
45	बोईरडीह	पुसौर	1.037	मुन्ना साय आ0 मोहर साय वगैरह	डॉ. प्रियंका सक्सेना पति डॉ. प्रशांत	1.822
46	रामपुर बड़े	रायगढ़	0.553	जेटू बाग आ0 रामसिंह बाग	रायगढ़ इंटरप्राइजेज की ओर से पार्टनर भरत अग्रवाल आ0 किशनलाल	2.153
47	देलारी	रायगढ़	1.228	घांसीराम उरांव आ0 मोहित लाल	रायगढ़ इस्पात एण्ड प्रा.लि. डायरेक्टर कमल किशोर अग्रवाल	5.778
48	देलारी	रायगढ़	0.809	श्रीमती चमेली सिदार पति भानुप्रताप	सुभाष वापोंडिया आ0 भगवानदास	2.221
49	तड़ोला	पुसौर	0.219	नत्थूराम खड़िया आ0 भूपदेव खड़िया	महाबीर साव आ0 लक्ष्मण साव	1.213
50	गेरवानी	रायगढ़	1.900	मनीराम आ0 चैतराम उरांव	संजय अग्रवाल आ0 जगदीश प्रसाद	4.202
51	शिवपुरी	रायगढ़	1.162	पाडय हनहगा आ0 मानिक मुंडा	मेसर्स एन.आर. आयरन एण्ड पॉवर प्रा.लि. डायरेक्टर अंकित अग्रवाल	2.319
52	शिवपुरी	रायगढ़	1.950	विनोद टुडू आ0 मंगल टुडू	मेसर्स एन.आर. आयरन एण्ड पॉवर प्रा.लि. डायरेक्टर अंकित अग्रवाल	3.442
53	शिवपुरी	रायगढ़	1.745	कमल बुटिया आ0 वेगुन	मेसर्स एन.आर. आयरन एण्ड पॉवर प्रा.लि. डायरेक्टर अंकित अग्रवाल	2.003
54	अमलीभौना	रायगढ़	0.517	धरमदेव सिंह सिदार आ0 रंजीत सिदार	हर्षिनी बंसल पति नवीन बंसल तथा मृत्युंजय सिंह	2.671
55	अमलीभौना	रायगढ़	0.231	खीरसागर नेताम आ0 गंगा प्रसाद नेताम	सतीश कुमार अग्रवाल आ0 रामकुमार	2.905
56	चिराईपानी	रायगढ़	0.809	जीतन राम राठिया आ0 पुनीराम राठिया	गोपाल अग्रवाल आ0 पवन अग्रवाल	1.688
57	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.024	चमरा राम आ0 गनपत सिदार	मनोज कुमार चौधरी आ0 बालेश्वर	4.511
58	सबलपुरी	रायगढ़	0.809	श्रीमती मजिला एक्का पति संतोष कुमार	ज्योत्सना पति नरेन्द्र जायसवाल	4.962
59	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.053	वल्लभ आ0 जाहितराम	महेशराम पटेल आ0 शिवप्रसाद	0.113
60	उर्दना	रायगढ़	0.655	हरिशंकर संवरा आ0 नारद संवरा	नरेन्द्र जुनेजा आ0 किशन लाल	2.555
61	अमलीभौना	रायगढ़	0.658	गणेश कुमार सिदार आ0 दानी सिंह	सीमा पटेल पति संदीप पटेल	3.670
62	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.174	हरिचरण सिदार आ0 जगमोहन सिदार	सुनील कुमार पटेल आ0 रामधन पटेल	11.800
63	अमलीभौना	रायगढ़	0.851	भीम संवरा आ0 जगन्मथीया संवरा	राजेश कुमार अग्रवाल तथा मुकेश अग्रवाल	2.126
64	डूमरमुड़ा	पुसौर	1.914	धनीराम उरांव आ0 समारू राम	अखिल पंसारी आ0 जगदीश पंसारी	2.156
65	डूमरमुड़ा	पुसौर	0.356	धनीराम उरांव आ0 समारू राम	मोहम्मद फारूख आ. मो. इसराईल	2.156

66	बड़े रामपुर	रायगढ़	0.208	मोहर सिंह कंवर आ0 रामसिंह कंवर	कृष्णा रातौर आ0 बाबूलाल रातौर	2.739
67	गोपालपुर	रायगढ़	0.081	जयराम कंवर आ0 पूरन कंवर	विमल चौहान आ0 हिरण साय	2.163
68	दरोगामुड़ा	रायगढ़	0.022	टीकाराम राठिया आ0 मनबहाल सिंह	सुलोचना साव पति ज्योति कुमार	7.399
69	बोईरदादर	रायगढ़	0.405	दीपक एवका आ0 रफेल एवका	नीरज अग्रवाल आ. रामअवतार	2.215
70	अमलीभौना	रायगढ़	0.968	श्रीमती गंगेश्वरी माझी पति वलम माझी	रितेश गोयल, कन्हैया चरण, हलधर एवं नवीन पटेल	2.919
71	पाली	रायगढ़	0.894	गुहाराम सिदार आ0 इतवार सिंह	राकेश पाण्डेय आ0 मुरलीधर	7.584
72	उर्दना	रायगढ़	0.028	अनुज टोप्पो आ0 बुधराम टोप्पो	बाल कुमार चौधरी आ0 हेम प्रसाद	1.610
73	गोरवानी	रायगढ़	1.900	भीखम सिंह सिदार आ0 चंद्रसिंह	सलासर स्टील एण्ड पॉवर लि. डायरेक्टर अजय अग्रवाल	10.418
74	झारमुड़ा	पुसौर	1.475	आनंद राम सिदार आ0 रजमत सिदार	राजन्तर सिंह आजमानी	2.126
75	झारमुड़ा	पुसौर	1.800	हरिशंकर भोय आ0 नारद भोय	फुलमती पटेल	2.822
76	कुसवाबहरी	रायगढ़	1.900	सिकंदर पिंगुआ आ0 जुण्डिका पिंगुआ	शुभ मेटेलिक प्रा0लि0	6.543
77	कुसवाबहरी	रायगढ़	1.900	कमल उरांव आ0 होम उरांव	प्रतीश कुमार आ0 हरिकिशन	3.520
78	कुसवाबहरी	रायगढ़	1.506	रजित लकड़ा आ0 इगनूस	श्रीमती मीरा पति आशीष कुमार	3.276
79	कुसवाबहरी	रायगढ़	0.760	बुधन सिंह आ0 मोतीराम मुण्डा	मीरा पति आशीष कुमार	2.125
80	कुसवाबहरी	रायगढ़	1.328	सिकुर तुबीड़ आ0 मंगल सिंह	प्रतीश कुमार आ0 हरिकिशन	2.152
81	कुसवाबहरी	रायगढ़	1.900	मोतीराम पिंगुआ आ0 विष्णु पिंगुआ	शुभ मेटेलिक प्रा.लि. डायरेक्टर आशीष गोयल	2.196
82	कुसवाबहरी	रायगढ़	0.563	हिजकेल सुरीन आ0 हाबिल सुरीन	विशाल अग्रवाल आ0 छेदीलाल	4.266
83	कुसवाबहरी	रायगढ़	0.291	जोर मुण्डा आ0 जयराम मुण्डा	विशाल अग्रवाल आ0 छेदीलाल	2.744
84	कुसवाबहरी	रायगढ़	1.846	मथुरा पूर्ती आ0 कडेय पूर्ती	शुभ मेटेलिक प्रा.लि.	2.897
85	केशाडर	रायगढ़	1.900	मोहर लाल बिज्ञवार आ0 घुराउराम	राजेन्द्र कुमार तथा जितेन्द्र कुमार	4.692
86	झारमुड़ा	पुसौर	0.548	सेतभूषण सिदार आ0 खेमराज सिदार	जीवन लाल आ0 नारायण वगैरह	2.173
87	गढ़उभरिया	पुसौर	0.142	सेतभूषण सिदार आ0 खेमराज सिदार	जीवन लाल आ0 नारायण एवं अन्य	2.173
88	उर्दना	रायगढ़	0.032	रामनारायण धुर्वे आ0 रामसनेही धुर्वे	दीपक कुमार अग्रवाल आ0 चन्द्रभान	2.960
89	सम्बलपुरी	रायगढ़	1.900	श्रीमती राठिया पति सतराम	अजू सिंह पति दीपक	2.498
90	उर्दना	रायगढ़	0.061	मयाराम उरांव आ0 दसरू उरांव	हितेश कुमार सोनी आ0 अशोक कुमार	3.369
91	गुड़गहन	पुसौर	0.749	शौकी खड़िया आ0 रेचा खड़िया वगैरह	अंकित अग्रवाल आ0 राजेश अग्रवाल	4.230
92	पाली	रायगढ़	0.405	गुहाराम सिदार आ0 इतवार सिंह	राकेश पाण्डेय आ0 मुरलीधर	8.073

93	केराझर	रायगढ़	1.217	शांति बाई कंवर आ0 कुबेर कंवर	आशीष कुमार आ0 हरिकिशन	3.525
94	तेतला	रायगढ़	0.412	दीनबंधु सिदार आ0 रामेश्वर सिदार	पवन कुमार शर्मा आ0 विमल कुमार शर्मा	4.076
95	अमलीभौना	रायगढ़	0.435	धनेश्वर सिदार आ0 अधिसिंह सिदार	गोपाल शर्मा आ0 सावरिया शर्मा	3.373
96	गेरवानी	रायगढ़	0.608	सुंदर सिंह आ0 प्रेमसिंह	गोपाल निषाद आ0 रतन	2.388
97	भगौरा	रायगढ़	1.900	बंशीधर आ0 सोनसाय कंवर वगैरह	विकास अग्रवाल आ0 राजेन्द्र कुमार	7.060
98	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.263	तिहारू खड़िया आ0 घासीराम वगैरह	विनय चावला आ0 भजन लाल	3.398
99	पाली	रायगढ़	1.578	भोग सिंह खेश आ0 संतराम	वैजरोन इंडस्ट्रीज प्रा.लि. डायरेक्टर अजय कुमार जैन वगैरह	2.139
100	गेरवानी	रायगढ़	1.900	मनीराम उरांव आ0 चैतराम	कामधेनु फायनेन्सियल एडवायजरी एल.एल.पी. रायपुर भागीदार राहुल अग्रवाल एवं अन्य	3.922
101	अमलीभौना	रायगढ़	0.384	पंचराम उरांव आ0 हरीराम	राजेश कुमार अग्रवाल तथा मुकेश	2.217
			89.409	हेक्टेयर		



अनुभाष अधिकारी
यजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, रायपुर

शासन द्वारा आबंटित भूमि को छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) के तहत विक्रय हेतु अनुमति वर्ष 2019 से नवंबर 2022 तक पुपन-क

क्र.	ग्राम	तहसील	दी गई अनुमति (हेक्टे. में)	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	विक्रय परचात शेष भूमि हेक्टे.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सांगीतराई	रायगढ़	0.131	सुभाष कुमार चोपड़ा/रामनाथ	राजेश अग्रवाल	0.274
2	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.055	मोहन सिंह ठाकुर/श्याम सुंदर	भरत कुमार दुबे	5.216
3	नेतनागर	पुसौर	1.137	संतराम कंवर/सुबरन कंवर	सुनील अग्रवाल	-
4	बड़े अतरमुड़ा	रायगढ़	0.040	नीलाराम/स्व.मनबोध गोंड वगै.	श्रीमती बबीता सिदार	1.051
5	मौहापाली	रायगढ़	0.405	शांति निराला/स्व.शंकर निराला	-	0.809
6	कोसमनारा	रायगढ़	0.866	नटवर बेरीवाल/बैजनाथ बेरीवाल	श्रीमती अंजू सिंघल	-
7	कोसमनारा	रायगढ़	1.625	गौरीशंकर अग्रवाल/बैजनाथ अग्रवाल	गोपाल शर्मा	1.012
8	एकताल	पुसौर	0.465	गोविंद राम झारा/बुद्धराम झारा	-	0.324
9	गुड़गहन	पुसौर	1.618	टेनेराम आ0 गोदल एवं 05 अन्य	अंकित अग्रवाल	3.034
10	नावापाली	पुसौर	0.809	हरिप्रिया/प्रानू वगैरह	श्रीमती ममता शर्मा	-
11	कोड़पाली	पुसौर	0.810	नोनी बाई, मनबोध वगैरह	मनीष शर्मा	-
12	दरमुड़ा	पुसौर	0.121	विजय खड़िया/प्यारीलाल, मंदरू	अंकित अग्रवाल	0.386
13	दरमुड़ा	पुसौर	0.153	भागीरथी खड़िया/समारू खड़िया	अंकित अग्रवाल	0.354
14	दरमुड़ा	पुसौर	0.153	केवरा खड़िया/हरिराम खड़िया	अंकित अग्रवाल	0.354
15	चक्रधरपुर	रायगढ़	1.618	विकास अग्रवाल/पूनमचंद अग्रवाल	विकास गुप्ता	3.237
16	चक्रधरपुर	रायगढ़	1.618	विकास अग्रवाल/पूनमचंद अग्रवाल	वैभव गुप्ता	3.237
17	बिंजकोट	पुसौर	1.011	सुकलाल साव/दुलार साव	श्रीमती ममता शर्मा	0.134
18	गुड़गहन	पुसौर	0.404	झनकराम खड़िया/रेंगटू खड़िया	लक्ष्मण खड़िया, पताबू खड़िया	1.619
			13.039	हेक्टेयर		

टीप :- अनुक्रमांक 05 एवं 08 में विक्रेताओं द्वारा आवेदन पत्र में क्रेता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था इसलिए आदेश में क्रेता के नाम का उल्लेख नहीं है।


अनुभाष अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेए - तेरह

ifjofnr vkrkjkd r izu l d ; k 23 %60% dh tkudkj h

क्र.	जिला	वर्ष	एन जी ओ का नाम	कार्य विवरण	कार्य हेतु किया गया भुगतान रूपये में
1	2	3	4	5	6
1	राज्य	2019	इण्डस एक्सन इनिसियेटिव	आर टी ई पोर्टल का निर्माण अलाभित समूह के बच्चों को निजी शालाओं में प्रवेश में सहयोग	निरंक
समग्र शिक्षा में एन.जी.ओ. की जानकारी					
2	राज्य	2019-20	लैंग्वेज लर्निंग फाउण्डेशन	प्रारंभिक भाषा शिक्षण	निरंक
		2020-21		प्रारंभिक भाषा शिक्षण एवं गणित	निरंक
		2021-22		प्रारंभिक भाषा शिक्षण, गणित एवं बहु भाषा शिक्षण	निरंक
		2022-23		प्रारंभिक भाषा शिक्षण, गणित एवं बहु भाषा शिक्षण	निरंक
3	राज्य	2019-20	रूम टू रीड	बुनियादी साक्षरता एवं बालिका शिक्षा कार्यक्रम, परियोजना विजयी (जीवन कौशल)	निरंक
		2020-21		बुनियादी साक्षरता एवं बालिका शिक्षा कार्यक्रम, परियोजना विजयी (जीवन कौशल)	निरंक
		2021-22		बुनियादी साक्षरता एवं बालिका शिक्षा कार्यक्रम, परियोजना विजयी (जीवन कौशल)	निरंक
		2022-23		बुनियादी साक्षरता एवं बालिका शिक्षा कार्यक्रम, परियोजना विजयी (जीवन कौशल)	निरंक
4	राज्य	2019-20	प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन	सरल कार्यक्रम अंगना म शिक्षा, असर सर्वे एफ.एल.एन. हेतु सामग्री निर्माण प्रतिदिन नई ऑनलाइन कहानियाँ	निरंक
		2020-21		सरल कार्यक्रम अंगना म शिक्षा, असर सर्वे एफ.एल.एन. हेतु सामग्री निर्माण प्रतिदिन नई ऑनलाइन कहानियाँ	निरंक
		2021-22		सरल कार्यक्रम अंगना म शिक्षा, असर सर्वे एफ.एल.एन. हेतु सामग्री निर्माण प्रतिदिन नई ऑनलाइन कहानियाँ	निरंक
		2022-23		सरल कार्यक्रम अंगना म शिक्षा, असर सर्वे एफ.एल.एन. हेतु सामग्री निर्माण प्रतिदिन नई ऑनलाइन कहानियाँ	निरंक
5	राज्य	2019-20	संपर्क फाउंडेशन	प्राथमिक स्तर पर गणित एवं अंग्रेजी किट	निरंक
		2020-21		प्राथमिक स्तर पर गणित एवं अंग्रेजी किट	निरंक
		2021-22		प्राथमिक स्तर पर गणित एवं अंग्रेजी किट	निरंक
		2022-23		प्राथमिक स्तर पर गणित एवं अंग्रेजी किट	निरंक
6	राज्य	2019-20	अजीम प्रेमजी फाउंडेशन	पीएलसी के समर्थन अधिकारियों का क्षमता विकास संकुल स्तरीय मासिक बैठकों में सहयोग	निरंक
		2020-21		पीएलसी के समर्थन अधिकारियों का क्षमता विकास संकुल स्तरीय मासिक बैठकों में सहयोग	निरंक
		2021-22		पीएलसी के समर्थन अधिकारियों का क्षमता विकास संकुल स्तरीय मासिक बैठकों में सहयोग	निरंक
		2022-23		पीएलसी के समर्थन अधिकारियों का क्षमता विकास एफ.एल.एन. सामग्री निर्माण में सहयोग चर्चा पत्र निर्माण सहयोग संकुल स्तरीय मासिक बैठकों में सहयोग	निरंक


क्र.	जिला	वर्ष	एन जी ओ का नाम	कार्य विवरण	कार्य हेतु किया गया भुगतान रूपये में
1	2	3	4	5	6
7	राज्य	2019-20	मिलियन स्पार्क फाउंडेशन	राज्य के जरूरतों के अनुरूप विभिन्न विषयों पर शिक्षकों और सह शिक्षकों को शिक्षित करके उनकी क्षमता का विकास करना	निरंक
		2020-21		राज्य के जरूरतों के अनुरूप विभिन्न विषयों पर शिक्षकों और सह शिक्षकों को शिक्षित करके उनकी क्षमता का विकास करना	निरंक
		2021-22		राज्य के जरूरतों के अनुरूप विभिन्न विषयों पर शिक्षकों और सह शिक्षकों को शिक्षित करके उनकी क्षमता का विकास करना	निरंक
		2022-23		राज्य के जरूरतों के अनुरूप विभिन्न विषयों पर शिक्षकों और सह शिक्षकों को शिक्षित करके उनकी क्षमता का विकास करना	निरंक
8	राज्य	2019-20	ह्यूमना पीपल इंडिया	शाला त्यागी बच्चों के लिए अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना व केन्द्रों की मॉनिटरिंग करना	निरंक
		2020-21		शाला त्यागी बच्चों के लिए अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना व केन्द्रों की मॉनिटरिंग करना	निरंक
		2021-22		शाला त्यागी बच्चों के लिए अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना व केन्द्रों की मॉनिटरिंग करना एफ.एल.एन. के लिए सामग्री तैयार कर कर उपलब्ध कराना	निरंक
		2022-23		शाला त्यागी बच्चों के लिए अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना व केन्द्रों की मॉनिटरिंग करना एफ.एल.एन. के लिए सामग्री तैयार कर कर उपलब्ध कराना	निरंक
9	राज्य	2019-20	श्री ओरोविन्दो सोसायटी	शिक्षकों के बेहतर कार्यों की पहचान एवं पुरस्कार	निरंक
		2020-21		कोरोना के दौरान किए गए कार्यों का दस्तावेजीकरण	निरंक
		2021-22		-	-
		2022-23		-	-
10	राज्य	2019-20	द ट्रांसफॉर्म ट्रस्ट	उपचारात्मक शिक्षण	निरंक
		2020-21		उपचारात्मक शिक्षण	निरंक
		2021-22		उपचारात्मक शिक्षण	निरंक
		2022-23		उपचारात्मक शिक्षण	निरंक
11	राज्य	2019-20	इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव	संकुल स्तरीय मासिक शिक्षक बैठक - कक्षायी सीख प्रक्रिया सहयोग लर्निंग नेवीगेटर विकास और संसाधन निर्माण	निरंक
		2020-21		संकुल स्तरीय मासिक शिक्षक बैठक - कक्षायी सीख प्रक्रिया सहयोग लर्निंग नेवीगेटर विकास और संसाधन निर्माण	निरंक
		2021-22		संकुल स्तरीय मासिक शिक्षक बैठक - कक्षायी सीख प्रक्रिया अवलोकन एवं सहयोग -शाला प्रबंधन समिति सशक्तिकरण -लर्निंग नेवीगेटर विकास और संसाधन निर्माण	निरंक
		2022-23		संकुल स्तरीय मासिक शिक्षक बैठक - कक्षायी सीख प्रक्रिया अवलोकन -ग्राम पंचायत शिक्षा समिति समन्वय बैठकें	निरंक
12	राज्य	2019-20	विज्ञान आश्रम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन)	-	-
		2020-21		-	-

क्र.	जिला	वर्ष	एन जी ओ का नाम	कार्य विवरण	कार्य हेतु किया गया भुगतान रूपये में
1.	2	3	4	5	6
	राज्य	2021-22		ए.टी.एल. टॉय फेस्टीवल	निरंक
		2022-23		-	-
13	राज्य	2019-20	एड इंडिया फाउण्डेशन	-	-
		2020-21		-	-
		2021-22		-	-
		2022-23		डाटा विश्लेषण	निरंक
14	राज्य	2019-20	रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड (साइट सेवर्स)	-	-
		2020-21		-	-
		2021-22		विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सी.डब्ल्यू.एस.एन.)	निरंक
		2022-23		विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सी.डब्ल्यू.एस.एन.)	निरंक
एस.सी.ई.आर.टी. में एन.जी.ओ. की जानकारी					
15	छत्तीसगढ़	2019-20	लैंग्वेज लर्निंग फाउण्डेशन	प्रारंभिक भाषा शिक्षण, हिंदी (प्राथमिक कक्षाओं हेतु) बहुभाषी शिक्षा (एम.एल.ई.)	निरंक
16	राज्य	2019-20	रूम टू रीड	बुनियादी साक्षरता, डाइट, एम.एल.ई., बच्चों की साक्षरता, बालवाटिका के साथ ई.सी.सी.ई., मूल्यांकन, सामाजिक समावेशन, जीवन कौशल और लिंग एवं प्रारंभिक भाषा शिक्षण एवं गणित	निरंक
17	राज्य	2019-20	प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन	सरल कार्यक्रम अंगना म शिक्षा, असर सर्वे एफ.एल.एन. हेतु सामग्री निर्माण प्रतिदिन नई ऑनलाइन कहानियाँ एवम ई.सी.सी.ई., एफ.एल.एन.	निरंक
18	राज्य	2019-20	संपर्क फाउंडेशन	प्राथमिक स्तर पर गणित एवं अंग्रेजी किट, साइंस किट 100 स्कूलस, मैथ्स, गणित और अंग्रेजी सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, नीति प्रभाव, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास	निरंक
19	राज्य	2019-20	अजीब प्रनजी फाउंडेशन	अधिकारियों का क्षमता विकास संकुल स्तरीय मासिक बैठकों में सहयोग सी.डी.पी. मूल्य शिक्षा असेसमेंट, एम.एल.ई.	निरंक
20	राज्य	2019-20	मिलियन स्पार्क फाउंडेशन	राज्य के जरूरतों के अनुरूप विभिन्न विषयों पर शिक्षकों और सह शिक्षकों को शिक्षित करके उनकी क्षमता का विकास करना एवं सी.पी.डी.	निरंक
21	राज्य	2019-20	हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया	शाला त्यागी बच्चों के लिए अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना व केन्द्रों की मॉनिटरिंग करना, स्कूल के बाहर बच्चे की शिक्षा में सहयोग	निरंक
22	राज्य	2019-20	श्री ओरोबिन्दो सोसायटी	शिक्षकों के बेहतर कार्यों की पहचान एवं पुरस्कार एवं सी.डब्ल्यू.एस.एन., असेसमेंट आई.सी.टी., कैरियर गाइडेंस	निरंक
23	राज्य	2019-20	द ट्रांसफॉर्म ट्रस्ट	उपचारात्मक शिक्षण	निरंक

क्र.	जिला	वर्ष	एन जी ओ का नाम	कार्य विवरण	कार्य हेतु किया गया भुगतान रूपये में
1	2	3	4	5	6
24	राज्य	2019-20	इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव	संकुल स्तरीय मासिक शिक्षक बैठक - कक्षायी सीख प्रक्रिया सहयोग लर्निंग नेवीगेटर विकास और संसाधन निर्माण एवं कैरियर गाइडेन्स	निरंक
25	राज्य	2019-20	विज्ञान आश्रम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन)	ए.टी.एल. टॉय फेस्टीवल	निरंक
26	राज्य	2019-20	एड इंडिया फाउण्डेशन	डाटा विश्लेषण, समाग्री निर्माण एवं प्रशिक्षण	निरंक
27	राज्य	2019-20	रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड (साइट सेवर्स)	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा (सी.डब्ल्यू.एस.एन.)	निरंक
28	राज्य	2021-23	पीपल फॉर एक्शन (ट्रांसफॉर्म स्कूल)	एस.एम.सी./एस.एम.डी.सी., मस्ती की पाठशाला., सी.पी.डी., असेसमेन्ट स्कूल का शासन और प्रबंधन (एफ.एस.एल.पी. के तहत) लर्निंग रिकवरी प्लान	निरंक
29	राज्य	2021-23	इंडस एक्शन इनिशिएटिव	सामाजिक समावेशन, बहुभाषा शिक्षण एवं RTE पोर्टल निर्माण	निरंक
30	राज्य	2021-23	प्रथम बुक स्टोरी व्हीवर	एम.एल.ई.(स्टेट लेवल), ई.सी.सी.ई., एफ.एल.एन.	निरंक
31	राज्य	2021-23	लेंड-ए-हैंड-इंडिया	वोकेशनल एजुकेशन थाट समग्र शिक्षा	निरंक
32	राज्य	2021-23	निश्चल स्मार्ट लर्निंग साल्यूशंस प्रा.लिमि	साइंस कीट 4 स्कूल, जिला-रायपुर(सेजेस), 3 इंटरैक्शन बोर्ड टू सेजेस स्कूल, स्कूल से बाहर के बच्चे	निरंक
33	राज्य	2021-23	शिक्षार्थ ट्रस्ट	ओ.ओ.एस.सी. जिला- सुकमा ब्लॉक- कोंटा, एम.एल.ई.(सुकमा + बस्तर), असेसमेन्ट	निरंक
34	राज्य	2021-23	दोस्त लर्निंग फाउंडेशन	ई.सी.सी.ई.	निरंक
35	राज्य	2021-23	आक्सफैम इंडिया	सोशल इनक्लूशन	निरंक
36	राज्य	2021-23	जन सामर्थ्य कल्याण समिति छत्तीसगढ़	स्पोर्ट्स आफ सी.डब्ल्यू.एस.एन.	निरंक
37	राज्य	2021-23	सिटकॉन (छत्तीसगढ़ एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी)	विद्यालयों में कैरियर गाइडेन्स (सेजेस)	निरंक
38	राज्य	2021-23	हेल्पज इंडिया	मूल्य शिक्षा	निरंक
39	राज्य	2021-23	शांति मैत्री विकास ग्रामीण संस्थान	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हेतु(सी.डब्ल्यू.एस.एन.)	निरंक
40	राज्य	2021-23	नवाविन्यास फाउण्डेशन	कैरियर गाइडेन्स	निरंक
41	राज्य	2021-23	ब्रुनेल युनिवर्सिटी लन्दन	रिसर्च एजुकेशन	निरंक
42	राज्य	2021-23	एस.ई.आई.आई./सेन्टरफारलर्निंगरिसोर्स	ई.सी.सी.ई.	निरंक
43	राज्य	2021-23	स्टारलाइट एडइंडिया फाउंडेशन	डी.एल.एड. एजुकेशन (आई.सी.टी.)	निरंक
44	राज्य	2021-23	रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन	प्रौढ़ शिक्षा, ओ.ओ.एस.सी., आई.सी.टी.	निरंक
45	राज्य	2021-23	थिंकपोइंस एजुकेशन प्रा. लिमि.	प्रौढ़ शिक्षा	निरंक
46	राज्य	2021-23	अपराजिता फाउंडेशन	सोशल एन्क्लूसन जीवन कौशल	निरंक
47	राज्य	2021-23	अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)/ ओ.ओ.एस.सी.	निरंक
48	राज्य	2021-23	एस्काउट गाइड	मूल्य शिक्षा	निरंक
49	राज्य	2021-23	एमबिव	आई.सी.टी.	निरंक
50	राज्य	2021-23	लाइफहालिक	अंग्रेजी भाषा शिक्षण (ई.एल.टी.आई)	निरंक

क्र.	जिला	वर्ष	एन जी ओ का नाम	कार्य विवरण	कार्य हेतु किया गया भुगतान रूपसे में
1.	2	3	4	5	6
51	राज्य	2021-23	स्टेप अप फॉर इंडिया	समावेशी अंग्रेजी कार्यक्रम	निरंक
52	राज्य	2021-23	आह्वान ट्रस्ट	ई.सी.सी.ई. (बालवाड़ी)	निरंक
53	राज्य	2021-23	अर्पण एन.जी.ओ.	जीवन कौशल व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम	निरंक
54	रायपुर	2019 - 2020	नाम पहल स्वयं सेवी संस्था पता	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) का संचालन	56658677
		2020 - 2021	देवपुरी रायपुर छ0ग0		65049350
		2021 - 2022			32910181
		2022 - 2023			27385664
		योग			162029072
55	दुर्ग	2019 - 2020	अक्षयपात्र फाउन्डेशन पुरानी डेयरी	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) का संचालन	31858863
		2020 - 2021	बिल्डिंग सेक्टर 06 भिलाई जिला दुर्ग		21514747
		2021 - 2022			18643551
		2022 - 2023			16188864
		योग			88206025
56	धमतरी	2019 - 2020	जनहित चिंतक सेवा समिति धमतरी	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) का संचालन	3213635
		2020 - 2021			4593481
		2021 - 2022			469977
		2022 - 2023			2450427
		योग			14957520
57	सरगुजा	2019 - 2020	एन.जी.ओ. रिवाडस पता एफ 30 पूर्वी	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) का संचालन	10696660
		2020 - 2021	ज्योति नगर दिल्ली 110093		18743114
		2021 - 2022			8994086
		2022 - 2023			8089778
		योग			46523638
58	बिलासपुर	2019 - 2020	मेमर्स पहल स्वयं सेवी संस्था शॉप नं 14	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) का संचालन	11430996
		2020 - 2021	प्रथम तल एम एम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स		21267346
		2021 - 2022	कटोरा तालाब रायपुर नं 492001 छग		8866117
		2022 - 2023			8921986
		योग			50486445

टीप - कॉलम नं 6 में दी गई राशि एनजीओ को कुकिंग कास्ट एवं रसोईया मानदेय के एवज में दी गई है इस कार्य के लिये एनजीओ को कोई अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं की गई है ।


 अति.प्रबंध संचालक
 समग्र शिक्षा
 रायपुर छत्तीसगढ़


 अनुमानित आयुक्त
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महामन्त्री भवन,
 नया रायपुर

परिशेष - चौदह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 664) की जानकारी प्रपत्र

30 नवम्बर,

2022 की स्थिति में विभाग में कार्यरत सहायक आयुक्त की जानकारी ।

क्रमांक	नियमित सहायक आयुक्त पदस्थ जिला	विभाग के अधिकारी को दिये गये प्रभार जिला	अन्य विभाग के अधिकारियों को सौंपे गये प्रभार जिला
1	रायपुर	महासमुन्द	बालोद
2	गरियाबंद	दुर्ग	जशपुर
3	बलौदाबाजार	जांजगीर चांपा	कबीरधाम
4	धमतरी	कोरबा	जगदलपुर
5	बेमेतरा	रायगढ़	कोण्डागांव
6	राजनांदगांव	सरगुजा	नारायणपुर
7	बिलासपुर	बलरामपुर	
8	गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही	कोरिया	
9	मुंगेली	दंतेवाड़ा	
10	सूरजपुर	सुकमा	
11		बीजापुर	
12		कांकेर	
योग	10	12	06


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशिए - पन्द्रह
पारोशिएत अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 668) की जानकारी

प्रपत्र अ

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चतुर्थ श्रेणी स्वीकृत पद की संख्या				चतुर्थ श्रेणी मरे/कार्यरत पद की संख्या				कुल	
				नियमित एवं आकस्मिकता मृत्यु	दैनिक वेतनभोगी	पूर्णकालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)	अंश कालीन	कुल	नियमित एवं आकस्मिकता मृत्यु	दैनिक वेतनभोगी (दैनिक मजदूर)	पूर्णकालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)		अंश कालीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
छात्रावास													
1	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	50	60	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
2	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	50	81	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
3	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास रुवाड़	50	52	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
4	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	50	51	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
5	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास अमलीपदर	50	43	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
6	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास देवभोग	50	49	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
7	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बिन्दानवागढ़	50	36	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
8	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भदगपुर	50	16	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
9	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दरीपारा	50	40	3	0	1	0	4	0	3	1	0	4
10	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बेन्दकुरा	50	47	3	0	1	0	4	0	3	1	0	4
11	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास लिटीपारा	30	30	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
12	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास फुलकरा	50	45	3	0	1	0	4	2	2	0	0	4
13	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रसोला	50	50	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
14	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	20	35	2	0	1	0	3	1	1	1	0	3

15	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास इंदगाव	50	56	3	0	0	1	0	4	3	0	1	0	4
16	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गोहरापदर	50	50	3	0	0	1	0	4	2	1	1	0	4
17	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अमलीपदर	50	51	3	0	0	1	0	4	2	1	1	0	4
18	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल	50	46	3	0	0	1	0	4	3	0	1	0	4
19	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास देवमोग	40	40	3	0	0	1	0	4	2	1	1	0	4
20	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास झरगाव	50	51	3	0	0	1	0	4	3	0	1	0	4
21	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास मैन्पुर	50	51	3	0	0	1	0	4	2	1	1	0	4
22	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास देवमोग	50	41	3	0	0	1	0	4	3	0	1	0	4
23	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास,पीपरछेडी	50	50	3	0	0	1	0	4	2	1	1	0	4
	योग	1090	1071	68	0	0	23	0	91	44	25	22	0	91

आश्रम

24	आदिवासी कन्या आश्रम मोंहाभाठा	50	47	4	0	0	1	0	5	0	4	1	0	5
25	आदिवासी कन्या आश्रम कुल्हाडीघाट	50	95	4	0	0	1	0	5	1	3	1	0	5
26	आदिवासी कन्या आश्रम शोभा	50	50	4	0	0	1	0	5	2	2	1	0	5
27	आदिवासी कन्या आश्रम कालीमाटी	50	56	4	0	0	1	0	5	3	1	1	0	5
28	आदिवासी कन्या आश्रम साहेबिनगर	50	50	4	0	0	1	0	5	1	3	1	0	5
29	आदिवासी कन्या आश्रम नकबेल-परहाडीह	100	56	7	0	0	1	0	8	3	4	1	0	8
30	आदिवासी बालक आश्रम कामरमौदी	50	13	4	0	0	1	0	5	1	3	1	0	5
31	आदिवासी बालक आश्रम आमामोरा	100	58	7	0	0	1	0	8	0	7	1	0	8
32	आदिवासी बालक आश्रम ऑड	100	16	7	0	0	1	0	8	0	2	1	0	3
33	आदिवासी बालक आश्रम देवारी	50	23	4	0	0	1	0	5	1	3	1	0	5
34	आदिवासी बालक आश्रम धवलपुर	100	100	7	0	0	1	0	8	0	7	1	0	8

35	आदिवासी बालक आश्रम पीपल्सछेडी	100	55	7	0	1	0	8	2	5	1	0	8
36	आदिवासी बालक आश्रम मैगपुर	100	90	7	0	1	0	8	3	4	1	0	8
37	आदिवासी बालक आश्रम छिन्दीला	50	22	4	0	1	0	5	1	4	0	0	5
38	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेनोबरा	100	113	7	0	1	0	8	2	5	1	0	8
39	आदिवासी बालक आश्रम तौरंगा	100	83	7	0	1	0	8	1	6	1	0	8
40	आदिवासी बालक आश्रम बुरजाबहाल	100	100	7	0	1	0	8	2	5	1	0	8
41	आदिवासी बालक आश्रम झरियाबाहरा	100	104	7	0	1	0	8	4	3	1	0	8
42	अनु जाति बालक आश्रम धुरुवागुडी	50	47	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
43	आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाड़ीघाट	50	31	4	0	1	0	5	0	4	1	0	5
	योग	1500	1209	110	0	20	0	130	28	78	19	0	125
	महायोग	2590	2280	178	0	43	0	221	72	103	41	0	216


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र 'ब'

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का विवरण

विशेष केन्द्रीय सहायत आदिवासी उपयोगना			
क्र.	मुख्यालय का स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	जारी राशि लाख में	
1	2	3	
1	क्रमांक / टीएडीपी / विकेस / आबंटन / 70 / 2020-21 / 8526 दिनांक 19.02.2021	22.052	
2	क्रमांक / टीएडीपी / विकेस / आबंटन / 70 / 2020-21 / 9514 दिनांक 17.03.2021	138.400	
योग		160.452	
संविधान के अनुच्छेद 275(1)			
1	क. / टी.ए.डी.पी. / फा-67 / आबंटन / 275(1) / 2020-21 / 2149 रायपुर, दिनांक 16.07.2020	5.400	
2	क. / टी.ए.डी.पी. / फा-82 / आबंटन / 275(1) / 2021-22 / 3659 रायपुर, दिनांक 20.09.2021	0.910	
3	क. / टी.ए.डी.पी. / फा-126 / आबंटन / 275(1) / 2021-22 / 2612 रायपुर, दिनांक 20.06.2022	3.730	
4	क. / टी.ए.डी.पी. / फा-126 / आबंटन / 275(1) / 2022-23 / 4177 रायपुर, दिनांक 07.07.2022	6.520	
योग		16.560	

[Signature]

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशिए - सोलह
पारोशिएत अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 675) की जानकारी

५५५

विगत 03 वर्षों में सायकल वितरण की जानकारी।

क्र.सं.	सत्र जिला	2019-20		2020-21		2021-22	
		पात्र हितग्राहीयों की संख्या	लामावित हितग्राहीयों की संख्या	पात्र हितग्राहीयों की संख्या	लामावित हितग्राहीयों की संख्या	पात्र हितग्राहीयों की संख्या	लामावित हितग्राहीयों की संख्या
1	कबीरधाम	6535	6535	6374	6374	6841	6841
2	गौरेला पेण्ड्रा मरवारी	0	0	2600	2600	2285	2285
3	धमतरी	3667	3667	3240	3240	3246	3246
4	राजनांदगांव	12039	12039	11188	11188	11070	11070
5	कोरबा	8133	8133	7983	7983	7025	7025
6	सूरजपुर	6293	6293	5679	5679	6102	6102
7	बस्तर	5745	5745	5588	5588	5173	5173
8	बीजापुर	1179	1179	1248	1248	1323	1323
9	दन्तेवाड़ा	1495	1495	1479	1479	1253	1253
10	कांकेर	5897	5897	5380	5380	5068	5068
11	कोण्डागांव	5171	5171	5254	5254	4854	4854
12	नारायणपुर	953	953	947	947	923	923
13	सुकमा	947	947	1016	1016	992	992
14	सक्ति	5111	5111	4759	4759	4562	4562
15	बलरामपुर	3952	3952	4824	4824	5312	5312
16	सरगुजा	6171	6171	5554	5554	5543	5543
17	जशपुर	6049	6049	5325	5325	5765	5765
18	कोरिया	4931	4931	4226	4226	3744	3744
19	रायपुर	10066	10066	10375	10375	9010	9010
20	बालोद	4458	4458	4539	4539	4183	4183
21	रायगढ़	9500	9500	8439	8439	8663	8663
22	मुंगेली	4647	4647	4986	4986	4786	4786
23	गरियाबंद	4321	4321	4435	4435	4403	4403
24	बुर्ग	5890	5890	5498	5498	4995	4995
25	जाजगीर-चांपा	6035	6035	6484	6484	6229	6229
26	बलौदा बाजार	13390	13390	11590	11590	11087	11087
27	बिलासपुर	12960	12960	11742	11742	9647	9647
28	महासमुंद	8417	8417	7800	7800	7599	7599
29	बेमेतरा	3495	3495	3327	3327	3544	3544
योग-		167447	167447	161879	161879	155227	155227
महायोग-		484553					

टीप:- सत्र 2019-20 में जिला जीपीएम बिलासपुर अंतर्गत था।

अनुभाष अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

परोक्ष - सत्रह

- परोक्ष अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 677) की जानकारी

स. क्र.	जिला का नाम	पदों की संख्या	पदों का विवरण										योग
			प्राचार्य	व्याख्याता	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक	प्रधान पाठक शैक्षिक	सहायक शैक्षिक	लेखापाल / सहा. ग्रेड 02	सहा. ग्रेड 03	भृत्य	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	गरियाबन्द	स्वीकृत रिक्त	144	1271	437	1881	968	2534	114	183	782	8314	
2	बलौदा बाजार	स्वीकृत रिक्त	112	674	232	611	742	46	12	22	669	3120	
3	घमतरी	स्वीकृत रिक्त	204	2155	456	2200	3773	181	53	323	1001	11166	
4	महासमुन्द	स्वीकृत रिक्त	175	582	279	700	97	716	137	241	814	3627	
5	रायपुर	स्वीकृत रिक्त	161	1626	434	2116	854	1992	30	66	474	8035	
6	बालोद	स्वीकृत रिक्त	123	155	256	547	95	4058	171	258	347	1619	
7	बेमेतरा	स्वीकृत रिक्त	186	1974	488	2414	1281	1787	2	108	971	11801	
8	दुर्ग	स्वीकृत रिक्त	169	526	270	579	97	4229	172	305	833	4371	
9	कबीरघाम	स्वीकृत रिक्त	209	2176	405	2499	719	769	20	5	961	11675	
10	राजनांदगांव	स्वीकृत रिक्त	64	108	154	349	126	795	155	277	676	2271	
			172	1896	404	1930	795	2391	130	223	929	8949	
			85	151	43	715	29	618	2	8	608	2259	
			166	2006	384	1811	743	2858	130	223	786	9107	
			150	541	95	621	48	1182	34	116	694	3481	
			181	1648	314	1774	569	1970	147	250	810	7663	
			41	43	36	224	59	199	26	14	625	1267	
			144	1325	483	2012	973	2814	102	180	825	8858	
			134	289	55	841	56	909	28	88	717	3117	
			231	2238	573	2659	1220	3861	201	337	1126	12446	
			170	202	70	930	187	1468	19	30	863	3939	

प्रपत्र 'अ'

स. क्र.	जिला का नाम	पदों की संख्या विलक्षण	पदों का विवरण										योग
			प्राचार्य	व्याख्याता	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक	शिक्षक	प्रधान पाठक प्राथमिक	सहायक शिक्षक	लेखापाल / सहा. ग्रेड 02	सहा. ग्रेड 03	मृत्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	बस्तर	स्वीकृत रिक्त	165 146	1924 351	630 158	2584 612	1526 243	3182 1981	144 1	268 2	1216 38	11639 3532	
12	नारायणपुर	स्वीकृत रिक्त	33 32	355 126	134 41	573 195	428 36	936 534	29 3	46 7	225 10	2759 984	
13	बीजापुर	स्वीकृत रिक्त	57 55	468 241	190 5	593 170	684 208	1481 1042	41 0	67 1	284 1	3865 1723	
14	दत्तेवाड़ा	स्वीकृत रिक्त	59 53	495 162	230 0	920 240	623 26	1326 596	48 4	78 4	362 12	4141 1097	
15	सुकमा	स्वीकृत रिक्त	50 48	415 225	165 0	815 329	698 78	1636 1210	28 1	48 3	251 42	4106 1936	
16	कोण्डागांव	स्वीकृत रिक्त	159 148	1874 796	594 143	2944 1370	1224 1000	2574 396	134 11	219 0	1008 25	10730 3889	
17	कांकेर	स्वीकृत रिक्त	242 202	2386 253	608 62	2521 612	1590 272	1633 666	181 21	282 101	1213 608	10656 2797	
18	सरगुजा	स्वीकृत रिक्त	149 88	1413 0	550 148	2861 716	1283 849	2918 128	120 0	194 0	864 294	10352 2223	
19	सूरजपुर	स्वीकृत रिक्त	153 111	1689 223	552 212	2307 752	1377 32	3050 1057	134 18	230 15	968 513	10460 2933	
20	बलरामपुर	स्वीकृत रिक्त	130 121	1448 493	545 212	2497 1322	1354 98	3222 1196	105 1	186 31	929 274	10416 3748	

स. क्र.	जिला का नाम	पदों की संख्या	पदों का विवरण										योग
			प्राचार्य	व्याख्याता	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक	शिक्षक	प्रधान पाठक प्राथमिक	सहायक शिक्षक	लेखापाल / सहा. श्रे. 02	सहा. श्रे. 03	भृत्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	कोरिया	स्वीकृत रिक्त	142	1437	411	1712	952	2140	102	185	350	7431	
22	जरापुर	स्वीकृत रिक्त	119	371	229	710	842	143	10	74	94	2592	
23	बिलासपुर	स्वीकृत रिक्त	147	2098	467	1906	1651	2727	120	226	838	10180	
24	गोरेला गेण्डा सरवाही	स्वीकृत रिक्त	103	276	119	187	1226	0	52	11	153	2127	
25	रायगढ़	स्वीकृत रिक्त	224	1969	511	2541	1110	4753	146	252	999	12505	
26	जांजगीर	स्वीकृत रिक्त	78	30	235	448	492	1336	1	30	471	2721	
27	सक्ती	स्वीकृत रिक्त	67	667	231	933	544	1220	56	95	229	4042	
28	कोरवा	स्वीकृत रिक्त	32	68	99	318	36	495	14	2	164	1228	
29	मुंगेरी	स्वीकृत रिक्त	263	2098	740	2766	1263	3039	363	2248	905	13685	
			152	216	232	728	79	768	135	235	527	3072	
			166	1569	408	1924	762	2820	115	206	788	8758	
			113	105	159	509	71	786	0	0	677	2420	
			123	1364	359	1657	748	1801	117	194	720	7083	
			105	257	161	421	95	448	21	66	611	2185	
			170	1418	514	2456	1476	3155	124	214	900	10427	
			84	0	174	810	1205	68	31	0	360	2732	
			126	1120	271	1243	662	2345	63	120	508	6458	
			98	291	174	330	110	689	8	6	384	2090	
			4423	44522	12488	57049	28950	76438	3680	7935	22222	257707	
			3111	7755	4053	16896	8134	21233	558	1256	12104	75100	

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

अनुभाग अधिकारी
लोक शिक्षण विभाग
भारत, रायपुर

प्रपत्र 'ब'				
1 जुलाई, 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती				
स. क्र.	जिला / संभाग का नाम	सीधी भर्ती से नियुक्तियों की संख्या	अनुकम्पा नियुक्तियों की संख्या	योग
1	2	3	4	5
1	गरियाबंद	12	4	16
2	बलौदाबाजार	14	4	18
3	धमतरी	0	5	5
4	महासमुन्द	3	3	6
5	रायपुर	26	5	31
6	बालोद	0	13	13
7	बेमेतरा	24	3	27
8	दुर्ग	4	0	4
9	कबीरधाम	78	5	83
10	राजनांदगांव	6	8	14
11	बस्तर	34	5	39
12	नारायणपुर	17	0	17
13	बीजापुर	35	0	35
14	दन्तेवाड़ा	17	0	17
15	सुकमा	174	0	174
16	कोंडागांव	13	3	16
17	कांकेर	48	8	56
18	सरगुजा	15	5	20
19	सूरजपुर	234	13	247
20	बलरामपुर	65	5	70
21	कोरिया	109	0	109
22	जशपुर	35	8	43
23	बिलासपुर	7	20	27
24	गौरेला पेंड्रा मरवाही	6	3	9
25	रायगढ़	8	0	8
26	जांजगीर चांपा	9	3	12
27	सक्ती	1	6	7
28	कोरबा	37	5	42
29	मुर्गली	4	1	5

1 जुलाई, 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती				
स. क्र.	जिला / संभाग का नाम	सीधी भर्ती से नियुक्तियों की संख्या	अनुकम्पा नियुक्तियों की संख्या	योग
1	2	3	4	5
30	रायपुर संभाग	2	0	2
31	दुर्ग संभाग	13	0	13
32	बिलासपुर संभाग	13	0	13
33	सरगुजा संभाग	0	1	1
34	बस्तर संभाग	14	0	14
योग		1077	136	1213

1 जुलाई, 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती				
स. क्र.	जिला / संभाग का नाम	सीधी भर्ती से नियुक्तियों की संख्या	अनुकम्पा नियुक्तियों की संख्या	योग
1	2	3	4	5
30	रायपुर संभाग	2	0	2
31	दुर्ग संभाग	13	0	13
32	बिलासपुर संभाग	13	0	13
33	सरगुजा संभाग	0	1	1
34	बस्तर संभाग	14	0	14
योग		1077	136	1213

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

परिशेष - अट्टारह
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 684) की जानकारी

प्रपत्र-अ

उत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
"मंत्रालय"

महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर
===0===

क्रमांक एफ 2-96/2022/20-दो
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 07/11/2022

समस्ता जिला शिक्षा अधिकारी
उत्तीसगढ़

विषय :- जिले में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर की गई पदोन्नति परचात पदस्थापना के संबंध में निर्देश।

शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि वर्तमान में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति उपरांत पदांकन में विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।

2/ उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति उपरांत पदांकन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. जिन जिलों में आज दिनांक तक पदांकन आदेश जारी नहीं किये गये है उन जिलों में पदांकन की कार्यवाही काउन्सिलिंग के माध्यम से ही की जावेगी।
 2. इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन किया जावे।
 3. शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन पूर्ण होने पर एकल शिक्षकीय शालाओं में प्राथमिकता के आधार पर पदांकन किया जावे।
 4. इन दोनों श्रेणियों में रिक्तियों भरें जाने के उपरांत अन्य आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर शालाओं में पदांकन किया जावे।
 5. जो शिक्षक वर्तमान पदांकन से संतुष्ट नहीं है उनके द्वारा 10 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी उनके अभ्यावेदन का निराकरण विधिवत काउन्सिलिंग के माध्यम से 07 दिवस के भीतर करेंगे तथा की गई कार्यवाही से संचालक लोक शिक्षण को अवगत कराथेगे।
- 3/ उक्त निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


(आर.पी.सिंगा)
अवर सचिव

उत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक /11/2022

पृष्ठा. क्रमांक एफ 2-96/2022/20-दो
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, उत्तीसगढ़, नया रायपुर।
- की ओर सूचनार्थ।


अनुभा अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

1558

अवर सचिव
उत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्रपत्र-ब

पदोन्नत प्रधानपाठकों के कार्यभार ग्रहण की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	पदोन्नत प्रधानपाठक की संख्या	पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने वाले सहा.शिक्षक की संख्या	शेष सहायक शिक्षक की संख्या जिन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया
1	रायपुर	355	283	72
2	बलौदाबाजार	545	535	10
3	गरियाबंद	प्रक्रियाधीन		
4	धमतरी	673	673	0
5	महासमुंद	1080	1069	11
6	दुर्ग	370	337	33
7	बालोद	613	513	100
8	बेमेतरा	642	624	18
9	राजनांदगांव	521	455	66
10	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	359	270	89
11	मोहला मानपुर	512	476	36
12	कवर्धा	867	812	55
13	बिलासपुर	844	796	48
14	जांजगीर चांपा	586	557	29
15	कोरवा	विचाराधीन उच्च न्यायालय		
16	रायगढ़	1071	1071	0
17	सक्ती	575	556	19
18	मुंगेली	542	487	55
19	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	447	432	15
20	सरगुजा	विचाराधीन उच्च न्यायालय		
21	बलरामपुर	1180	1082	98
22	सूरजपुर	1105	1073	32
23	कोरिया	पदोन्नति प्रक्रिया शेष है।		
24	जशपुर	1212	प्रक्रियाधीन	
25	बस्तर	1174	1059	115
26	दंतेवाड़ा	470	463	7
27	कांकेर	961	914	47
28	कोण्डागांव	प्रक्रियाधीन		
29	नारायणपुर	352	337	15
30	सुकमा	541	516	25
31	बीजापुर	540	501	39

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

परिशेष - उन्नीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 687) की जानकारी

प्रपत्र-अ

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2019-20 से 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक सड़क दुर्घटना एवं अन्य आपदाओं के तहत दी गई जनहानि होने पर संबंधित व्यक्तियों के परिजनों को दी गई अनुदान सहायता राशि की जानकारी

क्र.	तहसील का नाम	सड़क दुर्घटना से जनहानि पर दी गई सहायता राशि		प्राकृतिक आपदा से जनहानि पर दी गई सहायता राशि	
		मृतकों की संख्या	भुगतान की गई राशि	मृतकों की संख्या	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	6	7
1	राजनांदगांव	44	11,00,000.00	88	3,49,00,000.00
2	छुईखदान	14	3,50,000.00	70	2,77,50,000.00
3	खैरागढ़	41	10,25,000.00	53	2,09,50,000.00
4	डोंगरगढ़	36	9,00,000.00	52	2,08,00,000.00
5	छुरिया	37	9,25,000.00	62	2,48,00,000.00
6	डोंगरगांव	19	4,75,000.00	56	2,21,00,000.00
7	अम्बागढ़ चौकी	15	3,75,000.00	38	1,52,00,000.00
8	मोहला	24	6,00,000.00	41	1,64,00,000.00
9	मानपुर	25	6,25,000.00	70	2,80,00,000.00
योग		255	63,75,000.00	530	21,09,00,000.00

प्रपत्र-ब

जिला राजनांदगांव में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 30 नवम्बर 2022 तक की स्थिति में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनो/आवेदको को क्षतिपूर्ति दिया जाना शेष है की जानकारी

क्र.	तहसील	मृतक का नाम	आवेदक का नाम	मृत्यु दिनांक	क्षति पूर्ति राशि
1	राजनांदगांव	गजाधर धनकर	रेणुका धनकर पति गजाधर धनकर ग्राम बरबसपुर राजनांदगांव	11-03-2020	25000
2	राजनांदगांव	सुमित कुमार पनिका	चुनेश्वरी मानिकपुरी / सुमित कुमार पनिका ग्राम फरहद राजनांदगांव	07-09-2019	25000
3	राजनांदगांव	सुलोचना सोनी	बलराम सोनी पिता रामेश्वर प्रसाद सोनी राजीव नगर दुर्ग	07-05-2018	25000
4	राजनांदगांव	संजय साहू	चंद्रेश साहू / भालसिंह ग्राम पदुमतारा राजनांदगांव	21-10-2019	25000
5	राजनांदगांव	भीखम लाल साहू	उर्वशी साहू पति भीखम लाल साहू ग्राम डोम्हाटोला राजनांदगांव	01-09-2019	25000
6	राजनांदगांव	लीलाधर साहु	गायत्री साहू पति लीलाधर साहु ग्राम आरगांव डोगरगढ राजनांदगांव	28-06-2020	25000
7	राजनांदगांव	गणेशिया बाई	हीरालाल विश्वकर्मा आ. अरुण ब.नवागांव राजनांदगांव	18-08-2020	25000
8	राजनांदगांव	अया अंसारी	रियाजुद्दीन / कुतुबुद्दीन शिक्षक नगर राजनांदगांव	21-06-2020	25000
9	राजनांदगांव	गोकुल नेताम	अनुसुईया नेताम पति गोकुल राम नेताम कौरिनभाठा राजनांदगांव	11-02-2020	25000
10	राजनांदगांव	ओमशिला निषाद	परदेशी निषाद / मनीराम गोपालपुर डुमरडीहखुर्द राजनांदगांव	26-01-2020	25000
11	राजनांदगांव	रामकृष्ण टंडन	गोपीचंद टंडन / हिररुदास बल्देवपुर	27-12-2020	25000
12	राजनांदगांव	बैनदास टंडन	साहूकार टंडन / समयदास घोटिया खैरागढ	27-12-2020	25000
13	राजनांदगांव	राजेश	मंजू / रासिल महार कौडूटोला ठाकुरटोला	23-05-2019	25000
14	राजनांदगांव	बिन्दुराम कंवर	महाबाई पति बिन्दु कंवर ग्राम टेडेसरा राजनांदगांव	03-01-2021	25000
15	राजनांदगांव	झग्गर	कीर्तिबाई / झग्गर ग्राम हरडुवा राजनांदगांव	19-02-2021	25000
16	राजनांदगांव	गोविंददास	चंद्रिका बाई पति मोहनदास तह डोगरगढ	10-03-2019	25000
17	राजनांदगांव	अघनूराम	गणेशराम / अघनूराम ग्राम खपरीचमार राजनांदगांव	15-06-2020	25000
18	राजनांदगांव	रमेश मानिकपुरी	तुलसीबाई / रमेश मानिकपुरी ग्राम लखौली	17-07-2017	25000
19	राजनांदगांव	विशाल राम	मीना बाई पति विशाल राम ग्राम गोडेला बालोद	12-09-2020	25000
20	राजनांदगांव	देवेन्द्र कुमार महानदिया	संतोष महानदिया / अजीत राम महानदिया भा. अचानकपुर राजनांदगांव	17-03-2020	25000
21	राजनांदगांव	श्रेया ठाकुर	रेखा ठाकुर / दामेन्द्र कुमार नखाशा न्यू पुलिस लाईन राजनांदगांव	06-01-2021	25000
22	राजनांदगांव	खुमान वर्मा	आनंदराम वर्मा / उमैदीराम वर्मा ग्राम रेंगाकठेरा राजनांदगांव	24-01-2021	25000
23	राजनांदगांव	स्व टीकमचंद साहू	यशोमति साहू पति स्व टीकमचंद साहू ग्राम खुरसुनी बालोद	19-05-2019	25000

24	राजनांदगांव	लखन यादव	मंगलीन यादव / लखन यादव ग्राम बिजेतला राजनांदगांव	22-12-2020	25000
25	राजनांदगांव	हमीदाबाई	मोहनकुमार / प्यारेलाल	03-12-2020	25000
26	राजनांदगांव	राजिमबाई	नोखेराम / महेत्तरराम ग्राम सुरगी राजनांदगांव	04-12-2020	25000
27	राजनांदगांव	विक्की वारके	नीता वारके / विक्की वारके ग्राम फरहद राजनांदगांव	07-09-2019	25000
28	राजनांदगांव	संतोष	पूर्णिमा निर्मलकर / संतोष ग्राम ठेकवा राजनांदगांव	05-12-2020	25000
29	राजनांदगांव	गुलाब सारथी	रामरतन सारथी / बिसौहा सारथी ग्राम तोरनकट्टा राजनांदगांव	17-01-2021	25000
30	राजनांदगांव	देवलाल साहू	कौशिल्या बाई पति देवलाल ग्राम मनगटा राजनांदगांव	27-02-2021	25000
31	राजनांदगांव	रोहितकुमार वर्मा	मधुबाई / रोहितकुमार वर्मा ग्राम नवागांव डोंगरगांव	08-12-20219	25000
32	राजनांदगांव	मीना निर्मलकर	शंकर निर्मलकर / बीरसिंग गौरीनगर राजनांदगांव	01-01-2021	25000
33	राजनांदगांव	पुसउराम यादव	कौशलबाई यादव पति पुस यादव मोहारा राजनांदगांव	20-11-2019	25000
34	राजनांदगांव	नीलू साहू	प्यारेलाल साहू / जगन्नाथ ग्राम घोरदा नंदई राजनांदगांव	23-05-2021	25000
35	राजनांदगांव	आरती सिन्हा	कृष्णा कुमार सिन्हा / बल्लाराम ग्राम चिखली राजनांदगांव	11-01-2021	25000
36	राजनांदगांव	शिवकुमार देवांगन	संतोषी बाई / शिवकुमार ग्राम कांकेतरा राजनांदगांव	01-01-2020	25000
37	राजनांदगांव	आनंदराम	नीतूबाई साहू पति आनंदराम ग्राम सिंघोला राजनांदगांव	23-01-2020	25000
38	राजनांदगांव	अमरदास	लक्ष्मीबाई साहू पति अमरदास कुतुलबोड भाठागांव डोंगरगांव	23-01-2020	25000
39	राजनांदगांव	पारस यादव	हेमिनबाई पति ओमलाल यादव नंदई राजनांदगांव	16-05-2018	25000
40	राजनांदगांव	प्रेम साहू	कमलाबाई पति प्रेम साहू करेलापारा उपरवाह राजनांदगांव	09-11-2021	25000
41	राजनांदगांव	झनकराम साहू	बलराम साहू / लीलाराम नंदई राजनांदगांव	18-10-2021	25000
42	राजनांदगांव	धनेश्वर	सोमरिनबाई पति धनेश्वर करेला पुराना धारा खैरागढ	13-11-2019	25000
43	राजनांदगांव	त्रिभुवन साहू	भगवानी साहू पिता प्रीत राम साहू ग्राम झिटिया राजनांदगांव	04-03-2020	25000
44	राजनांदगांव	दूखुराम साहू	बेदबाई साहू पति आशाराम साहू ग्राम भेडसर दुर्ग	02-07-2021	25000
45	राजनांदगांव	नीलाम्बर वर्मा	रूखमणी वर्मा पति नीलाम्बर वर्मा ग्राम जोगीदल्ली राजनांदगांव	18-11-2021	25000
46	राजनांदगांव	बिजेराम साहू	कुसुमबाई पति बिजेराम साहू ग्राम टेडेसरा	25-02-2021	25000
47	राजनांदगांव	संजय रामटेके	ज्ञानदास रामटेके पिता बाघवानी रामटेके ग्राम पारीकला	30-01-2021	25000
48	राजनांदगांव	लोकेश बांधे	बिहारीलाल बांधे / फततुलाल ग्राम बोरतालाब छुरिया राजनांदगांव	04-02-2021	25000
49	राजनांदगांव	कमलेश साहू	ज्ञानबाई साहू पति कमलेश ग्राम पारीकला	02-07-2021	25000
50	राजनांदगांव	ओमकार देवांगन	फततेलाल देवांगन / मूलचंद देवांगन ग्राम गटुला राजनांदगांव	13-03-2022	25000
51	राजनांदगांव	यदूराम साहू	इंदिरा साहू पति यदूराम साहू ग्राम भानपुरी	10-12-2017	25000
52	राजनांदगांव	दीपक शर्मा	किरण शर्मा पति दीपक शर्मा ग्राम चिखली राजनांदगांव	22-09-2021	25000

53	राजनांदगांव	गौतरिहा	खेदिया बंजारे / गौतरिहा ग्राम धनगांव सोमनी राजनांदगांव	03-04-2021	25000
54	राजनांदगांव	तोरणलाल	सुशीलाबाई पति स्व तोरणलाल वर्मा ग्राम सलौनी राजनांदगांव	25-01-2022	25000
55	राजनांदगांव	राजेश साहू	तुलेश्वरी साहू पति स्व राजेश साहू ग्राम भोधीपार कला	30-01-2022	25000
56	राजनांदगांव	सीतेश कुमार	सुमन साहू पति सीतेश कुमार ग्राम सिंघोला	12-02-2022	25000
57	राजनांदगांव	तिहारू	दयाबाई पति स्व तिहारू ग्राम कोचरे डौडीलौहारा	26-09-2020	25000
58	राजनांदगांव	मानसिंग	शिवराज पटेल पिता मानसिंग पटेल ग्राम सोमनी राजनांदगांव	20-12-2018	25000
59	राजनांदगांव	महेश कुमार	सालिकराम / कृष्णा पटेल ग्राम तिरोडी बालाघाट	23-09-2021	25000
60	राजनांदगांव	चेतनदास	सोमदास साहू पिता चेतनदास ग्राम गदुला राजनांदगांव	18-10-2021	25000
61	राजनांदगांव	रमला साहू	ज्ञानीबाई पिता गैतू साहू पिनकापारा तह डोंगरगढ़	24-01-2022	25000
62	राजनांदगांव	शैलेन्द्र मसीह	दीपा मसीह पति अमरजीत निवासी शंकरपुर राजनांदगांव	27-10-2021	25000
63	राजनांदगांव	सुखदेव	राजकुमार आ.स्व. सुखदेव निवासी नांगलदाह राजनांदगांव	31-01-2022	25000
1	छुईखदान	संतोष	दुकलहीन पति संतोष	19-03-2021	25000
2	छुईखदान	विनोद	मोहनी पति विनोद	22-09-2021	25000
3	छुईखदान	श्रीमतीसंतोषी	रमेश पिता लालजी	27-04-2022	25000
4	छुईखदान	प्यारेलाल	अनिता पति प्यारेलाल	17-06-2022	25000
1	खैरागड़	हेमंत धुर्वे	श्रीमती अशवनी बाई पति हेमंत धुर्वे, लिमउटोला	01-01-2021	25000
2	खैरागड़	रविलाल कुर्रे	श्रीमती अन्नु पति रविलाल कुर्रे	25-02-2022	25000
1	डोंगरगढ़	गोपीचंद / कृष्णाराम	श्री कृष्णा राम दुधनाक पिता शिवराम कंवर, ग्राम कारुटोला, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव	06-01-2020	25000
2	डोंगरगढ़	प्रेमलाल वर्मा / हीरा वर्मा	श्रीमती दुरपत बाई ध.प. प्रेमलाल वर्मा, निवासी ग्राम खैरा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव	04-01-2020	25000
3	डोंगरगढ़	किशोर कुमार / बृजलाल कंवर	श्री बृजलाल कंवर आ. कुवर लाल कंवर, निवासी ग्राम मेरेगांव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव	25-08-2019	25000
4	डोंगरगढ़	अंगद राम / मोहन वर्मा	श्रीमती कमलेश्वरी बाई बेवा अंगद राम वर्मा, निवासी ग्राम मुंदगांव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	14-11-2019	25000
5	डोंगरगढ़	आनंदराम / दयाराम गोंड	श्रीमती लताबाई ठाकुर पति आनंदराम गोंड, निवासी ग्राम मक्काटोला, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	26-04-2020	25000
6	डोंगरगढ़	शिवकुमा / पंचराम कंवर	श्रीमती सीताबाई पति शिवकुमार कंवर, निवासी ग्राम पीटेपानी, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.)।	16-12-2019	25000

7	डोंगरगढ़	मनीष/राजेन्द्र ताम्रकार	श्री राजेन्द्र ताम्रकार आ. अश्वनी ताम्रकार, निवासी ग्राम बधियाटोला, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	01-01-2020	25000
8	डोंगरगढ़	अंशु/शांताराम नेताम	श्री शांता राम नेताम आ. रामचरण नेताम, ग्राम अछोली, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.)।	19-02-2020	25000
9	डोंगरगढ़	कुमारी रश्मी विश्वकर्मा	श्री रघुवर विश्वकर्मा आ. मुकद्दम विश्वकर्मा, निवासी ग्राम पीपरखारकला, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	19-11-2020	25000
10	डोंगरगढ़	कार्तिक राम रजक	श्रीमती कमला बाई रजक पति स्व. कार्तिक राम, निवासी ग्राम लालबहादुर नगर, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	21-02-2020	25000
11	डोंगरगढ़	रूपलाल/बरातू राम वर्मा	श्रीमती चन्द्रकला पति रूपलाल लोधी, निवासी ग्राम मड़ियान, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.)।	06-02-2020	25000
12	डोंगरगढ़	दीपेश कुमार पटेल आ. चंदुलाल,	श्री चंदुलाल आ. रामू पटेल, निवासी ग्राम मचानपुर, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	13-12-2020	25000
13	डोंगरगढ़	हिमांशु भामडे आ. विनोद भामडे	श्री विनोद भामडे आ. राजाराम, निवासी इंदिरा नगर वार्ड नं. 5 डोंगरगढ़, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	23-12-2020	25000
14	डोंगरगढ़	अमित/सियाराम टेम्भूरकर	श्रीमती अजना टेम्भूरकर पति अमित, निवासी ग्राम भूरवाटोला, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	09-04-2020	25000
15	डोंगरगढ़	कुमारी मनीषा पिता तिलक	श्री तिलक आ. रूपसिंग विश्वकर्मा, निवासी ग्राम डुण्डेरा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	06-11-2021	25000
16	डोंगरगढ़	कुमारी ललिता पिता तिलक	श्री तिलक आ. रूपसिंग विश्वकर्मा, निवासी ग्राम डुण्डेरा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	06-11-2021	25000
17	डोंगरगढ़	भगोली राम यादव पिता पलटु,	श्री ईश्वर पिता भगोली राम यादव, निवासी कातलवाही, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	28-01-2021	25000
18	डोंगरगढ़	चोवाराम/रामकुमार	श्री सुजीत आ. चोवाराम, जाति तेली, निवासी ग्राम वार्ड नं. 11 पारीकला, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	01-01-2021	25000
19	डोंगरगढ़	पुनीत राम आ. बिसराम नेताम	श्री फूलचंद धुर्वे आ. स्व. पुनीत धुर्वे, निवासी ग्राम माडीतराई, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	03-06-2020	25000
20	डोंगरगढ़	शाहनाज/हांशिम	श्री मो. हांशिम आ. अब्दूल खालिक, जाति मुसलमान, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	06-08-2017	25000
21	डोंगरगढ़	भूपेन्द्र/अंजोरी राम यादव	श्री अंजोरी राम यादव आ. गैंदराम यादव, निवासी ग्राम आलीवारा, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	09-09-2018	25000
22	डोंगरगढ़	लक्ष्मण/नुरहा	टेटकी साहू पति लक्ष्मण साहू, निवासी ग्राम केसली, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	30-04-2021	25000
23	डोंगरगढ़	विनोद/उदयराम बडमें	रंजना बडमें पिता विनाद बडमें, निवासी ग्राम बधियाटोला, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	13-08-2020	25000

24	डोंगरगढ़	रविन्द्र / नंदलाल गणवीर	लक्ष्मी गणवीर पति रविन्द्र गणवीर, निवासी ग्राम बुधवारीपारा वार्ड नं. 14 डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	29-11-2021	25000
25	डोंगरगढ़	मुरली मनोहर / परस राम राजपूत	वीणा सिंह राजपूत पति मुरली मनोहर राजपूत, निवासी ग्राम बोरतलाव, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	19-11-2020	25000
26	डोंगरगढ़	तुलेश / बंसत निषाद	श्री बंसल निषाद आ. बीरगि निषाद, निवासी ग्राम मुडपार, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	01-02-2021	25000
27	डोंगरगढ़	मनबिसराम / बारेलाल साहू	श्रीमती गौरी बाई साहू पति मनबिसराम साहू, निवासी ग्राम सेन्दरी, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	25-11-2020	25000
28	डोंगरगढ़	चुनेश्वर / शंकर साहू	श्री शंकर साहू आ. रामदास, निवासी ग्राम लाल बहादुर नगर, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	07-07-2021	25000
29	डोंगरगढ़	प्रेम दीपिका / शिवलाल टण्डन	श्री शिवलाल टण्डन / अमरु लाल, निवासी ग्राम मक्काटोला, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	16-10-2020	25000
30	डोंगरगढ़	लक्की / अमर सिंग नेताम	श्री अमर सिंह नेताम आ. शंकर नेताम, निवासी ग्राम भोथली, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	04-11-2021	25000
31	डोंगरगढ़	देवीलाल / रिघुराम कंवर	श्री रिघुराम कंवर आ. बृजलाल, निवासी ग्राम बरमपुर, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	13-01-2022	25000
32	डोंगरगढ़	पंचराम / सुमेरी साहू	श्रीमती कुमारी बाई पति पंचराम साहू, निवासी ग्राम जारवाही, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।	27-01-2022	25000
1	छुरिया	अनिल साहू	भागवत साहू	09.05.2019	25000
2	छुरिया	कन्हई	उत्तराबाई	21.07.2020	25000
3	छुरिया	टिकेश्वर	हेमलाल	07.08.2019	25000
4	छुरिया	प्रदीप .	सुभद्रीबाई मानिकपुरी	12.02.2020	25000
5	छुरिया	शामसाय	गणेशाबाई गोड	15.07.2020	25000
6	छुरिया	यादराम	द्रोपती	24.08.2020	25000
7	छुरिया	अवधराम	शांति बाई धनकर	16.07.2019	25000
8	छुरिया	अंजोरीराम	दशनबाई	08.03.2020	25000
9	छुरिया	नंदकुमार	नेमा बाई	14.10.2020	25000
10	छुरिया	तुकाराम	टीकूराम	20.07.2020	25000
11	छुरिया	कीर्ती चौरे	टीकम सिंह चौरे	26.12.2020	25000
12	छुरिया	विनोद कुमार कंवर	सीताराम कंवर आ. राम कंवर	24.10.2020	25000
13	छुरिया	लोकेश कुमार	दिनेश कुमार आ. धन्नालाल	12.08.2019	25000
14	छुरिया	पवन कुमार	परमिला बाई	26.10.2020	25000
15	छुरिया	रितेश गंधर्व	मनीषा गंधर्व	27.05.2020	25000
16	छुरिया	गोविन्दा	बीरूराम आ. आनंद राम	17.06.2020	25000
17	छुरिया	भुवन लाल	माखन लाल पटेल	30.10.2020	25000
18	छुरिया	जगत राम	चुनिया बाई	08.02.2021	25000
19	छुरिया	डिकेश्वर नेताम	विष्णु नेताम आ. रजलाल	22.01.2021	25000
20	छुरिया	लतलूराम साहू	लल्ली बाई पति लतल राम साहू	27.12.2020	25000
21	छुरिया	भूपेन्द्र कुमार रावटे	सुलोचना बाई पति भूपेन्द्र कुमार रावटे	11.03.2021	25000

22	छुरिया	उमेदी पडोती	केजाराम आ. भगोली पडोती	03.05.2021	25000
23	छुरिया	प्रेमलाल साहू	पिंकी बाई पति प्रेमलाल साहू	05.10.2021	25000
24	छुरिया	गोमेश कुमार साहू	उषाबाई पति गोमेश कुमार साहू	22.08.2021	25000
25	छुरिया	तुलाराम निर्मलकर	सनमत बाई पति तुलाराम निर्मलकर	19.02.2021	25000
26	छुरिया	धनसिंग चंद्रवशी	दानेश्वर चंद्रवशी आ. धनसिंग चंद्रवशी	07.10.2020	25000
27	छुरिया	जीवनलाल	हेमबाई पति जीवनलाल	16.11.2020	25000
28	छुरिया	राधेलाल कमलेश्वर	विजय कुमार आ. राधेलाल	31.10.2020	25000
29	छुरिया	कुंजबिहारी मिश्रा	योगेश्वरी पति कुंजबिहारी मिश्रा	17.10.2020	25000
30	छुरिया	सुभाष हरामे	तेजराम आ. सालिक राम हरामे	22.07.2021	25000
31	छुरिया	कुनाल	धनेश्वर आ. नवलसिंह	12.07.2021	25000
32	छुरिया	अक्षय कुमार	मुनियाबाई पति देवीलाल	09.11.2021	25000
33	छुरिया	नीलदास बन्धे आ. सुकालू बन्धे	कुसुमबाई पति नीलदास बन्धे	20.04.2021	25000
34	छुरिया	देवेन्द्र साहू आ. श्यामलाल साहू निवासी ग्राम-मटिया तहसील अजुन्दा जिला बालोद	श्यामलाल साहू आ. बिहारी लाल साहू निवासी ग्राम-मटिया तहसील अजुन्दा जिला बालोद	14.11.2021	25000
35	छुरिया	सोनारीन बाई पति गुलाब कोलियारा निवासी ग्राम-गिदर्सी	गुलाब कोलियारा आ. रंजीत निवासी ग्राम-गिदर्सी	11.02.2022	25000
36	छुरिया	देवप्रकाश उर्फ देवानंद पिता यादुराम धनकर निवासी ग्राम-आतरगांव	सुनीता बाई धनकर पति यादुराम धनकर निवासी ग्राम-आतरगांव	18.12.2022	25000
37	छुरिया	यादुराम धनकर पिता तुलसीराम धनकर निवासी ग्राम-आतरगांव	सुनीता बाई धनकर पति यादुराम धनकर निवासी ग्राम-आतरगांव	18.12.2022	25000
38	छुरिया	पुनुराम साहू आ. बिसाकू राम निवासी ग्राम-ब.चारभाठा	जमुना बाई पति पुनुराम साहू निवासी ग्राम-ब.चारभाठा	06.02.2022	25000
39	छुरिया	मुकेश कुमार आ. धुरसिंग निवासी ग्राम-खुर्सीटिकुल	ईश्वरी महानदिया आ. मुकेश कुमार निवासी ग्राम-खुर्सीटिकुल	22.01.2022	25000
40	छुरिया	मनोहर पांडे आ. झुनुराम पांडे निवासी ग्राम-राजनांदगांव	विजय कुमार आ. मनोहर पांडे निवासी ग्राम-राजनांदगांव	09.03.2021	25000
41	छुरिया	महाजन गोंड आ. सुन्दर निवासी ग्राम-कुबराडीह	राजिम बाई पति महाजन गोंड निवासी ग्राम-कुबराडीह	23.03.2022	25000
42	छुरिया	हीरालाल आ. रामदास	कुंतीबाई पति हीरालाल	28.10.2021	25000
43	छुरिया	परमेश्वर साहू आ. इंद्र कुमार साहू निवासी ग्राम-बोईरडीह	इंद्र कुमार साहू आ. पुरानीत साहू निवासी ग्राम-बोईरडीह	04.10.2021	25000
1	डोंगरगांव	शरद कुमार	राजकुमारी	09.05.2019	25000
2	डोंगरगांव	गुलेश्वर	पुनीत राम	02.03.2021	25000

3	डोंगरगांव	जीवन लाल	कमलेश्वरी	31.05.2021	25000
4	डोंगरगांव	आशा राम	अहिल्या	04.09.2021	25000
5	डोंगरगांव	हेमलता	आत्मा राम	23.10.2021	25000
6	डोंगरगांव	सौरभ कुमार	दिनेश कुमार	06.11.2021	25000
7	डोंगरगांव	उदेराम	सागर बाई	10.12.2021	25000
8	डोंगरगांव	गोवर्धन दास	परगना बाई	20.12.2021	25000
9	डोंगरगांव	कंचन बाई	घनाराम	18.02.2022	25000
10	डोंगरगांव	श्यामलाल	कमलेश	09.03.2022	25000
11	डोंगरगांव	परमेश्वर	संतोष	19.05.2022	25000
12	डोंगरगांव	फूलचंद	प्यारी बाई	12.08.2022	25000

1	अम्बागढ़ चौकी	श्यामसाय पिता घनश्याम	घनश्याम पिता रायसिंह निवासी हलामीटोला, तहसील अं0चौकी	05-10-2021	25000
2	अम्बागढ़ चौकी	गणपत पिता मंगतुराम	राजबाई पति गणपत निवासी बिहरीखुर्द, तहसील अं0चौकी	16-01-2022	25000
3	अम्बागढ़ चौकी	फनीराम	जीवनलाल पिता फनीराम निवासी पंडरीतराई, तहसील अं0चौकी	07-06-2022	25000
4	अम्बागढ़ चौकी	धनीराम पिता कुंवरसिंह	अनुसुईया पति धनीराम निवासी निचेकोड़ा, तहसील अं0चौकी	06-01-2022	25000
5	अम्बागढ़ चौकी	जगताराम पिता बुधराम	सुशीलाबाईपति जगताराम निवासी बिहरीखुर्द, तहसील अं0चौकी	14-07-2019	25000
6	अम्बागढ़ चौकी	सेवाराम पिता पतुराम	ललिताबाई पति सेवाराम निवासी बिहरीखुर्द, तहसील अं0चौकी	06-07-2021	25000
7	अम्बागढ़ चौकी	भूपतशाय पिता रामसाय	सरस्वती पति भूपत निवासी केसरीटोला, तहसील अं0चौकी	06-03-2021	25000
8	अम्बागढ़ चौकी	परमेश्वर पिता बिसुराम	बिसुराम पिता भवानी निवासी केसरीटोला, तहसील अं0चौकी	06-03-2021	25000
9	अम्बागढ़ चौकी	योगेश्वर पिता ईतवारी	ईतवारी पिता सिरासिंह निवासी पालान्दुर, तह0मोहला,(गुण्डरदेही तहसील अं0चौकी)	09-07-2021	25000
10	अम्बागढ़ चौकी	अशोक कुमार	विष्णुराम पिता आनंदराम निवासी सिंघाभेडी, तहसील अं0चौकी	14-11-2021	25000
11	अम्बागढ़ चौकी	जीतूराम	ममता चोरिया पिता स्व. जीतूराम निवसी टाटेकसा, तहसील अं0चौकी	03-07-2020	25000
12	अम्बागढ़ चौकी	प्रहलाद	लोकचंद पिता प्रहलाद निवासी डोंगरगांव	07-06-2021	25000
13	अम्बागढ़ चौकी	शिवबती पति कृपाराम	कृपाराम आ. बिज्ञवारिन आडेझर	21-11-2021	25000

मोहला

निरंक

1	मानपुर	महेश	श्री दिनाराम/गुडडीराम	24.03.2019	25,000
2	मानपुर	भूषण	श्री थनवार/रामचंद	01.01.2020	25,000
3	मानपुर	सुरेश	श्रीमती धनमत बाई/शिवराज	29.08.2020	25,000
4	मानपुर	उदयशंकर	श्री हिरेशिंग/दशाराम	11.10.2020	25,000
5	मानपुर	दिनेश	श्रीमती सुकारोबाई/मसराराम	10.08.2020	25,000
6	मानपुर	नीलू खलखो	श्री लाजरूस/ईमिलसाय	03.03.2021	25,000
7	मानपुर	तिलेश दरो	श्री कंगलूराम/समाराराम	05.03.2020	25,000
8	मानपुर	सुखेदेव	श्री सुद्धुराम/सनदेर	19.06.2021	25,000

9	मानपुर	चैतुराम	श्रीमती ममताबाई / चैतुराम	14.11.2021	25,000
10	मानपुर	भुनेश्वर	श्री ईश्वर / जागेश्वर	06.11.2021	25,000
11	मानपुर	राहुल	श्री अशोक कुमार / दादाजी	06.11.2021	25,000
12	मानपुर	जैनकुमार	श्रीमती अमनबाई / जैनकुमार	13.11.2021	25,000
13	मानपुर	बिसरुराम	श्रीमती सुपोतिनबाई / बिसरुराम	10.02.2021	25,000
14	मानपुर	सीताराम	श्री रमेश / सीताराम	12.08.2021	25,000
15	मानपुर	बिरेन्द्र	श्रीमती किरन / बिरेन्द्र	31.05.2021	25,000
16	मानपुर	फूलसिंह	श्रीमती रिसोबाई / फूलसिंह	13.11.2021	25,000
17	मानपुर	शेरंग	श्रीमती रैनीबाई / शेरंग	05.03.2021	25,000
18	मानपुर	सुभेराम	श्रीमती सखीना / सुभेराम	05.10.2021	25,000
19	मानपुर	विनोद	श्रीमती सुरेखा / विनोद	10.02.2021	25,000
20	मानपुर	महेन्द्र	श्रीमती जनकबाई / महेन्द्र	05.10.2021	25,000
21	मानपुर	सुमरित	श्री मोचीराम / पंचमसिंह	23.01.2022	25,000
22	मानपुर	हर्षलता	श्री असरोत / झीदूराम	02.01.2022	25,000
23	मानपुर	दारसु	श्रीमती मंजू / दारसूराम	27.02.2022	25,000
24	मानपुर	हरीश	श्री धरमूराम / चरणसिंह	04.02.2022	25,000
25	मानपुर	अरुण	श्रीमती सुशीला / रघुबीर	19.02.2022	25,000
26	मानपुर	एस.नूर.	श्री शाजिद नूर / एस.नूर खान	10.09.2020	25,000
27	मानपुर	सगरू	श्रीमती जयंतीबाई / सगरूराम	17.10.2021	25,000
28	मानपुर	नंदलाल	श्री मेघराज / तुनुराम	17.10.2021	25,000
29	मानपुर	राकेश	श्रीमती रानीबाई / सुरेन्द्र	17.10.2021	25,000

परीशेष्ट - बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 688) की जानकारी

पृष्ठ

दुर्ग संभाग में स्थानांतरित, कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले
व्याख्याता (एल.बी.) एवं शिक्षक (एल.बी.) की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	स्थानांतरण		कार्यमुक्त		कार्यभार ग्रहण	
		व्याख्याता (एल.बी.)	शिक्षक (एल. बी.)	व्याख्याता (एल.बी.)	शिक्षक (एल.बी.)	व्याख्याता (एल.बी.)	शिक्षक (एल.बी.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुर्ग	27	39	25	39	25	39
2	बेमेतरा	94	75	93	73	93	73
3	कबीरघाम	105	222	88	143	88	143
4	राजनांदगांव	20	9	18	9	18	9
5	बालोद	32	11	32	11	32	11
6	मोहला-मानपुर- अं.चौकी	16	5	14	4	14	4
7	खैरागढ़-छुईखदा न-गण्डई	28	27	26	25	26	25

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
सदर कार्यालय रायपुर

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़


पारिशेष - इक्कीस

पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 36 (क्र. 696) की जानकारी

प्रपत्र

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकास खण्डों में संचालित 100 सीटर्स कन्या छात्रावासों में वर्ष 2019-20 से 15.12.2022 तक विभाग द्वारा सामग्री प्रदाय की जानकारी

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के विकास खण्डों में संचालित 100 सीटर्स कन्या छात्रावासों को वर्ष 2019-20 से दिनांक 15/12/2022 तक पलंग, गद्दा, तकिया, तकिया कव्हर, मच्छरदानी, थाली, गिलास, चादर, कबल, स्टील कटोरी, जग, स्टील गंजी, कढ़ाई, करचुला, परात, चम्मच, अनाज कोठी, स्टील पानी ड्रम, लोहा बाल्टी, स्टील बाल्टी, प्लास्टिक बाल्टी, प्रेशर कुकर, पंखा, एल. ई.डी.बल्ब, ट्यूबलाईट, स्ट्रीट लाईट, दरी, आलमीरा, लोहा रेक, फिनाईल, चौमुखा, विद्यार्थी टेबल, विद्यार्थी बेंच, टाटपट्टी, डस्टबीन, सिन्टेक्स पानी टंकी, ऑफिस टेबल, ऑफिस कुर्सी, गंज, गंज ढक्कन, मास्क, सेनेटाईजर, झारा, लोहा पलटा, रजिस्टर, दर्पण, तावा, दाल पात्र, जूता स्टैण्ड, हारपीक प्रदाय की गई है।


अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशिए - बाइस
पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 38 (क्र. 707) की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत शासकीय विकास कार्यों हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रदान किये जाने संबंध में
जानकारी प्रपत्र


क्र.	प्रयोजन	ग्राम का नाम	किये गये भूमि अधिग्रहण				की गई मुआवजा भुगतान		भुगतान हेतु शेष		भुगतान न होने का कारण
			भू-अर्जन / आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति	अवार्ड / आदेश पारित होने की तिथि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1) वर्ष 2019-20											
- निरंक -											
(2) वर्ष 2020-21											
1	कलमा बैराज	बिलाईगढ़ (प)	भू-अर्जन	28.01.2021	33	77386694	30	73535174	3	3851520	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं होना।
2	साराडीह बैराज	साराडीह	आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति	10.12.2020	125	158100373	117	147137361	8	10963012	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं होना।
योग:-					158	235487067	147	220672535	11	14814532	
(3) वर्ष 2021-22											

1	कलमा बैरोंज	सिरौली	भू-अर्जन	03.04.2021	55	23295450	34	19224133	21	4071317	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं
2		गोपालपुर	भू-अर्जन	02.06.2021	43	66713943	38	54330994	5	12382949	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं होना।
3		बरहागुड़ा	भू-अर्जन	02.06.2021	34	55990650	29	53548272	5	2442378	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं होना।
4		बिरहाभांटा	भू-अर्जन	17.06.2021	6	387421	3	193710	3	193711	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं
5		पलसदा	भू-अर्जन	17.06.2021	49	20234135	38	17184872	11	3049263	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं
6		मैसामुहान	भू-अर्जन	17.06.2021	20	14453381	12	10114571	8	4338810	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं

7	चंदली	भू-अर्जन	02.07.2021	89	33518870	75	31231970	14	2286900	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा	
8	हीरापुर	भू-अर्जन	13.07.2021	14	53939990	13	52916868	1	1023122	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा	
योग:-				310	268533840	242	238745390	68	29788450		
(4) वर्ष 2022-23 (दिनांक 15.12.2022 तक)											
1	साराडीह बैरौंज एप्रोच रोड निर्माण	साराडीह	भू-अर्जन	04.05.2022	9	1868151	9	1868151	0	0	
2	साराडीह बैरौंज	साराडीह	भू-अर्जन	09.09.2022	18	52361558	2	1457036	16	50904522	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं
3		बसंतपुर	भू-अर्जन	06.06.2022	22	27835339	2	15617544	20	12217795	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं होना।
4		उपनी	भू-अर्जन	09.09.2022	211	344832534	58	93648067	153	251184467	न्यायालयीनवाद, आपसी विवाद, स्वत्व विवाद एवं आपत्ति तथा उपस्थित नहीं होना।

कलमा बरौज	चन्द्रपुर	आपसी सहमति से भूमि क्रय	02.12.2022	4	13683173	4	13683173	0	0	
योग:-				264	440580755	75	126273971	189	314306784	
कुलयोग:-				732	944601662	464	585691896	268	358909766	


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)


 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 एवं अर्जन अधिकारी, इगस

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान के संबंध में जानकारी

क्र०	प्रयोजन	ग्राम का नाम	किये गये भूमि अधिग्रहण				की गई मुआवजा भुगतान		भुगतान हेतु शेष		भुगतान न होने का कारण
			भू-अर्जन/आपसी सहमति से भूमि कय नीति	अवार्ड/आदेश पारित होने की तिथि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1) वर्ष 2019-20											
1	पोता उप वितरक नहर	आमनदुला	भू-अर्जन	27/12/2019	1	459466	1	459466	-	-	पूर्ण भुगतान
(2) वर्ष 2020-21											
1	करिगांव माइनर	सोनादुला	भू-अर्जन	31/12/2020	1	332723	1	332723	-	-	पूर्ण भुगतान
(3) वर्ष 2021-22											
1	सक्ती-टुण्डी मार्ग चौड़ीकरण	करापाली	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	02/03/2022	25	4989600	24	4838400	1	151200	फौती नामांतरण होने से पंजीयन की कार्यवाही लंबित है
निरंक											
(4) वर्ष 2022-23 (दिनांक 15/12/2022 तक)											
1	सक्ती-टुण्डी मार्ग चौड़ीकरण	फगुरम	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	04/11/2022	16	16202960	-	-	16	16202960	पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
2	सक्ती-टुण्डी मार्ग चौड़ीकरण	भांटा	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	04/11/2022	30	10261800	-	-	30	10261800	पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

3	सक्ती-टुण्डी मार्ग चौड़ीकरण	झर्रा	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	04/11/2022	11	6367400	-	-	11	6367400	पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	सक्ती-टुण्डी मार्ग चौड़ीकरण	तौलीपाली	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	04/11/2022	32	5974400	16	2429600	16	3544800	पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	सक्ती-टुण्डी मार्ग चौड़ीकरण	कुधरी	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	65	-	-	-	65	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	सक्ती-टुण्डी मार्ग चौड़ीकरण	कुलवा	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	73	-	-	-	73	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	जैजैपुर-मालखरौद I-गोबरामांठा मार्ग चौड़ीकरण	छोटे सीपत	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	32	-	-	-	32	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	जैजैपुर-मालखरौद I-गोबरामांठा मार्ग चौड़ीकरण	कलमी	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	17	-	-	-	17	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9	जैजैपुर-मालखरौद I-गोबरामांठा मार्ग चौड़ीकरण	चारपारा	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	18	-	-	-	18	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
10	जैजैपुर-मालखरौद I-गोबरामांठा मार्ग चौड़ीकरण	नगझर	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	4	-	-	-	4	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
11	जैजैपुर-मालखरौद I-गोबरामांठा मार्ग चौड़ीकरण	बेल्हाडीह	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	11	-	-	-	11	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



12	जैजैपुर-मालखरौद I-गोबराभांठा मार्ग चौड़ीकरण	कलमी	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	33	-	-	-	33	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
13	जमगहन-दलालपा ली मार्ग निर्माण	दलालपाली	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	14	-	-	-	14	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
14	जमगहन-दलालपा ली मार्ग निर्माण	जमगहन	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	2	-	-	-	2	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
15	सारसडोल माइनर/पोता उपवितरक नहर	मोहतरा	आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016	-	5	-	-	-	5	-	प्रकरण में भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
योग					390	44588349	42	8060189	348	36528160	

अनुभाग अधिकारी
सख्त एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
एवं भू-अर्जन अधिकारी सक्ती

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारोक्ष - तेईस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 14) की जानकारी

माननीय श्री सौरभ सिंह, विधायक अकलतरा विधान सभा क्षेत्र का अतारांकित प्रश्न क्रमांक 14 दिनांक 20.12.2022
भारतमाला परियोजना अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकृत एवं लंबित शिकायतों की जानकारी

स.क्र.	आवेदन कहां से प्राप्त हुआ है।	विषय	निराकरण
1	2	3	4
1	रामदीन देवांगन पिता दल्लूराम देवांगन निवासी ग्राम पंतोरा	ख.नं. 84 अर्जित किये जाने एवं 85/1 को कम प्रकाशन किये जाने के संबंध में।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
2	सदाराम पिता मनीराम ग्राम पंतोरा	कम भूम के संबंध में खसरा नंबर 322	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
3	झाड़ूराम पिता मंगलूराम	कम मुआवजा राशि दिये जाने पर आपत्ति किया गया है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
4	छेदीलाल पिता मंगलू राम	287/3 का कम मुआवजा निर्धारण करने पर आपत्ति किया गया है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
5	मोंगरा बाई फनाराम निवासी पंतोरा	रोड से लगा होने के कारण कम मुआवजा दिये जाने पर आपत्ति।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
6	मोंगरा बाई पुनाराम निवासी पंतोरा दिनांक 07.08.2021	खसरा नं. 283/2 रकबा 0.65 एकड़ में से 490 वर्गमीटर, उचित मुआवजा प्रदान करने बाबत। एवं माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत W.P.C. No. 4841/2021 आदेश दिनांक 02.12.2021 में अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) निर्धारित विधि का पालन कर मुआवजा प्रदान करने बाबत।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
7	खिलावन पिता गणेशराम निवासी ग्राम पंतोरा दिनांक 27.08.2021	नोटिस से कम भूमि होने के कारण मौके पर ज्यादा भूमि के लिए आपत्ति दिया है।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
8	छेदीलाल कुंभकार पिता मंगलूराम निवासी ग्राम पंतोरा	भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि का शासन के गाइड लाईन के अनुसार पुनः निर्धारित किये जाने बाबत।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
9	शत्रुहन सिंह/शुकवार सिंह ग्राम पंतोरा	खसरा नंबर 190/1 प्रकाशन में छुट गया है किन्तु हल्का पटवारी जांच प्रतिवेदन में उक्त खसरा नंबर की 0.311 हेक्टेयर भूमि एन.एच में प्रभावित बनाया गया है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
10	छत्तराम देवांगन पिता चंदाराम	43/3 प्रकाशन में छुट गया है एवं खसरा नंबर 191, 192/2 की कम भूमि अर्जित किये जाने पर आपत्ति	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
11	सीताराम कुंवर निवासी ग्राम पंतोरा	सिंचित भूमि होने के आधार पर मुआवजा प्रदान किये जाने बाबत।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
12	लम्बोदर राधेश्याम, विष्णु प्रसाद पिता शंकरलाल ग्राम पंतोरा	0.47 एकड़ को अधिग्रहित किया गया है। पटवारी द्वारा चिन्हांकित एवं अर्जन सूची में नाम नहीं दिये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
13	समेलाल रामलाल पिता सदाराम निवासी ग्राम पंतोरा	खसरा नंबर 322/1 में से दो खेत का अधिग्रहण होना है, किन्तु नोटिस में 28 डिसमिल का ही मआवजा बनाया गया है। पुनः नाप कराकर त्रुटि सुधार करने बाबत एवं 322/1 में एक छोटे खेत जो अधिग्रहण होना है परन्तु माप नहीं किया गया है, माप कराकर पूरक सूची में नाम जोड़ने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
14	मुनीन्द्र कुमार पिता गणेश राम पंतोरा	खसरा नं. 70/4 एवं 46/3 लगभग 68 डिसमिल (2752 वर्गमीटर) पटवारी द्वारा जांच कर भेजा गया। अतः नोटिस में माप (2380) वर्गमीटर का मुआवजा दिया जा रहा है। अतः बचे भूमि (372) वर्गमीटर का मुआवजा राशि प्रदान करने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
15	खिलावन पिता गणेशराम जायसवाल निवासी ग्राम पंतोरा दिनांक 01.12.2021	खसरा नंबर 70/2, 76/1 अर्जित रकबा 240 वर्गमीटर जो कि प्र.हे उक्त भूम का मुआवजा प्लाट के दर पर निर्धारण भुगतान करने हेतु आवेदन पत्र।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
16	श्रीमति मोंगराबाई पिता पुनाराम निवासी ग्राम पंतोरा दिनांक 27.12.2021	खसरा नं. 283/2 रकबा 0.65 एकड़ में से 490 वर्गमीटर, उचित मुआवजा प्रदान करने बाबत। एवं माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत W.P.C. No. 4841/2021 आदेश दिनांक 02.12.2021 में अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) निर्धारित विधि का पालन कर मुआवजा प्रदान करने बाबत।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।

17	श्री छेदीलाल आ.मंगलूराम ग्राम पंतोरा दिनांक 27.12.2021 एवं आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2022	खसरा नंबर 287/3 रकबा 650 वर्ग. उचित मआवजा प्रदान करने बाबत्। मान. उच्च न्यायालय के रिट W.P.C. No. 4841/2021 आदेश दिनांक 02.12.2021	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
18	श्री गोविन्दराम ग्राम पंतोरा तह. बलौदा जिला जांजगीर-चांपा दिनांक 07.03.2022	एन.एच.-130ए में अर्जित भूमि की सही माप एवं वास्तविक भुगतान हेतु आवेदन पत्र ख.नं. 43	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
19	देवलाल देवांगन पिता स्व. श्री गयाराम देवांगन निवासी ग्राम पंतोरा	खसरा नंबर 324/1, 325 की भूमि अर्जित मूल्यांकन के समय हम ग्राम में उपस्थित नहीं थ। पूर्व मूल्यांकन से वर्तमान मूल्यांकन में असंतुष्टी हुई है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
20	मोंगराबाई/पुनीराम	सिंचत दर से मुआवजा पुर्नगणना कर प्रदान करने बाबत्।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
21	छततराम देवांगन पिता चंदाराम	अर्जित भूमि का पुनः मौका जांच कराकर मुआवजा प्रदाय करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
22	महेन्द्र कुमार पिता घासीराम देवांगन	अर्जित भूमि का पुनः मौका जांच कराकर मुआवजा प्रदाय करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
23	गोविन्दराम देवांगन पिता मनीराम देवांगन निवासी ग्राम पंतोरा दिनांक 07.03.2022, 31.03.2022	भारतमाला में अर्जित भूमि की सही माप एवं वास्तविक भुगतान देने बाबत्। रा.रा. मार्ग 130ए में बि-उरगा चौड़ीकरण हेतु भूमि अर्जित भूमि का मुआवजा वर्गफिट की दर से किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
24	बहोर सिंग पिता नानदाऊ	ख.नं. 610/6 का मुआवजा देने के सम्बंध में (मुआवजा) नहीं दिया गया और भूमि में खम्बा लगा दिया है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
25	सत्यनारायण यादव पिता हरिराम यादव श्रीमति राजकुमारी यादव पति सत्यनारायण यादव विवेक कुमार यादव पिता सत्यनारायण	ख.नं. 610/2 रकबा 1545 वर्ग. मीटर खसरा नंबर 610E3 रकबा 1061 व.मी. खसरा नंबर 250/1, 610, 261/1, 261/2, 260 जो कि जमीन रोड के 300 मीटर दूरी पर है तथा रेट कम है मुआवजा सही रेट से दिया जाए	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
26	प्रतिभा उपाध्याय पति श्री चन्द्रभूषण उपाध्याय निवासी ग्राम भिलाई दिनांक 30.07.2021	खसरा नंबर 376/3 जो भूमि है। उसका सरकिल रेट से कम मुआवजा का रेट में उसमें सुधार व जांच किया जावे।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
27	चन्द्रभूषण उपाध्याय पिता महेश्वर प्रसाद उपाध्याय ग्राम भिलाई दिनांक 30.07.2021	खसरा नंबर 440/1, 409/1, 403, 400, 409/2 जोकि भूमि का सरकिल रेड से कम मुआवजा का रेट है। इसकी जांच किया जावे।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
28	महेश्वर प्रसाद पिता संकरा प्रसाद ग्राम भिलाई दिनांक 30.07.2021	खसरा नंबर 371, 369/4 भूमि का सरकिल रेड से कम मुआवजा का रेट है। इसकी जांच किया जावे।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
29	दिनेश नंदनी पति पंचराम यादव पिता गौरैलाल यादव	खसरा नंबर 267 का मुआवजा का रेट कम है, इसको जांच करके बढ़ाया जावे।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
30	गज्जू सिंह उर्फ गजाधर पिता समार सिंह ग्राम भिलाई	खसरा नंबर 605/2 में उचित मुआवजा दिये जाने बाबत् आवेदन	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
31	बैजनाथ पिता सम्पत जाति तेली ग्राम डोंगरी दिनांक 06.02.201	ख.नं. 166/5 का रकबा 530 वर्गमी. का मुआवजा नोटिस में कम है। जांच कर मुआवजा बढ़ाया जाए	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
32	सरकार सिंह पिता परिमल वगै. डोंगरी दिनांक 06.08.2021	सिंचित एवं दो फसलीय सिंचित दर पर मुआवजा दिया जाय।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
33	ओमप्रकाश पिता इतवारा ग्राम डोंगरी दिनांक 06.08.2021	गाईडलाइन के हिसाब से मुआवजा प्रदाय करने हेतु आपत्ति दर्ज किये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
34	धरम पिता सरजू डोंगरी दिनांक 06.08.2021	ख.नं. 173/3 एवं 160/3 गाइडलाइन से कम है आवासी प्रकार का भूमि है उक्त भूमि गाईडलाइन के हिसाब से प्रदान करने बाबत्।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
35	राजकुमार पिता बैजनाथ	खसरा नंबर 175/1 में पुनः माप करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।

36	दशरथ पिता मुगलू	ख.नं. 337, 338/1 गाइड लाईन के हिसाब से मुआवजा दिये जाने बाबत्।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
37	रामशरण, राजराजेश्वर पिता मुंगलू	ख.नं. 422/2 भूमि को वर्गमीटर के हिसाब से मुआवजा बनाने हेतु एवं 419/6 का मुआवजा नहीं बनाने के लिए जांच हेतु आवेदन	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
38	विनोद पिता बैजनाथ	ख.नं. 175/2 में गाइड लाईन के आधार पर मुआवजा दिये जाने बाबत्	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
39	बलदाऊ उर्फ बलदेव पिता जगन्नाथी ग्राम डोंगरी दिनांक 12.11.2021	ख.नं. 420/2 अर्जित रकबा 0.22 डि. भूमि भा.रा.रा. मार्ग में अधिग्रहण किया गया है परन्तु 0.15 डि. भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है। अतः उचित नाम कर मुआवजा दिये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
40	श्री सरकार सिंह, गंगाशरण प्रताप सिंह, शत्रुहण सिंह कमल किशोर सिंह, पिता स्व. परिमल सिंह स्व धरम सिंह, स्व. इन्द्रभूषण सिंह पिता अमृत सिंह ग्राम डोंगरी तहसील बलौदा दिनांक 28.02. 2022	भूमि का मआवजा सिंचित श्रेणी के हिसाब से एवं नलकूप बिजली कनेक्शन की राशि का मूल्यांकन कर राशि जारी करने बाबत्।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
41	श्री सुरेश नारायण पिता कुंजराम साहू ग्राम डोंगरी दिनांक 30.03.2022	आवेदक द्वारा खसरा नंबर 445/2 रकबा 0.1290 हेक्टेयर में से 0.0450 का पूर्व में अवाई किया गया है। किन्तु खसरा नंबर 445/2 में से केवल कुछ अंश ही शेष बच रहा है। अतः मौका जांच कराकर शेष बचत भूमि को उए प्रकाशन में पुस्तावित कर प्रकाशन करने की कृपा करे।।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
42	छबीलाल जांगड़े पिता समारुराम जांगड़ ग्राम कोरबी महन्त दिनांक 18.08.2021	यह कि शासन द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि को चिन्हांकन किया गया है। लेकिन उक्त भूमि के प्रकाशन सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं किया गया है न शासन द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की जानकारी दी गई है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
43	गेंदराम पिता स्व. रामरोस ग्राम कोरबी महन्त दिनांक 18.08.2021	यह कि शासन द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि को चिन्हांकन किया गया है। लेकिन उक्त भूमि के प्रकाशन सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं किया गया है न शासन द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की जानकारी दी गई है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
44	भागीरथी निर्मलकर पिता राजाराम	779/2 भूमि का मौका जांच एवं रिकार्ड दुरुस्ती कर प्रभावित भूमि का उचित मुआवजा प्रदान करने बाबत्	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
45	कृष्णकुमार अग्रवाल	286/1 अर्जित रकबा 0.3140 हेक्टेयर में से 0.60 डिसमिल अर्जित किया गया है जिसमें ट्यूबवेल से सिंचित है जिसका मुआवजा नहीं दिये जाने बाबत्	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
46	दीनदयाल जांगड़े पिता शिवदास	658/18 अर्जित रकबा 610 वर्ग मीटर का मुआवजा प्रकरण नहीं किया गया है तथा 658/19 में अधिक भूमि का अधिग्रहण है किन्तु मुआवजा प्रकरण कम तैयार किया गया है जिसमें मुआवजा प्राप्त करने में आपत्ति है	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
47	दिनेश पाण्डेय पिता भुवनलाल ग्राम सोनादुला	खसरा नंबर 328/1, 328/3 भूमि का सही माप करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
48	सेतोष पिता त्रिभुवन ग्राम सोनादुला	खसरा नंबर 328/4, 328/5 का सही माप करने बाबत्। (संतोष पिता त्रिभुवन का मआवजा अधिक)	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
49	संजीव कुमार पिता चंदराम ग्राम सोनादुला	ख.नं. 329/3329/1ख, 329/4, 329/2, 329/6 का चिन्हांकन अधिक किया गया है एवं मुआवजा कम किये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
50	गंगाराम पिता टीकाराम ग्राम सोनादुला	खसरा नंबर 323/1 भा.रा.रा.मार्ग कर्मांक 130 ए में पड़ने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
51	सुखदेव पिता हीरासाय ग्राम सोनादुला	खसरा नंबर 328/2 अर्जित रकबा 0.251 भूमि का प्रकाशन नहीं किये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।
52	विमला बाई पति अमरलाल साहू	भूमि खसरा नं.432/6 रकबा 0.1210 हेक्टेयर भूमि में भी रोड निर्माण हेतु खंभा गाड़ दिया गया है खसरा नं.432/6की मुझे भू अर्जन शाखा से कोई सूचना नहीं है और मेरी भूमि ख.ने.158/7 खिसोरा से हरदीबाजार मुख्य मार्ग पर लगा हुआ है जिसका मुआवजा कम है कृपया उचित मूल जमीन का लगाये	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
53	लक्ष्मीनारायण पिता छततुलाल ग्राम खिसोरा	खसरा नंबर 480/1, 480/2, 480/3 बंटवारा में प्राप्त भूमि का मौका जांच करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का उए प्रकाशन किया गया है।

54	प्रेमचंद साहू पिता बुद्धराम साहू ग्राम खिसोरा	खसरा नंबर 158/6 अर्जित रकबा 0.2230 हेक्टेयर भूमि डायवर्टड के अनुसार मुआवजा प्रदाय किये जाने बाबत्।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
55	जगदीश पिता राधेश्याम ग्राम खिसोरा	नक्सा बटांकन किये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
56	लल्लूराम पिता सुखसागर जाति अहीर ग्राम खिसोरा	खसरा नंबर 463/1 अर्जित रकबा 0.47 एकड़ जो भी भा.रा.राजमार्ग 130ए से अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 1903 वर्गमी. अधिग्रहण हो रहा है तथा 950 वर्गमीटर बनाया गया है जिसका संपूर्ण मुआवजा प्रदान किये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
57	प्रियासाहू पिता बाबुलाल साहू	432/5 चिन्हांकित किया गया है, किन्तु सर्वे सूचि में नाम छुट जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
58	लखनलाल साहू पिता ननकी राम साहू	मुआवजा राशि सिंचित के आधार पर बनाये जाने बाबत्।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
59	रामकिशुन पिता कार्तिक राम ग्राम खिसोरा	खसरा नंबर 469/2 कुल रकबा 1.81 एकड़ भूमि में से 0.2020 हेक्टेयर भा.रा.रा. मार्ग 130ए में प्रभावित हो रहा है जो मौका के अनुसार कम होने एवं नक्शा का मुआवजा प्रदाय करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
60	रामनारायण राठौर ग्राम खिसोरा	प्रकाशित भूमि त्रुटि पूर्ण होने से त्रुटि सुधार कर मुआवजा प्रदाय करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
61	कमलनयन साहू पिता स्व. बुधुराम साहू	खसरा नंबर 432ध2 रकबा 2020 वर्गमीटर में दी सूचना से ज्यादा भूमि अधिग्रहण की गई हो जिसका भौतिक सत्यापन कराकर की भूमि का अधिग्रहण मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
62	सुनिल कुमार साहू पिता कमलनयन साहू	खसरा नंबर 159/2 रकबा 2230 व खसरा नंबर 160/5 रकबा 1412 वर्ग मीटर है, इसमें दी गई सूचना से ज्यादा भूमि अधिग्रहण की गई है, जिसका भौतिक सत्यापन कराकर भूमि का अधिग्रहण मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
63	प्रतिक्षा सिंह पति राणा पवन दिनांक 15.07.2021	खसरा नंबर 297/4 शामिल 298/4 रकबा 0.2310 हेक्टेयर भूमि में से अधिग्रहित की गई भूमि को सूची में दर्ज कराकर शासन द्वारा विहित मुआवजा राशि प्रदान हेतु आदेशित किया जावे।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
64	चैतकुंवर ईतवार कुंवर दिनांक 15.07. 2021	मुआवजा राशि पर आपत्ति बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
65	गणेशराम पिता गोवर्धन अन्य दिनांक 19.01.2021	खसरा नंबर 291/1 हल्का पटवारी आर.आई से जांच कराकर मुआवजा राशि हेतु आदेश करने की दया करें।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
66	खोलबहरा पिता दसेराम ग्राम हरदीविशाल	सीमांकन करने हेतु आवेदन	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
67	अश्वन कुमार डहरिया ग्राम हरदीविशाल दिनांक 26.09.2021	भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर उरगा तक 72 किमी पर सड़क निर्माण में जांचगीर अनुविभागीय के ग्राम हरदीविशाल के अधिग्रहित जमीन का मुआवजा राशि गलत माप के अनुसार बना है, इसके बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
68	बंशीराम पिता अंतराम	खसरा नंबर 232 में कम मुआवजा होने पर सही जांच कर सीमांकन करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
69	रामसनेही पिता सेवकराम	खसरा नंबर 364/4 भा.रा.रा.मार्ग में भूमि अधिग्रहण किया गया है जिसका नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। सिंचित है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
70	बेदराम पटेल पिता गोवर्धन देवराम पटेल पिता जगताराम कन्हैया लाल पिता धजाराम	मुआवजा वर्गफीट के हिसाब से किये जाने बाबत्।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
71	खोलबहरा एवं समस्त किसान ग्राम हरदीविशाल कार्य. आयुक्त बिलासपुर दिनांक 28.12.2021	ग्राम हरदी विशाल से जो रा.रा.मा. 130ए में जो जमीन निकल रहा है उसका मुआवजा बढ़ाने हेतु आवेदन बाबत्।	इस आवेदन में 52 किसानों द्वारा मौका जांच हेतु आवेदन किया गया है जिसके आधार पर दिसम्बर 2021 में सम्पूर्ण एलाईनमेंट का मौका जांच कराया गया।

72	संतोष पिता रमेश्वर	विधिवत सीमांकन कराकर मुआवजा प्रदाय करने बाबत	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
73	खोलबहरा पिता दसेराम ग्राम हरदीविशाल	मुआवजा प्रदाय करने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
74	सुखीराम पिता फिरतुराम ग्राम अंगारखार दिनांक 18.08.2021	मेरा नोटिस 46 मीटर पश्चात् वाली भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार बना है जबकि मेरा भूमि बिलासपुर-सीपत-बलौदा उरगा कोरबा मार्ग से 0-10 फीट के अंतर्गत है। नोटिस में सुधार किया जाये।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
75	लालजी पिता माखन ग्राम अंगारखार दिनांक 18.08.2021	मेरा नोटिस 46 मीटर पश्चात् वाली भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार बना है जबकि मेरी भूमि सड़क से 0 से 50 फिट दूरी पर है। उस रेट बाजार मूल्य से मुआवजा बनना है।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
76	श्यामलाल, दसेराम पिता बडकु ग्राम अंगारखार दिनांक 18.08.2021	मेरा नोटिस 46 मीटर पश्चात् वाली भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार बना है जबकि मेरी भूमि सड़क से 0 से 20 फिट दूरी पर है। उस रेट बाजार मूल्य से मुआवजा बनना है।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
77	खीकराम खैरवार पिता रामनाथ ग्राम अंगारखार दिनांक 18.08.2021	मेरा नोटिस 46 मीटर पश्चात् वाली भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार बना है जबकि मेरी भूमि सड़क से 0 से 20 फिट दूरी पर है। उस रेट बाजार मूल्य से मुआवजा बनना है।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
78	महेशराम पिता माखन ग्राम अंगारखार दिनांक 18.08.2021	मेरा नोटिस 46 मीटर पश्चात् वाली भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार बना है जबकि मेरी भूमि सड़क से 0 से 20 फिट दूरी पर है। उस रेट बाजार मूल्य से मुआवजा बनना है।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
79	अमरीका पिता उदेराम सतनाम ग्राम अंगारखार दिनांक 18.08.2021	वह सड़क मार्ग से 46 मीटर पश्चात् वाली भूमि के बाजार मूल्य अनुसार बना है जबकि मेरी भूमि जिला मार्ग (बिलासपुर सिपत-बलौदा उरगा-कोरबा) मार्ग से 0 से 20 फिट दूरी पर है। उस रेट बाजार मूल्य से मुआवजा बनना है।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
80	रामेश्वर जीतराम समार सिंह ग्राम अंगारखार	अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण पुनः करने हेतु बाबत।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
81	महारथी पिता जैलाल	खसरा नंबर 136/1 की भूमि का उचित मापन कर उचित मुआवजा दिये जाने बाबत।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
82	खीकराम खैरवार एवं समस्त कृषकगण ग्राम अंगारखार	कम मुआवजा दिये जाने के संबंध में।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
83	श्री मुकेश कुमार लहरे ग्राम अंगारखार	पी.जी.एन. पोर्टल से प्राप्त आवेदन ग्राम अंगारखार से होकर गुजरने वाले जिला मार्ग (सीपत बलौदा उरगा) से 46 मीटर अंतर्गत कृषि भूमि का बाजार मूल्य गार्डलैण्ड बनाने बाबत।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
84	मोहनलाल पिता तिहारू ग्राम अंगारखार दिनांक 06.06.2022	ख.नं. 133/7 पटवारी सत्यापन के उपरांत 17 ड. का प्रकरण बनाया गया जिसमें मेरे खाते में राशि जमा कि गयी है 230254 गुणवत्ता के आधार पर कम है। जिसमें 17 डिसमिल के आधार पर मुआवजा प्रदान किये जाने बाबत।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
85	गंगाराम साहु पिता टिकाराम साहु ग्राम सांकर	भू-अर्जन के संबंध में मेरे भूमि 25/6 भूमि का मौका जांच कर उचित मुआवजा दिलाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
86	गजानंद पिता जीवराधन ग्राम सांकर	खसरा नंबर 370/20 सही माप किये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
87	थनवार सिंह अभिलार सिंह	ख.नं. 36/2, 36/6 में उचित मुआवजा दिये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
88	सोनमत बेवा मुन्ना ग्राम सांकर	ख.नं. 66/6, 66/2 में कम रकबा का प्रकाशन हुआ है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
89	लखन सिंह / गंगाराम	24/4 एवं 24/5 में रकबा में त्रुटि है जिसका सहीमाप करने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
90	नंदकुमार पिता संतराम	373/5 में नाम जोड़ने बाबत एवं भूमि का मौका जांच करने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
91	अन्य	66/1 रकबा 0.10 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि अधिक प्रदान किये जाने के संबंध में।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।

92	सौरभ सिंह विधायक अकलतरा ग्राम सांकर सोनादुला ग्रामवासी	भूमि प्रकाशन में त्रुटि भूमि अधिग्रहण में त्रुटि बाबत।	उक्त पत्र के परिपालन में सम्पूर्ण एलाईनमेंट का पुनः दल द्वारा मौका जांच कराया गया है।
93	मानस राम पिता महेशराम ग्राम सांकर	ख.नं. 382/2 भूमि का पेपर प्रकाशन नहीं किये जाने बाबत एवं अन्य खसरा नंबर का प्रकाशन में रकबा कम दर्शाया गया है जिससे मौका जांच का निराकरण नहीं किये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
94	अनंदराम पिता झुरन सिंह ग्राम सांकर	ख.नं. 66/3 अर्जित रकबा का पुरा हिस्सा अधिग्रहण किया गया है तथा कम भूमि का प्रकाशन किये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
95	संजीव कुमार पिता चंदराम ग्राम सोनादुला	भूमि अधिग्रहण का पूर्ण मुआवजा प्रदान नहीं किये जाने एवं कम अधिग्रहण का ज्यादा भुगतान पर रोक लगाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
96	सुरेश कुमार सिंह पति बाकोबिहारी ग्राम सांकर	खसरा नंबर 370/1, 370/2 रकबा 4.856 हेक्टेयर भूमि में अधिग्रहण भूमि 0.931, 0.166 हेक्टेयर कम होने पर पुनः सीमांकन करने हेतु अनुमति बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
97	श्री सुरेश कुमार सिंह अशुमान सिंह पिता बाके बिहारी ग्राम सांकर दिनांक 27.12.2021	खसरा नंबर 370/1, 370/2 रकबा 4.856 हेक्टेयर भूमि में अधिग्रहण भूमि 0.931, 0.166 हेक्टेयर कम होने पर पुनः सीमांकन करने हेतु अनुमति बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
98	परदेशी राम बरेठ पिता तिलकराम बरेठ ग्राम ढोरला	कम प्रकाशन किये जाने के संबंध में	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
99	लल्लू पिता सुखसागर	ख.नं. 463/1 में कम मुआवजा के संबंध में।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
100	शिवकुमार पिता गंगाराम ग्राम ढोरला	खसरा नंबर 130/5 में कम मुआवजा के संबंध में।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
101	हरिकुमार पिता खोलबहरा	खसरा नंबर 655 में कम मुआवजा दिये जाने के संबंध में।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
102	ममता शर्मा बेवा सुधीर शर्मा	खसरा नंबर 78/2 दो फसलीय एवं सिंचित के आधार पर मुआवजा दिये जाने के संबंध में।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
103	धनीराम पिता मण्डल ग्राम बछौद	खसरा नंबर 557/1, 557/2, 557/4, 557/5, 553/3 में नक्शा बटांकन करने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
104	संतोष कुमार सोनवानी पिता स्व. लच्छीराम ग्राम बछौद	ख.नं. 779/42 अर्जित रकबा 1500 वर्गमीटर वव खसरा नंबर 779/31 रकबा 1.50 एकड़ भूमि को भा.रा.रा.मार्ग के लिए अधिग्रहण किया गया है परन्तु निरीक्षण के अनुसार अधिक रकबा का अधिग्रहण है तथा उक्त भूमि का मुआवजा कम प्रदान करने पर पुनः सीमांकन करवाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
105	सहेसराम पिता समारू ग्राम बछौद दिनांक 24.11.2021	ख.नं. 779/40 अर्जित रकबा 0.1660 हेक्टेयर भूमि का सहीमाप कराकर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रदान करने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
106	सब्बीर मियां पिता अमीर मिया ग्राम बछौद तह. बलौदा दिनांक 05.01.2022	भारतमाला परियोजना द्वारा अधिग्रहित मेरी भूमिस्वामी हक की खसरा नंबर 559 रकबा 1.18 एकड़ का पुनः नाप कर उचित मुआवजा राशि दिलाये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
107	संतोष कुमार सोनी पिता स्व. गंगाराम जी सोनी ग्राम बलौदा दिनांक 16.08.2021	आवेदक का कथन यह है कि उक्त भू-खण्ड वर्तमान में लगभग 8 या 9 डिसमिल का रकबा खाली है। शेष सभी भू-खण्ड में निर्माण करा दिया गया है। 4 डिसमिल के मुआवजा के बजाय जितने क्षेत्र में निर्माण है। उस भू-खण्ड का उचित मुआवजा सड़क निर्माण के समय से पूरी अवधि का क्षेतिपूर्ति करते हुये प्रदान करने की दया करें।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
108	मंदिरा सोनी पति रमेश कुमार	भारतमाला परियोजना के द्वारा अर्जित किये गये मेरे कृषि भूमि पर दिये जा रहे मुआवजे पर असंतुष्टि बाबत	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
109	दिनेश सोनी पिता दल्लू प्रसाद	ख.नं. 551 में उचित मुआवजा दिये जाने के संबंध में।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
110	संतोष सोनी पिता गंगाराम	ख.नं. 957/3 में उचित मुआवजा दिये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
111	अविनाश सोनी पिता श्यामलाल सोनी	ख.नं. 814, 691 में हल्का पटवारी मौका जांच किये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।


112	अश्वनी संतोष वर्ग पिता शिवकुमार	ख.नं. 181/1 182/1 में जोच किये जाने बाबत।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
113	मंदिरा सोनी पति रमेश कुमार	निजी जमीन पर भू-अर्जन में त्रुटि पर जानकारी बाबत खेत का रकबा अधिक है जो पटवारी रिकार्ड में सही नहीं एवं मुख्य मार्ग से लगा होने के कारण 75000 की दर से दिया जाये।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
114	मंदिरा सोनी पति रमेश कुमार	मुआवजा राशि की स्पष्टता तथा नया सर्वे (संशोधित) जमीन के वृद्धि पर आवेदन	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
115	कमल किशोर वल्द कृष्ण लाल गुप्ता शरद किशोर वल्द कृष्णलाल ग्राम बलौदा	ख.नं. 542/7 रकबा 1 एकड़ के 93 डिसमिल भूमि भा.रा.राज.मार्ग में अधिग्रहण है तथा 7 डिसमिल शेष बची है, जिसके प्रकाशन केवल 56 डिसमिल का किया गया है। अतः 93 डिसमिल का मुआवजा प्रकरण बनाकर भुगतान करने हेतु आवेदन	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
116	राजेश कुमार सोनी पिता कृष्णलाल सोनी ग्राम बलौदा	अभिलेख में बसंत कुमार खट्टानंद पिता टोलाराम, दानकुंवर बेवाल होलाराम जाति सोनी निवासी बलौदा 697/2 प्रकरा वितरण में आपत्ति।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
117	श्रीमति मंदिरा सोनी ग्राम बलौदा	मेन रोड से बनाये जमीन का मुआवजा 75000000 के दर से प्रदाय करने एवं भू-अभिलेख में त्रुटि पर जानकारी बाबत। खसारा नंबर 641 शामिल 655 पहले रकबा 2287 एवं 136	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
118	श्री कमल किशोर वल्द कृष्ण लाल गुप्ता निवासी ग्राम बलौदा	ग्राम बलौदा तहसील बलौदा भूमि खसारा नंबर 542/7 रकबा 1.60 एकड़ में से 0.93 एकड़ भूमि के राजमार्ग से अधिग्रहण के कारण मुआवजा निर्धारित करने आवेदन। खसारा नंबर 542/7 रकबा 1.00 एकड़ में से 0.93 एकड़ भूमि अधिग्रहण में जाने बाबत। (सीमांकन करने हेतु।)	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
119	श्री अखिलेश कुमार वर्ग. पिता श्यामलाल ग्राम बलौदा (आवेदक/आपत्तिकर्ता-अविनाश सोनी पिता श्यामलाल)	भूमि अधिग्रहण में दावा आपत्ति बाबत।(वास्तविक अधिग्रहित रूकने का मुआवजा निर्धारित करने के संबंध में।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
120	ओमप्रकाश सोनी पिता स्व. श्री हीराराम सोनी ग्राम बलौदा तह. बलौदा	प्रस्तावित रा.रा.मा.सं. 130ए (बिला- उदगा सेक्सन) ग्राम बलौदा स्थित (बलौदा-हरदी बाजार मुख्य सड़क पर) मेरी निजी भूमि स्वामी हक की भूमि खसारा नंबर 2494/3 एवं 2494/4 के अधिग्रहण में मुआवजा प्रदान करने बाबत आवेदन।	आवेदक की भूमि ख.नं. 2494/3, 2494/4 में से रकबा 1490 व.मी. का अवार्ड पारित है। शेष प्रभावित रकबा कमशः 1920 व.मी. एवं 1590 व.मी. के मुआवजा हेतु पूर्व में पारित अवार्ड में संशोधन चाह रहे हैं किन्तु अधिनियम 2013 में निर्धारित समयावधि 06 माह व्यतीत हो जाने के कारण इस कार्यालय से निराकरण संभव नहीं है आवेदक की शेष रकबा कमशः 1920 व.मी. एवं 1590 व.मी. का पुनः 3ए प्रकाशन कराया गया है जिस पर समयावधि में अवार्ड पारित कर लिया जायेगा।
121	हेमलाल सिंह, बसंत कुमार, शिवकुमार ग्राम अमलीपाली दिनांक 12.08.2021	भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग में मेरी खसारा नंबर 97/4 का 0.60 एकड़ आयी है। जबकि मेरा नोटिस 0.27 एकड़ का बना है और भूमि का रेट भी कम है। भूमि की जाँच की जाये और 0.60 एकड़ का मुआवजा दिया जाये।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
122	कांतिकुमार यादव पिता प्रहलाद यादव ग्राम अमलीपाली दिनांक 27.08.2021	खसारा नंबर 78/1ख रकबा 10403 वर्गमीटर में अर्जित क्षेत्रफल 4300600 कुल राशि मुआवजा दर्ज है। जो भारतशासन एवं कोर्ट के नियमानुसार कम राशि अर्जित है दो फसली भूमि होने के कारण द्विफसली का मुआवजा भुगतान किये जाने लायक है। ट्यूब वेल।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
123	लवकुश कुमार पिता सुखीराम ग्राम अमलीपाली	अमलीपाली स्थित भूमि खसारा नंबर 75/3 रकबा 1 एकड़ 0.6 डिसमिल में से 0.50 डिसमिल भूमि पर चिन्हांकित कर राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच 130ए भारतमाला में 0.23 डिसमिल भूमि मका मुआवजा निर्धारित किये जाने तथा एक फसली का दर निर्धारित करने पर आपत्ति।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
124	महादेव पिता फागुराम	अधिक भूमि चिन्हांकन मुआवजा कम एवं गाईड लाईन के आधार पर कम	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।

125	महादेव नेताम पिता फागूराम ग्राम अमलीपाली दिनांक 12.08.2021	खसरा नंबर 97/11 रकबा 0.31 एकड़ भूमि पर चिन्हांकित कर राष्ट्रीय राजमार्ग एन.ए. 130ए भारतमाला में लगभग 0.15 एकड़ भूमि का मुआवजा निर्धारित किये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
126	हेमलाल सिंह पिता दुखुराम ग्राम अमलीपाली दिनांक 12.08.2021	खसरा नंबर 97/14 ख रकबा 1.16 एकड़ में से 0.60 एकड़ भूमि पर चिन्हांकित कर राष्ट्रीय राजमार्ग एनच130ए भारतमाला में लगभग 0.27 एकड़ भूमि का मुआवजा निर्धारित किये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
127	हेतराम पिता साधुराम ग्राम अमलीपाली	खसरा नंबर 76/3 अर्जित रकबा 12.98 वर्गमीटर में मुआवजा राशि कम आने के संबंध में। खसरा नंबर 76/1 का रकबा 2020 का प्रकाशन किया गया एवं मुआवजा स्वीकृत नहीं हुआ है।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
128	बहोरन सिंह पिता जेतूराम ग्राम अमलीपाली दिनांक 10.08.2021	कम भूमि अर्जित किये जाने के संबंध में 78/12 में रकबा 0.4050 हेक्टेयर में से 0.3320 हेक्टेयर का प्रकाशन किया है। वर्तमान में 0.1900 हेक्टेयर का अवाई बनाया गया है। सिंचित है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
129	कुमबाई पिता सुखरु ग्राम अमलीपाली दिनांक 10.08.2021	खसरा नंबर 78/4 रकबा 1.497 में कम भूमि अर्जित किये जाने के संबंध में। मौके में अधिक भूमि चिन्हांकन एवं सिंचित।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
130	रामकुमार गोड़	खसरा नंबर 76/2 में मुआवजा राशि में भिन्नता हेतु।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
131	मनहरण पिता केदार सिंह	78/8 गलत रकबा प्रकाशन किये जाने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
132	बहोरन सिंह पिता जेतूराम ग्राम अमलीपाली	खसरा नंबर 78/12 रकबा 0.4050 हेक्टेयर भूमि भारतमाला के लिए प्रस्तावित है उक्त खसरा नंबर 78/12 रकबा 0.4050 में से 0.3320 हेक्टेयर का पेपर प्रकाशन किये गया था जो कि वर्तमान में 0.1900 हे. का अवाई बनाया गया है जो कि मौका अनुसार कम है। अतः जांच कराकर शेष भूमि का मुआवजा प्रदान करने हेतु आवेदन।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
133	श्रीमति कुम्भाई पति सुखरु ग्राम अमलीपाली	भारतमाला भा.रा.रा.मार्ग कमांक 130ए में कम भूमि अर्जित किये जाने के संबंध में सीमांकन करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
134	श्री बहोरन सिंह पिता जेतूराम ग्राम अमलीपाली	भारतमाला भा.रा.रा.मार्ग कमांक 130ए में कम भूमि अर्जित किये जाने के संबंध में सीमांकन करने बाबत्।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
135	रमेश सिंह पिता निरंजन ग्राम अमलीपाली दिनांक 28.01.2022	खसरा नंबर 99/1 मौका में अधिग्रहण है जिसका रकबा 1.125 हेक्टेयर है जो प्रकाशन में छुट गया है जबकि 99/2 खसरा नंबर सर्वे पश्चात् प्रकाशन हेतु जुड़ गया है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
136	पुरुषोत्तम सिंह पिता प्रीतम सिंह मौवार ग्राम अमलीपाली दिनांक 28.01.2022	उक्त खसरा नंबर में दो ट्यूबवेल से सिंचित है जिसका प्रकाशन में असिंचित दर पर मुआवजा बनाया गया है जिसका सिंचित एवं दो ट्यूबवेल के आधार पर मुआवजा बनाने हेतु आवेदन।	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
137	श्री शंशांक पटेल पिता स्व. लक्ष्मीनारायण पटेल निवासी ग्राम चारपारा तहसील बलौदा दिनांक 05.01.2022	भा.परि. के अंतर्गत ग्राम चारपारा स्थित खसरा नंबर 262/2 को पेपर में प्रकाशन नहीं हुआ है। खसरा नंबर 262/2 रकबा 0.214 हे. पूर्व में रामकृष्ण वगै. के नाम से दर्ज था, माननीय न्यायालय तहसीलदार बलौदा के प्रकरण रा.प्र.क. 255/अ-6/2020-21 आदेश दिनांक 07.04.2021 के अनुसार मेरे नाम शंकर लाल अग्रवाल पिता स्व. श्रीरामकृष्ण अग्रवाल के नाम से दर्ज हुआ है।	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
138	परमेश्वर पटेल पिता नारायण नटेल ग्राम चारपारा	उक्त खसरा नंबर एन.ए. में प्रभावित है जिसमें मुझे भूमि का मुआवजा 0.01 डि का ही दिया जा रहा है जिसपर मुझे आपत्ति है।	अगामी 3ए में प्रस्तावित किया जायेगा।
139	उधोराम पिता नरोत्तम	खसरा नं. 81 मे भूमि का उचित मापन किये जाने के संबंध में / कम मुआवजा बना है	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
140	पुरुषोत्तम सिदार 24/02/2022	खसरा नं. 311/3 भूमि भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग मे अधिग्रहण है जिसमे 52 डीसमील भूमि का अजने का मुझे 35 डीसमील भूमि का मुआवजा भुगतान किया गया है जो बाजार मुल्य से कम है। मेरी 52 डीसमील अर्जित भूमि मे कई फलदार वृक्ष है जिसका भी उल्लेख नही किया गया है जिसमे मुझे आपत्ति है	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
141	बहोरन सिंह पिता नरोत्तम सिंह	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.130ए मे प्रभावित खसरा नं. 311/2 प्रभावित है जिसका मुआवजा राशि प्रदाय करने बाबत्	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।

142	श्याम कार्तिक तिवारी पिता राधेश्याम तिवारी	मुआवजा भुगतान पर आपत्ति करने बाबत कम मुआवजा बनाने हेतु	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
143	शांतिलाल संतोष लाल	खसरा नं. 682/2 मे फौती नामांतरण किये जाने बाबत एवं अधिग्रहण मे त्रुटी	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
144	धरमपाल मिरी, करमपाल मिरी पिता मनीराम	खसरा नं.367/1, 642/1, 696 सिंचित है जिसका सही मापन किये जाने बाबत जिसमे खसरा नं. 696 के स्थान पर 616 हो गया है 696 मे आवेदक काबीज जिसमे 43 एकड़ भूमि अर्जित एवं तालब से सिंचित है	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
145	राधेश्याम पिता धनीराम	खसरा नं. 642/2 का रकबा कम है चिन्हांकित किया गया है एवं खसरा नं. 682/2 को पूर्णतः छोड़ दिया गया है	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
146	हरीकुमार पिता खोलबहरा	खसरा नं. 655 में रकबा का प्रकाशन कम किये जाने बाबत अधिक भूमि का चिन्हांकन किया गया है हल्का पटवारी हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत. प्रभावित रकबा 0.295 हेक्टेयर अधिग्रहीत मे त्रुटी हेतु 0.0400 हेक्टेयर है वास्तविक रकबा 0.296 हेक्टेयर है	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
147	मेघाई बाई पिता सहारू	खसरा नं. 284/4 अर्जित रकबा में 0.35 डीसमील का अधिग्रहण किया गया है परन्तु 400 वर्ग मीटर का अधिग्रहण बताया गया है एवं 305/3 रकबा 0.67 का मुआवजा नहीं दिया गया है	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
148	बुधवारा बाई बेवा बाबा	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मे कुल रकबा 0.32 डीसमील अधिग्रहण कि गई है तथा मुआवजा 0.20 डीसमील का दिया जा रहा है एवं ख.नं. 305/5 को अधिग्रहण किया गया है परन्तु मुआवजा नहीं देने बाबत	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
149	गायत्री बाई पति छततुराम	खसरा नं. 284/7 कुल रकबा 0.22 डीसमील अधिग्रहीत होने पर 0.20 डीसमील का मुआवजा बनाया गया है खसरा नं. 287/11 रकबा 0.90 का मुआवजा नहीं (अधिग्रहण अधिक मुआवजा कम)	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
150	ढोलूराम पिता पहारू	खसरा नं. 287/8 रकबा 0.70 डीसमील अधिग्रहण है जबकी 0.24 डीसमील का मुआवजा बनाया गया है(अधिग्रहण अधिक मुआवजा कम)	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
151	लक्ष्मीनारायण मिरी पिता सहेत्तर	कम भूमि अर्जित किये जाने पर आपत्ति। मौके पर अधिक भूमि का चिन्हांकन	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
152	छत्तुराम कैंवट	खसरा नं. 287/11 पेपर प्रकाशन मे नाम छुट जाने पर आपत्ति	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
153	पीलादास	खसरा नं. 691 रकबा 0.4410 हेक्टेयर मे कम भूमि का अधिग्रहण किये जाने पर आपत्ति	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार अतिरिक्त भूमि प्रभावित होना नहीं पाया गया है।
154	पार्वती बाई पिता घासीराम	खसरा नं. 503/1, 507 भूमि को जांच किये जाने बाबत, मुआवजा चंदन सिंह पिता वीर सिंह के नाम पर बना है	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
155	सुरेश कुमार पिता दाऊराम	उक्त खसरा नं. का अधिग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.130ए मे हुआ है जिसका मुआवजा राशि प्रदान करने बाबत	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
156	छत्तुराम पिता ढोलूराम	खसरा नं. 287/8 रकबा 981 वर्ग मी. प्रभावित हो रहा है जिसका मुआवजा भुगतान बाबत	जांच पश्चात तहसीलदार के पत्रक-10 अनुसार शेष प्रभावित भूमि का 3ए प्रकाशन किया गया है।
157	चमरूराम पिता	खसरा नं. 51/1 क भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
158	रामेश्वर प्रसाद जीतराम समार सिंह	खसरा नं. 58 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
159	धनीराम	खसरा नं. 142/1, 144/1 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
160	तुलसा बाई	खसरा नं. 142/4 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
161	रामलाल	खसरा नं. 142/3 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
162	फिरत राम	खसरा नं.142/2, 144/2 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।

163	हृदयनारायण	खसरा नं. 133/1 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
164	खीकराम खैरवार	136/1 ग/2 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
165	प्रेमलाल	133/5 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।
166	देवराम	133/2 भूमि मुख्य मार्ग से 46 मीटर अंतर्गत स्थित है अधिग्रहण भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारण करने हेतु	मुआवजा दर निर्धारण में वृद्धि इस कार्यालय स्तर से संभव नहीं है।


 अनुभाग अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)


 अपर कलेक्टर
 जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पारिशेष - चौबीस
अतारंकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 96) की जानकारी

31

क्र. 96

प्रपत्र -अ

सेजेस की वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक स्थापना मद, अन्य अनुदान मद एवं वृहद निर्माण मद की जानकारी

वित्तीय वर्ष	बजटशीर्ष	मद	बजट आवश्यकता	प्रावधानित बजट	अन्य मद की राशि का उपयोग
2020-21	27.2202.02.110.0101. 6440.14.001	स्थापना मद	25,00,00,100	25,00,00,100	डी.एम.एफ./ सी. एस.आर./ समग्र शिक्षा एवं अन्य मद
	27.2202.02.110.0101. 6440.14.012	अन्य अनुदान मद	46,00,100	46,00,100	
	33.2202.02.110.0000. 6440.14.001	स्थापना मद	17,00,00,100	17,00,00,100	
	33.2202.02.110.0000. 6440.14.012	अन्य अनुदान मद	34,00,100	34,00,100	
	08.4059.80.051.0510. 786026.003	वृहद निर्माण	24.40,94,000	24.40,94,000	
2021-22	02.2052.00.090.0000. 6452.14.001	स्थापना मद	1,43,82,05,000	1,43,82,05,000	डी.एम.एफ./ सी. एस.आर./ समग्र शिक्षा एवं अन्य मद
	02.2052.00.090.0000. 6452.14.012	अन्य अनुदान मद	3,42,00,000	3,42,00,000	
2022-23	02.2052.00.090.0000. 6452.14.001	स्थापना मद	2,88,70,00,000	1,96,00,00,000	डी.एम.एफ./ सी. एस.आर./ समग्र शिक्षा एवं अन्य मद
	02.2052.00.090.0000. 6452.14.012	अन्य अनुदान मद	13,95,00,000	8,55,00,000	
	27.2202.02.110.0101. 0110.14.001	स्थापना मद	80,00,00,000	80,00,00,000	
	33.2202.02.110.0000. 0307.14.006	स्थापना मद	60,00,00,000	60,00,00,000	
	41.2202.02.110.0102. 0110.14.001	स्थापना मद	60,00,00,000	60,00,00,000	
	64.2202.02.110.0103. 0110.14.001	स्थापना मद	20,00,00,000	20,00,00,000	

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

उपसंचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

प्रपत्र -ब

क.	जिला	संचालित सेजेस विद्यालयों की संख्या	आवश्यकता				स्वीकृत पद की जानकारी				कार्यरत पद की जानकारी				रिक्त पद की जानकारी			
			प्राचार्य	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक
1	रायपुर	21	21	421	220	190	21	421	220	190	21	374	171	145	0	47	49	45
2	महासमुंद	5	5	87	47	48	5	87	47	48	5	73	45	46	0	14	2	2
3	गरियाबंद	6	6	89	48	30	6	89	48	30	6	76	44	28	0	13	4	2
4	बलौदाबाजर	7	7	139	52	40	7	139	52	40	7	93	42	33	0	46	10	7
5	धमतरी	6	6	104	48	55	6	104	48	55	5	74	32	36	1	30	16	19
6	दुर्ग	23	23	402	148	127	23	402	148	127	16	373	119	118	7	29	29	9
7	बालोद	8	8	135	53	52	8	135	53	52	7	108	35	47	1	27	18	5
8	बेमेतरा	8	8	133	72	62	8	133	72	62	4	100	52	43	4	33	20	19
9	कबीरधाम	5	5	90	26	25	5	90	26	25	5	89	23	10	0	1	3	15
10	राजनांदगांव	5	5	97	46	40	5	97	46	40	4	75	32	32	1	22	14	8
11	मानपुर मोहला चौकी	3	3	61	24	18	3	61	24	18	2	43	16	13	1	18	8	5
12	छुईखदान गंडई	4	4	30	12	12	4	30	12	12	2	10	7	11	2	20	5	1
13	बिलासपुर	11	11	149	86	88	11	149	86	88	11	135	63	67	0	14	23	21
14	कोरबा	9	9	134	57	47	9	134	57	47	7	117	44	37	2	17	13	10
15	रायगढ़	9	9	154	90	81	9	154	90	81	7	132	74	63	2	22	16	18
16	मुंगेली	3	3	56	32	27	3	56	32	27	3	47	22	23	0	9	10	4
17	जांजगीर	7	7	89	36	35	7	89	36	35	7	85	26	17	0	4	10	18
18	सक्ती	7	7	115	36	35	7	115	36	35	5	82	22	13	2	33	14	22
19	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	3	3	50	21	14	3	50	21	14	2	46	15	5	1	4	6	9
20	सारंगढ़ बिलाईगढ़	5	5	113	50	37	5	113	50	37	4	80	41	25	1	33	9	12
21	बस्तर	11	11	229	92	88	11	229	92	88	7	100	55	41	4	129	37	47
22	कांकेर	8	8	136	47	45	8	136	47	45	8	112	36	27	0	24	11	18
23	कोण्डागांव	8	8	133	71	73	8	133	71	73	8	106	51	46	0	27	20	27
24	सुकमा	6	6	103	51	52	6	103	51	52	3	39	25	32	3	64	26	20
25	दंतेवाड़ा	5	5	76	34	32	5	76	34	32	5	45	15	8	0	31	19	24
26	बीजापुर	6	6	77	46	43	6	77	46	43	6	57	42	41	0	20	4	2
27	नारायणपुर	2	2	34	16	13	2	34	16	13	2	20	7	8	0	14	9	5
28	सरगुजा	10	10	146	82	86	10	146	82	86	7	122	67	73	3	24	15	13
29	सूरजपुर	10	10	171	72	87	10	171	72	87	10	122	61	74	0	49	11	13

क.	जिला	संचालित सेजेस विद्यालयों की संख्या	आवश्यकता				स्वीकृत पद की जानकारी				कार्यरत पद की जानकारी				रिक्त पद की जानकारी			
			प्राचार्य	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक	प्राचार्य	व्याख्याता	शिक्षक	सहायक शिक्षक
30	जशपुर	8	8	137	50	41	8	137	50	41	8	120	46	37	0	17	4	4
31	बलरामपुर	10	10	166	71	49	10	166	71	49	7	135	66	41	3	31	5	8
32	कोरिया	3	3	28	12	15	3	28	12	15	3	28	11	13	0	0	1	2
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी	5	5	38	20	25	5	38	20	25	5	33	17	17	0	5	3	8
कुल:-		247	247	4122	1868	1712	247	4122	1868	1712	209	3251	1424	1270	38	871	444	442

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

उप संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

परोशेष्ट - पचोस

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 221) की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र अन्तागढ़ अन्तर्गत मार्च 2021 से नवंबर 2022 बंटवारा के लंबित प्रकरणों की सूची

जिला उत्तर बस्तर कांकर

क्र०	रा.प्र.क्र.	न्यायालय में प्रकरण प्रारंभ होने की तिथि	पक्षकार का नाम	ग्राम का नाम	लंबित होने के कारण
1	2	3	4	5	6
1	202207141000088 / अ-27 / 21-22	15.07.2022	किशोर व्यापारी वगैरह वि. तरुणकांति वगैरह	इन्द्रपस्थ	पटवारी फर्द सूची हेतु
2	202207141000099 / अ-27 / 21.22	16.07.2022	निभा दास वगैरह वि० लिपिका	सीतापुर	पटवारी फर्द सूची हेतु
3	202210141000017 / अ-27 / 22.23	10/11/22	नारायण, संजीव घोष वि० शासन	पखांजूर कॉ०	आदेशार्थ
4	202210141000021 / अ-27 / 22.23	10/12/22	राम पटेल वि० चरण पटेल	पखांजूर रा०	पटवारी फर्द सूची हेतु
5	202211141000009 / अ-27 / 22.23	11/09/22	सुनील दास वि० विशाखा दास वगैरह	छोटेकापसी	पटवारी फर्द सूची हेतु
6	202211141600028 / अ-27 / 22-23	15.11.2022	फुलुराम वि. जयवन	बेलगाल	फर्द सूची हेतु
7	202211141600029 / अ-27 / 22.23	25.11.2022	शिशिर दे वि० समीर दे व अन्य	हरिदासपुर	फर्द सूची हेतु
8	202212141600116 / अ-27 / 22.23	12/20/22	नारद नेताम पिता राम वि० हरन नेताम	सावेर	दावा आपत्ति हेतु
9	202210140700001 / अ-27 / 22-23	14.10.2022	नूरजहां पति इब्रार अहमद	अंतागढ़	आदेशार्थ
10	202210140700002 / अ-27 / 22.23	14.10.2022	रूपसिंह पिता सनकर	खडगांव	आदेशार्थ
11	202210140700003 / अ-27 / 22.23	14.10.2022	तामेश्वर पिता कचरू	अंतागढ़	आदेशार्थ

12	202210140700011 / अ-27 / 22.23	27.11.2022	अंकालूराम पिता बुधूराम	जैतानवागांव	आदेशार्थ
13	202211140700001 / अ-27 / 22.23	04.11.2022	जगदीश पिता सुन्दरसिंह	अंतागढ़	आदेशार्थ
14	202211140700002 / अ-27 / 22.23	04.11.2022	राजबती पति हीरू	नवागांव	आदेशार्थ
15	202211140700005 / अ-27 / 22.23	04.11.2022	लच्छूराम पिता भूरी	जैतानवागांव	पटवारी फर्द सूची हेतु
16	202212140700018 / अ-27 / 22.23	21.12.2022	सालिकराम पिता भारत	मण्डागांव	पटवारी फर्द सूची हेतु
17	202212140700018 / अ-27 / 22.23	04.11.2022	गणेश राम पिता सुखराम	पूफगांव	पटवारी फर्द सूची हेतु


 अनुभाष अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मन्डला, रायपुर

विधानसभा क्षेत्र अन्तागढ़ अन्तर्गत मार्च 2021 से नवंबर 2022 सीमांकन के लंबित प्रकरणों की सूची प्रपत्र-ब

जिला उत्तर बस्तर कांकर

क्र०	रा.प्र.कं.	न्यायालय में प्रकरण प्रारंभ होने की तिथि	पक्षकार का नाम	ग्राम का नाम	लंबित होने के कारण
1	2	3	4	5	6
1	20221140700012 / अ-12 / 22-23	28.11.2022	पीति जैन पिता कैलाश जैन	अंतागढ़	राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन
2	20221140700012 / अ-12 / 22-23	28.11.2022	पीति जैन पिता कैलाश जैन	अंतागढ़	राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन


अनुभाष अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
 मन्तराय, रायपुर

विधानसभा क्षेत्र अन्तागढ़ अन्तर्गत मार्च 2021 से नवम्बर 2022 तक लंबित भूमि-व्यपवर्तन की जानकारी प्रपत्र-अ

क. प्रकरण क्रमांक	दर्ज दिनांक	आवेदक का नाम	ख.नं.	रकबा	ग्राम का नाम	लंबित होने के कारण
01	202210140300005	श्री चित्तरंजन बाला	185 / 2	0.05 हे०	पखांजूर (काँ.)	हल्का पटवारी प्रतिवेदन हेतु
02	202210140300006	श्री सुखदेव मिस्त्री	116 / 1	0.15 हे०	पखांजूर (काँ.)	हल्का पटवारी प्रतिवेदन हेतु
03	202210140300007	श्रीमती मंजू मिस्त्री	264 / 3	0.03 हे०	बान्दे (काँ.)	राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन हेतु
04	202210140300009	श्री देवकुमार	997 / 1 / ट	0.05 हे०	पखांजूर (काँ.)	राज. निरी. / हल्का पटवारी प्रतिवेदन हेतु
05	202210140300010	श्री देवकुमार शील	432 / 1	0.23 हे०	पुरुषोत्तमनगर	राज. निरी. / हल्का पटवारी प्रतिवेदन हेतु
06	202210140300011	श्री श्यामप्रसाद	445 / 2	0.02 हे०	पखांजूर (काँ.)	राज. निरी. / हल्का पटवारी प्रतिवेदन हेतु
07	202210140300012	श्रीमती झुनु पाण्डेय	792 / 4	0.018 हे०	कापसी	नगर निवेश कार्यालय प्रतिवेदन हेतु
08	202210140300013	श्रीमती संध्या डे	1038 / 18, 1038 / 19	0.0065, 0.0306 हे०	पखांजूर (काँ.)	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
09	202210140300014	श्री सुशांत विश्वास	200 / 2	0.01 हे०	पखांजूर (रा.)	नगर निवेश कार्यालय प्रतिवेदन हेतु
10	202210140300015	श्रीमती संतोषी चौहान	87	0.60 हे०	जनकपुर	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
11	202210140300016	श्रीमती संतोषी चौहान	156	0.31	आड़ाफर्सी	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
12	202210140300017	श्री चन्दन सरकार	297 / 3	0.045 हे०	पखांजूर (काँ.)	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
13	202210140300018	श्री परितोष सरकार	365 / 2	0.08 हे०	बडेकापसी	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
14	202210140300019	श्रीमती ज्योत्सना	15, 17	0.34, 0.13 हे०	जानकीनगर	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु

15	202210140300023	13/10/22	श्री दिलीप दास	441/3	0.01 हे०	बान्दे (कों.)	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
16	202210140300024		श्रीमती सचीरानी	496/5	0.02 हे०	बान्दे (कों.)	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
17	202210140300025		श्री लक्ष्मण मण्डल	276/1	0.11 हे०	सत्यानंदपुर	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
18	202210140300026		श्री सुमित सोनी	111	0.80 हे० में से 0.12 हे०	नागलदण्ड	हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
19	202212140300001	01/12/22	श्रीमती बबीता राय	95/2/2	0.02 हे०	पखांजूर (रा.)	राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर निवेश के प्रतिवेदन हेतु
20	202212140300002		श्री दुलाल दत्ता	535/1	0.01 हे०	बान्दे (कों.)	ग्राम पंचायत अनापत्ति हेतु
21	202212140300003		श्री भागवती कुंजाम	92	0.10 हे०	इरपानार	ग्राम पंचायत अनापत्ति हेतु
22	202212140300004		श्री श्रीदाम सरकार	1380/11	0.024 हे०	पखांजूर (कों.)	नगर निवेश कार्यालय प्रतिवेदन हेतु
23	202212140300005		श्री गुरुपद मण्डल	881/7, 881/8/1	0.002 हे०, 0.001 हे०	पखांजूर (कों.)	नगर निवेश कार्यालय प्रतिवेदन हेतु


अनुभ्रम अधिकारी
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वि
 मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - छब्वीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 458) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हानि पर मुआवजा की जानकारी

क्र.	क्षति का प्रकार	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अर्तगत मुआवजा राशि का प्रावधान
1	2	3
1	मृत्यु होने पर	4,00,000.00 रुपये प्रति व्यक्ति
2	पशुओं की क्षति	
	(अ) दुधारु पशु	
	1. भैंस, गाय, ऊंटनी, याक, मिथुन	37,500.00 रुपये प्रति प्रशु
	2. भेड़, बकरी, सुअर	4,000.00 रुपये प्रति प्रशु
	(ब) सूखे जानवर	
	1. ऊंट, घोड़ा, बैल, भैंसा	32,000.00 रुपये प्रति प्रशु
	2. बछड़ा, गधा, खच्चर/टट्टू, हेफर	20,000.00 रुपये प्रति प्रशु
	(स) मुर्गीपालन	प्रति लाभार्थी परिवार को 10,000 रु. की सहायता की सीमा के अधीन मुर्गीपालन हेतु प्रति पक्षी 100 रु.
3	मकान क्षति	
	(अ) पूरी तरह से नष्ट हुए घर	
	1. मैदानी क्षेत्र	1,20,000 रु. प्रति घर
	2. पहाड़ी क्षेत्र	1,30,000 रु. प्रति घर
	(ब) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान (झोपड़ियों के सिवाय) जहां क्षति कम से कम 15% है	
	1. पक्का घर	6,500 रु. प्रति घर
	2. कच्चा घर	4,000 रु. प्रति घर
	(स) क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई झोपड़ियां	8000 रु. प्रति झोपड़ी,
	(द) घर से जुड़ा पशुओं का बाड़ा	3000 रु. प्रति शेड
4	विकलांग होने पर	
	1. शारीरिक क्षति 40से 60 प्रतिशत होने पर	74,000.00 रुपये
	2. महत्वपूर्ण अंग हानि 60 प्रतिशत से अधिक अक्षमता होने पर	2,50,000.00 रुपये
	3. एक सप्ताह या उससे अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर	16,000.00 रुपये
	3. एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर	5,400.00 रुपये
5	बुनकर	
	(अ) औजार एवं उपकरण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर	5,000.00 प्रति कारीगर
	(ब) कच्चा माल/निर्माणाधीन माल एवं निर्मित माल नष्ट होने पर	5,000.00 प्रति कारीगर
6	मछुवारों को नाव तथा जाल हानि के लिए सहायता	
	(अ) नाव पूर्ण नष्ट होने पर	15,000.00 रुपये
	(ब) नाव आंशिक क्षतिग्रस्त	6,000.00 रुपये
	(स) जाल पूर्ण नष्ट होने पर	4,000.00 रुपये
	(द) जाल आंशिक क्षति होने पर	3,000.00 रुपये

पारोशेष्ट - सत्ताईस
अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 470) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

जिला - गरियाबंद अंतर्गत संचालित आश्रम/छात्रावासों के स्वीकृत सीट / प्रवेशित सीट की वर्गवार जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	2	3	4
अनुसूचित जनजाति आश्रम			
1	आदिवासी कन्या आश्रम मौंहाभाठा	50	47
2	आदिवासी कन्या आश्रम कुल्हाड़ीघाट	50	95
3	आदिवासी कन्या आश्रम शोभा	50	50
4	आदिवासी कन्या आश्रम कालीमाटी	50	56
5	आदिवासी कन्या आश्रम साहेबिनकछार	50	50
6	आदिवासी कन्या आश्रम नकबेल-गरहाडीह	100	56
7	आदिवासी बालक आश्रम कामरभौदी	50	13
8	आदिवासी बालक आश्रम आमामोरा	100	58
9	आदिवासी बालक आश्रम ओंड़	100	16
10	आदिवासी बालक आश्रम टेंवारी	50	23
11	आदिवासी बालक आश्रम धवलपुर	100	100
12	आदिवासी बालक आश्रम पीपरछेड़ी	100	55
13	आदिवासी बालक आश्रम मैनपुर	100	90
14	आदिवासी बालक आश्रम छिन्दौला	50	22
15	आदिवासी बालक आश्रम बड़ेगोबरा	100	113
16	आदिवासी बालक आश्रम तौरेंगा	100	83
17	आदिवासी बालक आश्रम बुरजाबहाल	100	100
18	आदिवासी बालक आश्रम झरियाबाहरा	100	104
19	आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाड़ीघाट	50	31
20	आदिवासी कन्या आश्रम विजयनगर पण्टोरा	100	93
21	आदिवासी कन्या आश्रम गरियाबंद	100	100
22	नवीन आदिवासी कन्या आश्रम बारुका	50	49
23	आदिवासी कन्या आश्रम छुरा	100	101
24	आदिवासी कन्या आश्रम नागिनबाहरा	50	47
25	आदिवासी कन्या आश्रम दादरगांव नया	50	42
26	आदिवासी कन्या आश्रम परसदाखुर्द	100	89
27	आदिवासी कन्या आश्रम बम्हनी	50	19
28	कमार बालक आश्रम गरियाबंद	50	50
29	आदिवासी बालक आश्रम तौरेंगा	50	42
30	आदिवासी बालक आश्रम गायडबरी	100	57
प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास			
1	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास रुवाड़	50	52
2	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	50	51



जिला - गरियाबंद अंतर्गत संचालित आश्रम/छात्रावासों के स्वीकृत सीट / प्रवेशित सीट की वर्गवार जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	2	3	4
3	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास अमलीपदर	50	43
4	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास देवभोग	50	49
5	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बिन्दानवागढ़	50	36
6	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मदनपुर	50	16
7	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दर्दीपारा	50	40
8	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बेन्दकुरा	50	47
9	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास लिटीपारा	30	30
10	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास फुलकर्ण	50	45
11	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रसेला	50	50
12	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	20	35
13	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास इंदागांव	50	56
14	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गोहरापदर	50	50
15	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अमलीपदर	50	51
16	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल	50	46
17	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास देवभोग	40	40
18	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास झरगांव	50	51
19	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास,पीपरछेड़ी	50	50
20	आदर्श प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास गरियाबंद	150	140
21	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा	50	58
22	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास पीपरछेड़ी	50	60
23	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास फिंगेश्वर	50	70
24	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गरियाबंद	50	58
25	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास छुरा	50	50
26	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दुल्ला	20	30
27	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कनसिंधी	50	60
28	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास खड़मा	50	34
29	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास अकलवारा	20	39
30	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास फिंगेश्वर	50	32
31	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पाण्डुका	50	17
32	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कोपरा	50	38
33	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास राजिम	80	52
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास			
1	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	50	60
2	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	50	81
3	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास गरियाबंद	50	161
4	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा	50	68
5	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गरियाबंद	50	75

On /

जिला - गरियाबंद अंतर्गत संचालित आश्रम/छात्रावासों के स्वीकृत सीट / प्रवेशित सीट की वर्गवार जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	2	3	4
6	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास छुरा	50	60

अनुसूचित जाति आश्रम

1	अनु.जाति बालक आश्रम धुरुवागुड़ी	50	47
---	---------------------------------	----	----

प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास

1	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास राजिम	70	51
2	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास गरियाबंद	20	18
3	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास छुरा	50	52
4	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास फिंगेश्वर	50	32
5	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास पाण्डुका	70	52
6	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास राजिम	35	25
7	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास मैनपुर	50	51
8	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास देवभोग	50	41


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

H. J. B.

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चतुर्थ श्रेणी स्वीकृत पद की संख्या				चतुर्थ श्रेणी भरे/कार्यरत पद की संख्या				कुल	
				नियमित एवं आकस्मिकता भृत्य	दैनिक वेतनभोगी	पूर्णकालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)	अशकालीन	नियमित एवं आकस्मिकता भृत्य	दैनिक वेतनभोगी (दैनिक मजदूर)	पूर्णकालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)	अशकालीन		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
छात्रावास													
1	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	50	60	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
2	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	50	81	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
3	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास गरियाबंद	50	161	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
4	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा	50	68	3	0	1	0	4	0	3	1	0	4
5	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गरियाबंद	50	75	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
6	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास छुरा	50	60	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
7	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास रूवाड़	50	52	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
8	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपुर	50	51	3	0	1	0	4	4	0	1	0	5
9	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास अमलीपदर	50	43	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
10	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास देवभोग	50	49	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
11	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास बिन्दनवागढ़	50	36	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
12	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मदनपुर	50	16	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
13	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दरौपारा	50	40	3	0	1	0	4	0	3	1	0	4
14	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास केन्दकुरा	50	47	3	0	1	0	4	0	3	1	0	4
15	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास लिटीपारा	30	30	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
16	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास फुलकर्षी	50	45	3	0	1	0	4	2	2	0	0	4
17	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास रसला	50	50	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
18	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास मैनपुर	20	35	2	0	1	0	3	1	1	1	0	3
19	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास इदागाँव	50	56	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
20	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गोहरापदर	50	50	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
21	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास अमलीपदर	50	51	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
22	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास उरमाल	50	46	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
23	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास देलभोग	40	40	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
24	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास झरगाँव	50	51	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
25	प्री.मै.अनुजाति बालक छात्रावास मैनपुर	50	51	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
26	प्री.मै.अनुजाति बालक छात्रावास देवभोग	50	41	3	0	1	0	4	3	0	1	0	4
27	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास, पीपरछेड़ी	50	50	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चतुर्थ श्रेणी स्वीकृत पद की संख्या				चतुर्थ श्रेणी भरे/कार्यरत पद की संख्या				कुल	
				नियमित एवं आकस्मिकता भृत्य	दैनिक वेतनभोगी	पूर्णकालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)	अशकालीन	कुल	नियमित एवं आकस्मिकता भृत्य	दैनिक वेतनभोगी (दैनिक मजदूर)	पूर्णकालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)		अशकालीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	आदर्श प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास	150	140	7	0	1	0	8	3	4	1	0	8
29	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छुरा	50	58	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
30	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास पीपरछेड़ी	50	60	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
31	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास फिंगेश्वर	50	70	3	0	1	0	4	0	3	1	0	4
32	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गरियाबंद	50	58	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
33	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास छुरा	50	50	3	0	1	0	4	2	2	0	0	4
34	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दुल्ला	20	30	2	0	1	0	3	2	1	0	0	3
35	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कनसिपी	50	60	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
36	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास खडमा	50	34	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
37	प्री.मै.आदि.बालक छात्रावास अकलवारा	20	39	2	0	1	0	3	0	2	1	0	3
38	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास फिंगेश्वर	50	32	3	0	1	0	4	3	1	0	0	4
39	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास पाण्डुका	50	17	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
40	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास कोपरा	50	38	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
41	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास राजिम	80	52	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
42	प्री.मै.अनु.जाति कन्या छात्रावास राजिम	70	51	4	0	1	0	5	3	1	1	0	5
43	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास गरियाबंद	20	18	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
44	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास छुरा	50	52	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
45	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास फिंगेश्वर	50	32	3	0	1	0	4	2	1	1	0	4
46	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास पाण्डुका	70	52	4	0	1	0	5	4	0	0	0	4
47	प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास राजिम	35	25	3	0	1	0	4	1	2	1	0	4
	कुल योग :-	2355	2403	145	0	47	0	192	81	69	42	0	192
1	आदिवासी कन्या आश्रम मौहभारा	50	47	4	0	1	0	5	0	4	1	0	5
2	आदिवासी कन्या आश्रम कुल्हाडीघाट	50	95	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
3	आदिवासी कन्या आश्रम शोभा	50	50	4	0	1	0	5	2	2	1	0	5
4	आदिवासी कन्या आश्रम कालीमाटी	50	56	4	0	1	0	5	3	1	1	0	5
5	आदिवासी कन्या आश्रम साहोबिनकछार	50	50	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
6	आदिवासी कन्या आश्रम नकबेल-गरहाडीह	100	56	7	0	1	0	8	3	4	1	0	8
7	आदिवासी बालक आश्रम कामरभोदी	50	13	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
8	आदिवासी बालक आश्रम आमामोरा	100	58	7	0	1	0	8	0	7	1	0	8
	आदिवासी बालक आश्रम ओड़	100	16	7	0	1	0	8	0	2	1	0	3

क्र.	रास्था का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चतुर्थ श्रेणी स्वीकृत पद की संख्या				चतुर्थ श्रेणी भरे/कार्यरत पद की संख्या				कुल	
				नियमित एवं आकस्मिकता भृत्य	दैनिक वेतनभोगी	पूर्णकालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)	अशकालीन	कुल	नियमित एवं आकस्मिकता भृत्य	दैनिक वेतनभोगी (दैनिक मजदूर)	पूर्णकालिक स्वीपर (कलेक्टर दर)		अशकालीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	आदिवासी बालक आश्रम टैंवारी	50	23	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
11	आदिवासी बालक आश्रम धवलपुर	100	100	7	0	1	0	8	0	7	1	0	8
12	आदिवासी बालक आश्रम पीपरछेड़ी	100	55	7	0	1	0	8	2	5	1	0	8
13	आदिवासी बालक आश्रम मैनपुर	100	90	7	0	1	0	8	3	4	1	0	8
14	आदिवासी बालक आश्रम छिन्दाला	50	22	4	0	1	0	5	1	4	0	0	5
15	आदिवासी बालक आश्रम बडेगावरा	100	113	7	0	1	0	8	2	5	1	0	8
16	आदिवासी बालक आश्रम तौरंगा	100	83	7	0	1	0	8	1	6	1	0	8
17	आदिवासी बालक आश्रम वरुजावहाल	100	100	7	0	1	0	8	2	5	1	0	8
18	आदिवासी बालक आश्रम जारियावाहाल	100	104	7	0	1	0	8	4	3	1	0	8
19	जानु जाति बालक आश्रम धुरुवागुड़ी	50	47	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
20	आदिवासी बालक आश्रम कुल्हाडीघाट	50	31	4	0	1	0	5	0	4	1	0	5
21	आदिवासी कन्या आश्रम विजयनगर पण्टोरा	100	93	7	0	1	0	8	0	7	1	0	8
22	आदिवासी कन्या आश्रम गरियाबंद	100	100	6	0	1	0	7	3	3	1	0	7
23	नवीन आदिवासी कन्या आश्रम बारुका	50	49	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
24	आदिवासी कन्या आश्रम छुवा	100	101	6	0	1	0	7	1	5	1	0	7
25	आदिवासी कन्या आश्रम नागिनवाहाल	50	47	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
26	आदिवासी कन्या आश्रम लहरगांव नया	50	42	4	0	1	0	5	0	4	1	0	5
27	आदिवासी कन्या आश्रम परसदाखुर्द	100	89	6	0	1	0	7	0	6	1	0	7
28	आदिवासी कन्या आश्रम बम्हनी	50	19	4	0	1	0	5	0	4	1	0	5
29	कमार बालक आश्रम गरियाबंद	50	50	4	0	1	0	5	2	3	0	0	5
30	आदिवासी बालक आश्रम तौरंगा	50	42	4	0	1	0	5	1	3	1	0	5
31	आदिवासी बालक आश्रम गायडवरी	100	57	6	0	1	0	7	2	4	1	0	7
कुल योग :-		2300	1898	165	0	31	0	196	39	123	29	0	191
महायोग		4655	4301	310	0	78	0	388	120	192	71	0	383

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

पारोक्ष - अट्टाईस

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 490) की जानकारी

प्रपत्र

बालोद जिले में संचालित छात्रावासों के स्वीकृत सीट/प्रवेशित सीट की संस्थावार एवं वर्गवार जानकारी

क.	संचालित संस्था का नाम	स्थान का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रावास				
1	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	बालोद	20	23
2	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	लाटाबोड़	50	25
3	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	संबलपुर	20	22
4	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	अर्जुन्दा	20	9
5	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	गुरुर	50	25
योग			160	104
अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास				
1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास	बालोद	50	71
अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक छात्रावास				
1	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	बालोद	20	39
2	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बालोद	40	22
3	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	पीपरछेड़ी	20	40
4	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	अमलीडीह	30	66
5	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	अमलीडीह	50	57
6	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बरही	50	23
7	प्री. मैट्रिक आदिवासी सूरज बालक छात्रावास	डौण्डी	100	99
8	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	चिखलाकसा	50	47
9	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	डौण्डी	50	72
10	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	दल्लीराजहरा	50	39
11	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	चिखलाकसा	20	42
12	प्री. मैट्रिक नेहरु आदिवासी बालक छात्रावास	डौण्डी	40	31
13	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बेलोदा	30	8
14	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	गुदुम	20	20
15	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	भरौटोला	50	23
16	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	सुरडोंगर	20	36
17	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	आमाडुला	20	45
18	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	मंगलतराई	50	33
19	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	नरौटोला	20	40
20	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बिटाल	20	18
21	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	भैंसबोड़	20	22
22	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	कुसुमकसा	20	30
23	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	घोटिया	20	38
24	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	मरदेल	50	26
25	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	कोटागांव	50	47
26	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	साल्हे	50	31
27	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास आ. डौण्डी क्र. 1	डौण्डी	100	91
28	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास आ. डौण्डी क्र. 2	डौण्डी	145	116
29	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	डौण्डीलोहारा	50	65
30	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	खेरथाबाजार	30	37
31	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बड़गांव	20	19
32	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	सुरेगांव	20	13

क्र.	संचालित संस्था का नाम	स्थान का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	2	3	4	5
33	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	रेंगाडवरी	20	20
34	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	अरजपुरी	20	40
35	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	भंवरमरा	20	25
36	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बंजारी	20	28
37	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	घीना	20	29
38	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	भीमकन्हार	30	28
39	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	कमकापार	30	31
40	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	मंगचुवा	40	41
41	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	डौण्डीलोहारा	50	39
42	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	दुधली	50	42
43	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	गुण्डरदेही	20	11
44	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	भाटागांव बी	20	25
45	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	अर्जुन्दा	20	12
46	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	भाटागांव आर	40	16
47	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	बड़भूम	50	40
48	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	गुरुर	20	22
49	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	अरकार	50	23
50	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	सोरर	50	34
51	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	कोचवाही	50	18
योग			1945	1859
अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास				
1	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बालोद	50	41
2	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	बालोद	50	71
3	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	दल्लीराजहरा	50	37
4	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	डौण्डी	50	79
5	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	डौण्डी	50	46
6	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	डौण्डीलोहारा	50	35
7	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	डौण्डीलोहारा	50	37
8	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	मंगचुवा	50	40
9	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	अर्जुन्दा	50	51
10	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	गुरुर	50	41
योग			500	478
महायोग			2655	2512


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 मंत्रालय, नया रायपुर

पारोक्ष - उन्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 491) की जानकारी

प्रपत्र

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर शालाओं की विकासखण्डवार एवं शालावार जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	शाला का नाम	वर्तमान संचालन स्थल	वर्तमान संचालन स्थल पर कब से संचालित है
1	2	3	4	5
1	बालोद	शास.प्रा.शा. बालोद क. 2	प्र. पा. कक्ष/अति. कक्ष	06 वर्ष से
2	बालोद	शास.प्राथ. शाला शिकारीपारा	शाला भवन के अति. कक्ष में	10 वर्ष से
3	बालोद	शास.प्रा.शा. तमोरा	शाला भवन के अति. कक्ष में	2010 से
4	बालोद	शास.प्रा. शा. सिवनी	शाला भवन स्टोर कक्ष में	16 जून से 2022
5	बालोद	शास.प्राथ. शाला खपरी	पूर्व माध्य. खपरी के अति. कक्ष में	07 वर्ष से
6	बालोद	शास.प्राथ. शाला भोइनापार	अतिरिक्तकक्ष व माध्य. प्र. पा. कक्ष में	16 जून से 2022
7	बालोद	शास.प्राथ. शाला परसाही	अतिरिक्त कक्ष में	सन 2006 से
8	बालोद	शास.प्राथ. शाला जुंगेरा	पूर्व माध्य. शाला के अतिरिक्त भवन में	2011-12 से
9	बालोद	शास.प्राथ. शाला रानीतराई	वर्तमान 01 कक्ष में बरामदा में संचालन	एक वर्ष से
10	बालोद	शास.प्राथ. शाला नेवारीकला	नया भवन में संचालित है	2004 से
11	बालोद	शास.प्राथ. शाला टेकापार	अतिरिक्त कक्ष में	2003 से
12	बालोद	शास.प्राथ. शाला रेवती नवागांव	शाला भवन के बरामदा में	एक वर्ष से
13	बालोद	शास.प्रा.शा. परसोदा	शाला भवन के अतिकक्ष में	05 वर्ष से
14	बालोद	शास.प्राथ. शाला देवारभाट	शा. पूर्व माध्य. शाला अतिरिक्त कक्ष में	05 वर्ष से
15	बालोद	शास.प्राथ. शाला धौराभाठा	अतिरिक्त कक्ष के बरामदा में व पेड़ के नीचे	16 जून से 2022
16	बालोद	शास.पूर्व माध्य. शाला	अतिरिक्त कक्ष में	16 जून से 2022
17	बालोद	शास.पूर्व माध्य. शाला लिमोरा	शाला भवन के अतिरिक्त कक्ष में	पांच वर्ष से
18	बालोद	शास.पूर्व माध्य. शाला निपानी	अतिरिक्त कक्ष में	16 जून से 2022
19	बालोद	शास. उ. माध्य. वि. ज. सांकरा	जर्जर भवन में संचालन	1996 से
20	बालोद	शास. उ. माध्य. वि. पीपरछेड़ी	पूर्व माध्य. शाला में संचालन	आठ वर्ष से
21	बालोद	शास. उ. माध्य. वि. निपानी	नवीन भवन में संचालन	16 जून से 2022
22	गुरुर	शास.प्राथ.शाला कंवर	अति. कक्ष में	विगत 4 वर्षों से
23	गुरुर	शास.प्राथ.शाला पेण्डरवानी	अति. कक्ष में	विगत 5 वर्षों से
24	गुरुर	प्राथ.शाला बोडरा	प्राथमिक शाला भवन में	विगत 5 वर्षों से
25	गुरुर	शास.प्राथ.शाला पलारी	प्राथमिक शाला भवन में	
26	गुरुर	शास.प्राथ.शाला बडभूम	अति. कक्ष में	विगत 12 वर्षों से
27	गुरुर	शास.प्राथ.शाला जंगली भेजा	अति. कक्ष में	विगत 12 वर्षों से
28	गुरुर	शास.प्राथ.शाला खोरदो	अति. कक्ष में	विगत 3 वर्षों से
29	गुरुर	शास.प्राथ.शाला नरबदा	अति. कक्ष में	विगत 2 वर्षों से
30	गुरुर	शास.प्राथ.शाला चिटौद	प्राथमिक शाला भवन में	विगत 5 वर्षों से
31	गुरुर	शास.प्राथ.शाला गुरुर	अति. कक्ष में	विगत 10 वर्षों से
32	गुरुर	शास.प्राथ.शाला ओनाकोना	अति. कक्ष में	विगत 5 वर्षों से
33	गुरुर	शास.प्राथ.शाला कोसागोंदी	अति. कक्ष में	विगत 2 वर्षों से
34	गुरुर	शास.प्राथ.शाला खेरथा	अति. कक्ष में	विगत 2 वर्षों से
35	गुरुर	शास.प्राथ.शाला अलोरी	अति. कक्ष में	विगत 5 वर्षों से
36	गुरुर	शास.प्राथ.शाला सुरा	अति. कक्ष में	विगत 17 वर्षों से
37	गुरुर	शास.प्राथ.शाला तितुरगहन	अति. कक्ष में	विगत 2 वर्षों से
38	गुरुर	शास.प्राथ.शाला बोरिदकला	अति. कक्ष में	विगत 6 वर्षों से
39	गुरुर	शास.प्राथ.शाला गोटाटोला	अति. कक्ष में	विगत 12 वर्षों से
40	गुरुर	शास.प्राथ.शाला कन्हारपुरी	अति. कक्ष में	विगत 10 वर्षों से

D

अनुभवाधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

क्र.	विकास खण्ड	शाला का नाम	वर्तमान संचालन स्थल	वर्तमान संचालन स्थल पर कब से संचालित है
1	2	3	4	5
41	गुरुर	शास.प्राथ.शाला ठेकवाडीह	अति. कक्ष में	विगत 4 वर्षों से
42	गुरुर	शास.प्राथ.शाला मोहारा	अति. कक्ष में	विगत 5 वर्षों से
43	गुरुर	शास.प्राथ.शाला भुसकेरा	अति. कक्ष में	जीर्णोधार करवा लिया गया
44	गुरुर	शास.प्राथ.शाला करेझर	अति. कक्ष में	विगत 2 वर्षों से
45	गुरुर	शास.प्रा.शाला जगतरा	अति. कक्ष में	विगत 4 वर्षों से
46	गुरुर	शास.पूर्व मा.शाला हसदा	अति. कक्ष में	विगत 5 वर्षों से
47	गुरुर	शास.पूर्व मा.शाला फागुन्दाह	अति. कक्ष में	विगत 2 वर्षों से
48	गुरुर	शास.पूर्व मा.शाला कोचवाही	हाई स्कूल भवन	विगत 5 वर्षों से
49	गुरुर	शास.उ.मा.वि.बड़भूम	हाई स्कूल भवन	विगत 7 वर्षों से

सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

परिशेष - तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 626) की जानकारी


प्रश्न

प्रदाय की गई सामग्री व मात्रा की जानकारी

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	2	3
1	डेस्क	2387
2	बेंच	2388
3	अलमीरा	122
4	टेबल	65
5	कुर्सी	572
6	मीटर स्केल	170
7	वर्नियर कैलीपर्स	80
8	स्फेरोमीटर	80
9	स्टॉप वॉच	34
10	साधारण पेंडुलम	34
11	ड्राईंग पिन	255
12	डेनियल सेल	51
13	लेक्शांशी सेल	34
14	जिंकरोड	170
15	ओम्स लॉ उपकरण	17
16	रियोस्टेट	68
17	कॉपर वायर	17
18	बार मैग्नेट 50 मिमी	85
19	बार मैग्नेट 100 मिमी	85
20	हॉर्स शो मैग्नेट	85
21	चुंबकीय कम्पास	170

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	2	3
22	दर्पण अवतल / उत्तल	204
23	लेंस अवतल/उत्तल	204
24	ग्लास स्लैब 18 मिमी	170
25	ग्लास प्रिज्म 50 मिमी	153
26	थर्मामीटर	170
27	ब्लैक बोर्ड इंस्ट्रूमेंट	34
28	लिटमस टेस्ट पेपर	340
29	पीएच टेस्ट पेपर	170
30	स्पेसीमेन	87
31	ह्यूमन बॉडी (टारसो)	17
32	बुरेट रोटा प्रवाह	170
33	बीकर 100 मिली	408
34	बीकर 250 मिली	408
35	बीकर 500 मिली	204
36	अभिकर्मक बोतल 100 मिली	410
37	अभिकर्मक बोतल 500 मिली	410
38	परखनली 10 एम.एल.	1632
39	परखनली 5 एम एल	1700
40	परखनली 50 एम एल	1700



सहायक संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

पारोक्ष - इकतीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 630) की जानकारी

ii =

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 630- स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध स्थगन प्राप्त प्रकरणों की जिलेवार जानकारी		
क.	कार्यालय का नाम	स्थगन प्राप्त प्रकरणों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद	7
2	जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी	10
3	जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार	2
4	जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद	7
5	जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग	23
6	जिला शिक्षा अधिकारी बालोद	2
7	जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा	1
8	जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव	1
9	जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर	15
10	जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर	13
11	जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती	1
12	जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा	19
13	जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा	11
14	जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	23
15	जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर	5
16	जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर	8
17	जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर	3
18	जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा	10
19	जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा	1
	योग-	162

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
नन्नालब, रायपुर

उप संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पारोशेष्ट - बत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 633) की जानकारी

प्रपत्र

धान उपार्जन वर्ष 2021-22 में सहकारी समिति राजपुर में कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

वर्ष 2021-22 जिला - रायगढ़,

क.	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	अनियमितता का विवरण	दोषी कर्मचारी/ पदाधिकारी का नाम	पद	नोटिस जारी		सेवा से पृथक		विभागीय जांच	पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ आई आर)			
							आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक		प्रकरण क्रमांक	दिनांक	पुलिस थाने का नाम	वर्तमान स्थिति
1	रायगढ़	आदिम जाति सेवा सह. समिति मर्या राजपुर	राजपुर	पंजीकृत रकबे में छेड़-छाड़ कर वृद्धि	त्रिलोचन बेहरा	समिति प्रबंधक	क्र./ विप. / 2022 / 499	25 / 03 / 2022	क्र./ उपरा / विप. / 2022 / 1053	15 / 09 / 2022	कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए रायगढ़	0266	07/09/2022	लेवरा	विवेचना जारी
							क्र./ विप. / 2022 / 633	25 / 04 / 2022	क्र./ उपरा / विप. / 2022 / 673	13 / 05 / 2022					विवेचना जारी
					रुदेश कुमार साव	कम्प्यूटर ऑपरटर	क्र./ विप. / 2022 / 499	25 / 03 / 2022	क्र./ उपरा / विप. / 2022 / 673	13 / 05 / 2022					विवेचना जारी

टीप:- विपणन वर्ष 2021-22, में जिन कृषकों के पंजीकृत रकबे में छेड़-छाड़ कर वृद्धि की गयी उनके प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचारधीन है।


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 सहकारिता विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, छटल नगर

परीशद - तैतिस

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क. 638) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

प्रयास विद्यालयों में अध्यापन एवं कोचिंग हेतु चयनित संस्थाओं एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी

क्र.	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	कार्य अवधि	कोचिंग संस्था का नाम	आबंटित कार्य (कोचिंग/अध्यापन)	कोचिंग संस्था को भुगतान की गई राशि रुपये में	कोचिंग संस्था को भुगतान हेतु शेष राशि
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर	3	4	5	6	7
1		01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक	मे. विद्यामंदिर क्लासेस, नई दिल्ली मे. मेट्रिक्स जेईई एकेडमी, सीकर राजस्थान मे. शिवा द्यूटोरियल प्रा. लि. भिलाई मे. एक्सल एजुकेशन प्रा. लि. मे. साईनाथ एजुटेक प्रा. लि. राजस्थान मे. चौखंभा सोसायटी रायपुर मे. विद्यामंदिर क्लासेस, नई दिल्ली मे. मेट्रिक्स जेईई एकेडमी, सीकर राजस्थान मे. मोशन एजुकेशन प्रा.लि. कोटा राजस्थान मे. शिवा द्यूटोरियल प्रा. लि. भिलाई	कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	24540895 28933894 13204233 6160812 705639 1595114 13673296 18971988 14014186 10061163	- अंतिम किश्त की राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। सत्र 2020-21 - अंतिम किश्त की राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। सत्र 2020-21 अंतिम किश्त की राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। सत्र 2018-19 - - अंतिम किश्त की राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। सत्र 2021-22 अंतिम किश्त की राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। सत्र 2019-20 -
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुडियारी रायपुर	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक				

क्र.	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	कार्य अवधि	कोचिंग संस्था का नाम	आबंटित कार्य (कोचिंग/अध्यापन)	कोचिंग संस्था को भुगतान की गई राशि रुपये में	कोचिंग संस्था को भुगतान हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
3	प्रयास बालक/ कन्या आवासीय कांकर	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक	मे. ह्यूमन मर्सी जनहित सेवा संस्थान रायपुर	कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	13445250	-
			मे. विद्यामंदिर क्लासेस, नई दिल्ली	कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	27040533	-
			मे. सोशल इंपावरमेंट एंड बुल्केयर ऐशोसिएशन भिलाई	कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	1831600	-
4	प्रयास बालक/ कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक	मे. सी.एल. एजुकेट लिमिटेड	कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	41822830	-
			मे. मेट्रिक्स जेईई एकेडमी, सीकर राजस्थान	कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	17088096	-
5	प्रयास बालक/ कन्या आवासीय विद्यालय जशपुर	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक	मे. चौखम्बा सोसायटी, रायपुर	कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	30186343	-
			मे. विद्यामंदिर क्लासेस, नई दिल्ली	कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	1332000	-
6	प्रयास बालक/ कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला-बस्तर	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक	मे. मोशन एजुकेशन प्रा0 लि0 कोटा राजस्थान	कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	7551000	रु. 34.00 लाख तथा अंतिम किश्त की राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। सत्र 2021-22
			मे. विद्यामंदिर क्लासेस, नई दिल्ली	कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	9880000	-
			मे. इटूज एजुकेशन प्रा0 लि0 कोटा राजस्थान	कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	7744000	-
			मे. इनोइड एकेडमी बैंगलोर कर्नाटक	कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	-	-
			मे. गुरुकृपा कोरियर इंस्ट्यूट सिकर राजस्थान	कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	-	-

// 3 //

क्र.	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	कार्य अवधि	कोचिंग संस्था का नाम	आबंटित कार्य (कोचिंग/अध्यापन)	कोचिंग संस्था को भुगतान की गई राशि रुपये में	कोचिंग संस्था को भुगतान हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
7	प्रयास बालक/ कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक	मे. आइडियल एजुकेशन प्रा0 लि0 मे. मोशन एजुकेशन प्रा0 लि0 कोटा राजस्थान मे. इटूज एजुकेशन प्रा0 लि0 कोटा राजस्थान मे. मेट्रिक्स जेईई एकेडमी, सीकर राजस्थान मे. गुरुकृपा कैरियर इंस्ट्यूट सीकर राजस्थान	कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	5632824 9317483 9928000 11938605 -	- - - अंतिम किश्त की राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। सत्र 2020-21 -
8	प्रयास बालक/ कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक	मे. मोशन एजुकेशन प्रा0 लि0 कोटा राजस्थान मे. चौखम्बा सोसायटी, रायपुर मे. कैरियर लाउन्डर एजुकेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली मे. मेट्रिक्स जेईई एकेडमी, सीकर राजस्थान	कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कक्षा 11वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	7403449 13162211 - -	- - - -
9	प्रयास बालक/ कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर जिला- सरगुजा	01 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2022 तक	मे. मोशन एजुकेशन प्रा0 लि0 कोटा राजस्थान मे. मेट्रिक्स जेईई एकेडमी, सीकर राजस्थान	कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्यापन एवं कोचिंग	28287383 9203456	- -



अनुभाग अधिकारी
अ.जा. तथा अ.जा. वि. विभाग
राजस्थान सरकार

प्रपत्र -- "ब"

प्रयास आवासीय विद्यालयों में बच्चों के पढ़ाई के लिए एन.जी.ओ. को कार्य नहीं दिये की संस्थावार, वर्षवार कारण सहित जानकारी

	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	कार्य अवधि (वर्ष)	संस्था को कार्य आर्बटिट नहीं होने का कारण
1	2	3	4
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड़हू रायपुर	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी रायपुर	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए
3	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय कांकर	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए
4	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए
5	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय जशपुर	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए
6	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए
7	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए
8	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए
9	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय सरगुजा	सत्र 2020-21 (के विद्यार्थी)	कोविड -19 के कारण विद्यार्थी प्रवेशित नहीं हो पाए



अनुभव सिंह
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मुख्यालय, नया रायपुर

प्रपत्र --'स'

मेडिकल कालेज, आईआईटी, एन.आई.टी. या समकक्ष कालेजों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संस्थावार, वर्षवार जानकारी

क्र.	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	वर्ष/अवधि	प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण				योग
			मेडिकल कालेज	IIT	NIT या समकक्ष		
1	2	3	4	5	6	7	
		2018-2019	1	8	22	31	
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर	2019-2020	2	13	26	41	
		2020-2021	1	21	12	34	
		2021-2022	0	3	23	26	
		2018-2019	8	3	13	24	
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुडियारी, रायपुर	2019-2020	2	1	8	11	
		2020-2021	4	3	8	15	
		2021-2022	3	4	10	17	
		2018-2019	-	-	-	0	
		2019-2020	-	-	-	0	
3	प्रयास बालक / कन्या आवासीय कांकर	2020-2021	1	0	1	2	
		2021-2022	1	1	7	9	
		2018-2019	-	-	-	0	
		2019-2020	-	-	-	0	
4	प्रयास बालक / कन्या आवासीय बिलासपुर	2020-2021	-	1	-	1	
		2021-2022	-	-	-	0	

परीशेष्ट - चौतीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 642) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में मिलों के पास
शेष धान की जानकारी

मात्रा मे.टन में

क्रं	जिला का नाम	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22
1	रायपुर	0	9467
2	रायगढ़	0	6298
3	सरगुजा	0	5347
4	कवर्धा	0	3459
5	दुर्ग	0	2491
6	कांकेर	0	2163
7	बालोद	0	1997
8	बलौदाबाजार	0	1267
9	बिलासपुर	0	1187
10	गरियाबंद	0	699
11	बेमेतरा	0	448
12	राजनांदगांव	0	349
13	कोरिया	0	227
14	महासमुंद	0	199
15	जांजगीर चाम्पा	0	186
16	धमतरी	0	69
17	कोंडागांव	0	22
18	बस्तर	0	17
19	जशपुर	0	16
20	मुंगेली	0	10
21	सुरजपुर	0	1
22	कोरबा	0	1
23	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	0	0
24	बलरामपुर	0	0
25	दन्तेवाड़ा	0	0
26	सुकमा	0	0
27	बीजापुर	0	0
28	नारायणपुर	0	0
	योग	0	35922


उप सचिव
उत्तीसगढ़, शासक
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - पैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 647) की जानकारी

उपत्र

क्र.	विधानसभा	विकासखण्ड	संचालित विद्यालय	माध्यम	संचालित कक्षाये	अध्ययनरत विद्यार्थी	शिक्षकों की जानकारी		प्रतिनियुक्ति से भरे शिक्षक	संविदा से भरे शिक्षक
							स्वीकृत	पूर्ति		
1	जैजैपुर	जैजैपुर	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जैजैपुर	अंग्रेजी एवं हिन्दी	1ली से 12वीं	1035	36	27	6	21
2		मालखरीदा	निरंक	-	-	-	-	-	-	-
3		बम्हनीडीह	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बम्हनीडीह	अंग्रेजी एवं हिन्दी	1ली से 12वीं	784	35	25	1	24

2 उपसंचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर

पारोशेष - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 652) की जानकारी

पपत्र

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पामगढ़

क.	पदस्थ शिक्षक एवं शिक्षिका का नाम	पदस्थ शिक्षक एवं शिक्षिका का विषय
1	श्रीमती एन.जे.एक्का	प्राचार्य
2	श्रीमती अनुपमा कुजूर	व्याख्याता हिन्दी
3	श्रीमती मंजूलता जायसवाल	व्याख्याता हिन्दी
4	किरन अंजना केरकेट्टा	व्याख्याता अंग्रेजी
5	श्रीमती गौरी साहू	व्याख्याता अंग्रेजी
6	श्रीमती यशोदा गुप्ता	व्याख्याता संस्कृत
7	श्री जय प्रकाश साहू	व्याख्याता भौतिक
8	अंकिता ठाकुर	व्याख्याता रसायन
9	डंकेश्वरी साहू	व्याख्याता गणित
10	श्री राजू पटेल	व्याख्याता गणित(हिन्दी माध्यम)
11	श्रीमती स्वर्णिमा साहू	व्याख्याता जीव विज्ञान
12	हर्षा परिहारी	व्या.जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम)
13	शहनाज कुरैशी	व्याख्याता सामा.अध्ययन
14	श्री चन्द्रशेखर यादव	व्याख्याता वाणिज्य
15	श्रीमती प्रांतिका गोस्वामी	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक
16	श्रीमती सुनीता सिंह	शिक्षक सामाजिक विज्ञान
17	श्रीमती अनामिका दुबे	शिक्षक विज्ञान
18	कु. नीलम पटेल	शिक्षक गणित
19	लीना वैष्णव	शिक्षक हिन्दी (हिन्दी माध्यम)
20	श्रीमती सीमा कैवर्त्य	शिक्षक संस्कृत(हिन्दी माध्यम)
21	सुषमिता राजपूत	प्रधान पाठक प्राथमिक
22	कु. प्रमिला साहू	सहायक शिक्षक विज्ञान समूह
23	कु. सुनीता रात्रे	सहायक शिक्षक विज्ञान समूह
24	एलिश तिग्गा	प्रयोगशाला सहायक
25	श्री रोशन लाल साहू	प्रयोगशाला सहायक
26	श्रीमती मधु डहरिया	प्रयोगशाला सहायक
27	श्री अविनाश टोप्पो	व्यायाम शिक्षक
28	गामिनी भोई	कम्प्यूटर शिक्षक

अनुमान अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायपुर

उपसंचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पारोशेष्ट - सैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 654) की जानकारी

प्रपत्र - अ

अनुसूचित जाति अंतर्गत स्वीकृत कार्य की जानकारी

(राशि रु. लाखों में)

क्र०	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
1	रिटर्निंग वॉल सहित सी.सी.रोड निर्माण (सेतोष घर से ठकुरदिया तालाब पार तक)	10.00
2	लोककला महोत्सव (गुरु घासीदास लोककला महोत्सव हेतु 11 अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रति छात्रावास 12000/- के मान से)	1.32
3	निःशुल्क बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण (अनुसूचित जाति हेतु 02 कार्य)	1.32
4	अंत्योदय स्वरोजगार (602 कार्य हेतु जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0)	60.20
योजना-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना		
5	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य, ग्राम मोहगांव	5.00
6	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में) ग्राम मोहगांव	2.50
7	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में) ग्राम मोहगांव	2.50
8	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य, ग्राम मोहगांव	10.00
9	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य, ग्राम मरकाडीह	5.00
10	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में), ग्राम मरकाडीह	2.50
11	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में), ग्राम मरकाडीह	2.50
12	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य, ग्राम मरकाडीह	10.00
13	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य, ग्राम करमंदी	5.00
14	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य, ग्राम बेल्हा	9.00
15	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में) ग्राम बांधापाली	2.50
16	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में) ग्राम बांधापाली	2.50
17	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम बांधापाली	6.00
18	आंगनबाडी भवन मरम्मत कार्य, ग्राम कौडिया	3.00
19	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य, ग्राम कौडिया	5.00
20	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास0 स्कूल में), ग्राम कौडिया	2.50

क्र०	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
21	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम कौडिया	2.50
22	पेयजल की व्यवस्था हेतु पानी टैंकर गाड़ी की सीपना, ग्राम लटियाडीह	3.50
23	पेयजल व्यवस्था हेतु बोरखनन काय, ग्राम लटियाडीह	2.50
24	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम लटियाडीह	2.50
25	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में), ग्राम लटियाडीह	2.50
26	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य, ग्राम	5.00
27	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में), ग्राम हरदीडीह	2.50
28	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम हरदीडीह	2.50
29	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम हरदीडीह	10.00
30	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम गाड़ामोर	2.50
31	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम गाड़ामोर	2.50
32	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम गाड़ामोर	5.00
33	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम तुमीडीह	5.00
34	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम तुमीडीह	2.50
35	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम तुमीडीह	2.50
36	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम तुमीडीह	10.00
37	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम छिराडीह	5.00
38	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम छिराडीह	2.50
39	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम छिराडीह	2.50
40	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम पिसौद	10.00
41	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम पिसौद	2.50
42	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम पिसौद	2.50
43	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम पिसौद	10.00
44	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम लालमाटी	10.00
45	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम लालमाटी	2.50
46	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम लालमाटी	2.50
47	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम लालमाटी	15.00

क्र०	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
48	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम बरेकेलखुर्द	10.00
49	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम बरेकेलखुर्द	2.50
50	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम बरेकेलखुर्द	2.50
51	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम बरेकेलखुर्द	10.00
52	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम भनतेरा	10.00
53	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम भनतेरा	2.50
54	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम भनतेरा	2.50
55	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम भनतेरा	15.00
56	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम अचरितपाली	10.00
57	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम अचरितपाली	2.50
58	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम अचरितपाली	2.50
59	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम अचरितपाली	10.00
60	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम छोटेरबेली	5.00
61	अहाता निर्माण कार्य (शास० मिडिल स्कूल में) ग्राम छोटेरबेली	20.00
62	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम छोटेरबेली	2.50
63	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम छोटेरबेली	2.50
64	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम छोटेरबेली	10.00
65	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम तुलसीडीह	8.00
66	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम तौलीपाली	10.00
67	अहाता निर्माण कार्य (शास० मिडिल स्कूल में) ग्राम तौलीपाली	15.00
68	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम तौलीपाली	2.50
69	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम तौलीपाली	2.50
70	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम तौलीपाली	10.00
71	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में)	2.50
72	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम छोटेकोट	2.50
73	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम छोटेकोट	5.00
74	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम रानीगांव	5.00


क्र०	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
75	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम रानीगांव	2.50
76	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम रानीगांव	2.50
77	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम रानीगांव	10.00
78	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम लिमतरा	5.00
79	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम लिमतरा	2.50
80	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम लिमतरा	2.50
81	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम लिमतरा	10.00
82	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम डड़ई	5.00
83	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम डड़ई	2.50
84	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम डड़ई	2.50
85	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम डड़ई	9.00
86	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम पनोरा	10.00
87	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम पनोरा	2.50
88	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम पनोरा	2.50
89	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम पनोरा	10.00
90	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम डोंगोपण्डी	10.00
91	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम डोंगोपण्डी	2.50
92	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम डोंगोपण्डी	2.50
93	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम डोंगोपण्डी	10.00
94	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम बगडबरी	5.00
95	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम बगडबरी	2.50
96	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम बगडबरी	2.50
97	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम बगडबरी	10.00
98	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम सोनबरसा	9.00
99	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम औराईखुई	2.50
100	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम औराईखुई	2.50
101	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम औराईखुई	10.00

क्र०	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
102	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम मधईपुर	2.50
103	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम मधईपुर	2.50
104	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम मधईपुर	10.00
105	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम साजापाली	10.00
106	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम साजापाली	2.50
107	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम साजापाली	2.50
108	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम साजापाली	10.00
109	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम सुवरमाल	10.00
110	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम सुवरमाल	2.50
111	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम सुवरमाल	2.50
112	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम सुवरमाल	15.00
113	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम घनवा	10.00
114	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम घनवा	2.50
115	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम घनवा	2.50
116	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम घनवा	15.00
117	पेयजल की व्यवस्था हेतु बोरखनन एवं पानी टंकी की स्थापना कार्य ग्राम गढोला	10.00
118	स्मार्ट क्लास की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम गढोला	2.50
119	खेलकुद सामग्री / व्यायाम उपकरण की स्थापना कार्य (शास० स्कूल में) ग्राम गढोला	2.50
120	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य ग्राम गढोला	10.00

योजना- विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना

121	सी०सी० रोड निर्माण कार्य (बस्ती से आगे की ओर) ग्राम परसाडीह	5.00
122	हैण्डपंप स्थापना (वार्ड नं० 08) ग्राम पिहरीद	1.25
123	हैण्डपंप स्थापना (वार्ड नं० 11) ग्राम पिहरीद	1.25
124	हैण्डपंप स्थापना (पोखराज घर के पास) ग्राम नरियरा	1.25
125	हैण्डपंप स्थापना (वार्ड नं० 16) ग्राम नरियरा	1.25
126	हैण्डपंप स्थापना (स्कूल के पास) ग्राम धमनी	1.04
127	हैण्डपंप स्थापना (बस स्टैण्ड के पास) ग्राम धमनी	1.04
128	सी०सी० रोड निर्माण कार्य ग्राम भिलौनी	5.00
129	हैण्डपंप स्थापना (पंचायत भवन के पास) ग्राम तालदेवरी	1.25
130	हैण्डपंप स्थापना (बस स्टैण्ड के पास) ग्राम तालदेवरी	1.25

क्र०	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3
131	हैण्डपंप स्थापना ग्राम बिरबहनी	1.04
	महायोग —	753.46



 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र "ब"

अनुसूचित जनजाति अंतर्गत स्वीकृत कार्य की जानकारी

(राशि रू.लाखों में)

क्रं.	स्वीकृत कार्य का नाम	लागत राशि	रिमार्क
1.	2.	3.	4.
1.	सी.सी.रोड निर्माण, रैनपुर (देव स्थल से रोड तक)	5.00	कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत। राशि 2022-23 में प्राप्त।
2.	आर.सी.सी. नाली निर्माण, रैनपुर (आनंद घर से सुरित के घर तक)	10.00	
3.	स्ट्रीट लाईट कार्य, रैनपुर	5.00	
4.	सी.सी.रोड निर्माण, करमंदी (देव स्थल से रोड तक)	10.00	
5.	आर.सी.सी. नाली निर्माण, करमंदी (रामाधर घर से पंचायत की ओर)	5.00	
6.	स्ट्रीट लाईट कार्य, करमंदी	5.00	—
7.	देवगुड़ी (श्रद्धा स्थल) निर्माण	1.50	—
8.	सांस्कृतिक दलों को सहायता	0.50	—
9.	लोककला महोत्सव (शहीद वीर नारायण सिंह) (03 अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवास में प्रति छात्रावास 12000/- के मान से)	0.36	—
10.	निःशुल्क बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण (अनुसूचित जनजाति)	1.32	—
11.	ऑनलाइन शिष्यवृत्ति (94 छात्रावास/आश्रम हेतु)	212.04	—
12.	राष्ट्रीय निगम ऋण सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जिला-जांजगीर-चाम्पा छ.ग.)	38.86	—
13.	आदिवासी स्वरोजगार (41 कार्य हेतु) (अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जिला-जांजगीर-चाम्पा छ.ग.)	4.10	—
	योग :-	298.68	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
 विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पारोशेष्ट - अड़तीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 658) की जानकारी

पटवारियों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र

स.क्र.	जिला का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	रायपुर	265	265	0
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	245	194	51
3	सारंगढ़-बिलाईगढ़	169	107	62
4	गरियाबंद	170	120	50
5	धमतरी	190	157	33
6	महासमुन्द	280	239	41
7	दुर्ग	185	172	13
8	बालोद	215	162	53
9	बेमेतरा	205	146	59
10	राजनांदगांव	211	162	49
11	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	107	69	38
12	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	89	59	30
13	कबीरधाम	220	169	51
14	बस्तर	186	157	29
15	कोण्डागांव	150	143	7
16	उत्तर बस्तर कांकेर	220	172	48
17	नारायणपुर	55	45	10
18	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	70	67	3
19	सुकमा	84	61	23
20	बीजापुर	90	70	20
21	बिलासपुर	259	259	0
22	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	86	63	23
23	मुंगेली	180	153	27
24	कोरबा	245	197	48
25	रायगढ़	296	251	45
26	जांजगीर-चांपा	178	156	22
27	सक्ती	152	108	44
28	सरगुजा	220	198	22
29	सूरजपुर	210	183	27
30	बलरामपुर-रामानुजगंज	200	158	42
31	जशपुर	215	165	50
32	कोरिया	72	49	23
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	73	49	24
योग		5792	4725	1067


अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-अ

अतिथि शिक्षक की जानकारी

क.	जिला का नाम	कार्यरत अतिथि शिक्षक की संख्या
1	2	3
1	महासमुंद	23
2	बलौदाबाजार	28
3	गरियाबंद	86
4	धमतरी	14
5	कबीरधाम	11
6	बालोद	14
7	मोहला-मानपुर-चौकी	32
8	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	39
9	कोरबा	60
10	सक्ती	3
11	रायगढ़	73
12	उत्तर बस्तर कांकेर	143
13	नारायणपुर	38
14	कोण्डागांव	156
15	जगदलपुर	141
16	दत्तेवाडा	35
17	बीजापुर	53
18	सुकमा	50
19	कोरिया	144
20	बलरामपुर-रामानुजगंज	244
21	सूरजपुर	144
22	जशपुर	11
23	सरगुजा	79
	योग	1621

आधिकारी
शिक्षा विभाग
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर,

प्रपत्र-ब

क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/06/2019

संचालक,
लोक शिक्षण,
छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर

विषय:- राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन के निर्णय अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग में संचालित हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं के अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के 1885(संलग्न परिशिष्ट-एक) रिक्त पदों एवं माडा पॉकेट क्षेत्र अंतर्गत संचालित हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं में भी उक्त विषयों के 631(संलग्न परिशिष्ट-दो) पदों पर नियमित भर्ती होने तक अतिथि शिक्षक के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था की जाए।

परिशिष्ट अनुसार रिक्त पदों पर शैक्षिक व्यवस्था दिनांक 30 जुलाई, 2019 तक पूर्ण कर ली जाए।

अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं:-

- 1/ अतिथि शिक्षक व्यवस्था :- यह व्यवस्था शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी।
- 2/ विज्ञापन :- रिक्त पदों का विज्ञापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 3/ शैक्षणिक योग्यता :- संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड।
- 4/ अतिथि शिक्षक चयन हेतु वरीयता क्रम :-
 - 4.1 सर्वप्रथम विद्यामितान द्वारा पूर्व में सेवायें दी गई हो, तो उन्हीं विद्यामितानों की सेवायें अतिथि शिक्षक के रूप में ली जाएँ।
 - 4.2 तत्पश्चात् अतिथि शिक्षक चयन हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम राजस्व जिला के आवेदकों को दी जाएगी, जिले में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर दूसरी प्राथमिकता राजस्व निरंतर....2

// 2 //

- संभाग को दी जाए एवं अंत में संभाग स्तर में उम्मीदवार न मिलने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का क्षेत्र राज्य स्तर होगा।
- 4.3 तत्पश्चात् विद्याभितान उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य आवेदकों से प्राप्त आवेदन में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाए।
- 4.4 इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जाए।
- 5/ मानदेय :-रूपये 18,000/- (रूपये अठारह हजार मात्र) मासिक। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जाएगा।
- 6/ उपस्थिति :-संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।
- 7/ अन्य शर्तें :-
- 7.1 अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिए जायेंगे।
- 7.2 शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी।
- 7.3 अतिथि शिक्षकों की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
- 7.4 सर्वप्रथम शिक्षक विहीन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 03 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए, तत्पश्चात् एकल शिक्षकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 02 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए।
- 7.5 अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
नरमल, रायपुर

(गौरव द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पारोक्ष - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 674) की जानकारी

प्रपत्र

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से दिनांक 30 नवंबर 2022 तक स्वीकृत मरम्मत कार्यों की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी।

क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.	क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.
1	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला मुडीभांवर	10000	31	2019	नगरी	प्रा.शा.बोधसेमरा	10000
2	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला गाड़ाडीह	10000	32	2019	नगरी	प्रा.शा.विरनपुर	15000
3	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला दुधवारा	19868	33	2019	नगरी	प्रा.शा.जवर्वा	10000
4	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला भाठापारा दुधवारा	10000	34	2019	नगरी	प्रा.शा.खुदूरपानी	10000
5	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला राजाडरा	10000	35	2019	नगरी	प्रा.शा.चारगांव	10000
6	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला भण्डारवाड़ी	15000	36	2019	नगरी	नवीन प्रा.शा.चारगांव	10000
7	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला लड़ेर	10000	37	2019	नगरी	प्रा.शा.खरका	10000
8	2019	मगरलोड	शास.न.प्राथ.शाला बोरसी	10000	38	2019	नगरी	प्रा.शा.मटियाबाहरा	10000
9	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला भालूचुवा	10000	39	2019	नगरी	प्रा.शा.सेमरा	10000
10	2019	मगरलोड	शास.न.प्राथ.शाला भोथीडीह	10000	40	2019	नगरी	प्रा.शा.विरगुडी	10000
11	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बोडरा	10000	41	2019	नगरी	प्रा.शा.पण्डरीपानी(रैं)	10000
12	2019	मगरलोड	शास.न.प्राथ.शाला कमरपारा मडेली	10000	42	2019	नगरी	प्रा.शा.बसस्टैंड पारा विरगुडी	10000
13	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला मथुरानगर मगरलोड	10000	43	2019	नगरी	प्रा.शा.फिरन्तिनपारा	10000
14	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला आमाचानी	15000	44	2019	नगरी	प्रा.शा.टांगापानी	10000
15	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला तेन्दूभाठा	10000	45	2019	नगरी	प्रा.शा.जुनवानी	10000
16	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बकोरी	10000	46	2019	नगरी	प्रा.शा.ठेमलीपारा	10000
17	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला मूलगांव	18000	47	2019	नगरी	प्रा.शा.कुरमियां	10000
18	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला पिपरौद	10000	48	2019	नगरी	प्रा.शा.बांसपानी	10000
19	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला मुडकेरा	10000	49	2019	नगरी	प्रा.शा.खडपथरा	10000
20	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला खडमा	10000	50	2019	नगरी	प्रा.शा.सातबाहना	10000
21	2019	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला गिरहोलाडीह	10000	51	2019	नगरी	प्रा.शा.डोंगरीपारा	10000
22	2019	नगरी	प्रा.शा.कमारपारा फरसियां	10000	52	2019	नगरी	प्रा.शा.भड़सिवना	10000
23	2019	नगरी	प्रा.शा.कमारपारा अमालीं	10000	53	2019	नगरी	प्रा.शा.दौड़पण्डरीपानी	10000
24	2019	नगरी	प्रा.शा.बोडरा	10000	54	2019	नगरी	प्रा.शा.गाताभरीं	10000
25	2019	नगरी	प्रा.शा.जंगलपारा नगरी	10000	55	2019	नगरी	प्रा.शा.बासीन	10000
26	2019	नगरी	प्रा.शा.बांधा	10000	56	2019	नगरी	प्रा.शा.ठेनही	10000
27	2019	नगरी	प्रा.शा.बेहड़ापारा	10000	57	2019	नगरी	प्रा.शा.जामपानी	10000
28	2019	नगरी	प्रा.शा.चवानवाही	10000	58	2019	नगरी	प्रा.शा.केरेगांव	10000
29	2019	नगरी	प्रा.शा.परसापानी	15000	59	2019	नगरी	प्रा.शा.कुरमाझर	10000
30	2019	नगरी	प्रा.शा.वटनहरीं	15000	60	2019	नगरी	प्रा.शा.डोकाल	15000

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.	क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.
61	2019	नगरी	प्रा.शा.सरईटोला (मा0)	15000	101	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला दुधवारा	10000
62	2019	नगरी	प्रा.शा.बरकोन्हा	15000	102	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला केकराखोली 05	15000
63	2019	नगरी	प्रा.शा.कवाचीपारा	10000	103	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला लडेर	15000
64	2019	नगरी	प्रा.शा.चन्दनपुर	10000	104	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला बोरसी	15000
65	2019	नगरी	प्रा.शा.खाड़ादाह	10000	105	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला मारागांव	15000
66	2019	नगरी	प्रा.शा.कुम्हड़ा	10000	106	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला मोहेरा	15000
67	2019	नगरी	प्रा.शा.ब्रामहणबाहरा	10000	107	2019	मगरलोड	शास.बा.माध्य.शाला मगरलोड	15000
68	2019	नगरी	प्रा.शा.पावद्वार	10000	108	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला सोनपैरी	15000
69	2019	नगरी	प्रा.शा.घतुला	10000	109	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला शुक्लाभांठा	15868
70	2019	नगरी	प्रा.शा.आमगांव(वन)	10000	110	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला मड़वापथरा	10000
71	2019	नगरी	प्रा.शा.मोदे	10000	111	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला करेली छोटी	10000
72	2019	नगरी	प्रा.शा.खमनापारा(सांकरा)	5000	112	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला सरगी	12000
73	2019	नगरी	प्रा.शा.नवागांव	10000	113	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला मोहदी	15000
74	2019	नगरी	प्रा.शा.बरबांधा	10000	114	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला मुड़केरा	15000
75	2019	नगरी	प्रा.शा.अमाली	10000	115	2019	नगरी	मा.शा.टेंगना	18000
76	2019	नगरी	प्रा.शा.जैतपुरी	10000	116	2019	नगरी	मा.शा.बोडरा	15000
77	2019	नगरी	प्रा.शा.नयापारा(बेलरगांव)	10000	117	2019	नगरी	मा.शा.जंगलपारा	16000
78	2019	नगरी	प्रा.शा.लिखमा	5000	118	2019	नगरी	मा.शा.कोटपारा नगरी	15000
79	2019	नगरी	प्रा.शा.कन्या आश्रम सिहावा	10000	119	2019	नगरी	मा.शा.बांधा	15000
80	2019	नगरी	प्रा.शा.पाईकभाठा	5000	120	2019	नगरी	मा.शा.डोंगरडुला	15000
81	2019	नगरी	प्रा.शा.माड़मसिल्ली	5000	121	2019	नगरी	मा.शा.राजपुर	15000
82	2019	नगरी	प्रा.शा.चनागाव	5000	122	2019	नगरी	मा.शा.भैंसामुड़ा	20881
83	2019	नगरी	प्रा.शा.कमारटोला	5000	123	2019	नगरी	मा.शा.खुदूरपानी	15000
84	2019	नगरी	प्रा.शा.साल्हेभाठ	10000	124	2019	नगरी	मा.शा.सेमरा	20000
85	2019	नगरी	प्रा.शा.मोहलई	10000	125	2019	नगरी	मा.शा.पण्डरीपानी(मा.)	20000
86	2019	नगरी	प्रा.शा.मारदापोटी	5000	126	2019	नगरी	मा.शा.कोंगेरा	15000
87	2019	नगरी	प्रा.शा.कोलियारी	10000	127	2019	नगरी	मा.शा.टांगापानी	15000
88	2019	नगरी	प्रा.शा.अर्जुनी	10000	128	2019	नगरी	मा.शा.खड़पथरा	15000
89	2019	नगरी	प्रा.शा.करैहा	10000	129	2019	नगरी	मा.शा.भड़सिवना	15000
90	2019	नगरी	प्रा.शा.भीषमपुरी	10000	130	2019	नगरी	मा.शा.बांसपानी	18000
91	2019	नगरी	प्रा.शा.पोड़ीडीह	10000	131	2019	नगरी	मा.शा.मेचका	20000
92	2019	नगरी	प्रा.शा.छिन्दीटोला	10000	132	2019	नगरी	मा.शा.अर्जुनी	15000
93	2019	नगरी	प्रा.शा.लखनपुरी	10000	133	2019	नगरी	मा.शा.ठेनही	20000
94	2019	नगरी	प्रा.शा.हरांपारा	10000	134	2019	नगरी	मा.शा.पांवद्वार	15000
95	2019	नगरी	प्रा.शा.पांडरवाही	10000	135	2019	नगरी	मा.शा.घतुला	15000
96	2019	नगरी	प्रा.शा.जामपानी	10000	136	2019	नगरी	मा.शा.मोदे	20000
97	2019	नगरी	प्रा.शा.कसपुर	7940	137	2019	नगरी	मा.शा.नवागांव	15000
98	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला परसावुड़ा	10000	138	2019	नगरी	मा.शा.मल्हारी	18000
99	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला कपालफोड़ी	10000	139	2019	नगरी	मा.शा.खम्हरिया	15000
100	2019	मगरलोड	शास.माध्य.शाला अमलीडीह	15000	140	2019	नगरी	मा.शा.सिरसिदा	15000

क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.	क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.
141	2019	नगरी	मा.शा.रिसगांव	15000	181	2020	नगरी	प्रा.शा.अरसीकन्हार	20000
142	2019	नगरी	मा.शा.उजरावन	15000	182	2020	नगरी	प्रा.शा.कसलोर	20000
143	2019	नगरी	मा.शा.मासुलखोई	15000	183	2020	नगरी	प्रा.शा.तुमडीबाहर	20000
144	2019	नगरी	मा.शा.भूरसीडोंगरी	15000	184	2020	नगरी	प्रा.शा.मेचका	20000
145	2019	नगरी	मा.शा.आमगांव	15000	185	2020	नगरी	प्रा.शा.डोंगरीपारा मेचका	20000
146	2019	नगरी	मा.शा.बरबांधा	15000	186	2020	नगरी	प्रा.शा.बेलरबाहरा	20000
147	2019	नगरी	मा.शा.घुरावड	15000	187	2020	नगरी	प्रा.शा.मलहारी	20000
148	2019	नगरी	मा.शा.नवागांव	15000	188	2020	नगरी	प्रा.शा.रावनसिधी	20000
149	2019	नगरी	मा.शा.मैनपुर	15000	189	2020	नगरी	प्रा.शा.मैनपुर	20000
150	2019	नगरी	मा.शा.दुगली	20000	190	2020	नगरी	प्रा.शा.कोटपारा बोराई	20000
151	2019	नगरी	मा.शा.आश्रम दुगली	15000	191	2020	नगरी	प्रा.शा.बनियाडीह	20000
152	2019	नगरी	मा.शा.बेधवापथरा	15000	192	2020	नगरी	प्रा.शा.सांकरा चिवरी	20000
153	2019	नगरी	मा.शा.गेदरा	15000	193	2020	नगरी	प्रा.शा.कुकरीकोना	20000
154	2019	नगरी	मा.शा.फरसगांव	15000	194	2020	नगरी	प्रा.शा.खैरभरी	20000
155	2019	नगरी	मा.शा.लखनपुरी	15000	195	2020	नगरी	प्रा.शा.कुम्हाडाकोट	20000
156	2019	नगरी	मा.शा.उमरगांव	15000	196	2020	नगरी	प्रा.शा.टिकरापारा चि.	20000
157	2019	नगरी	मा.शा.जामपानी	15000	197	2020	नगरी	प्रा.शा.आडमुडा	20000
158	2019	नगरी	मा.शा.कट्टीगांव	15000	198	2020	नगरी	प्रा.शा.झुझराकसा	20000
159	2019	नगरी	हाईस्कूल बोराई	40000	199	2020	नगरी	प्रा.शा.सांरगपुरी	20000
160	2019	नगरी	हाईस्कूल उमरगांव	35000	200	2020	नगरी	प्रा.शा.महमल्ला मा	20000
161	2019	नगरी	हाईस्कूल खैरभरी	35000	201	2020	नगरी	प्रा.शा.महमल्ला रै	20000
162	2019	नगरी	हाईस्कूल सांकरा चिवरी	35000	202	2020	नगरी	प्रा.शा.बनोरा	20000
163	2019	नगरी	हाईस्कूल गढ़डोंगरी	35829	203	2020	नगरी	प्रा.शा.कोरमुड	20000
164	2019	मगरलोड	उमावि अमलीडीह	47868	204	2020	नगरी	ज्ञान.ज्यो.बरबाधा	20000
165	2019	मगरलोड	उमावि मोहेरा	50000	205	2020	नगरी	दैहानपारा कोर	20000
166	2019	मगरलोड	उमावि मोहदी	40000	206	2020	नगरी	प्रा.शा.घुरावड	20000
167	2019	मगरलोड	उमावि बोरसी	40000	207	2020	नगरी	प्रा.शा.भुरसीडोंगरी	20000
168	2019	मगरलोड	उमावि मारागांव	40000	208	2020	नगरी	प्रा.शा.साल्हेभाट	10000
169	2019	मगरलोड	उमावि सोनझरी	30000	209	2020	नगरी	मा.शा. मेचका	27000
170	2019	नगरी	उमावि घोटगांव	35000	210	2020	नगरी	मा.शा. दिनकरपुर	27000
171	2019	नगरी	उमावि रिसगांव	30000	211	2020	नगरी	मा.शा. सांकरा चि	27000
172	2019	नगरी	उमावि आमगांव	35000	212	2020	नगरी	मा.शा. राजपुर	27000
173	2019	नगरी	उमावि विरगुडी	30000	213	2020	नगरी	मा.शा. बरबांधा	27000
174	2019	नगरी	उमावि घुटकेल	28000	214	2020	नगरी	मा.शा. रिसगांव	27000
175	2020	मगरलोड	शा.प्रा.शा. पेन्झा	21000	215	2020	नगरी	मा.शा. छुही	27000
176	2020	मगरलोड	शा.प्रा.शा. धीकुड़िया	21000	216	2020	नगरी	मा.शा. बनबगौद	27000
177	2020	मगरलोड	शा.प्रा.शा. बनियातोरा	20000	217	2020	नगरी	मा.शा. अमाली	27000
178	2020	मगरलोड	शा.प्रा.शा. कमरौद	20000	218	2020	नगरी	मा.शा. फरसियां	27000
179	2020	नगरी	प्रा.शा.करेमुडा	20000	219	2020	नगरी	मा.शा. सिहावा	27000
180	2020	नगरी	प्रा.शा.लिलांज	20000	220	2020	नगरी	मा.शा. सांकरा	27000

क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.	क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.
221	2020	नगरी	मा.शा. नवागांव कसपुर	27000	259	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. वगरुमनाला	25000
222	2020	नगरी	मा.शा. बांसपानी	27000	260	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. वोकराबेडा	25000
223	2020	नगरी	मा.शा. जंगलपारा नगरी	27000	261	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. प्रा.शा. आश्रम दुगली	25000
224	2020	नगरी	मा.शा. भोथापारा	27000	262	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. करका	26729
225	2020	नगरी	मा.शा. कुकरेल	27270	263	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. कल्लेमेटा	25000
226	2020	मगरलोड	शा.हाईस्कूल दुधवारा	25000	264	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. बांधा	25000
227	2020	मगरलोड	शा.हाईस्कूल नवागांव	25000	265	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. सराईटोला ब	25000
228	2020	मगरलोड	शा.उ.मा.वि.करेलीछोटी	25000	266	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. गट्टासिल्ली	25000
229	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कर्मईपुर	25000	267	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. बेधवापथरा	25000
230	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला मोंहदी	25000	268	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. घुटकेल	25000
231	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला पालवाड़ी	25000	269	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. आडमुडा	25000
232	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला धनोरा	25000	270	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. प्रायोगिक नगरी (अंग्रेजी माध्यम)	50000
233	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बोरसी	25000	271	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. टिकरापारा चिवरी	25000
234	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कमारपारा बेलोरा	25000	272	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. आमदी	25000
235	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला केकराखोली 05	25000	273	2021	मगरलोड	शास. के.जी.वी.टी. मगरलोड	25000
236	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला चारभाटा	25000	274	2021	मगरलोड	शास.माध्य.शाला कन्या भैसमुडी	25000
237	2021	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला देवगांव	25000	275	2021	मगरलोड	शास.माध्य.शाला भरदा	25000
238	2021	मगरलोड	शास.प्रा.शा. बालक मगरलोड	25000	276	2021	मगरलोड	शास.माध्य.शाला मोंहदी	25000
239	2021	नगरी	प्रा.शा. भुरसीडोंगरी	25000	277	2021	मगरलोड	शास.माध्य.शाला झाझरकेरा	25000
240	2021	नगरी	प्रा.शा.कुकरेल	25000	278	2021	मगरलोड	शास.माध्य.शाला पंहदा	25000
241	2021	नगरी	प्रा.शा.पथरीडीह	25000	279	2021	मगरलोड	शास.माध्य.शाला अमलीडीह	25000
242	2021	नगरी	प्रा.शा. देहरापारा	25000	280	2021	मगरलोड	शास.मा.शाला लडेर	25000
243	2021	नगरी	प्रा.शा.सिरौदखुर्द	25000	281	2021	मगरलोड	शास.मा.शाला गाड़ाडीह	25000
244	2021	नगरी	प्रा.शा.देवगांव	25000	282	2021	मगरलोड	शास.मा.शाला भोथा	24498
245	2021	नगरी	प्रा.शा. पंचघरियापारा	25000	283	2021	मगरलोड	शास.मा.शा. बेलोरा	25000
246	2021	नगरी	प्रा.शा.खल्लारी	25000	284	2021	मगरलोड	शास.मा.शा. सोनझरी	25000
247	2021	नगरी	प्रा.शा.गाताबहरा	25000	285	2021	मगरलोड	शास.मा.शा. बोरसी	25000
248	2021	नगरी	प्रा.शा. आदिवासी कन्या आश्रम सिहावा	25000	286	2021	नगरी	मा.शा. बेलरबहरा	25000
249	2021	नगरी	प्रा.शा. पलारीखार	25000	287	2021	नगरी	मा.शा.कुगेरा	25000
250	2021	नगरी	प्रा.शा. वगरुमनाला	25000	288	2021	नगरी	मा.शा.कुकरेल	25000
251	2021	नगरी	प्रा.शा. गोरेगांव	25000	289	2021	नगरी	मा.शा.सियादेही	25000
252	2021	नगरी	प्रा.शा. चंदनबाहरा	25000	290	2021	नगरी	मा.शा.देवगांव	25000
253	2021	नगरी	प्रा.शा. देवखुटपारा भुरसीडोंगरी	25000	291	2021	नगरी	मा.शा.खल्लारी	25000
254	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. बासीखाई	25000	292	2021	नगरी	मा.शा. आमगांव	25000
255	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. अमाली घुरावंड	25000	293	2021	नगरी	मा.शा. कांटाकुरीडीह	25000
256	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. खैरभरी	25000	294	2021	नगरी	मा.शा.मैनपुर	25000
257	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. वनवगौद	25000	295	2021	नगरी	मा.शा.भोथली	25000
258	2021	नगरी	शास.प्रा.शा. केरेगांव	25000	296	2021	नगरी	शास.मा.शा. बाजार कुरीडीह	25000

क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.	क.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.
297	2021	नगरी	शास.मा.शा. नवागांव सांकरा	25000	337	2021	नगरी	उमावि रिसगांव	23143
298	2021	नगरी	शास.मा.शा. बेलरगांव	25000	338	2021	नगरी	शास.उ.मा.वि. करेगांव	35000
299	2021	नगरी	शास.मा.शा. गिधावा	25000	339	2021	नगरी	शास.उ.मा.वि. श्रृंगीऋषि नगरी	35000
300	2021	नगरी	शास.मा.शा. खुदुरपानी	25000	340	2021	नगरी	शास.उ.मा.वि. कन्या नगरी	35000
301	2021	नगरी	शास.मा.शा. आश्रम दुगली	25000	341	2021	नगरी	शास.उ.मा.वि. सलोनी	35000
302	2021	नगरी	शास.मा.कन्या परिसर दुगली	25000	342	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला अमलीडीह	14500
303	2021	नगरी	शास.मा.शा. टेंगना	25000	343	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला गाड़ाडीह	14500
304	2021	नगरी	शास.मा.शा. सलोनी	25000	344	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कपालफोड़ी	14500
305	2021	नगरी	शास.मा.शा. झुझरकसा	25000	345	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कुल्हाड़ीकोट	14500
306	2021	नगरी	शास.मा.शा. कट्टीगांव	25000	346	2022	मगरलोड	प्राथमिक शाला रांकाडीह	14500
307	2021	नगरी	शास.मा.शा. श्रृंगि, ऋषि ब्रगरी	25000	347	2022	मगरलोड	नवीन प्राथमिक शाला रांकाडीह	14500
308	2021	नगरी	शास.मा.शा. छिपली	25000	348	2022	मगरलोड	प्राथमिक शाला भोथीडीह	14500
309	2021	नगरी	शास.मा.शा. महमल्ला	25000	349	2022	मगरलोड	नवीन प्राथमिक शाला भोथीडीह	14500
310	2021	नगरी	शास.मा.शा. परसापानी	25000	350	2022	मगरलोड	प्राथमिक शाला सांकरा	14500
311	2021	नगरी	शास.मा.शा. सालहेभाठ	25000	351	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बिरझुली	14500
312	2021	नगरी	शास.मा.शा. सांकरा	25000	352	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला आलेखुटा	14500
313	2021	नगरी	शास.मा.शा. पाईकभाठा	25000	353	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला गोबरापठार	14500
314	2021	नगरी	शास.मा.शा. सिहावा	22000	354	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बोदलबाहरा	14500
315	2021	नगरी	शास.मा.शा. फरसगांव	25000	355	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला भालूचुवा	14500
316	2021	नगरी	शास.मा.शा. उमरगांव	25000	356	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला झाझरकरा	14500
317	2021	नगरी	शास.मा.शा. लखनपुरी	25000	357	2022	मगरलोड	शास.न.प्राथ.शाला बोरसी	14500
318	2021	नगरी	शास.मा.शा. कर्राघाटी	25000	358	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला राजाडेश	14500
319	2021	नगरी	शास.मा.शा. मौहाबहारा	25000	359	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कमारपारा कोरगांव	14500
320	2021	नगरी	शास.मा.शा. दुगली	25000	360	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला दुधवारा	14500
321	2021	मगरलोड	शास.हाई स्कूल दुधवारा	25000	361	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला भाठापारा दुधवारा	14500
322	2021	मगरलोड	शास.हाई स्कूल नवागांव	25000	362	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बालक मगरलोड (3)	14500
323	2021	नगरी	हाई स्कूल बा.कुरीडही	25000	363	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला भरदा	14500
324	2021	नगरी	हाई स्कूल उमरगांव	25000	364	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कमरौद	14500
325	2021	नगरी	शास.हाईस्कूल खल्लारी	35000	365	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बकोरी	14500
326	2021	नगरी	शास.हाईस्कूल छुही	33149	366	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला तेन्दूभाठा	14500
327	2021	नगरी	शास.हाईस्कूल बांसपानी	35000	367	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बेलरदोना	14500
328	2021	नगरी	शास.हाईस्कूल करैहा	35000	368	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कमारपारा मड़ेली	14500
329	2021	मगरलोड	शास.उ.मा.विद्यालय मगरलोड	25000	369	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला मड़ेली	14500
330	2021	मगरलोड	शास.उच्च.माध्य.विद्यालय भैंसमुडी	25000	370	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला मोहेरा	14500
331	2021	नगरी	उमावि सांकरा	25000	371	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कुकरीनाला मोहेरा	14500
332	2021	नगरी	उमावि आमगांव	25000	372	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला कमारपारा मोहेरा	14500
333	2021	नगरी	उमावि क.परि.दुगली	25000	373	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला घीकुड़ीया	14500
334	2021	नगरी	उमावि कुकरेल	25000	374	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला सरईभदर	14500
335	2021	नगरी	उमावि घुटकेल	25000	375	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला निरई	14500
336	2021	नगरी	उमावि सिहावा	25000	376	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला जामली	14500

क्र.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.	क.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.
377	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बेलोरा	14500	417	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.कसलोर	14500
378	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला बोडरा	14500	418	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.खालगढ	14500
379	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला आमाचानी	14500	419	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.सेलबाहरा	14500
380	2022	मगरलोड	शास.न.प्राथ.शाला बेलरदोना	14500	420	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.हरदीभाठा	14500
381	2022	मगरलोड	शास.न.प्राथ.शाला नवाडीह बोडरा	14500	421	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.भोथली	14500
382	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला शुक्लाभाठा	14500	422	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.गीतकारमुडा	14500
383	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला केकराखोली 06	14500	423	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.छिन्दपारा	14500
384	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला मुरुमडीह	14500	424	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.कोरमुडपारा	14500
385	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला धनोरा	14500	425	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.भैसासांकरा	14500
386	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला सोनझरी	14500	426	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.कुपपारा	14500
387	2022	मगरलोड	शास.प्राथ.शाला भोथा	14500	427	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.खमनापारा	14500
388	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.घोटगांव	14500	428	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.संदबाहरा	14500
389	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.दाबगांव	14500	429	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.रिसगांव	14500
390	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.झुझराकसा	14500	430	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.डिहीपारा सेमरा	14500
391	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.नयापारा झु	14500	431	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.डोगरीपारा सेमरा	14500
392	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.लिखमा	14500	432	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.पंडरीपानी रै	14500
393	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.बुड़ा	14500	433	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.करेमुडा	14500
394	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.क.अ.बोराई	14500	434	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.कौहाबाहरा	14500
395	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.बरोली	14500	435	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.दुगली	14500
396	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.कट्टीगांव	14500	436	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.ठेमलीपारा	14500
397	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.हुरावापारा	14500	437	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.बेलरबाहरा	14500
398	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.तुमबाहरा	14500	438	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.तुमडीबहार	14500
399	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.खुदुरपानी	14500	439	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.तेनही	14500
400	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.कैटतराई	14500	440	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.दौडपंडरीपानी	14500
401	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.डोगरीपारा	14500	441	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.गाताभर्री	14500
402	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.राजपुर	14500	442	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.अर्जुनी	14500
403	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.इंदराआवासपारा	14500	443	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.बासीन	14500
404	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.रायपारा ब	14500	444	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.चारगांव	14500
405	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.बरकोन्हा	14500	445	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.जर्बरा	14500
406	2022	नगरी	प्रा.शा.दलदली अ	14500	446	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.खरका	14500
407	2022	नगरी	प्रा.शा.कर्कघाटी	14500	447	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.रतावाडीह	14500
408	2022	नगरी	प्रा.शा.वेन्दरापानी	14500	448	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.नवागांव ब	14500
409	2022	नगरी	प्रा.शा.फुरडधाप	14500	449	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.गिधावा	14500
410	2022	नगरी	प्रा.शा.हितली	14500	450	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.पंडरीडबरी	12870
411	2022	नगरी	प्रा.शा.कवाचीपारा	14500	451	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.शिवपुर सिहावा	14500
412	2022	नगरी	प्रा.शा.बांधापारा नगरी	14500	452	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.कपालफोड़ी	22700
413	2022	नगरी	प्रा.शा.जंगलपारा छिपली	14500	453	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.सांकरा	22700
414	2022	नगरी	प्रा.शा.अरसीकान्हार	14500	454	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.भोथीडीह	22700
415	2022	नगरी	प्रा.शा.डोगरीपारा मेचंका	14500	455	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.बिरझुली	22700
416	2022	नगरी	शास.प्रा.शा.मेचका	14500	456	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.दुधवारा	22700

क.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.	क.	वर्ष	विकास खंड	शाला का नाम	स्वीकृत राशि रु.
457	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. अरौद	22700	484	2022	नगरी	शास.मा.शा.जबर्बा	22700
458	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. गिरौद	22700	485	2022	नगरी	शास.मा.शा.करैहा	22700
459	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. सौंगा	22700	486	2022	नगरी	शास.मा.शा. टांगापानी	22700
460	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. लुगे	22700	487	2022	मगरलोड	शास.हाई स्कूल शुक्लाभाठा	41600
461	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. बालक मगरलोड	22700	488	2022	मगरलोड	शास.हाई स्कूल बोडरा	41600
462	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. कन्या मगरलोड	22700	489	2022	नगरी	शास. हाई स्कूल गुहाननाला	41600
463	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.कमरौद	22700	490	2022	नगरी	शास.हाई स्कूल तुमडीवहार	41600
464	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.मडेली	22700	491	2022	नगरी	शास.हाई स्कूल खैरभर्री	41600
465	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.मोहेरा	22700	492	2022	नगरी	शास. हाई स्कूल टांगापानी	41600
466	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. बेलरदोना	22700	493	2022	नगरी	शास. उ.मा.वि स्कूल बिरगुडी	41600
467	2022	मगरलोड	शास.मा.शा.बोडरा	22700	494	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. करेली छोटी	41600
468	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. शुक्लाभाठा	22700	495	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. सिंगपुर	41600
469	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. हतबंद	22700	496	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. सरगी	41600
470	2022	मगरलोड	शास.मा.शा. खिसौरा	22700	497	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. अमलीडीह	41600
471	2022	नगरी	शास.मा.शा.बांधा	22700	498	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. बोरसी	41600
472	2022	नगरी	शास.मा.शा.अर्जुनी	22700	499	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. मोहदी	41600
473	2022	नगरी	शास.मा.शा.बगरुमनाला	27630	500	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. बिरझुली	41600
474	2022	नगरी	शास.मा.शा.मेचका	22700	501	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. मोहेरा	41600
475	2022	नगरी	शास.मा.शा.गोदलानाला	22700	502	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. भोथीडीह	41600
476	2022	नगरी	शास.मा.शा.हरदीभाठा	22700	503	2022	मगरलोड	शास.उ.मा.वि. कन्या मगरलोड	41600
477	2022	नगरी	शास.मा.शा.उजरावन	22700	504	2022	नगरी	शास.उ.मा.वि. घोटगांव	41600
478	2022	नगरी	शास.मा.शा.रिसगांव	22700	505	2022	नगरी	शास.उ.मा.वि. डोंगरडुला	41600
479	2022	नगरी	शास.मा.शा.वासपानी	22700	506	2022	नगरी	शास.उ.मा.वि. सियारीनाला	41600
480	2022	नगरी	शास.मा.शा.कसपुर	22700					
481	2022	नगरी	शास.मा.शा.घोटगांव	22700					
482	2022	नगरी	शास.मा.शा.कोर्रेमुडा	22700					
483	2022	नगरी	शास.मा.शा.कट्टीगांव	22700					


 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण संचालनालय
 छत्तीसगढ़



 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नया रायपुर


पॉरीशेए - इकतालीस
अतारांकैत प्रश्न संख्या 47 (क. 678) की जानकारी

प्रपत्र

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक शिक्षकों के वर्गवार स्थानांतरण

क्र.	पद नाम	किए गए स्थानांतरण
1	प्राचार्य	86
2	व्याख्याता	2239
3	शिक्षक	1971
4	प्रधान पाठक पूर्व मा.शा.	186
5	व्यायाम शिक्षक	39
6	सहायक शिक्षक	2702
		7223


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर


उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पारोशेष्ट - बयालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 681) की जानकारी

i i =

डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019 से 30 नवम्बर, 2022 तक भू-अर्जन प्रकरणों/मुआवजा वितरण की जानकारी - विधानसभा
अतारांकित प्रश्न क्रं. 681
जिला-राजनांदगांव

क	वर्ष	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रस्तुत मुआवजा प्रकरणों की संख्या	अवार्ड पारित/ क्रय आदेश जारी प्रकरणों की संख्या	प्रकरण में कुल भू-धारकों की संख्या	भू-धारकों की संख्या जिन्हें मुआवजा प्रदान किया गया	भू-धारक की संख्या जिन्हें मुआवजा वितरण लंबित है।	मुआवजा वितरण लंबित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2019	लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, खैरागढ़	प्रजागिरी पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु	1	0	1	0	1	आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	2020	जल संसाधन बेराज संभाग, डोंगरगांव	सूखानाला बेराज	2	2	3	1	2	विभाग की आवंटन के अभाव में भुगतान शेष है। विभाग द्वारा आवंटन की मांग उच्च कार्यालय से की जा रही है, आवंटन प्राप्त होते ही मुआवजा भुगतान कर दिया जावेगा।
3	2021	जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव	झिटिया एनीकट	1	1	3	2	1	भू-धारक के खाते में सशोधन के अभाव में रजिस्ट्री नहीं हो पाने के कारण भुगतान लंबित है।
4	2021	लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, खैरागढ़	गाजमरी राजकट्टा हेलीपेड मार्ग लंबाई 3.85 कि.मी. में प्रभावित	1	0	1	0	1	आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन
5	2021	कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, राजनांदगांव	पनियाजोब-धोरतलाव संक्शन के मध्य राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेलवे लाईन ब्रोड गैज रेलवे परियोजना (228 कि.मी.) हेतु	3	3	79	77	2	01 पक्षकार का सही पता न मिलने के कारण एवं 01 पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)

क.	वर्ष	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रस्तुत मुआवजा प्रकरणों की संख्या	अवार्ड पारित/ क्रय आदेश जारी प्रकरणों की संख्या	प्रकरण में कुल भू-धारकों की संख्या	भू-धारकों की संख्या जिन्हें मुआवजा प्रदान किया गया	भू-धारक की संख्या जिन्हें मुआवजा वितरण लंबित है।	मुआवजा वितरण लंबित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2022	लो.नि.वि. सेतु निर्माण सभाग दुर्ग (छ.ग.)	जिला राजनांदगांव के बेन्दरकट्टा-कोहका- डोंगरगांव मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण (तृतीय अनुपूरक वर्ष 2019-20) (राज्य मद योजना)	1	0	1	0	1	भू-धारक को सहमति हेतु प्रारूप 'क' जारी किया गया है, भू-धारक से सहमति अप्राप्त है। प्रक्रियाधीन।
7	2022	जल संसाधन बैराज सभाग, डोंगरगांव	सूखानाला बैराज	1	1	1	0	1	विभाग को आबंटन के अभाव में भुगतान शेष है। विभाग द्वारा आबंटन की मांग उच्च कार्यालय से की जा रही है, आबंटन प्राप्त होते ही मुआवजा भुगतान कर दिया जावेगा।
8	2022	परियोजना प्रबंधक, (ए. डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि., राजनांदगांव मुख्यालय दुर्ग	डोंगरगांव-खुज्जी- पिनकापार- जेवरतला मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण	1	1	21	9	12	06 भू-धारकों हेतु पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, पंजीयन उपरांत तत्काल मुआवजा भुगतान किया जाएगा। शेष 06 भू-धारकों का फौत होने/सहमति अप्राप्त होने एवं रिकार्ड दुरुस्ती नहीं होने से लंबित। प्रक्रियाधीन।
			योग	11	8	110	89	21	

संयुक्त कलेक्टर,
वास्ते-कलेक्टर, राजनांदगांव

संयुक्त कलेक्टर,
वास्ते-कलेक्टर, राजनांदगांव

पारोधिष्ट - तिरालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 686) की जानकारी

ii =

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महोदय

श्राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छ.ग.

विषय:- जान का खतरा होने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मैं हृदयराम साहू पिता धीरू राम साहू वार्ड नं. 05 चिखली का रहने वाला हूँ रितेश गजभिये आत्मज राजकुमार गजभिये निवासी गौरी नगर जिसने मेरे पिताजी हीरूराम साहू पिता बृज साहू से हमारी पुरखौती जमीन जिसका 76 डिसमिल फर्जी रूप से रजिस्ट्र कर लिया था जिसका जॉच जारी है 10/10/2022 को रितेश गजभिये 2 लोगो के साथ शाम के वक्त मेरे घर आया और रिवाल्वर मेरे सीने में टिका दिया और बोला कि मेरे नाम से जो शिकायत तुने नगर पुलिस अधीक्षक ऑफिस में दिया है उसको वापस ले ले वरना तेरे को जान से मार दूंगा जिससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ और डर के कारण ही इतने दिनों तक शिकायत नहीं किया लेकिन आज शिकायत मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ अगर मेरा हत्या होता है तो उसका जिम्मेदार रितेश गजभिये होगा निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।

दिनांक - 09/10/2022

हृदयराम साहू
आवेदक

हृदयराम साहू

वार्ड नं 5, चिखली

राजनांदगांव

मों नं - 7869450857

T.E. चिखली

11423

20/10/22

2.C/08 पिता
195/122
20/10/22

कार्यालय चौकी प्रभारी चौकी चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

क्रमांक - चौ.प्र./चिखली/24 /2022,

दिनांक 01 /10/2022

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

विषय :- आवेदक हृदयराम साहू पिता हीरू साहू निवासी शीतला गली वार्ड न0 05 जिला राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में।

संदर्भ :- क0- पुअ/राज/1991/2022 दिनांक 23.09.2022।

क0- पुअ/राज/1460/2022 दिनांक 20.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित लेख है कि आवेदक हृदयराम साहू पिता स्व0 श्री हीरूराम साहू उम्र 51 साल निवासी चिखली वार्ड न0 05 शीतला मंदिर गली पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 का निवासी है, इनके पिता स्व0 श्री हीरूराम साहू के नाम से चिखली में खसरा क्र 223/1 में रकबा 02 एकड 39 $\frac{1}{2}$ डिसमील कृषि भूमि था। जिसमें से आवेदक के पिता हीरू राम साहू द्वारा

01. दिनांक 22.04.2017 को खसरा क्र0 223/1 का टूकडा रकबा 0.0024 हेक्ट को क्रेता मनसुख लाल साहू पिता सखाराम साहू को पंजीकृत विक्रय किया गया है एवं उसके पूर्व दिशा में विक्रेता हीरूराम साहू द्वारा छोडा गया रास्ता दर्ज है। रजिस्ट्री में उल्लेखित है।

02. दिनांक 21.01.2019 को आवेदक के पिता हीरू राम साहू द्वारा खसरा क्र0 223/1 का टूकडा रकबा 0.06 हेक्ट को क्रेता राजेन्द्र साहू पिता शिवप्रसाद साहू को पंजीकृत विक्रय किया गया है एवं उसके पूर्व एवं उत्तर दिशा में विक्रेता हीरूराम साहू द्वारा छोडा गया रास्ता दर्ज है।

03. दिनांक 01.02.2021 को आवेदक के पिता हीरू राम साहू द्वारा खसरा क्र0 223/27 का टूकडा रकबा 0.013 हेक्ट को क्रेता विजय कुमार साहू पिता गलेश कुमार साहू को पंजीकृत विक्रय किया गया है एवं उसके पूर्व एवं दक्षिण दिशा में विक्रेता हीरूराम साहू द्वारा छोडा गया रास्ता दर्ज है।

04. दिनांक 01.02.2021 को आवेदक के पिता हीरू राम साहू द्वारा खसरा क्र0 223/27 का टूकडा रकबा 0.010 हेक्ट को क्रेता कौशल सिन्हा पिता मनराखन सिन्हा को पंजीकृत विक्रय किया गया है जिसके पश्चिम दिशा में विक्रेता हीरूराम साहू द्वारा छोडा गया रास्ता दर्ज है।

05. दिनांक 01.02.2021 को आवेदक के पिता हीरू राम साहू द्वारा खसरा क्र0 223/27 का टूकडा रकबा 0.011 हेक्ट को क्रेता रूखमणी साहू पति जय प्रकाश साहू को पंजीकृत विक्रय किया गया है जिसके पूर्व दिशा में विक्रेता हीरूराम साहू द्वारा छोडा गया रास्ता दर्ज है।

06. दिनांक 01.02.2021 को आवेदक के पिता हीरू राम साहू द्वारा खसरा क्र0 223/27 का टूकडा रकबा 0.016 हेक्ट को क्रेता सीता यादव पति थानुराम यादव को पंजीकृत विक्रय किया गया है जिसके पश्चिम दिशा में विक्रेता हीरूराम साहू द्वारा छोडा गया रास्ता दर्ज है।

07. दिनांक 01.02.2021 को आवेदक के पिता हीरू राम साहू द्वारा खसरा क्र0 223/27 का टूकडा रकबा 0.032 हेक्ट को क्रेता देवेश वैष्णव पिता चंदशेखर वैष्णव को पंजीकृत विक्रय किया गया है जिसके पूर्व उत्तर दिशा में विक्रेता हीरूराम साहू द्वारा छोडा गया रास्ता दर्ज है।

08. दिनांक 01.02.2021 को आवेदक के पिता हीरू राम साहू द्वारा खसरा क्र0 223/27 का टूकडा रकबा 0.55 एकड (0.2220 हे. हेक्ट को क्रेता रितेश गजगिरी पिता राजकुमार गजभिये को पंजीकृत विक्रय किया गया है जिसमें विक्रेता हीरूराम साहू द्वारा छोडा गया रास्ता दर्ज है।

जिस पर आवेदक हिरदे राम साहू द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायधीश वर्ग -2 राजनांदगांव (छ0ग0) के समक्ष वाद दिनांक 18.11.2020 को पेश किया गया था, जिसमें वादी स्वयं हिरदे राम था तथा प्रतिवादीगण निम्नानुसार है -

01. हीरूराम साहू, पिता स्व0 बृजलाल साहू,

02. श्याम बाई साहू पति हीरूराम साहू,

03. रोहणी साहू पति स्व0 हरनारायण साहू उम्र 40 साल,

04. हिनेन्द्र साहू पिता स्व0 हरनारायण साहू उम्र 20 साल,

05. नितीश साहू पिता स्व0 हरनारायण साहू उम्र 18 साल,

06. नरेन्द्र साहू पिता स्व0 हरनारायण साहू उम्र 16 साल सभी निवासी चिखली वार्ड न0 05, शीतलामंदिर गली पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0

07. नीरा साहू पति घनश्याम साहू उम्र 50 साल निवासी ग्राम बधियाटोला डोंगरगढ राजनांदगांव

08. संतोषी पति रूपसिंह साहू उम्र 50 साल निवासी ग्राम करमतरा छुईखदान थाना लालबाग राजनांदगांव

09. भगवती साहू पति गणेश्वर साहू उम्र 40 साल निवासी ग्राम अंजोरा जिला दुर्ग।

10. महेश्वरी साहू पति राकेश साहू निवासी पुराना घडी चौक सुपेला भिलाई, बद्रीप्रसाद कबाडी दुकान भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0)

11. छत्तीसगढ शासन

द्वारा - जिलाधीश (कलेक्टर)

राजनांदगांव (छ0ग0)

जिसके संबंध में आवेदक से पुछताछ करने पर वाद क्रमांक 59/2020 होना एवं प्रकरण माननीय व्यवहार न्यायालय में लंबित होना बताता है। आवेदक जो कि अपने माता पिता से 15-20 वर्षों से अलग निवासरत रहा है। आवेदक के पिता हीरूराम साहू द्वारा दिनांक 22.11.2020 को फर्ट बटवारा कर अपने वारिशासनो एक पुत्र हिरदेराम साहू को कुल जमीन का 1/7 भाग लगभग 32 डिसमील जमीन, पुत्र वधु रोहणी साहू को 20 डिसमील जमीन एवं अपने 04 पुत्रियों को क्रमशः 5-5 डिसमिल बटवारा किया गया है, जिसका पंचनामा

पटवारी हल्का न0 39 द्वारा किया गया है, फर्ष बटवारा में आवेदक उपस्थित थे, आवेदक द्वारा उक्त पंचानाम में अपना हस्ताक्षर करने से इंकार किया है।

आवेदक अपने पिता के विरुद्ध जमीन विक्रय करने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में आवेदक के पिता हीरुराम साहू को तलब कर दिनांक 23.11.2020 को स्व0 हीरुराम साहू का कथन लिया गया जो बताये कि मेरे दो पुत्र हैं, 01. हिरदे राम साहू, 02. स्व0 हरनारायण साहू एवं 04 पुत्री 01. नीराबाई साहू, 02. सतोषी साहू, 03. गणेश्वरी साहू, 04. भगवती साहू है। मुझे मेरे पैतृक जमीन के भाई बटवारा में से 3 एकड 10 डिसमील जमीन मिला था, मेरे द्वारा अपने दोनो लडको एवं चारो पुत्रियों का परिवार एवं शादी किया गया था जिसके कारण मैं कर्ज में हो गया था, भूमि विकास बैंक राजांदगावं से ऋण के रूप में 1985 में कुल पम्प के लिए 57,000/- रुपये लिया था जिसे पटाने के लिए मुझे जमीन को देचना पडा और कांटा तार घेरा के लिए एक लाख रु0 लिए थे जिसे जमीन बेचकर पटाया, दोनों लडकियों एवं चारो बेटियों की शादी जमीन बेच कर किया हू। मेरे लडके हिरदे राम साहू, के लडके यीशु कुमार साहू, और लडकी चांदनी बाई की शादी भी जमीन बेचकर किया हू। मेरा बेटा आज से लगभग 15 वर्ष से अलग रह रहता है। किसी प्रकार से मुझे सहयोग नहीं करता। आये दिन मेरे साथ झगडा लडाई करता है मेरे पत्नी को भी गला दबाने की कोशिश किया एवं मारने लगा। मेरे साथ भी मारपीट कर आंख के पास तमाचा मारा जिसके कारण मेरे आंख कमजोर हो गया एवं मेरे अन्य परिवार से गाली गलौच मारपीट करने का धमकी देता है। मेरे एवं मेरे पत्नी को भी मारने की धमकी देता है। और कहता है कि जब तक मैं बाप को जान से नहीं माखंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। अब मेरे पास मात्र आज के तारिख में लगभग 88 डिसमील जमीन बचा है। मैं अपने पारिवारिक परेशानी को देखते हुए चारो पुत्रियों को 5-5 डिसमील जमीन एवं अपने लडके हृदय राम को 32 डिसमील जमीन रास्ता सहित और बेटा स्व0 हरनारायण की पत्नी रोहिणी साहू को 20 डिसमील जमीन बटवारा में दिया हू। मेरे पास 20 डिसमील जमीन रखा हू, और 08 डिसमील जमीन रोड डायवर्सन में निकला है। इसी रकबे मे एक एक एकड बचत भूमि को बेचकर मकान का कार्य कर रहा हू। दस वर्ष पहले पुराना घर में 10,00,000/- रु0 खर्च किया है। उसके बाद भी मेरा पुत्र मुझे मारने के लिए उतावला हो जाता है। मेरे लडके द्वारा जो शिकायत दिया गया है। वह गलत है। बताये है। इन्ही सब बातों को लेकर आवेदक हिरदे राम साहू द्वारा अलग-अलग तिथियों में अलग-अलग विषयों पर जमीन क्रेता रितेश गजभिये के विरुद्ध करते आ रहा है।

आवेदक द्वारा दिनांक 12.09.2020 को अनावेदक रितेश गजभिये के विरुद्ध शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उनके पिता द्वारा बिना आवेदक के अनुमति के पुश्तैनी जमीन को विक्रय किया गया है, जिसे विक्रय करने के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद पेश कर आपत्ति दर्ज करवाने वाला हू इस बात को लेकर रितेश गजभिये द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दिया गया है। उक्त शिकायत आवेदन पर आवेदक को दिनांक 196/2020 दिनांक 28.11.2020 दिया गया एवं अनावेदक को प्रतिबन्धित करने इस्तगशा दिनांक 108/2020 धारा 107, 116(3) जा0प्रा0 तयार कर तहसील कार्यालय में पेश किया गया है।

दिनांक 28.11.2020 को आवेदक हिरदे राम के पिता द्वारा आवेदक के विरुद्ध श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव में शिकायत आवेदन पेश किया था कि आवेदक हिरदेराम साहू द्वारा हीरुराम साहू एवं उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दिया जाता है एवं रोज वाद विवाद करता है एवं अपने बहनों को बटवारा नहीं देने का दबाव बनाता है, इस पर आवेदक हिरदे राम साहू के विरुद्ध इस्तागाशा क्रमांक 323/2020 धारा 107, 116(3) जा0फौ0 तैयार कर माननीय तहसील कार्यालय राजनांदगांव में प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 28.05.2021 को आवेदक हिरदे राम के पिता हीरुराम साहू का देहांत होने के पश्चात् दिनांक 20.06.2021 को आवेदक द्वारा अपनी माता श्रीमी श्याम वाई के विरुद्ध पैतृक सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से पैतृक भूमि में निर्माण किये गये मकान में हिरदा बटवारा दिलाये जाने एवं आपनी माता के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आवेदक की माता जी का कथन लिया गया था जो अपने कथन में बतायी कि उनके पुत्र हिरदे राम साहू को साई मंदिर के पास 32 डिसमील जमीन दिया गया है। छोटी बहू को 20 डिसमील जमीन दिया गया है तथा पुत्रियों को 5-5 डिसमिल जमीन दिया गया है। तथा जो रोड उक्त विवाविद भूमि पर बन रहा है उसे उसके पति हीरुराम साहू द्वारा विक्रय कर दिया गया है, अपने कथन में बतायी है। उक्त शिकायत आवेदन पर से आवेदक को फैना क्रमांक 100/2021 दिनांक 26.06.2021 को दिया गया है।

आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 08.09.2021 एवं 21.10.2021 को शिकायत आवेदन वरिष्ठ कार्यालय में प्रस्तुत किया गया कि उसके पैतृक जमीन जो चिखली में है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20 फीट चौड़ा एवं 90 फीट लंबा सी0सी0 रोड का निर्माण कराया गया जबकि उक्त भूमि से संबंधित मामला माननीय व्यवहार न्यायालय राजनांदगांव में लंबित है। उक्त मामला जमीन संबंधी पुलिस अदम दस्तदाजी का होने से आवेदक को फैना क्रमांक 167/2021 दिनांक 15.09.2021 को दिया गया।

पुनः आवेदक हिरदे राम साहू द्वारा दिनांक 21.01.2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पैतृक जमीन जो चिखली में स्थित है जो माननीय सिविल कोर्ट में गिरावट प्रकरण चल रहा है। पर बिजली विभाग द्वारा बिजली का खम्भा लगाए जाने पर रोक लगाने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर आवेदक को मामला पुलिस अदम दस्तदाजी का पाये जाने से फैना क्रमांक 25/2022 दिनांक 03.03.2022 को दिया गया।

आवेदक द्वारा दिनांक 01.06.2022 एवं 04.06.2022 को वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि नगर निगम राजनांदगांव द्वारा अवैध प्लानिंग के संबंध में बोर्ड लगाया गया था एवं आवेदक द्वारा अपने जमीन पर भी सूचना संबंधी बोर्ड लगाया गया था जिसे रितेश गजभिये द्वारा बोर्ड को गिरा दिया गया है एवं बोर्ड में तोड़ फोड़ किया गया है। उक्त शिकायत आवेदन पर आवेदक को फैना क्रमांक 95/2022 दिनांक 24.06.2022 को दिया गया।

निष्पादित भूमि जिसके संबंध में आवेदक द्वारा लगातार शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है को आवेदक के पिता हीरुराम साहू द्वारा अनावेदक रितेश गजभिये को विक्रय किया गया है। जिसका प्रमाणीकरण हो चुका है एवं शपथ पत्र में आवेदक के पिता, एवं उनके बहनों के द्वारा सहमति देकर हस्ताक्षर किया गया है। आवेदक के बहनों द्वारा जमीन विक्रय पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

श्रीमान् जी आवेदक हिरदे राम साहू के पिता जी हीरू राम साहू द्वारा स्वयं के स्वामित्व के खसरा नं० 223/7 रकबा 0-4050 हे० भूमि प.ह.न. 39 चिखली में स्थित भूमि में से अंश रकबा 0-2220 हे० भूमि को अनावेदक रितेश कुमार गजभिये को विक्रय कर पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक 01.02.2022 को निष्पादित किया गया है। जिसके संबंध में आवेदक की बहनों द्वारा उक्त भूमि के विक्रय पंजीयन में किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होना एवं भविष्य में भी किसी प्रकार का दावा आपत्ति नहीं करने के संबंध में 100 रुपये का शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिसके आवेदक की बहनों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

तथा आवेदक के पिता हीरुराम साहू द्वारा स्वयं के स्वामित्व के खसरा नं० 223/7 रकबा 0-4050 हे० भूमि प.ह.न. 39 चिखली में स्थित भूमि में से अंश रकबा 0-2220 हे० भूमि को अनावेदक रितेश कुमार गजभिये पिता राजकुमार निवासी महादेव नगर गौरीनगर राजनांदगांव के पास 10,60,000/- रू० में कब्जा व अधिपत्य सौंपने एवं उक्त प्रतिफल के राशि क्रेता रितेश गजभिये द्वारा स्वयं को दो चेक

01. चेक क्र० - 000053 रकम - 5,30,000/- दिनांक 01.02.2021 बैंक का नाम - एच.डी.एफ.सी. बैंक राज०
02. चेक क्र० - 000053 रकम - 5,30,000/- दिनांक 01.02.2021 बैंक का नाम - एच.डी.एफ.सी. बैंक राज०
दिया गया था जिसमें से चेक क्र० 000054 जो गलती से स्वयं से फट गया जिसके बारे में सूचना क्रेता को देकर उनसे नया चेक क्र० 000027 रकम 5,30,000/- रुपये दिनांक 01.02.2021 एच.डी.एफ.सी. बैंक राज० का प्राप्त करना एवं क्रेता से कोई भी रकम लेना बाकी नहीं हो एवं भविष्य में स्वयं या स्वयं के वारिशानों द्वारा उक्त पटे हुए चेक के संबंध में किसी भी प्रकार की न्यायालीन कार्यवाही वगैरह करेंगे तो वह सब कुछ इस शपथ पत्र के समक्ष झूठा एवं नाजायज माना जाएगा के संबंध में आवेदक के पिता हीरू राम द्वारा शपथ प्रस्तुत किया गया है। एवं उक्त भूमि का पंजीयन दिनांक 01.02.2021 को पंजीयक कार्यालय राजनांदगांव में किया गया है, जिसके आवेदक के पिता हीरुराम साहू के हस्ताक्षर एवं अनावेदक रितेश गजभिये तथा दो गवाहनों के हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक 01.02.2022 को आवेदक हिरदे राम साहू के पिता श्री हीरुराम साहू द्वारा 05 अन्य लोगों को

01. दिनांक 01.02.2021 को खसरा क्र० 223/27 का टुकड़ा रकबा 0.013 हेक्टर को क्रेता विजय कुमार साहू पिता गलेश कुमार साहू को पंजीकृत विक्रय किया गया है
02. दिनांक 01.02.2021 को खसरा क्र० 223/27 का टुकड़ा रकबा 0.010 हेक्टर को क्रेता कौशल सिन्हा पिता मनराखन सिन्हा को पंजीकृत विक्रय किया गया है।
03. दिनांक 01.02.2021 को खसरा क्र० 223/27 का टुकड़ा रकबा 0.011 हेक्टर को क्रेता रूखमणी साहू पति जय प्रकाश साहू को पंजीकृत विक्रय किया गया है।

04. दिनांक 01.02.2021 को खसरा क्र० 223/27 का टुकड़ा रकबा 0.016 हेक्टर को क्रेता सीता यादव को धनुराम यादव को पंजीकृत विक्रय किया गया है।

05. दिनांक 01.02.2021 को खसरा क्र० 223/27 का टुकड़ा रकबा 0.032 हेक्टर को क्रेता देवेश वैष्णव पिता चंद्रशेखर वैष्णव को पंजीकृत विक्रय किया गया है।

आवेदक हिरदे राम साहू द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय में पेश वाद क्र० 59/2020 दिनांक 11.04.2022 को समाप्त हो चुका है। प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

शिकायत आवेदक द्वारा अनावेदक रितेश गजभिये पिता राजकुमार गजभिये निवासी महादेव नगर गौरीनगर राजनांदगांव द्वारा के विरुद्ध घर में आकर जान से मारने की धमकी देने पर रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर अनावेदक रितेश गजभिये के विरुद्ध पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 824/2022 धारा 294,506 भादवि दर्ज कर विवेचना किया गया है।

शिकायत जॉच प्रतिवेदन श्रीमान् जी के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है

संलग्न:- (1) उपरोक्तानुसार - प्रति।


चौकी प्रभारी
पुलिस चौकी चिखली
जिला-राजनांदगांव(छ.ग.)

पारोशेष्ट - चवालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 710) की जानकारी

पुपत्र-अ

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन प्रथम तल,
खण्ड-सी, स्कूल शिक्षा विभाग, नवा रायपुर,

फोन नम्बर- 0771-2331385, फैक्स नम्बर - 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com

क्र०/शि.क.प्रको./03/राज्यपाल पुर./2022/169
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 23.06.2022

1- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़।

2- समस्त शिक्षा अधिकारी नगर निगम, नगर पालिका, छत्तीसगढ़।

विषय:- राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए प्रस्ताव भेजने बाबत।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हैं। जिला स्तर पर शिक्षकों से प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.07.2022 निर्धारित की जाती है। जिला शिक्षा अधिकारीगण अपने जिले से अधिकतम 03 प्रस्ताव ही भेजेंगे। 03 से ज्यादा प्रस्ताव आने पर प्रथम के तीन प्रस्तावों को ही स्वीकार किया जायेगा एवं शेष प्रस्तावों को मूलतः वापस किया जावेगा। प्रायः देखा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्ताव भेजने में विलंब करते हैं। इसके लिए उन्हें स्मरण पत्र प्रेषित किये जाते हैं। अतः अंतिम निर्धारित तिथि 25.07.2022 तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से पत्र वाहक द्वारा शिक्षक कल्याण प्रकोष्ठ लोक शिक्षण के पास भेजना सुनिश्चित करें। शिक्षा अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका अपने शिक्षकों के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 20.07.2022 तक जमा कर दें। जिला शिक्षा अधिकारी पुरस्कार के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में ही भेजेंगे। इसके लिए शिक्षकों को प्रस्ताव देने के लिए न कहें।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए निम्नांकित दिशा-निर्देश है:-

- 1- जिन शिक्षकों के प्रस्ताव भेजे जावे उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता कर ले कि अनुशंसित शिक्षक कार्यरत संस्था में नियमित कक्षा अध्यापन कराते हैं।
- 2- शिक्षक से तात्पर्य शिक्षाकर्मी, सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधान अध्यापक, व्याख्याता तथा प्राचार्य से है जो स्कूल में कार्यरत होकर नियमित कक्षा अध्यापन करा रहे हैं।
- 3- प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत/कार्यरत शिक्षक, प्रोफेसर्स व्याख्याता, प्राचार्य, स्कूल संकुल बी.आर.सी. संकुल समन्वयक, सपोर्टिंग टीचर के प्रस्ताव राज्यपाल पुरस्कार के लिये न भेजें।
- 4- राज्यपाल पुरस्कार 2022 के लिये शिक्षकों का शिक्षण अनुभव 31 दिसम्बर 2021 को 15 वर्ष तथा प्राचार्यों का 20 वर्ष होना अनिवार्य है। शिक्षाकर्मियों का शिक्षण अनुभव 31 दिसम्बर 2021 को 12 वर्ष का मान्य है।
- 5- जिन शिक्षकों के प्रस्ताव पुरस्कार के लिए भेजा जा रहा है उन शिक्षकों के बारे में ठीक तरह से पता कर ले कि वह शिक्षक चरित्रवान नियमित कक्षा अध्यापन करने वाले तथा निष्कलंक हो। इस संबंध में अपने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य, जनप्रतिनिधि (पंच-सरपंच) आदि से पता कर लें।
- 6- प्रत्येक प्रस्ताव के आवरण पृष्ठ/फाइल पर स्पष्ट रूप से लिखा हो- "राज्य पुरस्कार 2022 के लिये"
- 7- पुरस्कार के लिये अनुशंसित शिक्षकों की पिछले 05 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली (2016 से 2021 तक) तथा दो रंगीन पासपोर्ट फोटो बंद लिफाफे में प्रस्ताव के साथ ही भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिन शिक्षकों के प्रस्ताव पुरस्कार के लिए भेजे उनसे संबंधित निष्कलंक चरित्र प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आ.जा.क.विभाग/शिक्षा अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका द्वारा देना होगा।
- 9- पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रस्ताव पुरस्कार वर्ष के एक वर्ष बाद तक सुरक्षित रखने के बाद वापसी योग्य नहीं होगा।

निष्कलंक चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पद कार्यरत शाला
 जिला- की सेवाये निष्कलंक है। वे नियमित कक्षा अध्यापक है तथा अध्यापन कार्य, कार्यरत विद्यालय में ही करते है। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत/जांच विभाग में अथवा अदालत में नहीं है। उन्हे दण्डित नहीं किया गया है उनका चरित्र निष्कलंक है।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला

पदमुद्रा

- 10- सेवानिवृत्त शिक्षकों के प्रस्ताव मान्य नहीं है भले ही वे सेवानिवृत्ति के बाद अन्य विद्यालयों में कार्यरत हो।
- 11- जिला चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए।


 22-06
 संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय
 रायपुर छत्तीसगढ़
 नया रायपुर दिनांक 28/01/2022

पृ0क्र./शि.क.प्रको./03/राज्यपाल पुर./2022/170

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
- 2- निज सचिव, माननीय मंत्री, पंचायत विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
- 3- निज सचिव, माननीय मंत्री, स्वायत शासन, नगर प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
- 4- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग।


 22-06
 संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय
 रायपुर छत्तीसगढ़

संलग्न निर्धारित प्रपत्र।


 अनुभाग अधिकारी
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पार्ट-1

राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 हेतु प्रस्तावित करने के लिये निर्धारित प्रपत्र

- 1- नाम : _____
- 2- पद एवं कार्यरत शाला का पूर्ण पता पिन कोड/टेलीफोन सहित : _____
- 3- शिक्षक के निवास का पूर्ण पता पिन कोड, टेलीफोन सहित : _____
- 4- शिक्षक का स्थायी पता पिन कोड सहित : _____
- 5- क्या विद्यालय प्राथमरी/माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक है? बतावें : _____
- 6- जिला व राज्य : _____
- 7- जन्म तारीख : _____
- 8- वर्तमान आयु : _____
- 9- सेवा निवृत्ति की तिथि : _____
- 10- कुल सेवा अवधि व शिक्षक के रूप में कार्यारंभ तिथि : _____

“सेवा रिकार्ड”

संस्था का नाम (कार्यरत रहे समस्त संस्थाओं के नाम)	स्तर प्राथमिक माध्य.उ. माध्यमिक	व्यवस्था शासकीय अशासकीय	कुल दर्ज संख्या	कार्यरत अवधि तारीख माह वर्ष सहित	विषय जो पढ़ाया गया	कक्षा जो पढ़ाई गई	परीक्षाफल	अन्य कार्य जो किए गये
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11-	कुल अनुभव	अवधि	
		कब से	कब तक
	शिक्षण		
	प्रशासकीय		
	अन्य प्रशिक्षण/अन्य संलग्नीकरण		

- 12- यदि प्राथमिक शिक्षक है तो शिक्षक के लिये गया ठोस उपाय। पिछले तीन वर्षों की दर्ज संख्या, शाला छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बतावें। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शिक्षक द्वारा किया गया कार्य : -----
- 13- यदि माध्यमिक/उ.मा. शिक्षक है तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पिछले पांच वर्षों में शाला छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत। शाला छोड़ने से रोकने के लिए शिक्षक ने क्या उपाय किए। : -----
- 14- बोर्ड परीक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षा : -----
विषय का परीक्षाफल प्रतिशत, उत्तीर्ण की संख्या, प्रथम श्रेणी वालों की संख्या - पिछले पांच वर्षों का बतावें।
- 15- विद्यालय के भौतिक विकास के लिये शिक्षक द्वारा किया गया प्रयास। पिछले 05 वर्षों का बतलावें। : -----
- 16- क्या विद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरण आते हैं तो पिछले 05 वर्षों का बतावें। : -----
- 17- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये शिक्षक द्वारा किया गया प्रयास। विस्तार से बतावें। : -----
- 18- निम्नलिखित जानकारी विशेष रूप से दें:-
क्या शिक्षक द्यूशन में लगा रहता है? : -----
क्या शिक्षक की शिकायत करने/षडयंत्र करने की आदत है? : -----
क्या शिक्षक समय के पाबंद है? : -----

Dr. J. K. Singh
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

पार्ट-2

- 19- क्या शिक्षक ने अपने छात्रों पर शिक्षण को : -----
प्रभावशाली बनाने के लिये कोई नवाचार,
विशेष प्रयोग किया है? विस्तार से बतावें?
- 20- क्या शिक्षण को अधिक रोचक बनाने के : -----
लिये शिक्षक द्वारा उपयोग लाये सहायक
शिक्षक सामग्री, मास मीडिया आदि के बारे
में बतावें?
- 21- क्या शिक्षक ने निःसहाय/कमजोर छात्रों : -----
के लिये विशेष ध्यान या सहायता की है?
यदि हां तो विस्तार से बतावें?
- 22- क्या शिक्षक ने सेवाकालीन : -----
प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भाग लिया
है? यदि हां तो पिछले 05 वर्षों का
विवरण दें।
- 23- क्या शिक्षक ने विद्यालय के सहायक : -----
क्रियाकलाप अथवा अतिरिक्त क्रियाकलापों
में रूचिपूर्वक कार्य किया है? यदि हां तो
विस्तार से बतावें।
- 24- क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्य पुस्तक : -----
आदि लिखा है। यदि हां तो विस्तार से
बतावें।
- 25- क्या शिक्षक को विद्यालय से, समाज से : -----
अथवा शासन से पिछले 10 वर्षों में कोई
मान्यता/पुरस्कार/ईनाम मिला है? यदि
हां तो विस्तार से बतावें।
- 26- शिक्षक की विशेष उपलब्धियों जो उपरोक्त : -----
बिन्दुओं में न आ सकी हों-बतावें।

Handwritten signature
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार

पार्ट-3

- 27- छात्रों के मध्य क्या शिक्षक का प्रभाव है? : -----
- 28- क्या छात्रों को शिक्षक अनुशासन में रख सकते है? : -----
- 29- क्या शिक्षक अपने सहयोगी शिक्षकों अथवा अन्यो से मधुर संबंध रख सकते हैं? : -----
- 30- क्या शिक्षक को समाज से, विशेषकर पालकों से उच्च सम्मान प्राप्त है? : -----
- 31- पलक शिक्षक संघ के क्रियाकलाप में शिक्षक की सहभागिता कहाँ तक है? : -----
- 32- शाला प्रधान की शिक्षक के संबंध में अभ्युक्ति : -----
- 33- जिला शिक्षा अधिकारी की अभ्युक्ति : -----

जिला शिक्षा अधिकारी
के हस्ताक्षर, स्टैम्प सहित

पार्ट-4

जिला चयन समिति के सदस्यों की अभ्युक्ति/अनुशंसा सहित हस्ताक्षर

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

अध्यक्ष जिला चयन समिति
के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

पार्ट-5

राज्य चयन समिति सदस्यों की अनुशंसा हस्ताक्षर सहित

- 1-
- 2-
- 3-


अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, अजमेर

राज्य चयन समिति के अध्यक्ष
के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा

जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़

फोन नं. 07824-296022 ई-मेल cg.deo.bemetara2@gmail.com

ज्ञाप क्र./ 5022 / विधानसभा / 2022 /
प्रति,

बेमेतरा, दिनांक 22-12-2022

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर
नवा रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

1. प्रश्न क्रमांक - 710
2. विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 30/12/2022
3. सदन में उत्तर देने की तिथि - 06/01/2023
4. वर्ग जिसके लिये वह तिथि नियत है - वर्ग 05

विभाग का नाम: स्कूल शिक्षा विभाग

विषय :- राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार हेतु चयन का मापदण्ड।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा

अतारांकित प्रश्न

क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) - वर्ष 2022 के राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार में शिक्षकों के चयन की क्या प्रक्रिया है, जानकारी दें ?

- उत्तर- (1) लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/शि.क.प्रको./03/राज्यपाल पुर. /2022/169 नवा रायपुर दिनांक 23.06.2022 के परिपालन में जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक आवेदन आमंत्रित किया गया।
- (2) प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा 05 सदस्यीय चयन समिति गठित की गई।
- (3) चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का बिन्दुवार परीक्षण किया जाता है।
- (4) परीक्षण उपरांत जिले के कम से कम 03 शिक्षकों के नाम राज्यपाल पुरस्कार हेतु चयन समिति द्वारा चयनित कर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- (5) समिति द्वारा चयनित शिक्षकों का नाम आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जाता है।

(ख) - प्रश्नांश " क " अन्तर्गत राज्यपाल शिक्षक चयन पुरस्कार के लिए बेमेतरा जिला स्तर पर कौन-कौन से विषय विशेषज्ञ की समिति बनाई गई है, जानकारी दें ?

उत्तर- राज्यपाल शिक्षक चयन पुरस्कार के लिए बेमेतरा जिला स्तर पर जिले के डाईट प्राचार्य, 01 सहायक संचालक, जिले के 02 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिले के 01 प्राचार्य अर्थात कुल 05 विषय विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है।

(ग) - प्रश्नांश " क " अन्तर्गत बेमेतरा जिले से राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार हेतु किस से आधार पर शिक्षकों का चयन किया गया है की जानकारी दें ?

उत्तर- राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश के आधार पर शिक्षकों का प्रस्ताव तैयार किया जाता है।
दिशा-निर्देश निम्नानुसार है -

1. जिन शिक्षकों के प्रस्ताव भेजे जावे उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता कर ले कि अनुशंसित शिक्षक कार्यरत संस्था में नियमित कक्षा अध्यापन कराते है।
2. शिक्षक से तात्पर्य शिक्षाकर्मी, सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधान अध्यापक, व्याख्याता तथा प्राचार्य से है जो स्कूल में कार्यरत होकर नियमित कक्षा अध्यापन करा रहे है।
3. प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत/कार्यरत शिक्षक, प्रोफेसर्स, व्याख्याता, प्राचार्य स्कूल संकुल, बी.आर.सी., संकुल समन्वयक, सपोर्टिंग टीचर के प्रस्ताव राज्यपाल पुरस्कार के लिये न भेजे।
4. राज्यपाल पुरस्कार 2022 के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण अनुभव 31 दिसम्बर 2021 को 15 वर्ष तथा प्राचार्यों का 20 वर्ष होना अनिवार्य है। शिक्षाकर्मियों का शिक्षण अनुभव 31 दिसम्बर 2021 को 12 वर्ष का मान्य है।
5. जिन शिक्षकों के प्रस्ताव पुरस्कार के लिये भेजा जा रहा है उन शिक्षकों के बारे में ठीक तरह से पता कर ले कि वह शिक्षक चरित्रवान, नियमित कक्षा अध्यापन करने वाले तथा निष्कलंक हो। इस संबंध में अपने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य, जनप्रतिनिधि (पंच-सरपंच) आदि से पता कर लें।
6. प्रत्येक प्रस्ताव के आवरण पृष्ठ/फाइल पर स्पष्ट रूप से लिखा हो -राज्य पुरस्कार 2022 के लिये।

7. पुरस्कार के लिये अनुशंसित शिक्षकों की पिछले 05 वर्षों की गापेनीय चरित्रवली (2016 से 2021 तक) तथा दो रंगीन पासपोर्ट फोटो बंद लिफाफे में प्रस्ताव के साथ ही भेजना सुनिश्चित करें।
8. जिन शिक्षकों के प्रस्ताव पुरस्कार के लिए भेजे उनसे संबंधित निष्कलंक चरित्र प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आ.जा.क.विभाग/शिक्षा अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका द्वारा देना होगा। इसके अभाव में प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा।
9. पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रस्ताव पुरस्कार वर्ष के एक वर्ष बाद तक सुरक्षित रखने के बाद वापसी योग्य नहीं होगा।

पृ. क्र./ 5023 /विधानसभा/ 2022/
प्रतिलिपि-

संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
शिक्षा विभाग
दुर्ग, जम्मू

जिला शिक्षा अधिकारी
बेमेतरा
बेमेतरा, दिनांक 22-12-2022
जिला शिक्षा अधिकारी
बेमेतरा